अष्टम माला, खंड 19, अंक 16

गुरुवार, 7 अगस्त, 1986
16 श्रावण, 1908 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

छठा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 19 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 19, छठा सत्र, 1986/1908 (शक)

अंक 16, गुरुवार, 7 अगस्त, 1986/16 श्रावण, 1908 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	2—23
*तारांकित प्रश्न संख्या : 309 से 311 और 314 से 317	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	23—219
तारांकित प्रश्न संख्या : 306 से 308, 312, 313 और 318 से 325	23—32
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2979 से 3215	32—219
दिनांक 24 जुलाई, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1098 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य	220
सभा पटल पर रखे गये पत्र	234—236
राज्य सभा से संदेश	237
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति	237—238
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति	238
तीसरा प्रतिवेदन	
मिजोरम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और उपभोक्ता सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने के बारे में वक्तव्य	238—239

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय पृष्ठ

नियम 377 के अधीन मामले ... ... 239—243

(एक) सोन नहर परियोजना को स्वीकृति देने और उसके लिए आवश्यक धनराशि प्रदान करने की आवश्यकता

श्री सी० पी० ठाकुर ... ... 239—240

(दो) राजस्थान सरकार को यह निदेश देने की आवश्यकता कि हरियाणा में गंगा संपर्क नहर के भाग का निर्माण करने के लिए वह हरियाणा सरकार को अग्रिम धनराशि प्रदान करे

श्री बीरबल 240

(तीन) उड़ीसा के कालाहांडी, बोलंगीर, फूलबनी और गंजाम जिलों में और अधिक सार्वजनिक टैलीफोन लगाने की मांग

श्री राधा कांत डिगाल 241

(चार) बम्बई गैस कम्पनी के माध्यम से बम्बई के नागरिकों में वितरण के लिए प्राकृतिक गैस दिये जाने की आवश्यकता

श्री शरद दिघे 241

(पांच) देश में पटसन उत्पादकों और पटसन मिलों में कार्यरत कर्मकारों की शिकायतों की जांच करने की आवश्यकता

डा० सुधीर राय ... ... 241—242

(छः) पूरे देश में, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में, जिला स्तर पर नवोदय स्कूल खोलने की आवश्यकता

श्री सी० जंगा रेड्डी 242

(सात) व्यापक फसल बीमा योजना के अधीन फसलों की हानि के मूल्यांकन का कार्य ग्राम पंचायतों को सौंपने की आवश्यकता

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 243

(आठ) तिरुपति में एक "मुक्त व्यापार क्षेत्र केन्द्र" खोलने की आवश्यकता

डा० चिन्ता मोहन 243

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1986-87 (—जारी) ... ... 243—275

श्री चिरंजी लाल शर्मा ... ... 243—246

श्री रामदेव राय ... ... 246—249

विषय पृष्ठ

श्री गिरधारी लाल डोगरा ... ... 249—252
श्री सी० जंगा रेड्डी ... ... 252—254
श्रीमती ऊषा ठक्कर ... ... 254—255
श्री धर्मपाल सिंह मलिक ... ... 255—257
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही ... ... 257—259
श्री पी० नामग्याल ... ... 259—263
श्री भरत देव ... ... 264—265
श्री बी० के० गढ़वी ... ... 265—272

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक ... ... 275—280

पुरःस्थापित/विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री बी० के० गढ़वी 275

खंड 2, 3 और 1

पारित करने के लिये प्रस्ताव

श्री बी० के० गढ़वी 276
प्रो० एन० जी० रंगा ... ... 277—278
श्री दिग्विजय सिंह 278
श्री गिरधारी लाल व्यास 278

वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक ... ... 280—297

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री राजेश पायलट ... ... 281—282
श्री गोपाल कृष्ण थोटा ... ... 282—283
श्री मनोरंजन भक्त ... ... 283—286
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर ... ... 286—288
श्रीमती प्रभावती गुप्त ... ... 288—289
डा० सुधीर राय ... ... 290—292
श्री हरीश रावत ... ... 292—293
श्री राजेश पायलट ... ... 293—296

खंड 2 से 5 और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव 297

श्री राजेश पायलट 297

विषय				पृष्ठ

खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक ... ... 297—300

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री कृष्ण चन्द्र पंत ... ... 297—300
श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी 300

हंसालय बिल्डिंग, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली में 6-8-1986 को हुए विस्फोट के बारे में वक्तव्य 301

श्री पी० चिदम्बरम 301

दक्षिण अफ्रीका में वर्तमान स्थिति के बारे में प्रस्ताव ... ... 302—333

श्री एडुआर्डो फैलीरो ... ... 302—305
श्री बी० बी० रमैया ... ... 305—308
श्री दिनेश सिंह ... ... 308—311
श्रीमती शीला कौल ... ... 312—313
श्री सैफुद्दीन चौधरी ... ... 313—318
श्री बिपिन पाल दास ... ... 318—320
श्री एस० जयपाल रेड्डी ... ... 320—322
श्री जी० जी० स्वैल ... ... 322—324
श्री ए० सी० षण्मुख ... ... 324—325
श्री राज मंगल पांडे ... ... 325—326
श्री बलवंत सिंह रामूवालिया ... ... 326—327
डा० गौरीशंकर राजहंस ... ... 327—328
श्री दिनेश गोस्वामी ... ... 328—330
श्री इन्द्रजीत गुप्त ... ... 330—333
श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव ... .. 336—337
श्री एडुआर्डो फैलीरो ... ... 337—341

गढ़वा रोड के समीप 162 डाउन रेलगाड़ी की टक्कर के बारे में वक्तव्य ... 333—335

श्रीमती मोहसिना किदवई ... ... 333—335

दक्षिण अफ्रीका के बारे में संकल्प ... ... 342—343

कार्य मंत्रणा समिति 344

26वां प्रतिवेदन 344

लोक सभा

गुरुवार, 7 अगस्त, 1986/16 श्रावण, 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मुझे सभा के दो भूतपूर्व सदस्यों अर्थात श्री पी०वाई० देशपांडे और श्री वाई० ईश्वर रेड्डी के दुःखद निधन की सूचना देनी है। श्री पी०वाई० देशपांडे 1950-52 के दौरान मध्य प्रदेश से अन्तरिम संसद के सदस्य थे।

वह एक वयोवृद्ध कार्मिक संघ नेता थे। तथा अनेक श्रमिक और सामाजिक संगठनों से सम्बद्ध थे। वह गांधीवादी सिद्धान्तों में विश्वास रखते थे और उन्होंने विश्वव्यापी सामाजिक व्यवस्था के पक्ष में काम किया। वह एक अधिवक्ता थे और मध्य प्रदेश में उन्होंने सिविल जज के पद पर काम किया तथा नागपुर विश्वविद्यालय में संवैधानिक कानून के प्राध्यापक रहे। उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखीं।

श्री देशपांडे का निधन 26 जुलाई, 1986 को नागपुर में 87 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी प्रथम, तृतीय, चतुर्थ और पांचवीं लोक सभा के 1952-57, 1962-67, 1967-70 और 1971-77 के दौरान आंध्र-प्रदेश के कुडापा निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य रहे। वह 1958-62 के दौरान आंध्र-प्रदेश विधान परिषद के भी सदस्य रहे।

वह एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे तथा उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था तथा जेल गये। वह एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता थे और किसान आन्दोलन के साथ सम्बद्ध थे। उन्होंने खेतीहर मजदूरों के कल्याण के लिए काम किया। वह भारत-रूस सांस्कृतिक सोसायटी के आजीवन सदस्य थे।

श्री रेड्डी का निधन कुडापा में 3 अगस्त, 1986 को 71 वर्ष की आयु में हुआ।

हम इन मित्रों के निधन पर दुख व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि इनके परिवारों को अपनी सहानुभूति दर्शाने में यह सभा मेरे साथ है।

अब सदस्यगण शोक व्यक्त करने के लिए कुछ क्षण मौन खड़े होंगे।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

प्रो० मधु दंडवते : निधन संबंधी उल्लेख में अनावश्यक विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए। प्रो० पी०वाई० देशपांडे एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और उनका निधन 26 जुलाई को हुआ था। पूरे देश के समाचार पत्रों के सम्पादकीय में इसका उल्लेख किया गया था और हम आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब भी ऐसे समाचारों की जानकारी हमें मिलती है, हम तत्काल इसे पुष्टि के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास भेजते हैं और उसके बाद इसकी घोषणा के लिए कार्यवाही करते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : कोई प्रक्रिया तैयार की जानी चाहिए। अन्यथा यह बहुत खराब लगता है कि एक व्यक्ति की मृत्यु 26 जुलाई को हुई हो और हम उसे 7 अगस्त को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम क्या कर सकते हैं। यदि सदन को कोई सदस्य भी यह प्रमाणित कर दे कि उसे इस बात की जानकारी है तो भी हम इसकी घोषणा कर सकते हैं। कल मैंने श्री रेड्डी से भी यही कहा था कि यदि वे व्यक्तिगत रूप से यह कह सकते हैं कि ऐसा हुआ है तो हम इसकी घोषणा कर सकते हैं। यह समस्या है।

श्री बसुदेव आचार्य : कल एक गम्भीर रेल दुर्घटना···

अध्यक्ष महोदय। उसका समय आने दो।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

दिल्ली के अस्पतालों में डाक्टरों के लिए कमरों की कमी

*309. **श्री पी० नामग्याल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अस्पतालों में, विशेषकर डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली

में विशेषज्ञों और अन्य डाक्टरों के लिए कमरों की भारी कमी है;

(ख) क्या भीड़भाड़ और जगह की कमी होने से मरीजों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो डाक्टरों के लिए कमरों और मरीजों के लिए प्रतीक्षाकक्षों का पर्याप्त संख्या में निर्माण करने के लिए कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में कुल मिलाकर सीमित स्थान उपलब्ध होने की बात को देखते हुए, प्राथमिकता इन अस्पतालों में तैनात विशेषज्ञों तथा डाक्टरों को दी जाती है। इन अस्पतालों में भीड़-भाड़ अधिक होने का एक कारण यह है कि प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। सरकार की कोशिश यह रही है कि परिधीय (पेरिफेरल) क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की स्थापना की जाए और उन्हें मजबूत बनाया जाए और वर्तमान अस्पतालों में अन्दरूनी (इन हाउस) सुधार किए जाएं ताकि सुविधाओं का अभीष्टतम उपयोग किया जा सके। यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

श्री पी० नामग्याल : माननीय मन्त्री जी द्वारा दिया गया उत्तर पूरा नहीं है। मैंने स्पष्टतया यह पूछा है कि डाक्टरों के लिए पर्याप्त कमरे और मरीजों के लिए प्रतीक्षा कक्ष बनाने के संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है। एक कमरे में एक से अधिक विशेषज्ञ या वरिष्ठ चिकित्सक बैठते हैं इसके कारण विशेषकर महिलायें किसी अन्य डाक्टर या मरीज की उपस्थिति में अपनी समस्या बताने में जोकि कुछ प्राइवेट किस्म की हो, असमर्थ होते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार दिल्ली के अस्पतालों विशेषकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में विशेषज्ञों तथा वरिष्ठ चिकित्सकों के लिए अतिरिक्त कमरे बनाने का है। यदि हां, तो कब और क्या इसके लिए कोई फंड दिया गया है और यदि नहीं, तो क्यों ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : अस्पतालों में भीड़ की समस्या एक मानी हुई बात है। यह प्रश्न इसके एक पहलू के बारे में है, विशेषज्ञों के लिए कमरों की व्यवस्था। अब, जहां तक संभव है और जैसा कि उत्तर में बताया गया है, डाक्टरों तथा विशेषज्ञों को कमरे उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया जा रहा है किन्तु इस अस्पताल तथा अन्य अस्पतालों में भीड़ बढ़ने का मुख्य कारण यह है कि पिछले कुछ वर्षों में मरीजों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और सुविधाओं, जैसे कि कमरों का निर्माण आदि को उस अनुपात में नहीं बढ़ाया जा सका है या नहीं बढ़ाया गया है। वास्तव में यह समस्या है। जिन लोगों की यहां आने की आवश्यकता नहीं वे भी आ रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार कुछ मामलों में लगभग 50 या 60 यहां तक कि 70 प्रतिशत मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें, यदि उनके अपने क्षेत्र में यह सुविधा होती तो यहां आने की आवश्यकता न पड़ती। इस समस्या को इस प्रकार हल करने के बारे में सोचा गया है। आगामी कुछ वर्षों में अस्पताल बनाने तथा लगभग 550 डिस्पैंसरियों में अतिरिक्त सुविधायें प्रदान करने और

ऐसे क्षेत्रों में जहां इस समय डिस्पैंसरी नहीं है, नई डिस्पेंसरियां खोलने की एक योजना बनाई गई है। यह एक जटिल और विस्तृत योजना है। डाक्टरों के लिए अलग कमरों के मामले में स्थिति प्रत्येक अस्पताल में भिन्न है और एक ही अस्पाल में भी जैसे कि डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल। यह बाह्य रोगी से कमरों तक स्थिति भिन्न है। हम इस मामले की जांच कर रहे हैं और जहां तक संभव है हम अतिरिक्त कमरे अथवा स्थान देने का प्रयत्न करेंगे।

श्री पी० नामग्याल : विशेषकर डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उतनी सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं जितनी होनी चाहिए थीं। उदाहरण के लिए लिफ्ट को लीजिए। हमने कई बार देखा है कि लिफ्टें खराब होती हैं और मरीजों को या तो पैदल जाना पड़ता है या स्ट्रेचर पर। सुविधायें पर्याप्त नहीं हैं। आपने आगे बतांया है कि अधिक भीड़-भाड़ प्राइमरी तथा सैकेण्डरी स्तर पर चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण है। मैं जानना चाहता हूं कि आगे क्या सुधार करने का विचार है। उनमें से कुछ बातें आपने अभी बताईं, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आपने 'इन-हाउस' सुधार के बारे में कहा···

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री पी० नामग्याल : मैं जानना चाहता हूं कि डाक्टरों और विशेषज्ञों को अलग कमरे दिलवाने के सम्बन्ध में आप क्या 'इन-हाउस' सुधार करने का सुझाव दे रहे हैं ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : बात यह है कि, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, इनमें से अधिकांश मरीज इन अस्पतालों में इसलिए आते हैं क्योंकि उन क्षेत्रों के छोटे अस्पतालों में, जहां वे रहते हैं कुछ सुविधायें उपलब्ध नहीं है। दूसरे वे यहां कुछ और डाक्टरों की राय जानने के लिए आते हैं। वे सोचते हैं कि यहां विशेषज्ञ या बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं और यह पता लगाया जा सकता है कि उनके क्षेत्र के डाक्टर ने जो बताया था वह सही है या नहीं। इन दो कारणों से लोग यहां आते हैं।

यदि हम सभी अस्पतालों में पूरी सुविधायें दें और लोगों के मन में यह विश्वास उत्पन्न करें कि उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आने की आवश्यकता नहीं और उनके घर के पास जो डाक्टर हैं वह काफी अच्छा है तो स्वयं ही इन अस्पतालों में भीड़ कम हो जायेगी। हमारा इस समस्या से इस प्रकार निपटने का विचार है।

[हिन्दी]

श्री डी० पी० यादव : अध्यक्ष महोदय, सरकारी अस्पतालों में अधिकतर रोगी बाहर से आते हैं। दिल्ली के आसपास के जो प्रदेश हैं, उनके रोगियों की संख्या दिल्ली में बहुत ज्यादा हो गई है। इसके दो कारण हैं। एक तो यह है कि राज्य सरकार के जो जिला मुख्यालय के अस्पताल हैं, उनकी देखरेख, रखरखाव और निर्माण के साधन नहीं हैं। डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर में जो सदर अस्पताल होते हैं, उसके रखरखाव के लिए और उसको बड़ा बनाने के लिए क्या केन्द्रीय स्तर पर कोई कदम उठायेंगे ?

दूसरा, बहुत से राज्यों में प्राइवेट प्रेक्टिस की जो प्रथा चल पड़ी है उसके कारण अब यह स्थिति हो गई है कि अस्पताल में देखरेख होता ही नहीं है। प्राइवेट प्रेक्टिस वाले डाक्टर रोगी का ठीक से उपचार नहीं कर पाते। लाचार होकर उन्हें दिल्ली में ही आना पड़ता है। राज्यों में सरकारी डाक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस की जो प्रथा चली हुई है, उसकी रोकथाम के लिए क्या सरकार राज्यों से बातचीत करेगी ?

श्री पी०वी० नरसिंह राव : दूसरे प्रश्न का सीधा-सादा उत्तर यही है कि यह राज्य सरकारों के बस में है और उनकी जूरिस्डिक्शन में है। इस कारण यह काम उनको करना पड़ेगा। कुछ राज्य सरकारों ने इसको किया है और कुछ ने नहीं भी किया है। जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं मानता हूं कि यहां 25 प्रतिशत लोग बाहर से आते हैं जोकि दिल्ली के निवासी हैं। वैसे तो फ्लोटिंग पापुलेशन दिल्ली में है ही। लेकिन इसके अलावा भी दूसरे और आसपास के राज्यों व जिलों से लोग यहां इसलिए आते हैं क्योंकि एक तो यहां दवाएं मुफ्त मिलने की सुविधा है और दूसरे यहां स्पैशलिस्ट की सुविधायें हैं।

यह तो मुश्किल है कि उनको हम यह कहें कि वे न आयें। उनकी भी यहां सेवा की जा रही है। उत्तर प्रदेश में सारे जिलों में अस्पताल ठीक होंगे तो गाजियाबाद वाला भी ठीक होगा यह कहना मुश्किल है। लेकिन पहले गाजियाबाद को ठीक करिए ताकि वहां से यहां लोगों का आना हम बन्द कर सकें या बन्द हो जाये। राज्य सरकार के स्तर पर ही उनको अपना प्रोग्राम बनाना पड़ेगा।

[अनुवाद]

डा० जी० विजय रामाराव : मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि दिल्ली के मौजूदा अस्पतालों में बहुत भीड़ होती है। केवल यही नहीं, दिल्ली और देश के अन्य भागों के अधिकांश अस्पतालों में नवीनतम उपकरण भी नहीं होते हैं। राज्यों और दिल्ली के अति मुख्य विशिष्ट व्यक्ति विदेशों में इलाज के लिए जाते हैं। वहां भारतीय मूल के डाक्टर, जो वहां गए हैं, उनका इलाज करते हैं। अत: क्या आप भारत में एक बड़ा सुसज्जित अस्पताल स्थापित करने पर विचार करेंगे ताकि विशिष्ट व्यक्तियों को विदेश जाने से रोका जा सके ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मुझे विश्वास नहीं है कि क्या विशिष्ट व्यक्तियों को विदेश में जाने से रोकने के लिए कोई प्राथमिकता होनी चाहिए यदि उनका इस तरह से उपचार होता है। उन लाखों लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो यहां इस तरह की सुविधाएं चाहते हैं तथा जिनके मामलों में सुविधाएं अपर्याप्त हैं।

कनिष्क विमान दुर्घटना में मरने वाले व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को मुआवजा

*310. श्री के० डी० सुल्तानपुरी : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनिष्क विमान दुर्घटना में मरे सभी व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को मुआवजा दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(ग) क्या कुछ ऐसे मामले भी शेष हैं जिनके बारे में अभी तक निपटारा नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारत में निपटाए गए 63 दावों के संबंध में 2.5 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। कनाडा में निपटाए गए 6 दावों के लिए 39.26 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। कर्मीदल के 21 सदस्यों के मामले में अब तक 84.12 लाख रुपए अदा किए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) कुछ मामलों में अभी फैसला नहीं हुआ है क्योंकि मृतकों के परिवार के सदस्यों ने भारत/कनाडा में मुकदमें दायर कर दिए हैं। अन्य मामलों में दावेदारों के वकीलों से नोटिस प्राप्त हुए हैं।

[हिन्दी]

श्री के० डी० सुल्तानपुरी : माननीय मंत्री जी ने जो कहा है कि इनको मुआवजा दे दिया गया है, मैं जानना चाहता हूं कि उनमें जो भारतीय हैं जिनकी मृत्यु हुई है उनको क्या कम मुआवजा दिया गया और जो बाहर के ये अंग्रेज लोग उनको ज्यादा दिया गया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री जगदीश टाइटलर : यह बात बिल्कुल सच नहीं है। हरएक को कम्पेन्सेशन उनकी अर्निंग कैपेसिटी, उनके पीछे कौन से आदमी रहते हैं, कौन से अर्निंग मेम्बर हैं उसको देखकर दिया गया है। यह जो आपका कहना है कि उस तरह से दिया गया है वह ठीक नहीं है।

श्री के० डी० सुल्तानपुरी : आपने कहा कि यह मुआवजा उनकी अर्निंग पोजीशन को देखकर दिया गया तो इनमें कितने ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत अच्छी थी और कितने ऐसे हैं जिनकी बहुत खराब थी ?...

अध्यक्ष महोदय : यह जानकर क्या फायदा होगा ?

श्री के० डी० सुल्तानपुरी : दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि एन्क्वायरी कौन कर रहा है और उनकी एन्क्वायरी का क्या रिजल्ट अभी तक आया है ?

वी के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि इन्होंने हवाला तो दिया नहीं कि इतने आदमियों के केसेज बाकी रहते हैं ? यह कहा गया है कि उनको मुआवजा देने की कोशिश की जा रही है, तो स्पेसिफिक बताया जाय कि कितने आदमी ऐसे हैं कि जिनको मुआवजा नहीं दिया गया है ?

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाइटलर : महोदय, भारत में अभी तक 63 दावों और कनाडा में 6 दावों को निपटाया गया है। भारतीय न्यायालयों में तीन दावे लम्बित हैं। कनाडा में वकीलों द्वारा 225 मामले अर्थात कनाडा से 186 और भारत से लोगों ने 39 मामलों को भी कनाडा में दायर किया है। दस मामले ऐसे हैं जिनपर कोई दावा दायर नहीं किया गया है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या उन्हें याद है जब मैंने पिछले सत्र में इस कनिष्क दुर्घटना के बारे में एक प्रश्न पूछा था और विशेष रूप से पूछा था कि क्या मुआवजा के भुगतान में भारतीय लोगों और विदेशियों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा तो उन्होंने सुनिश्चित रूप से कहा था कि कोई भेदभाव नहीं है। जब मैंने उनसे कहा कि यदि मैं उनके पास कुछ मामले लाऊं और यदि बताऊं कि इनमें भेदभाव है तो उन्होंने कहा था कि वह मामले पर विचार करेंगे और भेदभाव दूर करेंगे। इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि विदेशी नागरिकों को उनकी आर्थिक क्षमता और परिवार के सदस्यों की संख्या की शर्त के बिना उन्हें मुआवजे के रूप में 75000 डालर दिए गए हैं। उन्होंने अभी स्वीकार किया है कि जहां तक भारतीय पीड़ितों को मुआवजा देने का संबंध है, मुआवजा के भुगतान के साथ कई शर्तें लगाई जाती हैं। यदि ऐसा है तो क्या यह भेदभाव नहीं है ? मैंने श्रीमती गुप्ता के बारे में भी उल्लेख किया था जिनकी मृत्यु हुई थी, उनके पति को पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया गया है। क्या वह मामले पर विचार करेंगे और भारतीय लोगों के साथ शर्तों के बारे में भेदभाव को भी दूर करेंगे ? जबकि विदेशियों के लिए कोई शर्त नहीं है।

यदि यह भेदभाव होता है तो क्या वह इसे दूर करेंगे ?

श्री जगदीश टाइटलर : श्री दंडवते ने जो कहा है मैं उससे सहमत हूं और लोक सभा में मैंने जो उत्तर दिया था उससे भी मैं सहमत हूं। मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी यूरोपियन या विदेशी को 75,000 डालर का मुआवजा नहीं दिया गया है। निपटाए गए 63 मामलों में से 9 मामले ऐसे हैं जिनमें हमने 75,000 डालर का मुआवजा दिया है और वह यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि इन 9 मामलों में से 7 मामले भारतीय मूल के लोगों के हैं तथा दो ऐसे मामले हैं जो भारतीय भी हैं परन्तु उनके पास कनाडा का पासपोर्ट है। मेरे पास दो मामले विदेशियों के हैं। यदि आप उन लोगों को देखें जो इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में बदकिस्मती से मारे गए तो आपको पता चलेगा कि इसमें 159 लोग कनाडा के 48 और 22 कर्मीदल जो भारतीय हैं, 20 अमरीकी तथा 2 ब्रिटेन के हैं। इस पूरी संख्या मे केवल दो विदेशी हैं, बाकी या तो भारतीय मूल के हैं या वे भारतीय हैं जिन्होंने विदेशों की राष्ट्रीयता प्राप्त की है। हमने जितने मामलों में भुगतान किया है उनमें से दो विदेशी हैं जिन्हें मुआवजा दिया गया है। एक तो फादर गेराल्ड है जिसे 1,82,000 रुपए और दूसरा मार्टिन एलिन है जिसे

3,20,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। यह लगभग 23000 डालर होता है। 75,000 डालर की अधिकतम राशि भारतीयों को दी गई है न कि विदेशियों को।

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। जहां तक नियमों का संबंध है क्या यह सही है कि विदेशियों को मुआवजे देने के लिए कोई शर्त नहीं रखी गई है परन्तु भारतीयों के लिए परिवार के सदस्यों की आर्थिक क्षमता आदि जैसी शर्तें लगाई गई हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह उत्तर से स्पष्ट है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, यह स्पष्ट नहीं है। उन्हें स्पष्ट करने दें। जो कुछ कार्यान्वित किया गया है वह अलग बात है परन्तु इस बारे में क्या नियम हैं ?

श्री जगदीश टाइटलर : महोदय, किसी के लिए दो तरह के नियम नहीं हैं सिवाए इसके कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब हम मुआवजा देने के बारे में विचार करते हैं तो हम आर्थिक क्षमता पर विचार करते हैं और निःसंदेह विदेशों में रहने वाले चाहे वे भारतीय हों या विदेशी, लोगों की भारतीयों के मुकाबले कमाने की क्षमता अधिक होती है। परन्तु इस प्रकार का कोई नियम नहीं है कि विदेशियों को अधिक देना होगा। भारत में वकीलों द्वारा इस पर निर्णय किया गया है।

ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों को खसरे के टीकों की सप्लाई

*311. श्री मूल चन्द डागा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों में खसरे के टीके शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों की तरह नियमित रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों को टीके सप्लाई किए जाने के लिए क्या मापदण्ड हैं; और

(ग) राजस्थान के किन-किन जिलों को पिछले दो वर्षों के दौरान उनकी मांग के अनुसार पूरे टीके, मांग से आधी संख्या में और मांग के आधे से भी कम संख्या में टीके मिले और इसके क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) व्यापक रोग-प्रतिरक्षण के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंग के रूप में 1985-86 के दौरान खसरे के लिए रोग-प्रतिरक्षण का एक नियमित कार्यक्रम आरम्भ किया गया था। वर्ष 1985-86 में यह कार्यक्रम देश के 30 जिलों में चलाया गया था। इस वर्ष 62 और जिलों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। रोग प्रतिरक्षण सेवाएं शहरी क्षेत्रों में अस्पतालों, औषधालयों और जच्चा-बच्चा केन्द्रों के द्वारा तथा

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप-केन्द्रों और दूर-दराज तक चलने वाले कार्यों के द्वारा प्रदान की जाती हैं। वैक्सीन राज्य सरकारों को भेजी जाती है और वे फिर उसे चुने हुए जिलों में उतने शिशुओं की आवश्यकतानुसार सप्लाई कर देते हैं जितनों को देने का लक्ष्य होता है। तथापि खसरा फैलने की स्थिति में राज्य सरकारों द्वारा इस वैक्सीन का उपयोग ऐसे जिलों में किया जा सकता है जहां पर व्यापक रोग-प्रतिरक्षण कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है।

(ग) वर्ष 1985-86 में, जो व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम का प्रथम वर्ष था, राजस्थान के दो जिलों, भरतपुर और कोटा को व्यापक रोग-प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया था और उन्हें वैक्सीन की पूरी मात्रा आबंटित की गई थी।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया कि जहां पर आवागमन के साधन हैं, वहीं यह संभव है, जैसे भरतपुर और कोटा आदि, लेकिन दूरदराज के इलाकों में जहां पर गरीब लोग रहते हैं, जो बीमारी के शिकार होते हैं, उनके लिए आपने क्या सोचा है? आपने जो सात जिले चुने हैं, उनमें से कौन से दो जिले राजस्थान के हैं? और आपने कहा है कि 85-86, 86-87 में सात जिले चुने हैं, आप मेहरबानी करके यह बतलाइए कि वे कौन से दो जिले राजस्थान के लिए हैं?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : व्यापक रोग-प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने गए जिलों के मापदण्ड पांच हैं : आधारभूत सुविधाओं की विशेषकर चल रही क्षेत्रीय परियोजनाओं में उपलब्धता आई०सी०डी०एस० के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र को लाया जाना, जिला स्तर पर सशक्त और प्रेरित नेतृत्व, 50 प्रतिशत और इसके ऊपर की जनसंख्या को शामिल करना, राज्य और केन्द्रीय कार्यालयों द्वारा पर्यवेक्षण और मूल्यांकन के लिए उचित दूरी और संचार सुविधाएं।

मेरे पास यहां राजस्थान राज्य के लिए टीके का आवंटन है। 1985-86 में 1.2 लाख खुराक का लक्ष्य था, 1.5 लाख का आबंटन किया गया था और 1.46 लाख की सप्लाई की गई थी। 1986-87 में 5.3 लाख का आबंटन था और .46 लाख टन की सप्लाई की गई है। क्योंकि राजस्थान सरकार ने अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने स्वास्थ्य बजट से पिछले वर्ष खसरे के टीकों की 3.14 लाख खुराक की खरीद की थी। मेरे पास यहां राजस्थान से प्राप्त एक तार है जो विशेषरूप से इस प्रश्न से संबंधित है। इसमें यह लिखा है :—

"यू० आई० पी० ब्लाकों या यू० पी० शहरी क्षेत्रों में 1985-86 और 1986-87 के दौरान अभी तक टीके की कमी नहीं है। 1.44 लाख खुराक शेष हैं। कोई कमी नहीं है।"

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मीजिल्स के कारण प्रति वर्ष दो लाख बच्चों की मृत्यु

होती है। हर बच्चा जो 9 महीने से लेकर 12 महीने तक का हो, उसको मीजिल्स के टीके लगाने आवश्यक होते हैं। मन्त्री जी कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दें। आपने कहा है कि 1985-86 में 30 जिलों को चुना गया है तो उसका क्या क्राइटीरिया है और किस आधार पर इन जिलों को चुना गया है ? यह भी बताने की कृपा करें कि राजस्थान को कितनी वैक्सीन सप्लाई की गई और उनकी मांग क्या थी ? साथ ही यह भी बताने का कष्ट करें कि इन जिलों को वैक्सीन सप्लाई करने का जो क्राइटीरिया आपने बनाया था उसीके आधार पर सप्लाई की गई या नहीं ?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : जिलों के चयन के लिए मानदण्ड की मैंने पहले ही विस्तृत जानकारी दे दी है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि यह प्रतिरक्षण कार्यक्रम, एक व्यापक विस्तारित प्रतिरक्षण कार्यक्रम, विभिन्न असंक्राम्य प्रतिरोध्य रोगों के लिए जो लगभग 40 से 50 प्रतिशत की आबादी के लिए था, उसे बढ़ाकर अगले तीन वर्षों में 100%लोगों तक पहुंचाने के लिए आरम्भ किया गया था। प्रथम वर्ष के लिए हमने 30 जिलों का चुनाव किया था, द्वितीय वर्ष में हमने पहले ही 62 जिलों का चुनाव कर लिया है, अगले वर्ष के लिए हम 90 जिलों का चुनाव करेंगे वर्ष 1988-89 के लिए 120 जिलों का चुनाव करेंगे और बाकी बचे हुए 412 जिलों में वर्ष 1989-90 में कार्य करेंगे। जिलों को इस क्रम से लिया गया है कि प्रथम वर्ष में ही इससे काफी लोग लाभान्वित हो सकेंगे। यही कारण है कि हमें कुछ बुनियादी सुविधाओं, प्रशिक्षित व्यक्तियों और सुलभता की आवश्यकता हैं। अधिक कठिन जिलों को बाद में लिया जाएगा। यही कारण है कि मूल भूत ढांचे को मानदण्ड के रूप में रखा गया है। व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। यदि आप मुझे केवल एक मिनट देंगे तो, हां श्रीमान जी, मेरे पास यहां राजस्थान के चार अन्य जिले हैं। वे है सीकर, बांसवाड़ा, डूंगर पुर और अजमेर और उनका चुनाव राजस्थान सरकार की सिफारिशों के आधार पर है। हमने उनकी प्राथमिकताओं में बदल नहीं किया है और वास्तव में हमने सभी राज्य सरकारों से अगले 3 वर्षों में जिलों की प्राथमिकता सूची देने को कहा है।

श्री के० एस० राव : क्या इस कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों जैसे महिला कल्याण संगठनों और स्थानीय चिकित्सा संगठनों को भी शामिल करने के बारे में मन्त्री महोदय सोच रहे हैं ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : विशेष रूप से लाभ प्राप्त करने वालों के चयन और उन्हें प्रेरित करने के लिए, शिक्षा और टीकों, आदि की सप्लाई के लिए स्वयंसेवी संगठनों को शामिल करने के लिए सरकार द्वारा उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है और इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों और कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कुमार राय : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने पांच जिले बताए हैं और ट्रांसपोर्टेशन व इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत की बात कही है। मैं समझता हूं, पूरा सदन इस बात पर सहमत होगा

कि वैक्सीन सप्लाई के लिए जो क्राइटेरिया आपने अपनाया है वही गलत है।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछिए।

श्री राजकुमार राय : ऐसे इलाके जो कि जरूरतमन्द है, जहां मौतें हो रही हैं; परेशानी हो रही हैं गरीब हैं, जहां आवागमन के साधन नहीं है उनके यहां यह चीज पहुंचानी चाहिए। इस बात को मद्देनजर रखते हुए, क्या माननीय मन्त्री जी अपने क्राइटेरियन को चेंज करेंगे ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य सरकारों पर निर्भर करता है। यही बात वह कहते हैं।

[हिन्दी]

श्री राज कुमार राय : इनके इन्स्ट्रेक्शन्स क्या हैं।

अध्यक्ष महोदय : स्टेट गवर्नमेंट्स को ज्यादा पता है इस बात का।

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : वर्ष 1960 में जिस प्रतिरक्षण कार्यक्रम को आरम्भ किया गया था उसमें 25 वर्षों में केवल 40% शिशुओं के लिए व्यवस्था की गई है। बाकी बचे 60% की व्यवस्था हम अगले तीन वर्षों के एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के अन्तर्गत करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सा संगठनात्मक प्रयत्न सम्मिलित है, विशेष रूप से जिसमें टीकों की कोल्ड चैन बनाना शामिल है, जो कि सम्पूर्ण कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू हैं (व्यवधान) इस प्रकार से हमने इसकी योजना बनाई है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास राजस्थान में जिन स्थानों पर मीजिल्स की बीमारी ज्यादा है और ज्यादा बच्चे मरे हैं उसका कोई रिकार्ड है। किस आधार पर आपने जिलों को चुना है। राजस्थान सरकार तो किसी जिले का नाम भेज सकती है। जब आपका यूनिवर्सेल इमूनाइजेशन का विचार है तो सारे जिलों को इस बात को क्यों नहीं किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि कौन से जिले है, जिनमें यह डिजीज ज्यादा है और उसको इरीडीकेट करने के लिए उन जिलों को प्राथमिकता के आधार पर चुना जाना चाहिए। तो आप यह बताइए कि कौन से ऐसे जिले हैं, जिनमें ज्यादा बीमारी है।

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : मेरे पास राज्यवार आंकड़े हैं। मेरे पास जिलेवार आंकड़े नहीं है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : इसमें पक्षपात होता है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय। इनको इसका पता कैसे चलेगा।

श्री गिरधारी लाल व्यास : कौन से जिलों में ज्यादा बीमारी है, यह बताएं। इसका जवाब नहीं आया (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सी०पी०ठाकुर

श्री सी० पी० ठाकुर : मैं यह जानना चाहूंगा कि सलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा जो टीचिंग होस्पीटल्स हैं और रिकग्नाइज्ड मैटरनिटी सेन्टर्स हैं उनमें वैक्सीन देने का कोई उपाय निकाला गया है या नहीं ?

[अनुवाद]

सम्पूर्ण देश में शिक्षण अस्पताल और मान्यताप्राप्त प्रसूति केन्द्र हैं। क्या इन प्रसूति केन्द्रों व शिक्षण अस्पतालों में टीके सप्लाई करने की कोई व्यवस्था है।

श्री एस० कृष्ण कुमार : मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम 40% और 100% के बीच के अन्तर को पाटने के लिए सभी जिलों में 3 वर्षों के अन्दर भरने के लिए एक अतिरिक्त प्रयास है। सारे देश के सभी जिलों में एक नियमित बिस्तारित प्रतिरक्षण कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम के अनुसार ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की चुनी हुई संस्थाओं में टीकों की सप्लाई की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न सं० 312 श्री सूर्यवंशी उपस्थित नहीं है। प्रश्न संख्या 313—श्री मोहन दास भी उपस्थित नहीं हैं। अब प्रश्न संख्या 314—श्री मोहम्मद अय्यूब खां।

[हिन्दी]

शेखावटी एक्सप्रेस रेलगाड़ी

*314. श्री मोहम्मद अयूब खां : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और जयपुर के बीच चलने वाली शेखावटी एक्सप्रेस रेलगाड़ी लोहारू पर एक अन्य रेलगाड़ी के साथ जोड़ कर एक ही रेलगाड़ी बना दी जाती है जिससे स्थान के अभाव के कारण यात्रियों को बहुत अधिक असुविधा होती है;

(ख) यदि हां, तो इस रेलगाड़ी की यात्री क्षमता बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या शेखावटी एक्सप्रेस रेलगाड़ी को जयपुर के बजाए सीकर से चलाने की व्यवस्था करने का विचार है ?

जल-भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) दिल्ली के लिए एक गाड़ी बनाने के उद्देश्य से 233/234 शेखावटी एक्सप्रेस और 209/210 लिंक एक्सप्रेस गाड़ियों को लोहारू में मिला दिया जाता है। इससे यात्रियों को कोई कठिनाई नहीं हुई है क्योंकि जयपुर से आने वाली सवारी डिब्बों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई है।

(ख) लोहारू में बीकानेर से आने वाले सवारी डिब्बे जोड़ दिए जाने के कारण गाड़ी की क्षमता बढ़ जाती है।

(ग) जी नहीं।

श्री मोहम्मद अयूब खां : जनाब सदरे मुहतरम, यह गाड़ी, जिसका नाम शेखावटी एक्सप्रेस है, इसको उस क्षेत्र में जाखड़ एक्सप्रेस के नाम से माना जाता है। इस जाखड़ एक्सप्रेस के बारे में पहले यह तय हुआ था कि इसको सीकर से चलाया जाएगा और सीकर से चल कर यह दिल्ली आएगी। मैं जानना चाहता हूं कि जाखड़ एक्सप्रेस जयपुर से क्यों चलाई जाती है जबकि जयपुर से काफी ट्रेनें दिल्ली के लिए आती हैं। पहला मेरा सवाल यह है।

प्रो० मधु दण्डवते : इसको सीधे पार्लियामेंट हाऊस आना चाहिए।

श्री मोहम्मद अयूब खां : मेरा दूसरा सवाल यह है कि यह जब ट्रेन दो हिस्सों में आकर लोहारू में एक बनती है, तो मंत्री साहब ने बताया कि इस ट्रेन में डिब्बों की कमी नहीं है। अगर आप झुन्झुनू और चिड़ावा में मुसाफिरों की हालत को देखेंगे, तो दंग रह जाएंगे। मुसाफिरों को बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इस गाड़ी में डिब्बों में और बढ़ोत्तरी की जाएगी या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : डिब्बों में बढ़ोत्तरी करवा लो।

श्री अजय मुशरान : प्रश्न पूछने वाले भी राजस्थान के और जवाब देने वाले भी राजस्थान के।

अध्यक्ष महोदय : अन्धा बांटे शीरनी, घर-घर को दे।

श्री राजेश पायलट : सर, माननीय सदस्य ने एक शंका जाहिर की है कि गाड़ी जयपुर से क्यों चलायी जाए। अगर असलियत में देखा जाए तो इस गाड़ी के जयपुर से चलने में सीकर वालों को दो फायदे हैं। वे दिल्ली भी जा सकते हैं, जयपुर भी जा सकते हैं। मेरे ख्याल में इस गाड़ी को जयपुर से रखने में लोगों का भला है। अगर माननीय सदस्य कोई और बात दिमाग में नहीं रख रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इसमें लोगों का भला है। अगर आप इसको सीकर से ही चलाओगे तो अगर कोई आदमी

जयपुर में रुका हुआ है तो वह कोई और गाड़ी या बस लेकर पहुंचेगा और फिर गाड़ी पकड़ेगा। इस वक्त जो हालत है उसमें लोगों की इच्छा इसे जयपुर से चलाने की है।

अध्यक्ष महोदय : जनाब अयूब खां ने जो दरख्वास्त की है वह सिर्फ इतनी सी है कि उसमें डिब्बे और जोड़ दिए जाएं।

श्री राजेश पायलट : जो उन्होंने डिब्बे जोड़ने की बात कही है उसमें मैं डिब्बे बढ़वाने की कोशिश करूंगा।

श्री मोहम्मद अयूब खां : अध्यक्ष जी, इस क्षेत्र की जनता अकाल से भयंकर पीड़ित है। वह रोजी-रोटी के लिए मारी-मारी फिर रही है। उस क्षेत्र में एक ट्रेन बीकानेर से सवाई माधोपुर जाती है। उसके रास्ते में दो कस्बे बिसाऊ और रायगढ़ पड़ते हैं। वहां पर ट्रेन रोकना मंजूर हुआ था, लेकिन वहां पर ट्रेन रुकी नहीं। क्या मन्त्री महोदय, उस क्षेत्र के लोगों की स्थिति को देखते हुए वहां पर ट्रेन रुकवाने की कोशिश करेंगे या नहीं ?

श्री राजेश पायलट : ट्रेन का रुकना वहां के हालात पर होता है कि वहां सवारियां हैं या नहीं। इस बात को देखकर ट्रेन रुकती है। मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव को डिपार्टमेंट में ले जाकर दिखवाऊंगा।

[अनुवाद]

युवा समारोह और एकता शिविर

*315. श्री मुरली धर माने : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक युवा समारोहों और एकता शिविरों का आयोजन करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार के समारोहों और शिविरों के महाराष्ट्र में आयोजित किए जाने की सम्भावना है जिनमें ग्रामीण युवाओं को भी शामिल किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) वर्ष 1986-87 के दौरान देश के विभिन्न स्थानों के पांच प्रादेशिक युवा समारोहों सहित 36 राष्ट्रीय एकीकरण शिविर आयोजित करने की योजना है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मुरलीधर माने : आप आजकल के देश के नौजवानों की स्थिति जानते हैं। देश में बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए क्या आपके पास उनके लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम है ? मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि आप लोक त्यौहार व लोक गीतों के कार्यक्रमों को आयोजित कर रहे हैं जिससे राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी। परन्तु स्थिति से लाभ उठाने के लिए इस देश के अधिकांश बेरोजगार युवकों का उपयोग विभिन्न क्षेत्रीय एवं राजनैतिक दलों द्वारा किया जा रहा है। क्या देश की अखंडता के लिए युवकों की शक्ति का प्रयोग करने के लिए माननीय मन्त्री का कोई विशिष्ट कार्यक्रम है ?

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : युवकों में राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाने के लिए विशिष्ट उद्देश्य के लिए एकता सम्बन्धी क्रियाकलापों के लिए हमारा एक विशेष कार्यक्रम है। नवयुवकों के अन्तर्राज्यीय दौरे हम कराते हैं। जिसमें कि युवकों को देश के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाया जाता है, ताकि वे देश के अन्य भागों में जीवन यापन के विभिन्न तरीके, विभिन्न भाषाएं और सांस्कृतिक धरोहर को सीख सकें। एक दूसरे को समझने के लिए युवकों को एकत्रित करने के लिए हम विभिन्न विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय छात्र शिविर भी लगवाते हैं। नेहरू युवक केन्द्रों या स्वयंसेवी संगठनों जो हमारे पास युवकों को भेजते हैं या एन० सी० सी० के माध्यम से आयोजित विचार गोष्ठी सम्मेलन व अन्य क्रियाकलापों के अतिरिक्त हमारी अन्य गतिविधियां भी हैं जैसे युवा सांस्कृतिक पर्व, जिनका लक्ष्य देश के विभिन्न भागों से आए नवयुकों के सांस्कृतिक क्रियाकलाप हैं।

श्री मुरलीधर माने : मैं विशेषरूप से देश के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवकों के लिए कार्यक्रमों के बारे में जानना चाहता था।

मैं ग्रामीण युवकों की स्थिति जानना चाहता हूं क्योंकि अधिकांश युवक शहरी केन्द्रों से हैं और वे ही ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। परन्तु ये ग्रामीण युवक हैं जिनके पास पढ़ने, टेलिविजन देखने या कहीं जाने के लिए धन की सुविधा नहीं होती। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ग्रामीण युवकों के लिए कोई विशेष कार्यक्रम या शिविर आयोजित करती है।

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि विभिन्न जिलों में स्थापित नेहरू युवक केन्द्र का उद्देश्य केवल ग्रामीण युवकों को संगठित करना है। नेहरू युवक केन्द्रों की सभी गतिविधियों का उद्देश्य केवल ग्रामीण युवकों को शामिल करना है और इन शिविरों का आयोजन भी नेहरू युवक केन्द्रों द्वारा किया जाता है और वे केवल ग्रामीण युवकों को ही एकत्रित करेंगे। परन्तु मैं उसे यह भी बताना चाहूंगी कि इस वर्ष पहली बार हमने पहले राष्ट्रीय ग्रामीण युवक उत्सव हैदराबाद में आयोजित किया था, जहां दस दिन के लिए लगभग तीन हजार ग्रामीण युवक एकत्रित हुए थे। यह बहुत ही सफल कार्यक्रम था। हमें आशा है कि यह एक वार्षिक उत्सव बन जायेगा।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं जानना चाहती हूं कि क्या पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा या असम में युवा शिविर लगाने का सरकार का प्रस्ताव है। यदि हां, तो यह कार्यक्रम कब आयोजित किया जायेगा और कार्यक्रम में कितने युवक शामिल होंगे और क्या सरकार के पास पंजीकृत क्लबों को ये शिविर आयोजित करने के लिए धन देने की व्यवस्था करने की विशेष शक्ति है ताकि ये पंजीकृत क्लब अधिक अच्छे ढंग से इन शिविरों को आयोजित कर सकें ?

प्रो० मधु दण्डवते : पश्चिम बंगाल सरकार के बारे में कुछ नहीं !

अध्यक्ष महोदय : अब की बार।

श्री सोमनाथ चटर्जी : परिवर्तन के लिए।

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहती हूं कि प्रश्न विशेषरूप से उन शिविरों का उल्लेख करता है जिन्हें महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था अथवा नहीं किया गया था। मैंने दूसरे राज्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली है और मैं उन्हें उनके पास भेज सकती हूं। परन्तु मैं कह सकती हूं कि हमने पूर्वोत्तर राज्यों के युवकों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किये हैं। इस वर्ष पूर्वोत्तर राज्यों से हमारे पास युवकों के चार दल आये थे जिन्हें देश के दूसरे भागों में ले जाया गया था। तीन शिविरों में पूर्वोत्तर क्षेत्र से 450 युवक हमारे पास आये थे, जिनमें से दो शिविर असम में आयोजित किये गये थे। मैं राज्यवार आंकड़े नहीं दे सकती परन्तु मैं उन्हें आश्वासन दे सकती हूं कि हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और देश के अन्य भागों की अपेक्षा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अधिक कार्य कर रहे हैं। जहां तक ग्रामीण युवा क्लबों का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहूंगी कि नेहरू युवक केन्द्रों द्वारा आयोजित युवक क्लबों के लिए हमारे पास प्रावधान है और प्रति युवा क्लब 1000 रुपये तक की अनुदान राशि सांस्कृतिक मन्त्रालय द्वारा खेल और अन्य क्रियाकलापों के लिए दी जाती है, जो उनके हित में हो सकते हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी : माननीय मन्त्री ने दौरों और भ्रमणों के सम्बन्ध में कहा है जो ठीक प्रकार से किए जाते हैं। किन्तु क्या इस बात की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है कि अधिकांश दौरों और भ्रमणों के अन्तर्गत केवल इस देश के महानगर और बड़े रोचक पर्यटन स्थल आते हैं, किन्तु ये महानगर और पर्यटन स्थल भारत की परम्परागत तथा विभिन्न सांस्कृतिक परम्पराओं को परिलक्षित नहीं करते हैं ? अत: क्या मन्त्रालय ने इन दौरों और भ्रमणों के दौरान विभिन्न शिक्षा संस्थाओं को किसी प्रकार के मार्गनिदेश दिये हैं कि ऐसा प्रयास किया जाए ताकि भ्रमण करते हुए विद्यार्थियों के समक्ष भारत को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाए।

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : इन दौरों में इस प्रकार का पहला परीक्षण 1985-86 में किया गया था और तत्पश्चात् अनेक सुझाव दिए गए हैं। वास्तव में इनमें से कुछ त्रुटियों की पहले ही पुनरीक्षा की गई है और एक सुझाव यह भी दिया गया है कि युवाओं को केवल पर्यटक केन्द्र और बड़े स्थान ही नहीं दिखाये जाएं, अपितु उन्हें ऐसे ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में भी आना चाहिए जहां विकास हो रहा है, ताकि वे सचमुच जान सकें कि क्या हो रहा है। अत: इस वर्ष हमने आदेश दिया है

कि बड़े औद्योगिक केन्द्रों, ग्रामीण विकास परियोजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं तथा अन्य परियोजनाओं का भी समान मिश्रण होगा। हो सकता है कि इस कार्यक्रम में एक-दो स्थान सम्मिलित किए जाएं, किन्तु यह न केवल ग्रामीण क्षेत्रों अपितु दोनों का ही मिश्रण होगा।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मेरा एक साधारण सा प्रश्न है। मेरे समय में युवा उत्सव एकता के साधन माने जाते थे।

अध्यक्ष महोदय : क्या अब मानदंड बदल गए हैं ?

श्री सैयद शाहबुद्दीन : यही बात मैं जानना चाहता था। मैं माननीय मन्त्री से युवा उत्सव तथा एकता शिविरों के बीच अन्तर जानना चाहता हूं और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि देश में जिन युवा उत्सवों और एकता शिविरों का आयोजन करने का प्रस्ताव है उनमें भाग लेने वाले लोगों की अनुमानित संख्या कितनी है ?

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : जहां तक युवा उत्सवों का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहूंगा कि जब हम 1960 के दशक के सम्बन्ध में चर्चा करते हैं तो जिन युवा उत्सवों का आयोजन किया जाता था वे इस दशक के आरम्भ में बन्द कर दिए गए क्योंकि एक या दो शिविरों में ऐसी घटनाएं हुईं कि युवा उत्सवों को बन्द कर दिया गया। इसे हमने लगभग 20-25 वर्ष के पश्चात् 1985 में अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष में पुनः आरम्भ किया। और उत्सव इतना सफल रहा कि चारों ओर से हमारे युवाओं ने इस बात की मांग की कि यह उत्सव हर वर्ष मनाया जाए। मैं कहना चाहूंगी कि जब हमने 1985 में इसका आयोजन किया तो यह चार क्षेत्रीय उत्सवों के साथ आरम्भ हुआ और यह विश्वविद्यालय छात्रों तक ही सीमित रहा। हमारे यहां चार क्षेत्रीय उत्सव हैं जो चार क्षेत्रों से सम्बद्ध हैं। अन्तिम उत्सव का आयोजन दिल्ली में किया गया जो अखिल भारतीय युवा उत्सव था जिसमें गुट-निरपेक्ष आन्दोलन देशों के प्रतिनिधियों को आमन्त्रित किया गया था। अतः इसे 'नामिफेस्ट' का नाम दिया गया। किन्तु जैसा कि मैंने कहा कि यह एक निवेदन है कि इस अन्तर्विश्वविद्यालय सांस्कृतिक उत्सव को पुनः आरम्भ किया जाए और इसे इस वर्ष से आरम्भ किया गया है।

एकता से सम्बन्धित आपके विशेष प्रश्न के सम्बन्ध में मैं मानता हूं कि उन उत्सवों से युवा संगठित होते हैं। किन्तु हमारा उद्देश्य है कि हम इन शिविरों और दौरों मे ग्रामीण तथा शहरी युवाओं को संगठित करेंगे क्योंकि विश्वविद्यालय के उत्सव हमारे युवाओं के एक विशेष वर्ग तक सीमित रहेंगे जो विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी हैं। अतः एकता शिविर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, एन० एस० एस० तथा अन्य केडिटों को एन० वाई० के० के साथ लाते हैं जो ग्रामीण युवाओं को एक-दूसरे के समीप लाएंगे।

भाग लेने वालों की औसत संख्या के सम्बन्ध में प्रत्येक शिविर में 250 से 350 लोग भाग ले रहे हैं। दौरों में कम लोग लगभग 100 से 150 तक भाग लेते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न, श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : प्रश्न संख्या—316

श्री जगदीश टाइटलर : मैं सभा को यह सूचना देना चाहता हूं कि इसी प्रश्न पर केरल उच्च न्यायालय में एक मामला चल रहा है। किन्तु उस कानूनी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए जितना मुझसे हो सकेगा मैं उत्तर देना चाहूंगा।

खाड़ी के देशों के लिए विमान किराया

*316. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन†
श्रीमती गीता मुखर्जी
: क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर विमान सेवाओं के लिए विमान किराया यात्रा की जाने वाली दूरी के आधार पर निर्धारित करता है;

(ख) क्या खाड़ी देशों के लिए विमान किराया भी इसी आधार पर निर्धारित किया जाता है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और समान दूरी के लिए खाड़ी के देशों तथा अन्य वायु मार्गों के लिए किराये के बीच असमानता होने देने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या खाड़ी के देशों के लिए विमान माल भाड़े के मामले में भी यह असमानता है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या खाड़ी के देशों के लिए विमान किराये की पुनरीक्षा करने का विचार है?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) दो स्थानों के बीच विमान के किराये, यात्रा की दूरी सहित विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए "अयाटा" के मंच पर निर्धारित किए जाते हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : मन्त्री जी ने मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया है उस पर मुझे आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि खाड़ी के देशों को जाने वाले जो यात्री विमान किराए में असमानता होने से अधिक

प्रभावित हुए हैं वे केरल के हैं। मैं समझता हूं कि एयर इंडिया खाड़ी देशों के लिए अत्यधिक किराया लेता है। मैं आपको एक सुस्पष्ट उदाहरण देता हूं और वह एयर इंडिया द्वारा त्रिवेन्द्रम-कुवैत-त्रिवेन्द्रम के बीच लिया जाने वाला किराया 10,120 रुपये है और कुवैत-त्रिवेन्द्रम-कुवैत का किराया 11,500 रुपये है। माननीय मन्त्री इसको किस प्रकार स्पष्ट करेंगे ?

श्री जगदीश टाइटलर : सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि किराया एयर इंडिया द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते हैं, किंतु ये आई० ए० टी० ए० मंच द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मैं नहीं समझता कि आप क्यों चकित हो रहे हैं। यदि आप न्यायालय में गये हैं तो आपको मेरे उत्तर से क्यों चकित होना चाहिए। यह एक ऐसा मंच है जहां सभी मान्यता प्राप्त एयरलाइन्स इसके सदस्य हैं और यहां निर्णय लिए जाते हैं और ये निर्णय एयरलाइनों पर बन्धनकारी हैं।

दूसरी बात यह है कि ये किराये चार पांच बातों पर आधारित हैं जिनका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। वे इस प्रकार हैं : संचालन और अन्य वाहनों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली क्षमता, वाहनों के बीच प्रतियोग्यता, किसी मार्ग पर वायुयान द्वारा होने वाली आय, किराया स्थलों के बीच की दूरी, यातायात क्षमता, यात्री किस तरह के हैं और उनकी अदा करने की क्षमता।

माननीय सदस्य ने कुवैत का उदाहरण दिया। मैं सदस्य को यह सूचित करना चाहूंगा कि कुवैत से बम्बई और बम्बई से कुवैत वापस आने का किराया लगभग 8,226 रुपये है। इंडियन एयर-लाइन्स का बम्बई से त्रिवेन्द्रम और वापस आने का किराया 3,117 रुपये है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई सीधी उड़ान न हो तो उन्हें कुल 11,343 रुपये किराया देना पड़ता। त्रिवेन्द्रम से और त्रिवेन्द्रम वापस आने का किराया 11,346 रुपये है जो केवल 3 रुपये अधिक है।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : महोदय, त्रिवेन्द्रम—कुवैत—त्रिवेन्द्रम का किराया केवल 10,120 रुपये है, जबकि कुवैत –त्रिवेन्द्रम—कुवैत का किराया 11,500 रुपये है। जब मार्ग एक ही है तो अन्तर क्यों ? जब त्रिवेन्द्रम से उड़ान आरम्भ होकर कुवैत जाती है, तो इसका किराया कुछ होता है और जब यह कुवैत से त्रिवेन्द्रम जाती है तो इसका किराया कुछ और होता है। फिर भी, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मन्त्री ने पहले एक अवसर पर इस सम्मानित सदन में यह बात स्वीकार की थी कि त्रिवेन्द्रम खाड़ी देशों की उड़ानों से एयर इंडिया को अधिक लाभ प्राप्त होता है। इस बात की ओर ध्यान दिया जाए कि इन उड़ानों से जाने वाले यात्री अधिकतर केरल के परिश्रमी व्यक्ति होते हैं। मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहूंगा कि क्या उन्हें खाड़ी के देशों से त्रिवेन्द्रम आने वाले यात्रियों से विभिन्न कठिनाइयों के सम्बन्ध में जो उन्हें बम्बई अथवा त्रिवेन्द्रम के हवाई अड्डों के अधिकारियों द्वारा हुई है, कोई शिकायत या किसी तरह की आपत्तियां प्राप्त हुई हैं।

श्री जगदीश टाइटलर : महोदय, प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर यह है कि हम प्रोत्साहन विमान किराया लेते हैं जहां हम 16% से 40% तक की रियायत देते हैं। दूसरे हमारे पास शिकायतें भी आती हैं। जहां कहीं भी एक सेवोन्मुख संस्था होती है, हमेशा शिकायतें आती हैं। निःसन्देह कुछ यात्रियों ने हमें लिखा था तथा कुछ संस्थाओं ने भी हमें लिखा था तथा जहां कहीं भी यह सम्भव हो सका हमने उन शिकायतों को दूर किया है।

प्रो० पी०जे० कुरियन : महोदय, खाड़ी देशों से भारत तक के विमान किराये का प्रश्न इस सभा में बार-बार उठाया गया है। हाल ही में मैं कुवैत गया था। मैंने देखा कि वहां कार्यरत केवल केरल के रहने वालों ने ही नहीं बल्कि सभी भारतीयों ने मुझे कई आवेदन पत्र दिए। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों से भारत का, यानि बम्बई या त्रिवेन्द्रम तक का विमान किराया यूरोपीय देशों को जाने वाले यात्रियों के किराये से जो अधिक किराया दे सकते हैं, कहीं अधिक है। अतः मैंने पाया कि भारतीय श्रमिकों में भारतीय विमानों से यात्रा न करने की भावना थी—मैंने उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी। यह बात सार्वजनिक रूप से कही गई थी। इसलिए, मैं जानना चाहता हूं कि—चाहे आपकी दलील कुछ भी हो कि आई०ए०टी०ए० इसे निर्धारित कर रहा है—क्या सरकार इन भारतीय श्रमिकों की शिकायतों की ओर ध्यान देगी तथा यदि आप सन्तुष्ट हैं, क्या वह आई० ए० टी०ए० के समक्ष यह मामला उठायेंगे ताकि इस समस्या का समाधान हो सके।

श्री जगदीश टाइटलर : महोदय, आई०ए०टी०ए० की अगली बैठक अक्तूबर महीने में हो रही है तथा उस बैठक में किराया बढ़ाने का हमारा कोई विचार नहीं है। आपके इस प्रश्न पर आते हुए कि कुछ संस्थाओं अथवा लोगों ने यह कहा है कि भारतीय वायुसेना का बहिष्कार करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय त्रिवेन्द्रम वायुसेना उन लोगों के फ़ायदे के लिए शुरू की गई थी जो खाड़ी देशों में कार्यरत है तथा हम देश में चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के अतिरिक्त जो अन्तर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन के अन्तर्गत आते हैं, किसी भी अन्य हवाई कम्पनी को घुसने की अनुमति नहीं देते हैं। अतः जो लोग त्रिवेन्द्रम तक वायु सेवा का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें उस वायुसेवा से यात्रा करनी पड़ेगी जो त्रिवेन्द्रम जाती है। इस प्रश्न पर आते हुए कि क्या हम किरायों में वृद्धि से सम्बन्धित कठिनाइयों पर विचार करेंगे···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपने गफूर साहब से क्या ले लिया···

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाइटलर : किरायों के प्रश्न के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि यह मामला केरल उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्री जंगा रेड्डी।

प्रो० पी० जे० कुरियन : वे इसका बहिष्कार कर सकते हैं क्योंकि वे कोलम्बो से होकर यात्रा कर सकते हैं।

केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन चिकित्सा संस्थान

*317. श्री अजय मुशरान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन कितने चिकित्सा संस्थान हैं;

(ख) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो उनकी स्थापना के लिए अनन्तिम रूप से कौन से स्थान चुने गए हैं; और

(घ) क्या सरकार का जबलपुर में भी ऐसा एक संस्थान स्थापित करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

देश में चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने वाले 15 चिकित्सा संस्थान केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन हैं। इसके अलावा, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के तत्वावधान के अन्तर्गत कार्य कर रहे 18 अनुसंधान संस्थान/केन्द्र भी हैं जो केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन हैं। सातवीं योजनावधि में परिषद का निम्नलिखित नए केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है :—

1. चिकित्सा आनुवंशिक अनुसंधान केन्द्र, बम्बई।
2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य व्यवहार अनुसंधान संस्थान।
3. हाई ऐल्टिट्यूड सैंटर, लेह।
4. इंस्टिट्यूट ऑफ प्रिवेंन्टिव कार्डियोलाजी।
5. नेशनल टिशू कल्चर फैसिलिटी एण्ड रिसर्च ट्रेनिंग सैंटर, पुणे।

प्रस्तावित राष्ट्रीय स्वास्थ्य व्यवहार अनुसंधान संस्थान और इंस्टिट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलाजी किस स्थान पर खोले जाने हैं, इस सम्बन्ध में परिषद द्वारा अभी निर्णय लिया जाना है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने 1981 के दौरान जबलपुर में आदिवासियों के लिये एक क्षेत्रीय/चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र पहले ही खोल दिया है।

श्री अजय मुशरान : महोदय, जो विवरण रखा गया है यह इंगित करता है कि केन्द्र द्वारा नियन्त्रित 33 चिकित्सा संस्थायें जो शिक्षण के कार्य में रत हैं अथवा अनुसंधान कार्य में रत हैं, इस समय देश में कार्यरत हैं परन्तु उन में से एक भी देश के मध्य में स्थित नहीं है। उस क्षेत्र के लोगों के मन में यह पक्का शक है कि वहां कोई भी केन्द्रीय संस्थान स्थापित नहीं किया जा रहा है; तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के

मामले में महानगरों का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से ऐसे संस्थानों की स्थापना के बारे में उनके मन्त्रालय के साथ भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद द्वारा सामंजस्य स्थापित करने के लिए अपनायी गई प्रक्रिया के बारे में जानना चाहता हूं।

मानव संसाधन विकास मन्त्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : महोदय, एक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां स्थापित किया गया, यह कम महत्व-पूर्ण है और वे लोग जो इस अनुसंधान में लगे हुए हैं, अधिक महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के तौर पर माननीय सदस्य के अपने कस्बे जबलपुर में हमने संस्थान स्थापित किया है जो जनजाति के लोगों की समस्याओं का अध्ययन करता है तथा अनुसंधान करता है। जबलपुर जनजाति क्षेत्र के ठीक मध्य में स्थित तो नहीं हो सकता है परन्तु यह जनजाति क्षेत्रों से मिला हुआ है तथा जबलपुर में कुछ बुनियादी सुविधायें हैं। वहां चिकित्सा महाविद्यालय है। यह एक बड़ा कस्बा है। हम वहां चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इसलिए चाहते हैं ताकि लोग वहां आ सकें चिकित्सा अनुसंधानकर्त्ता वहां जा सकें, अन्य लोग वहां आ सकें तथा वहां उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठा सकें तथा हम लक्षित जनसंख्या के लिए आवश्यकताएं भी जुटा सकें। अत: मेरे विचार में स्थान का चुनाव करने में यह मुख्य मानदण्ड है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां की भौगोलिक स्थिति ठीक है, तात्पय यह है कि आप अनु-संधान कार्य बम्बई में अथवा मद्रास में कर सकते हैं अथवा एक गांव में कर सकते हैं। परन्तु मुख्य बात यह है कि वहां बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध है तथा क्या वहां बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारे लिए सम्भव है ? इस तरह की कुछ बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देना होता है।

श्री अजय मुशरान : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है : मन्त्री महोदय ने कहा है कि यह क्षेत्र जनजाति क्षेत्र के नजदीक है। यही कारण है कि जनजाति के लोगों के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र वहां स्थापित किया गया है। महोदय और भी स्थान हैं जो जनजाति अनुसंधान संस्थान की स्थिति के लिए अधिक उचित हैं। यह एक ऐसे स्थान पर स्थित नहीं है जो अधिक उपयुक्त है। मेरा संदेह पक्का हो गया है कि आप वहां केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान स्थापित नहीं कर रहे हैं। मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है : क्या चिकित्सा महाविद्यालय दो विश्वविद्यालय, 10 लाख की जनसंख्या तथा बुनियादी सुविधाओं वाली जगह केन्द्र द्वारा नियन्त्रित अनुसंधान केन्द्र या संस्थान की स्थापना के लिए उपयुक्त नहीं है ? वे लोग जिन पर आप अनुसंधान करना चाहते हैं, वे जबलपुर में उपलब्ध हैं। दो अनुसंधान संस्थान जिन्हें आप भविष्य में स्थापित करना चाहते हैं क्या उनमें से एक को जबलपुर में स्थापित किया जाएगा।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यदि सुझाव यह है कि जबलपुर के लिए जिसका चुनाव किया गया है वह चुनाव उचित नहीं है··· (व्यवधान)

श्री अजय मुशरान : यह बात मेरे सन्देह को पक्का करती है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि यह कोई भी स्थान नहीं हो सकता इसमें कई बातों का ध्यान रखना होता है।

श्री अजय मुशरान : मैं एक सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं। दो केन्द्रीय संस्थान हैं। उनकी स्थिति के बारे में अभी निर्णय लेना है। क्या उनमें से एक जबलपुर में स्थापित किया जायेगा ? मेरा प्रश्न यह है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह कहना बहुत कठिन है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की तकनीकी समिति इसकी अच्छाइयों तथा बुराइयों का अध्ययन कर रही है। जबलपुर में जिस किसी संस्थान की भी स्थापना की गई है, मुझे आशा है, वह उपयुक्त ही किया गया है तथा इस बारे में जो निर्णय लिया गया है वह सही है।

श्री अजय मुशरान : यह मेरा अनुपूरक प्रश्न नहीं है। मेरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि क्या इन दोनों संस्थानों में से एक को जबलपुर में स्थापित किया जायेगा।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं पहले ही कह चुका हूं कि एक तकनीकी समिति इसका अध्ययन कर रही है।

श्री डी० एन० रेड्डी : क्या मन्त्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि सरकार द्वारा पर्याप्त मान्यता की कमी के कारण हमारे देश में चिकित्सा अनुसंधान की क्षमता बहुत कम है ? यहां तक कि बम्बई में हाफकिन संस्थान जैसा प्रमुख संस्थान भी धनराशि की कमी के कारण संकटग्रस्त है। क्या मन्त्री महोदय सभा में यह आश्वासन देंगे कि विदेश चिकित्सा अनुसंधान को जो प्रोत्साहन अन्य देश दे रहे हैं क्या उसी प्रकार सरकार भी चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहन देगी ? क्या वह ऐसा आश्वासन देंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

सुहेली नहर परियोजना

*305. श्री जगन्नाथ प्रसाद : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी जिले में सुहेली नहर परियोजना के लिए अपने अंशदान के रूप में कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) क्या इस परियोजना का कार्य अभी पूरा किया जाना है, और यदि हां, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं और इस कार्य के किस तिथि तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) राज्य सरकारें अपनी परियोजनाओं की आयोजना, वित पोषण और कार्यान्वियन अपने योजनागत संसाधनों से करती हैं। भारत सरकार लागत में हिस्सा नहीं बंटाती है।

(ख) संसाधनों की कमी के कारण कार्यान्वियन की प्रगति आशा के अनुकूल नहीं हो सकी। अब इस परियोजना के सातवीं योजना में पूरे हो जाने की उम्मीद है।

[अनुवाद]

औषधों की संख्या कम करने के लिए उपाय

*307. श्री के० राममूर्ति : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केवल 225 औषधों और भारतीय चिकित्सा संघ ने केवल 97 औषधों की सिफारिश की है;

(ख) क्या भारत में लगभग 8000 भेषज कंपनियां 60,000 से अधिक औषध फार्मुलेशनों का उत्पादन कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो औषधों की संख्या कम करके भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा सिफारिश किये गए स्तर पर लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं, ताकि औषधों में मिलावट, भिन्न-भिन्न औषध फार्मुलेशनों और नकली औषधों का उत्पादन तथा लोगों का औषधों के सेवन का आदी हो जाने को प्रभावी ढंग से रोका जा सके ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सदस्य देशों को अनिवार्य औषधों की एक सूची सुझाई है जिसमें इन औषधों की 285 मूल औषधों और 358 फार्मुलेशनों का उल्लेख किया गया है। इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन ने नेशनल ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसने 95 औषधों की एक राष्ट्रीय प्राथमिकता सूची तैयार की है, की सिफारिशों का समर्थन किया है।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम का नवम्बर, 1982 में संशोधन किया है जिससे सरकार को बाजार में बेचे जा रहे औषधों के असंगत/हानिकारक फार्मुलेशनों के आयात, निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने की शक्तियां सौंपी गई हैं। अब तक 26 श्रेणियों की औषधों के लगभग 2000 फार्मुलेशनों के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाई गई है। सरकार द्वारा तैयार की जा रही नई औषध नीति में औषध उत्पादन के सभी संगत पहलू शामिल हो जाने की आशा है।

चेरनोबिल के परमाणु विकिरण, का "विश्व सिद्धि" जहाज पर प्रभाव

*308. श्री बी० तुलसीराम : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ में कीव में चेरनोबिल से निकले परमाणु विकिरण का काले सागर में सोवियत बन्दरगाहों पर पहुंचने वाले भारतीय नौवहन निगम के जहाज "विश्व सिद्धि" पर कोई प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य जहाजों को सम्पर्क-प्रभाव से बचाने के लिए इस जहाज को संगरोधित किया गया है;

(ग) इससे प्रभावित हुए जहाज के चालक दल के सदस्यों की संख्या क्या है तथा इस जहाज के काले सागर में सोवियत बन्दरगाह पर पहुंचने के समय इसमें क्या माल भरा था इसके भारत पहुंचने पर इसमें क्या माल भरा था;

(घ) जहाज, चालक दल के सदस्यों और माल को विकिरण के प्रभाव से मुक्त करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) क्या चालक दल के सदस्यों की समुचित चिकित्सीय जांच की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) भारतीय नौवहन निगम का "विश्व सिद्धि" नामक जहाज 21-4-86 को टूटीकोरिन से रवाना हुआ और 6-7-86 को कलकत्ता वापस लौट आया। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना से उत्पन्न भय के कारण भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता के वैज्ञानिकों ने कर्मीदल और जहाज का निरीक्षण किया जिन्होंने यह पुष्टि की कि परमाणू विकिरण से कोई भी कर्मी प्रभावित नहीं हुआ और जहाज पर मापा गया विकिरण स्तर नेचुरल बैकग्राउंड स्तरों पर ही है। कर्मियों के खून के परीक्षण से रेडियोधर्मिता के कारण किसी प्रकार की असामान्य स्थिति का संकेत नहीं मिला। इसे दृष्टि में रखते हुए जहाज, कर्मियों और कार्गो का प्रतिरक्षण करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

रेलगाड़ियों के द्वितीय श्रेणी के डिब्बों में पानी के नलों के गायब होने अथवा टपकते रहने की स्थिति में वैकल्पिक सुविधा की व्यवस्था

*312. श्री नरसिंह सूर्यवंशी : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे प्राधिकारियों ने विभिन्न रेलगाड़ियों के द्वितीय श्रेणी के डिब्बों में शौचालयों, वाशबेसिनों में पानी के नलों के गायब

होने तथा पानी के लगातार बहने की स्थिति में उपयुक्त वैकल्पिक सुविधा की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : नामित प्राथमिक तथा गौण अनुरक्षण डिपुओं में सभी सवारी डिब्बों का निरीक्षण किया जाता है तथा मल साजो और दाब-टोंटियों सहित सभी टूट-फूट और खामियां दूर की जाती हैं। अत्यधिक उपयोग के कारण और कभी-कभी गुंडागर्दी और बदमाशों के कुकृत्यों के कारण दाब-टोंटियों और कल-पुर्जों के बदलाव की मांग अनुरक्षण डिपों में तत्काल उपलब्ध सप्लाई से अधिक हो जाती है। दाब-टोंटियों की कमी के मामलों में पानी को बहने से रोकने के उद्देश्य से बदलाव के लिए दाब-टोंटियां उपलब्ध होने तथा उन्हें फिट कर दिए जाने तक पानी के पाइप निकासों में सामान्यत: लकड़ी की शुण्डाकार डाट ठोक कर उन्हें प्रथम उपलब्ध अवसर पर अस्थायी तौर पर बन्द कर दिया जाता है। मार्ग में होने वाली क्षति अथवा खामियों के मामलों में भी इसी प्रकार के प्रबन्ध करने पड़ते हैं।

केरल की आंतरिक जलमार्ग सम्बन्धी विकास योजना

*313. श्री के० मोहनदास : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में आंतरिक जलमार्गों के विकास सम्बन्धी कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने योजना की स्वीकृति दे दी है और योजना के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित धनराशि दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) जी, हां। केरल सरकार ने पांच योजनाएं प्रस्तुत की थीं, यथा—

(i) नींदकारा-चेरियाक्षीकल जलमार्ग का सुधार।

(ii) उद्योगमंडल नहर का सुधार।

(iii) चम्पाकरा नहर फेज-II का सुधार।

(iv) ड्रेजरों और वाटर हायासिंथ हार्वेस्टर उपलब्ध करना।

(v) कोचीन और किवलान के बीच वेस्ट-कास्ट नहर के जलीय सर्वेक्षण का संचालन।

(ग) और (घ) उपर्युक्त सभी योजनाएं सातवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर ली गई। हैं। इनमें से प्रथम चार केन्द्र-प्रायोजित स्कीमों की श्रेणी में हैं जबकि पांचवीं केन्द्रीय स्कीम में है। उपर्युक्त स्कीमों में (i), (ii), (iii) और (iv) के लिए क्रमश: 89.65 लाख रु०, 189.80 लाख रु०, 155.25 लाख रु० और 19.80 लाख रु० के व्यय की संस्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है। (iv) सन्दर्भित स्कीम की संस्वीकृति के लिए कार्यवाही की जा रही है।

केन्द्र-प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत स्कीम की लागत की 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार को ऋण सहायता के रूप में प्रदान की जा रही है। यह केन्द्रीय ऋण सहायता की राशियां राज्य सरकार से कार्यों की प्रगति रिपोर्टों के प्राप्त हो जाने पर रिलीज की जाती हैं।

35.49 लाख रु० की राशि नींदकारा-चेरियाझीकल जलमार्गों के सुधार की स्कीम के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में केरल सरकार को रिलीज की जा चुकी हैं। आगे की धनराशियां केरल सरकार से आवश्यक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर रिलीज की जायेंगी।

मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी को बुक स्टालों का दिया जाना

*318. श्री ए० सी० षण्मुखम : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग के विशिष्ट आदेशों के अनुसरण में नवम्बर, 1975 में मैसर्स ए०एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी के एकमात्र विक्रेता अधिकारों पर प्रतिबंध लगाये जाने के बाद उनके कुछ स्टालों में कोई वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है और इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में राज्य के राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने के लिए प्रस्ताव

*319. श्री मानकूराम सोढी : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को बस्तर जिले में सड़क परिवहन सुविधाओं के अभाव को ध्यान में रखते हुए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस जिले के राज्य-राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने के कोई प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या पिछले कई वर्षों से जगदलपुर-कोंटा और जगदलपुर-बीजापुर-भद्राचलम सड़कों को अंतर्राज्यीय सीमा से जोड़ने का प्रस्ताव किया जा रहा है ?

परिवहन मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार पीछे समय-समय पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली में सम्मिलित किए जाने सम्बन्धी कतिपय प्रस्ताव भेजती रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) जगदलपुर (राष्ट्रीय राजमार्ग 43) —गीदम-बीजापुर-भोलापत्तनम-निर्मल (राष्ट्रीय राजमार्ग 7) और (ii) इलाहाबाद-रीवा-बिलासपुर-रायपुर-जगदलपुर)—-कोंटा-राजामुंद्री भी समाहित हैं। इसमें विचाराधीन दोनों सड़कों के अधिकांश भाग भी सम्मिलित हैं। तथापि संसाधन सम्बन्धी सीमाओं और अन्य प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इस अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में दूसरे कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मान्यता

*320. **श्री जी० एस० बसवराजू**
श्री एच० एन० नन्जे गौडा } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कर्नाटक में दूसरे कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह मान्यता कब तक प्रदान कर दी जाएगी ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों के अनुसार किसी भी विश्वविद्यालय को केन्द्रीय सरकार से अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित करना होता है। कर्नाटक सरकार ने कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1986 की एक प्रति भेजा

था, जिससे राज्य सरकार धारवाड़ में दूसरा कृषि विश्वविद्यालय स्थापित कर सकी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के परामर्श से उपर्युक्त अधिनियम की जांच करने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राज्य सरकार को उपर्युक्त अधिनियम में कुछ संशोधन करने की सलाह दी है ताकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग धारवाड़ में दूसरे कृषि विश्वविद्यालय को केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित करने के प्रश्न पर विचार कर सके।

[हिन्दी]

दिल्ली और कानपुर के बीच सीधी रेलगाड़ी

*321. श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि दिल्ली-कानपुर लाइन पर चलने वाली वर्तमान रेलगाड़ियां यात्रियों की बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए पर्याप्त नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि यात्रियों की भीड़ रहने का मुख्य कारण यह है कि कानपुर और दिल्ली के बीच कोई सीधी रेलगाड़ी नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन स्टेशनों के बीच कोई सीधी रेलगाड़ी चलाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (घ) दिल्ली/नई दिल्ली और कानपुर के बीच बीस जोड़ी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां उपलब्ध हैं। इनमें, केवल कानपुर तक जाने वाले और वहां से आने वाले यात्रियों के लिए 12 डिब्बे भी चलते हैं। यातायात के वर्तमान स्तर के लिए ये पर्याप्त समझे जाते हैं।

[अनुवाद]

मैसूर-मडीकेरा तथा कडूर और चिकमगलूर रेल लाइनों का सर्वेक्षण

*322. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर और मडीकेरा तथा कडूर और चिकमगलूर के बीच रेल-लाइनों के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या लोग इन रेल लाइनों के सर्वेक्षण के लिए बहुत समय पहले से मांग कर रहे हैं?

परिवहन मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) मैसूर और मरकरा (मडिकेरे) के बीच रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण पूरा हो गया है। कडूर से चिकमगलूर तक रेल लाइन के लिए भी सर्वेक्षण आरम्भ कर दिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी हां।

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम

*323. श्री विजय एन० पाटिल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान यह कार्यक्रम अपने उद्देश्यों में किस सीमा तक सफल रहा है;

(ग) क्या सरकार बनाई जा चुकी सिंचाई क्षमता हेतु इस कार्यक्रम के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान कर रही है;

(घ) यदि हां, तो सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित करेगी कि कमान क्षेत्र में प्रत्येक किसान को पानी का बराबर का हिस्सा प्राप्त हो; और

(ङ) मानसून के मौसम में खुश्की के दिनों में किसानों को पानी की आकस्मिक मांग को पूरा करने हेतु क्या उपाय किये गये हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत हाथ में ली गई परियोजनाओं में सृजित क्षमता के उपयोग में वृद्धि हुई है।

(ग) जी हां।

(घ) वाराबन्दी के उत्तरोत्तर कार्यान्वयन तथा जल वितरण में किसानों की भागीदारी को बढ़ावा देकर जल का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है।

(ङ) किसानों को भू-जल सुलभ कराने की सुविधा प्रदान कराने हेतु कमान क्षेत्र विकास प्राधिकारियों को कहा गया है।

दाहोद-महू-इन्दौर के बीच बड़ी और मीटर गेज लाइनों के लिए सर्वेक्षण

*324. कुमारी पुष्पा देवी : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे ने दाहोद और महू के बीच एक बड़ी रेल लाइन तथा महू और इन्दौर के बीच एक मीटर गेज रेल लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में एक सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इन रेल लाइनों के निर्माण के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी हां। दाहोद से महू तक बड़े आमान की रेल लाइन तथा महू और इन्दौर के बीच बड़े आमान की समानान्तर रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण किया गया था।

(ख) सर्वेक्षण रिपोर्ट योजना आयोग को भेज दी गई है।

खेल प्रतिभा का पता लगाने और उसे बढ़ावा देने के लिए चुने गए विद्यालय

*325. श्री सोमनाथ रथ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण ने देश में खेल प्रतिभा का पता लगाने और उसे बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न भागों में सौ विद्यालयों को चुनने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन विद्यालयों को चुनने के मानदंड क्या हैं ?

युवा कार्यक्रम और खेल तथा महिला बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

भारतीय खेल प्राधिकरण (एस० ए० आई०) "स्कूलों को अपनाने सहित खेल प्रतिभा का पता लगाने और पोषण" की योजना शुरू की है। योजना खेलों में प्रतिभाशाली बच्चों का पता लगाने और इस प्रयोजनार्थ भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अपनाये गये स्कूलों में उन्हें दाखिल करके उनका पोषण करने पर लक्षित है। प्रतिभाशाली बच्चे राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता के आधार पर चुने जाते हैं। स्कूलों को अपनाने के लिए उनका चयन भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों द्वारा इस सम्बन्ध में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखकर किया जाता है, बशर्ते कि स्कूल भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अपनाने के लिए निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते हैं।

2. स्कूलों के चयन के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अपनाये गए मानदण्ड में यह

व्यवस्था है कि स्कूल का खेल तथा शैक्षिक रिकार्ड अच्छा होना चाहिए; इसमें भोजन तथा आवास की सुविधाएं होनी चाहिए; इसमें खेल मैदान और खेल अवस्थापन के सुधार/सृजन और विस्तार के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए तथा वह राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता के आधार पर भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा चुने हुए बच्चों के दाखिले के लिए 8—13 के आयु वर्ग में बच्चों के, उनके वार्षिक दाखिले का 10% आरक्षित करने के लिए तैयार हो।

3. भारतीय खेल प्राधिकरण का लगभग ऐसे 100 स्कूलों को सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हो। अपनाए गए स्कूल भारतीय खेल प्राधिकरण से सुधार/विस्तार/खेल अवस्थापन्न के सृजन के लिए 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त करने और खेल मैदानों के अनुरक्षण तथा खेल उपस्करों की खरीद के लिए प्रति वर्ष 50,000 रुपये के आवर्ती अनुदान के लिए पात्र होंगे। प्रशिक्षण तथा कोचिंग प्रदान करने के लिए 5 प्रशिक्षकों की सेवाएं अपनाए गए स्कूलों को प्रदान की जाएगी। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा चुने हुए बच्चों के बारे में ट्यूशन फीस, भोजन तथा आवास और अन्य स्कूल की फीस पर खर्च इसके द्वारा वहन किया जाएगा। विशेष आहार तथा किटों के लिए प्रति बच्चे को प्रति मास 100 रुपये का भत्ता भी उपलब्ध कराया जाएगा।

गर्भाशय में कैंसर का फैलना

2979. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में गर्भाशय के कैंसर के मामलों की संख्या सम्भवतः विश्व में सबसे अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या "ऑकोलॉजी" एक विशेष क्रिया है जिसके लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता है, जो इस समय देश में उपलब्ध नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी हां। ग्रीवा का कैंसर एक विश्वव्यापी समस्या है। यह विकासशील देशों में महिलाओं में आमतौर पर सबसे अधिक पाया जाता है। और विश्व भर में महिलाओं में दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला कैंसर है। जिसके प्रत्येक वर्ष लगभग पांच लाख रोगी होते हैं। यह अफ्रीका, मध्य और उष्ण कटिबंधीय दक्षिणी अफ्रीका, चीन, भारत और अन्य देशों में महिलाओं को प्रायः हो जाने वाला रोग है। विश्व में ग्रीवा के कैंसर के नये रोगियों की अनुमानित वार्षिक संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) अर्बुदविद्या (आनकोलोजी) एक विशिष्ट व्यापक विषय है जिसमें अनेक उप-विशिष्टताएं शामिल हैं जैसे शल्य चिकित्सा, चिकित्सकीय अर्बुदविद्या, चिकित्सा उपचार, विकृति

विज्ञान, भौतिकी विज्ञान तथा अन्य अनेक सहायक क्षेत्र जैसे जीव-रसायन आदि। इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास में अन्तराल है। मद्रास विश्वविद्यालय ने अनेकों-सर्जरी में तथा रेडियोथेरेपी में एम० एस० डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किया है। अन्य विश्वविद्यालयों जैसे कर्नाटक और महाराष्ट्र में ऐसे पाठ्यक्रम तथा अन्य उप-विशिष्टियों में भी पाठ्यक्रम शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

क्षेत्र	नए रोगी
उत्तरी अमरीका	15,700
लेटिन अमरीका	44,000
यूरोप	47,200
सोवियत संघ	31,300
अफ्रीका	1369,00
चीन	131,500
भारत	71,600
जापान	9,700
आस्ट्रेलिया/न्यूजीलैण्ड	1,200
एशिया के अन्य देश	70,300
विकसित क्षेत्र	105,100
विकासशील क्षेत्र	354,300
योग	459,400

स्रोत : बारह मुख्य कैंसर रोगों का विश्व-व्यापी बारम्बारता के सम्बन्ध में पार्किन डी मन सर्जनस्वार्ड, जे० एण्ड मूर सी० एस० के अनुमान। विश्व स्वास्थ्य संगठन का बुलेटिन 62 (2) : 163-182, 1984।

सफदरजंग अस्पताल में वार्डों की स्थिति

2980. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल में अस्पताल वार्ड गन्दे हैं, बिस्तर की चादरों को नियमित अन्तराल के बाद बदला नहीं जाता है, रोगियों की सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता और डाक्टरों द्वारा रोगियों के लिए लिखे गये भोजन की मात्रा नहीं मिलती है;

(ख) क्या मन्त्रालय द्वारा आकस्मिक जांच करने की व्यवस्था है और यदि हां, तो ऐसी जांच कब की गई थी और उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं/किये जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) इस मन्त्रालय और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर अस्पताल का दौरा करते रहते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ने भी 26-7-1986 को इस अस्पताल का दौरा किया था। ऐसे दौरों के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने के लिए उपचारी उपाय किए जाते हैं।

[हिन्दी]

बिहार को चलती-फिरती अस्पताल गाड़ियों (एम्बुलेंसों) का आबंटन

2981. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सरकार ने कितनी चलती-फिरती अस्पताल गाड़ियां आबंटित की हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार से समय-समय पर इन अस्पताल गाड़ियों के प्रयोग के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट मिलती है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में इस्तेमाल के लिए केन्द्रीय सरकार राज्यों को एम्बुलेंस नहीं देती है। वैसे, प्राथमिक स्वास्थ्य

केन्द्र को एक वाहन दिया जाता है जो पर्यवेक्षण के लिये और आपाती मामलों में गम्भीर रोगियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में सड़क उपरि पुलों के लिए केन्द्रीय सहायता

2982. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में सड़क उपरि पुलों के निर्माण के लिए राज्य की अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नये राष्ट्रीय राजमार्ग/पुल

2983. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किसी नये राष्ट्रीय राजमार्ग/पुल के निर्माण को स्वीकृति दी गई है और उसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर 145.29 करोड़ रुपये की लागत से 135 सड़कों के निर्माण कार्यों तथा 101.85 करोड़ रुपये की लागत से 32 पुलों के निर्माण कार्यों की मंजूरी दी गई है है।

"फ्लूरोसिस" को फैलने से रोकने के लिए कदम

2984. श्री सी० जंगा रेड्डी
डा० ए० के० पटेल } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'फ्लूरोसिस रोग को इसके प्रवण क्षेत्रों में फैलने से रोकने के लिए उठाए गये कदमों के

क्या परिणाम निकले हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार इस रोग के कितने मामलों का पता चला है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) प्रवण क्षेत्रों में, सरकार पीने के पानी के वैकल्पिक स्रोत प्रदान करने की कोशिश कर रही है। पानी से फ्लोराइड दूर करने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नागपुर ने नलगोंडा तकनीकी विकसित की है। घरों में तीन बर्तन पद्धति (एक बर्तन से दूसरे बर्तन में छानने से) धान की गर्म की गई भूसी के जरिए पानी निकालने से फ्लोरीन दूर की जा सकती है।

(ख) किए गए विभिन्न सर्वेक्षणों के आधार पर, विभिन्न राज्यों में फ्लोरिसिस का प्रकोप संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में फ्लोरोसिस का प्रकोप

पूरे देश के फ्लोरोसिस-प्रकोप संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं लेकिन कुछ गांवों और कुछ क्षेत्रों के महामारी संबंधी विश्वसनीय आंकड़े नीचे दिए गये हैं :—

1. दिल्ली के पास के गांवों के 339 निवासियों की जांच की गई और 80 प्रतिशत प्रौढ़ों और 60 प्रतिशत बच्चों में फ्लुओरोसिस पाया गया है।

2. दिल्ली के पास के अन्य 2 गांवों में 1818 लोगों की जांच की गई और यह पाया गया कि 64.5 प्रतिशत लोग दन्त फ्लोरोसिस से पीड़ित हैं।

3. गुजरात में अमरेली जिलों के लिलिया और लाठी तालुक दन्त और अस्थि फ्लोरोसिस से बहुत अधिक पीड़ित हैं।

4. हरियाणा के सोताह ग्राम में 77 प्रतिशत बच्चे दन्त फ्लोरोसिस से पीड़ित हैं।

5. हरियाणा के मछगर ग्राम में, 13 प्रतिशत बच्चे दन्त फ्लोरोसिस से पीड़ित हैं।

6. पंजाब में भटिंडा, संगरूर और फिरोजपुर जिले दन्त और अस्थि फ्लोरोसिस से बहुत अधिक पीड़ित हैं।

7. तमिलनाडु के सैलम, तन्जौर, दक्षिण अर्काट और कन्या कुमारी जिलों में फ्लोरोसिस एक गम्भीर स्वास्थ्य समस्या है।

8 हरियाणा के गुड़गांव जिला के मदनपुरी के लोग 7 से 22.5 पी० पी० एम० तक फ्लोराइड़ से दूषित ट्यूबैल के पानी का उपयोग कर रहे हैं जबकि अनुज्ञेय सीमा केवल 1.5 पी० पी० एम० हैं बड़ी संख्या में युवा और वृद्ध लोग दन्त और अस्थि फ्लोरोसिस से पीड़ित हैं।

कलकत्ता और श्रीनगर के बीच विमान सेवा

2985. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन के मौसम में कलकत्ता और श्रीनगर के बीच विमान सेवा आरम्भ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कलकत्ता-श्रीनगर के बीच पर्याप्त यातायात संपर्क नहीं है और इन दो स्टेशनों के बीच विमान सेवा प्रचालित करना आर्थिक रूप से साध्य नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, कलकत्ता से श्रीनगर और वापस यात्रा करने के इच्छुक यात्रियों के लिए दिल्ली में सुविधाजनक दैनिक विमान सेवा उपलब्ध है।

कर्नाटक को परिवार नियोजन के लिए आबंटित धनराशि

2986. डा० वी० वेंकटेश : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिए कर्नाटक को वर्षवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रमों में क्या लक्ष्य प्राप्त किये गये ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) इस कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए धन का राज्यवार आबंटन पिछले वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हुई प्रगति के आधार पर वर्ष-वार किया जाता है। 1985-86 में दिए गए 2787.78 लाख रुपये के मुकाबले 986-87 के लिए 3377.22 लाख रुपये का आबंटन किया गया है।

(ख) 1985-86 के दौरान उपलब्धि यह रही कि नसबन्दी, आई० यू० डी० निवेशन, प्रचलित गर्भ निरोधक उपभोगकर्ता और खाई जाने वाली गोलियों के उपभोगकर्ताओं की संख्या क्रमश: 3.43 लाख, 1.68 लाख, 1.56 लाख और 0.45 लाख थी। 1986-87 के लिए निर्धारित लक्ष्य हैं 3.50 लाख नसबन्दी, आपरेशन, 1.80 लाख आई० यू० डी० निवेशन, 1.40 लाख प्रचलित गर्भ निरोधकों के उपयोगकर्ता तथा 0.63 लाख खाई जाने वाली गोलियों के उपयोगकर्ता।

गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा हल्दिया में कन्टेनरटर्मिनल

2987. श्री सनत कुमार मंडल : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन प्राधिकारियों ने केन्द्रीय सरकार को लाखों डालर से हल्दिया में स्थापित किये जाने वाले एक आधुनिक कन्टेनर टर्मिनल के बारे में कोई प्रस्ताव भेजा है, जिसका पूर्ण प्रबन्ध और संचालन गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की विस्तृत रूपरेखा क्या है;

(ग) पत्तनों के गैर-सरकारीकरण के विषय में सरकार की क्या नीति है तथा इसका पत्तनों पर काम करने वाले श्रमिकों तथा उनके काम करने की स्थितियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) पत्तनों के गैर-सरकारीकरण करने के लिए सरकार को प्रेरित करने वाले कौन से तत्व है ?

परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, कलकत्ता पत्तन न्यास ने हल्दिया में एक कंटेनर टर्मिनल के निर्माण के लिए निजी निवेशकों को पूंजी लगाने की अनुमति देने हेतु विस्तृत शर्तें तैयार करने के लिए केन्द्र सरकार से दिशा-निर्देश मांगे हैं।

(ग) और (घ) सरकार का ऐसा कोई निर्णय अथवा नीति नहीं है कि केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्दर आने वाले सभी महापत्तनों का गैर-सरकारीकरण किया जाना चाहिए। विभिन्न पत्तन न्यासों के अधीन महापत्तनों में सुविधाएं बढ़ाने के मौजूदा नीतिगत ढांचे के अन्दर सरकार कंटेनर टर्मिनलों के विकास जैसे चुनिंदा क्षेत्रों में निजी पूंजी लगाए जाने के संबंध में विचार करेगी। चूंकि ये नई सुविधाएं होंगी, अत: मौजूदा श्रमिक शक्ति पर इसका कोई नुकसानदायक प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। निजी पूंजी लगाए जाने पर विचार करने की इच्छा रखने का प्रमुख कारण अतिरिक्त संसाधन जुटाना है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए भारतीय विदेश छात्रवृत्ति योजना (इंडियन ओवरसीज स्कालरशिप स्कीम) के अंतर्गत आरक्षण

2988. श्री पी० एम० सईद : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारतीय विदेश छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षण समाप्त कर दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो पिछले दो वर्षों से इन छात्रवृत्तियों को विज्ञापित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) भारत सरकार विदेश में अध्ययनों के लिए भारतीय छात्रों को अनेक छात्रवृत्तियां प्रदान करती है। इनमें केवल अनु० जा०/अनु० ज० जा० के छात्रों के लिए कल्याण मंत्रालय द्वारा दी जा रही छात्रवृत्तियां शामिल हैं। जहां तक शिक्षा विभाग द्वारा दी जा रही छात्रवृत्तियों का संबंध है, अनु० जा०/अनु० ज० जा० के छात्रों के लिए कोई आरक्षण नहीं किया जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि विदेश में अध्ययन के लिए भारतीय छात्रों को उपलब्ध छात्रवृत्तियां, जिसमें केवल अनु० जा०/अनु० ज० जा० के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियां भी शामिल हैं, नियमित रूप से विज्ञापित की गई हैं।

चांदी के पुराने सिक्कों का बरामद होना

2989. श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में अलीपुरद्वार पुलिस थाने ने हाल ही में बंगाल के शाह, किंग हुसैन के समय के चांदी के बहुमूल्य पुराने सिक्कों को कब्जे में लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन सिक्कों को कलकत्ता में राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित रखा जाएगा ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सफदरजंग के अस्पताल के कर्मचारी यूनियन की मांग

2990. श्री सरफराज अहमद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री "सफदरजंग अस्पताल सुधारो आन्दोलन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के बारे में 22-8-1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4601 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के कर्मचारी यूनियन की मांगें क्या थी; और

(ख) कितनी मांगें मान ली गई हैं और शेष मांगों के बारे में क्या स्थिति है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

22-8-1985 को यूनियन की मांगें		मांगों के बारे में वर्तमान स्थिति
1	2	3
1.	बजट प्रावधान में वृद्धि	बजट प्रावधान में हर वर्ष वृद्धि की जा रही है।
2.	रोगी परिचर्या सेवाओं में सुधार	बेहतर रोगी परिचर्या सेवायें प्रदान करने के लिए सभी स्तरों पर सुधार किया गया है और अस्पताल में भ्रष्टाचार/कदाचार को समाप्त करने के लिए कार्यवाही की गई है।
3.	वर्दियों की सप्लाई	लागू कर दी गई।
4.	एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा समूह "घ" कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना।	लागू कर दी गई।
5.	कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा खाली पदों को भरना	खाली पदों को भरते समय अस्पताल के कर्मचारियों के मामले पर उचित रूप से विचार किया जाता है।
6.	अवर श्रेणी क्लर्कों को 1-8-76 से चयन ग्रेड देना	स्टेगनेशन के कारण अवर श्रेणी क्लर्कों के लिए चयन ग्रेड पद स्वीकृत कर दिए गये हैं। लेकिन चयन ग्रेड पिछली तारीख अर्थात 1-8-76 से दे पाना सम्भव नहीं हुआ है।
7.	स्टाफ नर्सों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाना	यह प्रस्ताव कार्य अध्ययन दल के विचाराधीन है और उनकी रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

1	2	3
8.	यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साईंसेस के निकट बना नया भवन डाक्टरों को दे दिया जाए और स्टाफ नर्सों को पुराने छात्रा-वास में बसाया जाए।	इस मांग को स्वीकार करना सम्भव नहीं है।
9.	जसवंत सिंह रोड पर पर स्थित 80 क्वार्टरों के बदले में नये मकान अलाट किए जाएं	नगर विकास मंत्रालय इन क्वाटंरों की छतों को फिर से बनाने के लिए राजी हो गया है और इस कार्य को करने के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा संशोधित अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।
10.	मदनगीर के क्वार्टरों के मालिकाना अधिकार दिए जाएं	यह एक नीति सम्बन्धी निर्णय है और इसके व्यापक नतीजे होंगे। यह मामला दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के साथ उठाया गया है और उनके उत्तर की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।
11.	अस्पताल के कर्मचारियों को 1000-1400 क्वार्टर देने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण से कहा जाए।	दिल्ली विकास प्राधिकरण इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुआ है।
12.	धर्मशाला के पास क्वाटरों के निर्माण कार्य को तेज किया जाए	चूंकि निर्माण की लागत 5 करोड़ रुपये से अधिक है, इसलिए व्यय वित्त समिति की मंजूरी लेने के लिए कारंवाई की जा रही है।
13.	लक्ष्मीबाई नगर और किदवाई नगर के क्वार्टर अस्पतालों के कर्मचारियों को अलाट किए जाएं।	ये क्वार्टर सम्पदा निदेशालय के नियंत्रण में हैं। कुछ मकान अस्पतालों के कर्मचारियों को अलाट किए जा चुके है। सम्पदा निदेशालय से और क्वार्टर ले पाना सम्भव नहीं है।

पूर्वोत्तर रेलवे में वाराणसी-छपरा सेक्शन पर रेलगाड़ियों का विलंब से चलना

2991. श्री अंजुल बशर : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, मई, जून और जुलाई 1986 के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे में वाराणसी-छपरा

सेक्शन में प्रत्येक एक्सप्रेस और यात्री गाड़ी के गाजीपुर स्टेशन पर पहुंचने का औसत समय क्या है; और

(ख) इस स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

परिवहन मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

राउरकेला—हावड़ा स्टील एक्सप्रेस रेलगाड़ी को सिन्नी में रोकना

2992. श्री साइमन तिग्गा : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला—हावड़ा स्टील एक्सप्रेस रेलगाड़ी को सिन्नी स्टेशन पर रोकने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) क्योंकि यह तेज अंतर्नगरीय गाड़ी है।

भारतीय आयातकों को मालभाड़े में छूट देना

299'. डा० बी० एल० शैलेश : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने, भारतीय जहाजों के माध्यम से आयात करने वाले भारतीय आयातकों को माल भाड़े में विशेष छूट देने सम्बन्धी प्रस्ताव की वित्त मंत्रालय के परामर्श से इस बीच जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; औ९

(ग) इसके कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) परिवहन

मंत्रालय (जल-भूतल परिवहन विभाग) का भारतीय आयातकर्ताओं को राष्ट्रीय जहाजों का इस्तेमाल करने के लिए भाड़े में किसी प्रकार की विशेष छूट देने का विचार नहीं है।

तथापि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा आयातकों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन के अनुसार भारतीय जहाजों में ढोए गए आयातित मालों के लिए आयात लाइसेंस में भाड़ा डेबिट नहीं किया जाता है।

सिंचाई परियोजनाओं में गाद का जमा होना

2994. श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में उनके बनाये जाने के समय लगाये गये अनुमान से काफी अधिक मात्रा में गाद जमा हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उन प्रमुख परियोजनाओं के नाम क्या हैं, जहां गाद जमा होने की दर काफी अधिक है; और

(ग) क्या उपाय किये गये हैं या करने का विचार है, जिससे कि अधिक गाद जमा न हो ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) कुछ बृहद जलाशयों में किए गये अध्ययनों से पता चला है कि तलछटीकरण की दर उन परियोजनाओं के अभिकल्प तैयार करते समय लगाये गए अनुमानों से ऊंची है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जलग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण उपाय किए गये हैं। राज्य सरकारों से भी कहा गया है कि जलाशय तलछटीकरण पर हाई पावर कमेटी की सिफारिशों के अनुसार उपाय किये जाएं।

विवरण

भारत के कुछ बृहद एवं मध्यम जलाशयों में अनुमानित तथा पाई गई तलछटीकरण की दर

क्रम सं०	जलाशय/स्थल	अवरुद्ध करने का वर्ष	गाद की वार्षिक दर अनुमानित हेक्टे० मी०/100 वर्ग मि० मी०/वर्ष	प्रेक्षित हेक्टे० मी०/100 वर्ग कि० मी०/वर्ष (सर्वेक्षण का वर्ष)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	भाखड़ा (हिमाचल प्रदेश)	1958-59	4.29	6.09	(1983)

1	2	3	4	5	6
2.	पंचेट (बिहार)	1956	6.67	10.00	(1974)
3.	मैथोन (बिहार)	1955	9.05	12.38	(1979)
4.	मयूराक्षी (पश्चिम बंगाल)	1955	3.75	16.48	(1969-70)
5.	तुंगभद्रा (कर्नाटक)	1952	4.29	6.48	(1985)
6.	माताटीला (उत्तर प्रदेश)	1956	1.33	3.82	(1974)
7.	निजामसागर (आंध्र प्रदेश)	1938	2.78	6.37	(1967)
8.	शिवाजी सागर (महाराष्ट्र)	1961	6.67	15.24	(1971)
9.	गांधी सागर (मध्य प्रदेश)	1960	3.61	9.64	(1975-76)
10.	हीराकुण्ड (उड़ीसा)	1957	2.52	6.82	(1982)
11.	लोअर भवानी (तमिलनाडु)	1953	—	3.56	(1977)
12.	गिरना (महाराष्ट्र)	1965	0.56	8.03	(1979)

टिप्पणी :—

1. अंतिम कालम में दी गई तलछटीकरण की दर आभासी दर है क्योंकि सघनता के लिए कोई संशोधन नहीं किए गए हैं। इसके अलावा समय बीतने के साथ-साथ परतों के और घना होने की संभावना को भी नहीं आंका गया है।
2. तलछटीकरण की प्रेक्षित दर अवरुद्ध करने के वर्ष से अंतिम सर्वेक्षण के वर्ष जिसके परिणाम उपलब्ध हैं, की अवधि पर आधारित है।
3. शिवाजी सागर के सम्बन्ध में क्षमता में ह्रास की संगणना 1966 से की गई है।
4. माताटीला के मामले में क्षमता में ह्रास की संगणना 1962 से की गई है।

सुवर्णरेखा परियोजना

2995. श्री चिंतामणि जेना : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में सुवर्णरेखा परियोजना के पूरा होने के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि कार्य की प्रगति बहुत धीमी है और परियोजना के पूरा होने में अभी काफी समय लगेगा; और

(ग) परियोजना को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) उड़ीसा सरकार ने वर्ष 1982-83 के दौरान सुवर्णरेखा सिंचाई परियोजना पर कार्य शुरू कर दिया है और छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 3.44 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं। परियोजना कार्य प्रारम्भिक अवस्था में हैं। परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत 391.49 करोड़ रुपये है। योजना आयोग द्वारा सातवीं योजना के लिए 110 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। परियोजना के 1994-95 तक पूरा हो जाने की आशा है।

भुवनेश्वर के लिए दूसरी सेवा शुरू करना

2996. श्री नित्यानन्द मिश्र : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी और भुवनेश्वर जाने वाले यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच आने-जाने के लिए दूसरी सेवा प्रारम्भ करना पूर्णत: न्यायोचित है;

(ख) क्या यह सच है कि भुवनेश्वर जाने वाले यात्रियों को रेलगाड़ी में पर्यटकों की अत्यधिक भीड़ होने के कारण प्राय: निकलने का रास्ता भी नहीं मिल पाता है; और

(ग) क्या सरकार स्थिति को सुधारने के लिए उपाय करेगी ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) दिल्ली और वाराणसी तथा दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच इस समय वाहित यात्रियों की औसत संख्या इतनी नहीं है कि दिल्ली से भुवनेश्वर तथा वापसी मार्ग पर एक और विमान सेवा शुरू करना न्यायोचित हो सके।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं

2997. श्री सुभाष यादव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में धन के अभाव में अनेक लघु और मध्यम सिंचाई योजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं/योजनाओं के नाम क्या हैं और वे कब से अधूरी पड़ी हुई हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां ।

(ख) मध्यम सिंचाई स्कीमों के बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी जा रही है । लघु सिंचाई सम्बन्धी सूचना केन्द्र में नहीं रखी जाती है ।

विवरण

मध्य प्रदेश में अपूर्ण मध्यम परियोजनाओं के नाम तथा उनके प्रारम्भ किए जाने की तारीख सम्बन्धी विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	किस योजना में आरम्भ की गई
1	2	3
1.	तिल्लार	दूसरी
2.	मांद व्यपवर्तन	पांचवीं
3.	घुघंटा	पांचवीं
4.	मतियारी	पांचवीं
5.	मतियामोटी	1978-80
6.	चोरल	1978-80
7.	दुधी	1978-80
8.	चन्दोरा	1978-80
9.	बुंदेल	1978-80

1	2	3
10.	गोमुख	1978-80
11.	कलियासोटा	1978-80
12.	कुंधना नाका	1978-80
13.	धोलवाड़	1978-80
14.	बालार	पांचवीं
15.	बिल्लासपुर व्यपवर्तन	पांचवीं
16.	पिपारी नाला	पांचवीं
17.	शिवनाथ व्यपर्वतन	पांचवी
18.	पारस	1978-80
19.	घोंघा	1978-80
20.	खमारपकुट	1978-80
21.	रामपुर खुर्द	1978-80
22.	बंजेर	पांचवीं
23.	बिसोंधा	पांचवीं
24.	बांकी	पांचवीं
25.	दोरहा	19 8-80
26.	बारगूर	पांचवीं
27.	चिरपानी	छठी
28.	बाह	छठी
29.	महुबर	छठी
30.	कम्हारगांव	छठी

1	2	3
31	गंज	छठी
32.	बाड़चेर	छठी
33.	लखुंदर	छठी
34.	कसारटीका	छठी
35.	देजीयाडीवाडा	छठी
36.	बारनाई	छठी
37.	महेन	छठी
38.	बंदिया नाला	छठी
39.	सागर	छठी
40.	कुंवारी लिफ्ट	छठी

"रेअर इंडियन आर्ट पीसेज आक्संड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

2998. श्री डी० एम० रेड्डी }
श्री मानिक रेड्डी } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 जुलाई, 1986 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हाल ही में लन्दन में सोथबाइम द्वारा करोड़ों रुपये की भारतीय मूल की बहुमूल्य कलाकृतियां नीलाम की गईं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि देश से बहुमूल्य वस्तुओं की तस्करी कैसे की गई ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उर्दू के विकास के लिए ब्यूरो

2999. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्दू के विकास के लिए ब्यूरो ने वार्षिक रिपोर्ट तैयार नहीं की है अथवा उसका प्रकाशन नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न शीर्षों/योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 के दौरान इसके वास्तविक व्यय तथा चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुमोदित व्यय का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) उर्दू के विकास के लिए ब्यूरो मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) का एक अधीनस्थ कार्यालय है और इस प्रकार से इसके कार्यकलापों और कार्यक्रमों के ब्यौरों को इस मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में समाविष्ट किया है।

(ख) विभिन्न शीर्षों में वर्ष 1985-86 के लिए वास्तविक व्यय और वर्ष 1986-87 के लिए अनुमोदित व्यय के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

(रु० लाखों में)

उप शीर्ष	वर्ष 1985-86 के लिए वास्तविक व्यय	वर्ष 1986-87 के लिए अनुमोदित व्यय
वेतन	10.07	11.30
यात्रा व्यय	1.24	1.60
कार्यालय व्यय	1.40	2.00
प्रकाशन	17.38	17.25
अन्य खर्च	14.76	33.35
कुल	44.85	65.50

धर्म निरपेक्ष भवनों का वास्तुशिल्पीय सर्वेक्षण

3000. श्री धर्मवीर सिंह त्यागी : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में धर्मनिरपेक्ष भवनों का वास्तुशिल्पीय सर्वेक्षण परि-योजना नाम की कोई शाखा है;

(ख) क्या इस शाखा का प्रधान हवेलियों तथा मध्यकालीन भारत के अन्य धर्मनिरपेक्ष भवनों के वास्तुशिल्पीय सर्वेक्षण हेतु निर्देश देने के लिए सक्षम है; और

(क) कितनी हवेलियों तथा अन्य धर्म निरपेक्ष भवनों को प्रलेखबद्ध किया गया है तथा पिछले छ:महीनों के दौरान किये गये वास्तुशिल्पीय सर्वेक्षण कार्य का अन्य ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) हवेलियों और अन्य धर्म निरपेक्ष भवनों का एक विवरण संलग्न है जिनका फरवरी, 1986 से वास्तुशिल्पीय सर्वेक्षण किया गया है।

विवरण

1. किशन पोल बाजार, जयपुर
2. चांद पोल बाजार, जयपुर
3. चौड़ा रास्ता बाजार, जयपुर
4. छब्बूतारेवाली कोठी, टोंक
5. बड़ी हवेली, टोंक
6. मचाली भवन, टोंक
7. ईदगाह वाली कोठी, टोंक
8. बीर सिंह देव पैलेस, दतिया
9. भवानी सिंह पैलेस, दतिया
10. विजय बहादुर सिंह, परीक्षित और भवानी सिंह की तीन छतरियां, दतिया
11. करण सागर तालाब, दतिया
12. पुरोहितों-का-झोंपड़ा, दतिया

कलकत्ता स्थित स्वामी विवेकानन्द के पैतृक गृह का अधिग्रहण

3001. श्री सुरेश कुरूप : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कलकत्ता स्थित स्वामी विवेकानन्द के पैतृक गृह का अधिग्रहण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) स्वामी विवेकानन्द के पैतृक घर को राष्ट्रीय महत्व का एक स्मारक घोषित करने के प्रश्न पर विचार किया गया था, और अप्रैल, 1984 में पश्चिम बंगाल सरकार से इसे एक स्मारक के रूप में संरक्षित रखने पर विचार करने का अनुरोध किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार से सूचना प्राप्त हुई है कि इस घर के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कुछ वर्ष पूर्व आरम्भ की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही प्रगति पर है ।

मलयाली फिल्मों का अन्य राज्यों में परिवर्तित नामों से प्रदर्शन

3002. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ मलयाली फिल्में अन्य राज्यों में अलग-अलग नामों से और कुछ ऐसे अभद्र दृश्यों को जोड़कर प्रदर्शित की जाती है जो मूल फिल्म में नहीं होते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस तरह के अनधिकृत प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां ।

(ख) सेन्सरशिप उल्लंघन के ऐसे मामले राज्य सरकारों के ध्यान में लाये जाते हैं, जो उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी है। इस प्रकार के उल्लंघनों को रोकने के लिए फिल्म उद्योग के विभिन्न संघों का सहयोग भी प्राप्त किया जाता है ।

"अकाल राहत कार्यक्रम" के अन्तर्गत बांधों क निर्माण

3003. श्री आर० एम० भोये : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बांधों के निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के बारे में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत बांधों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है;

(ग) क्या इन बांधों को निर्धारित समय में ही पूरा करने की योजना है;

(घ) क्या कुछ बांधों का निर्माण कार्य अधूरा ही छोड़ दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इन बांधों को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ङ) राज्य सरकारों द्वारा सूखा राहत कोष से कार्यों के कार्यान्वयन तथा उन्हें पूरा करने के ब्यौरे केन्द्र में नहीं रखे जाते हैं।

निजामुद्दीन वाल्टेयर एक्सप्रेस के द्वितीय श्रेणी के डिब्बों में स्लीपर बर्थ

3004. श्री पी० पेंचालैया : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निजामुद्दीन वाल्टेयर एक्सप्रेस में यात्रा करने वाली जनता के लिए द्वितीय श्रेणी के आरक्षित डिब्बों में स्लीपर बर्थ नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस प्रकार की शायिकाएं कब तक प्रदान किये जाने की सम्भावना है ?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विमान सेवाओं में सुधार करने की योजना

3005. श्री डा० कृपासिंधु भोई : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में देश में विमान सेवाओं में सुधार करने/वृद्धि करने के लिए कई कदम उठाये हैं या घोषित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न एजेंसियों द्वारा खरीदे जा रहे विभिन्न प्रकार के जहाजों की संख्या, नई सेवाएं आरम्भ किये जा रहे मार्गों और विकसित की जा रही सुविधाओं सहित विमानन उद्योग के विकास/विस्तार के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय सरकार के स्वामित्व वाली विभिन्न विमानन एजेंसियों द्वारा प्रयोग किये जा रहे विभिन्न विमानों और उनकी विस्तार योजना का ब्योरा क्या है; और

(घ) विमानन उद्योग के विस्तार/विकास के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपी जा रही भूमिका का ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) जी, हां। विमानन उद्योग के विकास/विस्तार के लिए हाल में स्वीकृत/या घोषित कुछ महत्वपूर्ण स्कीमें इस प्रकार हैं : —

(1) एयर इंडिया चालू वित्त वर्ष में छः ए-310 एयरबस विमान प्राप्त कर रही है जिनमें से तीन पहले ही दे दिये गये हैं।

(2) एयर इंडिया का जून, 1985 में दुर्घटनाग्रस्त हुए कनिष्क बी-747 विमान की जगह और विमान क्षमता प्राप्त करने का विचार है।

(3) इंडियन एयरलाइन्स ने 19 एयरबस ए-320 विमानों की खरीद करने के लिए एक आदेश दिया है जिनकी सुपुर्दगी वर्ष 1989-90 के दौरान की जायेगी।

(4) 15 अक्तूबर, 1985 को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन भारतीय हेलीकाप्टर निगम के नाम से एक कम्पनी निगमित की गई है। यह कम्पनी 21 डाफिन 2 एस०, ए-365 एन० और 21 वेस्टलैंड डब्ल्यू-30 सीरीज 100-60 हेलीकाप्टर प्राप्त करने के बारे में कार्रवाई कर रही है। कम्पनी की परिचालन सम्बन्धी गतिविधियां सितम्बर/अक्तूबर, 1986 से शुरू होने की सम्भावना है।

(5) सरकार ने पर्यटक चार्टरों हवाई टैक्सी सेवाओं और अतिरिक्त संकलन कार्गो उड़ानों को शुरू करने सम्बन्धी नीति को उदार बनाते हुए कई उपाय किए हैं।

(6) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण 1 जून, 1986 से अस्तित्व में आ गया है। यह संगठन अन्तर्देशीय हवाई अड्डों का निर्माण, अनुरक्षण, विकास और परिचालन सम्बन्धी निष्पादन करेगा। शिमला, कालीकट और अगात्ती (लक्षद्वीप) में हवाई अड्डों का निर्माण कार्य चल रहा है। आधुनिक संचार और दिक्चालन उपस्कर लगाने की परियोजनाओं को अमल में लाया जा रहा है।

(7) देश में विमान-चालकों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं को मानकीकृत करने और उनमें सुधार करने के लिए सरकार ने अच्छी कोटि के राष्ट्रीय उड़ान स्कूल की स्थापना की है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के नाम से प्रचलित और जिला रायबरेली (उ० प्र०) के फुरसतगंज नामक स्थान पर स्थित यह अकादमी, जिसने भू-विषयों पर प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है।

(8) दिल्ली हवाई अड्डे पर नया अन्तर्राष्ट्रीय यात्री और कार्गो टर्मिनल परिसर (फेज-I) 1 मई, 1986 से शुरू कर दिया गया है। इस नये टर्मिनल की प्रति वर्ष 33 लाख यात्रियों को सम्भालने की क्षमता होगी।

(ग)	वर्तमान विमान-बेड़ा	निकट भविष्य में प्रस्तावित अधिग्रहण
एयर इंडिया	5 बोइंग 707 9 बोइंग 747 3 ए-300-बी 4 3 ए-310-300	3 ए-310-300 बोइंग 747 विमान "कनिष्क" के बदले विमान
इंडियन एयरलाइंस	10 एयरबस 26 बोइंग 737 9 एच एस-748 6 एफ-27	19 ए-320 विमान जिसका वितरण 1989-90 में किया जाएगा। अन्तरिम अवधि के दौरान, एयरबस और बोइंग विमान पट्टे पर लिए जायेंगे।
वायुदूत	10 डोर्नियर 2 एच एस-748 2 एफ-27	—
हेलीकाप्टर कारपोरेशन आफ इंडिया	—	21 वैस्टलैण्ड-30 सीरिज 21 एस ए-365 एम डॉफिन।

(घ) (1) सरकार ने सिद्धान्त रूप में देश में हवाई टैक्सी सेवा शुरू करने का अनुमोदन कर दिया है। इस योजना में गैर-सरकारी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के प्रबन्ध और प्रशासन की पूरी जिम्मेवारी भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण की है। तथापि, खान-पान, सफाई, ढुलाई आदि जैसी कुछ अनुसंगी सेवाओं के लिए गैर-सरकारी एजेंसियों को ठेका दिया जाता है।

बस्तर में सिंचाई का विस्तार

3006. श्री अरविन्द नेताम : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश का बस्तर जिला सिंचाई की दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा हुआ जिला है। यदि हां, तो इसके पिछड़ेपन के क्या कारण हैं;

(ख) सभी स्रोतों से इस जिले की सिंचाई क्षमता कितनी है;

(ग) इस पिछड़े जिले में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या इस जिले में सिंचाई की स्थिति में सुधार करने की कोई विशेष योजना है। यदि हां, तो इसके कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार बस्तर विकास योजना को कार्यान्वित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता देगी; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जिलावार ब्यौरे केन्द्र में नहीं रखे जाते।

(ग) और (घ) सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किये जाते हैं।

(ङ) और (च) केन्द्र सरकार, राज्य को कोई जिलावार सहायता प्रदान नहीं कर रही है।

उड़ीसा के आदिवासी जिलों में मलेरिया प्रवण क्षेत्र

3007. श्री हरिहर सोरन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के अधिकतर आदिवासी जिले मलेरिया प्रवण क्षेत्र हैं;

(ख) क्या देश में ऐसे बहुत से जिले हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आदिवासी जनसंख्या वाले ऐसे जिलों में, जो मलेरिया प्रवण हैं, मलेरिया उन्मूलन के लिए एक विशेष कार्यक्रम तैयार करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) मलेरिया देश भर में स्थानिकमारी रोग है परन्तु मलेरिया की स्थानिकता आदिवासी क्षेत्रों में अधिक होती है।

(ग) संशोधित कार्य योजना के अधीन देश भर में मलेरिया को रोकने के लिए विभिन्न नियंत्रण उपाय किये जा रहे हैं। पी० फाल्सीपेरम की अधिक घटनाओं वाले विभिन्न क्षेत्रों में एक विशेष पी० फाल्सीपेरम नियन्त्रण कार्यक्रम शुरू किया गया है ताकि पी० फाल्सीपेरम संक्रमण को कम किया जा सके। केवल आदिवासी क्षेत्रों के लिए ही कोई विशेष कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है।

वायुदूत सेवाओं से उपरि असम के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक केन्द्रों को जोड़ना

3008. श्री पराग चालिहा : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उपरि असम के माजुली और शिवसागर जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए वायुदूत सेवाओं का विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) यद्यपि वायुदूत अन्य स्थानों के साथ-साथ ऐसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थानों को भी विमान सेवा से जोड़ने का प्रयास कर रहा है जो कि पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, लेकिन इस समय असम में माजुली और सिबसागर को हवाई सेवा से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं है।

(ग) ये स्थान उन स्टेशनों की सूची में नहीं हैं जो वायुदूत द्वारा निकट भविष्य में विमान सेवा से जोड़े जाने के लिए चुने गए हैं।

रेलवे का आधुनिकीकरण

3009. श्री अमिताभ बच्चन : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोकोमोटिव इंजनों के डिजाइन और चल स्टाक के डिजाइन, सिगनल प्रणाली और रेल लाइनों तथा विद्युतीकरण के क्षेत्रों में हुई प्रगति का लाभ उठाने के लिए रेलवे द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं; और

(ख) इन प्रयासों में क्या कठिनाइयां और बाधाएं आ रही हैं तथा उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) भारतीय रेलों ने अपनी उत्पादकता

में सुधार लाने तथा अपनी अवसंरचना सम्बन्धी परिसम्पत्तियों का कुशल उपयोग करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त कर ली है और इस प्रसंग में, हाल ही में, कई नये रिकार्ड स्थापित किये हैं। माल गाड़ी परिचालनों में इनके उपयोग का कारक भी विश्व के उच्चतम कारकों में से है। लेकिन, इसके अलावा भी वृहत मात्रा में माल और यात्री यातायात दोनों, विशेषकर निकट भविष्य में देश की अर्थव्यवस्था के लिए रेल परिवहन की जरूरतों के उच्च प्रक्षेपणों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रेलवे प्रणाली की क्षमता में वृद्धि करने की आवश्यकता है। इसके लिए प्रौद्योगिकी के उन्नयन और प्रणाली के आधुनिकीकरण का पर्याप्त कार्यक्रम शुरू करना आवश्यक हो गया है। इनमें लम्बी दूरी की और अधिक भारी गाड़ियों को चलाने और अधिक शक्तिशाली और ईंधन सार्थक बिजली और डीजल रेल इंजनों का उपयोग करने, माल डिब्बों और सवारी डिब्बों के अभिकल्प में सुधार करने, सिगनल प्रणालियों का आधुनिकीकरण करने, रेलपथ को उन्नत करने और संगणकीकरण करने पर मुख्यतः बल दिया गया है। पेट्रोलियम-जन्य ईंधन के उपयोग को कम करने के लिए विद्युतीकरण की गति भी बढ़ाई जा रही है।

(ख) प्रौद्योगिकी के उन्नयन और रेलों के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम को संतुलित कार्यक्रम के भाग के रूप में शुरू करना पड़ेगा जिनमें अन्य आवश्यकताएं जैसे नवीकरण, बदलाव, समेकन, आदि शामिल होंगी। इसे देश की समग्र योजना के भीतर रेलों को आवंटित धनराशि को ध्यान में रखकर किया जा रहा है।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर "मैंगो शेक" बेचा जाना

3010. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे ने सभी फल/रस ठेकेदारों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को छोड़कर सभी रेलवे स्टेशनों पर "मैंगो शेक" बेचने की अनुमति दी है;

(ख) क्या वे ठेकेदार "मैंगो शेक" बेचने के लिए अनुमति मांगने हेतु अनुरोध कर रहे हैं, यदि हां, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई;

(ग) क्या कुछ संसद सदस्यों ने भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ठेकेदारों को यह अनुमति देने हेतु कहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) सभी स्टेशनों पर सभी ठेकेदारों को ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई है।

(ख) जी हां। नई दिल्ली स्टेशन के ठेकेदारों से इस प्रकार के अनुरोध प्राप्त हुए हैं लेकिन अनुमति नहीं दी गई है।

(ग) जी हां।

(घ) अनुमति नहीं दी गई है।

बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में उपनगरीय रेल सेवाओं से आय और उन पर व्यय

3011. श्री गुरुदास कामत : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में उपनगरीय रेल सेवाओं से कितनी धनराशि की शुद्ध आय हुई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार ने उनमें से प्रत्येक उपनगरीय रेल सेवा पर कितना व्यय किया है ?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास की उपनगरीय रेल सेवाओं से सम्बन्धित शुद्ध आमदनी तथा खर्च को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। दिल्ली क्षेत्र में कोई उपनगरीय खंड अधिसूचित नहीं किया गया है।

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

(+) लाभ

(—) हानि

		1982-83	1983-84	1984-85
(I) शुद्ध आमदनी (खर्च काटकर आमदनी)				
	बम्बई	(-) 6.18	(+) 0.15	(—) 2.53
	कलकत्ता	(—) 45.56	(—) 57.05	(-) 56.30
	मद्रास	(—) 11.28	(—) 13.43	(—) 17.39
(II) खर्च				
	बम्बई	92.32	111.24	125.83
	कलकत्ता	80.06	98.86	101.79
	मद्रास	20.27	23.46	28.29

उत्तर प्रदेश में फ्लूओरोसिस से प्रभावित जिले

3012. श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के कुछ जिले फ्लूओरोसिस बीमारी से प्रभावित हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस रोग की रोकथाम के लिए किए उपायों-सहित तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) उत्तर प्रदेश में किए गए सर्वेक्षणों से पता चलता है कि खंजरपुर, उसरा सीकरी, मढ़ैया खान का पुरवा गांवों में फ्लोरोसिस का अधिक प्रकोप है ।

(ख) फ्लोरोसिस प्रवण क्षेत्रों में सरकार पीने के पानी के वैकल्पिक स्रोत प्रदान करने की कोशिश कर रही है । राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नागपुर ने पानी से फ्लोराइड दूर करने के लिए नलगोंडा तकनीक विकसित की है । घरों में तीन बर्तन पद्धति (एक बर्तन से दूसरे में छानने से) के साथ धान की गर्म की गई भूसी के जरिए पानी निकालने के लिए फ्लोरीन दूर की जा सकती है ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में मनोरंजन और यात्रा पर हुआ व्यय

3013. श्री भट्टम श्रीराममूर्ति : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में वर्ष 1981 तक मनोरंजन पर कभी भी 20,000 रुपये से अधिक व्यय नहीं हुआ जबकि 1982 में ही यह व्यय बढ़कर 71.000 रुपये तक हो गया;

(ख) वर्ष 1984 से 1985 के दौरान और वर्ष 1986 में अब तक मनोरंजन और विदेश यात्राओं सहित यात्राओं पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो प्रबन्धकों के विरुद्ध 13 मामलों का पता लगाया गया है;

(घ) क्या विदेशी सौदों और ठेकों की भी जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

जल-भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में 1978-79 से 1981-82 तक मनोरंजन पर अगले पृष्ठ पर लिखित

वास्तविक खर्च किए गए :

वर्ष	राशि
1978-79	29,597.00
1979-80	28,017.00
1980-81	44,270.00
1981-82	80,704.00

(ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:—

वर्ष	मनोरंजन पर खर्च	(लाख रुपये) यात्रा पर खर्च	
		देश	विदेश
1983-84	0.93	13.70	9.23
1984-85	0.65	24.97	46.25
1985-86	1.48	21.86	11.44

(ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने प्राथमिक जांच का एक मामला चलाया था।

(घ) उपरोक्त मामलों में कोई विदेशी सौदा या करार सम्पन्न नहीं किया गया।

(ङ) प्राथमिक जांच में लगाए गए छह आरोपों में से दो आरोपों के बारे में जांच से कुछ पता नहीं चला और जांच के बाद के चार आरोपों के बारे में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने विभाग पर यह छोड़ दिया कि वह अपने विवेक से आवश्यकतानुसार कार्रवाई करें।

दिल्ली परिवहन निगम के नियन्त्रण को दिल्ली प्रशासन को सौंप देने का प्रस्ताव

3014. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली परिवहन निगम के नियन्त्रण और पर्यवेक्षण का कार्य दिल्ली के उपराज्यपाल के अधीन दिल्ली प्रशासन को सौंपने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) दिल्ली परिवहन निगम के नियन्त्रण को दिल्ली प्रशासन को स्थानान्तरित करने के प्रस्ताव की व्यवहार्यता की हाल ही में उसके सभी परिप्रेक्ष्यों में जांच की गई। वित्तीय एवं अन्य विवक्षाओं को ध्यान में रखते यह निर्णय लिया गया कि यथापूर्व-स्थिति को कायम रखा जाए।

हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड द्वारा डिस्पोजेबल सिरिंज का निर्माण

3015. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड से डिस्पोजेबल सिरिंज के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि 30 प्रतिशत प्रतिरक्षा इलाज डिस्पोजेबल सिरिंजों पर निर्भर करता है जिसका अधिकांशत: इस समय आयात किया जाता है; और

(घ) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी हां,

(ख) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड से एक पूर्व-साध्यता रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें डिस्पोजेबल सिरिंजों के निर्माण के लिए संयंत्र लगाने की सम्भावना का निर्देश किया गया है। इस रिपोर्ट में 600 लाख रुपये की परियोजना लागत से 300 लाख डिस्पोजेबल सिरिंजों की क्षमता वाला संयंत्र लगाने का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) प्रभावी रोग-प्रतिरक्षण इस्तेमाल में लायी जाने वाली सिरिंजों की किस्म पर निर्भर नहीं करता बल्कि उनके निर्जीवाणुकरण की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। पूर्व-साध्यता रिपोर्ट के अनुसार देश में सिरिंजों की कुल आवश्यकता में से इस समय लगभग 30 प्रतिशत डिस्पोजेबल सिरिंजों की आवश्यकता है और इसमें से लगभग 15 प्रतिशत आयातित की जा रही है।

(घ) साध्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए कम्पनी को प्रथम अवस्था की अनुमति दे दी गई है।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की शहरी परियोजना में कामगारों का वेतन

3016. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की "शहरी परियोजना" के कुछ कामगारों के वेतन में वृद्धि नहीं की गई हैं, जबकि यह परियोजना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का कामगारों की सहायता करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

युवा कार्य तथा खेलकूद और महिला एवं बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) बोर्ड के कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए संयुक्त सचिव, श्री के० आर० रामचन्द्रन के अधीन गठित कार्यदल ने कार्यक्रम को वर्तमान रूप में तब तक जारी रखे रहने की सिफारिश की थी जब तक कि समेकित बाल विकास सेवा में इसका विलय न हो जाए।

(ग) राणाडे समिति ने अभी हाल में इस मामले की समीक्षा की थी। समिति की रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भू-जल संसाधनों का पता लगाने के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी

3017. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भू-जल संसाधनों का पता लगाने के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के प्रयत्न किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु इत्यादि के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में भूजल के लिए अन्वेषक वेधन स्थलों का पता लगाने हेतु सीमित जल मौसम विज्ञानी तथा भू-भौतिकी सर्वेक्षणों की सहायता समेत उपग्रह संकल्पना का प्रयोग किया गया है।

जिप्सम की ढुलाई के लिए ब्लाक रेकों का आवंटन

3018. श्री विष्णु मोदी : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिप्सम और अन्य सामग्री की ढुलाई एक ही पारी में करने और थोड़ा-थोड़ा कर के पारियों में न करने हेतु ब्लाक रेकों का आवंटन करने के सम्बन्ध में रेल प्राधिकारियों के लिए कोई अनुदेश है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि जिप्सम के ब्लाक रेकों में लदान का कार्य थोड़ा-थोड़ा करके और कई पारियों में किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान उत्तर रेलवे के बीकानेर मंडल में हनुमानगढ़ बड़ी लाइन गुड्स पर प्रत्येक ब्लाक रेक में लदान के लिए कितनी बार शंटिंग की गई और माल को बढ़ाने में कितना समय लगा ?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी हां। अनुदेश यह है कि जिप्सम का साइडिंग की क्षमता के आधार पर एक या दो बार में सप्लाई किये जाने वाले ब्लाक रेकों में लदान किया जाए। ऐसा चल-स्टाक और टर्मिनल सुविधाओं की अधिकतम उपयोगिता के लिए किया जाता है।

(ख) चूंकि साइडिंग में पूरा रेक एक समय में नहीं आ सकता है अतएव आमतौर पर दो बार में स्थापन किया जाता है। बहरहाल श्रमिक समस्याओं के कारण राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि० के अनुरोध पर अस्थाई उपाय के रूप में रेक को कभी-कभी तीन बार में सप्लाई किया जाता है ताकि लदान में कमी न आये।

(ग) फिलहाल एक रेक तीन शंटिंगों में लगाया जा रहा है।

एक रेक का लदान पूरा होने में औसतन 30 घंटे लग जाते हैं।

ऐसा बहु-स्थापन और रात्रि में काम बन्द होने के कारण होता है।

[हिन्दी]

दिल्ली छावनी के केन्द्रीय विद्यालय सं०-1 के साथ सम्बद्ध छात्रावास

3019. श्री राजकुमार राय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली छावनी के केन्द्रीय विद्यालय संख्या-1 को 19 अगस्त, 1985 को छात्रावास का कब्जा दे दिया गया था और यह नया छात्रावास उस समय से खाली पड़ा हुआ है;

(ख) इस छात्रावास को छात्रों को आवंटित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि पुराने छात्रावास में बिजली, सफाई, आदि सुविधाओं की कमी है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं और सरकार का कब तक इस नये छात्रावास को छात्रों को आवं-

टित करने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) नए छात्रावास में छात्रों को स्थान आवंटित नहीं किया जा सका क्योंकि निर्माण एजेंसी अर्थात क० लो० नि० वि० ने बाहरी बिजली कनेक्शनों को पूरा नहीं किया था। यह कार्य अब दूसरी निर्माण एजेंसी अर्थात एम० ई० एस० को सौंप दी गई हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) एम० ई० एस० द्वारा बाहरी बिजली कनेक्शन लगाते ही छात्रों को नए छात्रावास में कमरों का आवंटन कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

खड़गपुर रेलवे कालोनी में दुकानों के किराये में वृद्धि करना

3020. श्री नारायण चौबे : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खड़गपुर रेलवे कालोनी में वर्ष 1983 में दुकानों के किराये में अचानक वृद्धि हो गई थी;

(ख) क्या खड़गपुर वाणिज्य मंडल, स्थानीय संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य ने दुकानों के किराये में अत्यधिक वृद्धि के विरुद्ध विरोध प्रकट किया था जिसके बाद में तत्कालीन रेल मन्त्री ने सार्वजनिक सभा में यह आश्वासन दिया था कि दुकानों के किराये में काफी कमी की जाएगी;

(ग) रेलवे ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है; और

(घ) इस सम्बन्ध में कब तक प्रयास किये जाने की सम्भावना है ?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) 1.10.80 की पूर्व व्याप्ति से खड़गपुर रेलवे कालोनी में दुकानों के लाइसेंस शुल्क में वृद्धि की गई थी।

(ख) खड़गपुर वाणिज्य मंडल, स्थानीय संसद सदस्य और विधायक ने दुकानों के किरायों में वृद्धि के खिलाफ अभ्यावेदन दिये थे। तत्कालीन रेल मन्त्री ने 1983 में कहा था कि लाइसेंस शुल्क में वृद्धि असामान्य नहीं होगी और यह युक्तिसंगत मार्गदर्शी सिद्धांतों पर आधारित होगी।

(ग) और (घ) तत्कालीन रेल मन्त्री द्वारा 1983 में दिए गए आश्वासन और खड़गपुर वाणिज्य मंडल, स्थानीय संसद सदस्य और विधायक से प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने पुराने सभी लाइसेंसों की पुनरीक्षा की थी और यह विनिश्चय किया गया है कि वे 1.10.80 से

31.7.1983 तक पुराने लाइसेंस शुल्क को अदा करते रहें। आगे 1983 में निर्धारित किए गए लाइसेंस शुल्क में कमी की गई है और सभी लाइसेंस धारियों को सूचित किया गया है कि वे 31.7. 983 से 31.3.1986 तक आशोधित लाइसेंस शुल्क का भुगतान करें।

दिल्ली में घटिया किस्म की दवाइयों का निर्माण

3021. श्री राम भगत पासवान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले एक वर्ष के दौरान दिल्ली में घटिया किस्म की दवाइयों का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में कौन-सी कम्पनियों को घटिया किस्म की दवाइयां बनाते हुए पाया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) उन फर्मों के नाम जिनकी दवाइयां, परीक्षण में, मानक कोटि की नहीं पाई गई नीचे दिए गए हैं :—

1. मैसर्स रैडिक्यूरा फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड।
2. मैसर्स सेबिन लेबोरेट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड
3. मैसर्स एल्पाइन इण्डस्ट्रीज
4. मैसर्स अग्रवाल फार्मास्युटिकल्स
5 मैसर्स मेक फार्मा
6. मैसर्स एच०सी०सेन एण्ड कम्पनी (मैन्युफैक्चरिंग)
7. मैसर्स कार्तिकेय (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
8. मैसर्स पस्योत पुरी सर्जिकल काटन
9. मैसर्स इण्डियन फार्मा लेबोरेट्रीज
10. मैसर्स डी फार्मा
11. मैसर्स सिविल ड्रग्स लेबोरेट्रीज

12. मैसर्स केमो बायोलोजिकल्स

13. मैसर्स तोश्नीवाल ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स (प्रा०) लिमिटेड

14. मैसर्स ग्रेटस फार्मा

15. मैसर्स के फार्मा

16. मैसर्स सुभाष ट्रेडिंग कम्पनी।

सिंचाई विकास बैंक

3022. श्री एच० बी० पाटिल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक सिंचाई विकास बैंक स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई सुझाव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) सिंचाई और जल संसाधन मंत्रियों के जुलाई में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में, कर्नाटक सरकार के सार्वजनिक कार्य, कमान क्षेत्र विकास और सिंचाई मन्त्री, ने सुझाव दिया कि सिंचाई परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सिंचाई विकास बैंक की स्थापना की जाये और यह बैंक सिंचाई बैंकों के माध्यम से जनता से संसाधन जुटा सकता है।

नई रेल लाइनों के निर्माण के लिए सार्वजनिक ऋण लेना

3023. प्रो० मधु दंडवते
श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी
: क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में नई रेल लाइनें बिछाने और गेज परिवर्तन संबंधी कार्यों को सुविधाजनक ढंग से करने के लिए सरकार का विचार सार्वजनिक ऋण लेने की अनुमति देने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यात्री और माल यातायात की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सार्वजनिक ऋण लेकर रेल प्रणाली का विस्तार करने की दृष्टि से रेल लाइनें बिछाने और गेज परिवर्तन कार्यों हेतु एक प्राथमिकता सूची तैयार की जायेगी ?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) (जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

खड़गपुर में रेलवे विद्यालय

3024. श्री नारायण चौबे : क्या परिवहन मंत्री खड़गपुर में रेलवे के उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के बारे में 21 नवम्बर, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 710 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़गपुर में रेलवे विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में अभी भी पुराने मानदंडों को अपनाया जा रहा है;

(ख) क्या इन विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या आवश्यकता से कम है;

(ग) क्या इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या अनुज्ञेय सीमा से अधिक है और जिला विद्यालय निरीक्षक की सिफारिशों तथा अभिभावकों की इच्छा की उपेक्षा कर लड़के और लड़कियों को सह-शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत अध्ययन करने की अनुमति दी जाती है, यदि हां, तो प्रत्येक विद्यालय का अलग-अलग तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) मिदनापुर के जिला विद्यालय निरीक्षक की सिफारिशों को, विशेषरूप से उक्त मामले में, कार्यान्वित करने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण जनसंख्या को दवाइयों की आवश्यकता

3025. श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण जनसंख्या को दवाइयों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए क्या तरीके अपनाए हैं;

(ख) क्या ये तरीके गरीब लोगों को जिन्हें दवाइयों की सबसे अधिक आवश्यकता है, आवश्यक दवाइयों की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कमियों को दूर करने के लिए कोई तरीके निकाले हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं मुहैया करना राज्य सरकारों का मुख्य दायित्व है। केन्द्र सरकार, प्रतिवर्ष प्रत्येक ग्राम स्वास्थ्य गाइड को 600/- रुपये मूल्य की प्राथमिक उपचार की दवाइयां सप्लाई करने के अतिरिक्त ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 6000/- रुपये मूल्य की औषधों की व्यवस्था करके राज्यों को मदद करती है। लगभग एक हजार आबादी के लिए एक ग्राम स्वास्थ्य गाइड है। भारत सरकार सामान्य दवाइयों के अतिरिक्त आयरन और फालिक एसिड की गोलियां और विटामिन "ए" के साथ-साथ कुष्ठ, क्षयरोग, मलेरिया और डिप्थीरिया वैक्सीन कूकर खांसी टैटनस और पोलियो जैसी बीमारियों के लिए भी विशिष्ट दवाइयां उपलब्ध करती हैं। भारत सरकार प्रतिवर्ष उप-केन्द्रों को 2000/- रुपये मूल्य की दवाइयां भी सप्लाई करती है जो साधारणतया लगभग 5000 आबादी तथा आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 आबादी को सेवाएं उपलब्ध करते हैं। इसमें गर्भ निरोधक के स्थायी तरीके और आई०यू०डी० के स्वीकारकर्ताओं के लिए अपेक्षित दवाइयों की लागत शामिल नहीं है।

(ख) और (ग) सातवीं योजना के प्रस्ताव तैयार करने के लिए गठित किए गये कार्य दल ने धन की पर्याप्तता के प्रश्न पर विचार किया था। संसाधनों की कमी के कारण दवाइयों की सप्लाई के लिए परिव्यय में वृद्धि करना सम्भव नहीं हुआ है।

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् में नियुक्तियां

3026. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या हाल ही में निदेशक, प्रशासन और वित्त का पद रिक्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो उस रिक्त स्थान को भी भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या शिक्षा विभाग के कुछ सेवा-निवृत्त व्यक्तियों को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् में नियुक्त किया गया; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति सरकार के विचाराधीन है।

(ख) जी हां।

(ग) इस पद को भारतीय एतिहासिक अनुसंधान परिषद द्वारा भरा जाना है।

(घ) और (ङ) शिक्षा विभाग से एक सेवा-निवृत्त अनुभाग अधिकारी को परिषद में 1-4-1985 से परिषद के नियमों के अनुसरण में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था।

नेत्र बैंकों में नेत्रों का भण्डारण

3027. श्री बाला साहेब विखे पाटिल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब नेत्र बैंकों में 30 दिन तक नेत्रों को रखा जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे आपरेशन थियेटर में रोगियों की भीड़ कम होगी और उनमें आपरेशन की उत्सुकता नहीं रहेगी;

(ग) नेत्र प्रतिरोपण की पुरानी आपरेशन प्रणाली की तुलना में नेत्र बैंकों में लम्बी अवधि तक रखे गए नेत्रों से कितने लोग लाभान्वित होंगे;

(घ) क्या सरकार का विचार यह सुविधा सभी राज्यों में सुलभ कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) कुछ अन्तर्राष्ट्रीय नेत्र बैंकों में आंखों का संग्रह 30 दिन तक के लिए विशेष "आर्गन कल्चर मीडिया" में किया जा सकता है। तथापि, यह सुविधा भारत में फिलहाल उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) जब यह सुविधा उपलब्ध होगी, आपरेशन थियेटरों पर कार्यभार और रोगियों की चिन्ता निश्चित ही कम हो जाएगी। लाभभोगियों की संख्या में भी वृद्धि हो जाएगी।

(घ) और (ङ) फिलहाल यह प्रश्न नहीं उठता।

जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम के भाग के रूप में महिला साक्षरता को प्राथमिकता

3028. डा० टी० कल्पना देवी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनसंख्या नियंत्रण के भाग के रूप में महिला साक्षरता को प्राथमिकता देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) मौजूदा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम महिला-शिक्षा पर विशेष बल देता है क्योंकि प्रौढ़ शिक्षा समाजार्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है और परिवार-कल्याण कार्यक्रमों को प्रोन्नत करने भी एक निर्णायक तत्व है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति—1986 में, अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय लक्ष्यों के सम्बन्ध प्रौढ़ शिक्षा के सुव्यवस्थित कार्यक्रमों, छोटे परिवार के मानदण्ड का पालन करने की भी परिकल्पना की गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यू०एन०एफ०पी०ए० के सहयोग से प्रौढ़ शिक्षा में एक पांच वर्षीय (1985-90) जनसंख्या शिक्षा परियोजना शुरू की है जिसका मुख्य उद्देश्य लाभान्वितों में जागरूकता और सूझबूझ बढ़ाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत मौजूदा पाठ्यचर्या में जनसंख्या शिक्षा का घटक शुरू करना है। जनसंख्या-वृद्धि और समाजार्थिक विकास के बीच अत:-संबंध में छात्रों की अंतर्दृष्टि बढ़ाने में सहायता के लिए औपचारिक शिक्षा में इसी प्रकार की एक परियोजना भी शुरू की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार एक नई नीति उस मन्त्रालय के विचाराधीन है, जिसमें महिला साक्षरता कार्यक्रमों तथा राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रोन्नत करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रमों के बीच उपयुक्त सम्पर्कों की परिकल्पना की गई है।

मंगलौर और गुलबर्गा विश्वविद्यालयों को मान्यता देना

3029. श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मंगलौर विश्वविद्यालय और गुलबर्गा विश्वविद्यालय को मान्यता देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों के अनुसार किसी भी विश्वविद्यालय को सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित करना होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार मंगलौर विश्वविद्यालय और गुलबर्गा विश्वविद्यालय को केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित किया गया है।

डिस्पोजेबल सिरिंजों, सुइयों तथा रक्तआधान सेटों की गुणवत्ता पर कानूनी नियंत्रण

3030. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या बाजार में बेचे जाने वाली डिस्पोजेबल सिरिंजों, सुइयों तथा रक्त-आधान सैटों की गुणवत्ता पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है;

(ख) क्या 1982 में संशोधित अवधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में पशुओं और मनुष्यों में रोगों के निदान, इलाज और विकारों के न्यूनीकरण में आन्तरिक बाह्य रूप में प्रयोग किये जाने वाले साधनों को भी उक्त अधिनियम क्षेत्राधिकार में लाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार डिस्पोजेबल, सिरिंजों, सुइयों तथा रक्त-आधान सैटों को कानूनी नियंत्रण में लाने के लिए एक अधिसूचना जारी करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) 1982 में यथासंशोधित औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 3 के अनुसार मनुष्यों अथवा पशुओं में रोग अथवा विकार का निदान करने, इलाज करने, उसे कम करने अथवा उसकी रोकथाम करने के लिए आन्तरिक अथवा वाह्य रूप से उपयोग करने के आशय से तैयार किए गए यंत्रों, (केन्द्रीय सरकार द्वारा, औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श लेने के बाद, अधिसूचना द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट यंत्रों को औषध समझा जाता है। डिस्पोजेबल सिरिंजों, सुइयों और ट्रांसफ्यूजन सेटों को अभी तक इस खण्ड के अधीन औषधों अधिसूचित नहीं किया गया है।

(ग) औषध परामर्शदात्री समिति (जो औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अधीन गठित एक सांविधिक निकाय है और सभी राज्य सरकारों के प्रतिनिधि जिसके सदस्य हैं की एक उप-समिति ने निम्नलिखित यंत्रों के लिए मानक तैयार किए हैं :—

1. डिस्पोजेबल परफ्यूजन सेट

2. डिस्पोजेबल हाइपरडर्मिक सिरिंज

3. डिस्पोजेबल हाइपरडर्मिक नीडल

इन सिफारिशों को औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुमोदित और सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाने हेतु उक्त बोर्ड के सम्मुख रहने की कार्यवाही चल रही है।

रेलवे बुक स्टालों के विक्रेताओं के लिए सरकारी समितियां

3031. **डा० एस० जगतरक्षकन** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बुक स्टालों से संबद्ध वास्तविक विक्रेताओं/मजदूरों और बेरोजगार स्नातकों के लिए सहकारी समितियां गठित करने और इसके सदस्यों के लिए बुक स्टाल आबंटित करने हेतु क्या मानदंड हैं; और

(ख) वास्तविक विक्रेताओं/बेरोजगार स्नातकों की सहकारी समितियों के लिये इस समय बड़े स्टेशनों पर बुक स्टालों के लिए कितनी रिक्तियां उपलब्ध हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) सहकारी समितियों का गठन सहकारी समिति पंजीकरण अधिनियम के उपबन्धों के अधीन होता है।

(ख) बुक-स्टालों के सभी रिक्त स्थान, बिक्री के एकाधिकार वाले स्थानों को छोड़कर बेरोजगार स्नातकों, उनकी साझेदारी वाली फर्मों, एसोसिएशनों आदि तथा वास्तविक कर्मचारों और वेंडरों की सहकारी समितियों के लिए आरक्षित है।

[हिन्दी]

जिला स्तर पर पोलीटेकनीक प्रशिक्षण संस्थान

3032. **श्री हरीश रावत** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का देश के कुछ जिलों में पोलीटेकनीक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में ऐसे संस्थान खोलने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उन जिलों के नाम क्या हैं जहां इस प्रकार के सर्वेक्षण किये गये हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) तकनीकी संस्थाओं की स्थापना राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत आती है और उन पर व्यय तकनीकी शिक्षा की राज्य योजना से पूरा किया जाता है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद निर्धारित आवश्यकताओं और अन्य प्रासंगिक घटकों के संदर्भ में तकनीकी स्वीकृति प्रदान करती है। इसलिए किसी विशेष जिले में पोलीटेकनीक के खोलने का प्रस्ताव सम्बन्धित सरकार द्वारा किया जाना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विभिन्न जिलों को मिलाकर केन्द्रीय विद्यालय खोलना

3033. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में चल रहे केन्द्रीय विद्यालयों में पंजीयन के लिए दिए गए आवेदनों की संख्या उनमें वास्तव में उपलब्ध स्थानों से कई गुना अधिक होती है और इन विद्यालयों में प्रवेश पाने के इच्छुक सभी विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिल पाता।

(ख) क्या कुछ ऐसे जिले हैं, जहां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या कम है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे जिलों को मिलाकर उनके बच्चों की शिक्षा के लिए केन्द्रीय विद्यालय खोलने का है और यदि हां, तो ऐसे जिलों के राज्यवार नाम क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार सिवान, गोपालगंज पूर्वी और पश्चिमी चम्पारन जिलों को मिलाकर इन जिलों के लिए गोपालगंज में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का है यदि हां, तो कब तक और इस पर कितना व्यय होने की सम्भावना है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां। केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिला प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या उपलब्ध सीटों की संख्या की अपेक्षा बहुत अधिक होती है।

(ख) से (घ) यद्यपि देश के विभिन्न जिलों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की तैनाती से सम्बन्धित निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है, फिर भी कुछ ऐसे जिले हो सकते हैं जहां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या कुछ कम है। केन्द्रीय विद्यालय ऐसे स्थानों पर खोले जाते हैं जहां प्रतिरक्षा और अर्द्धसैनिक कार्मिकों सहित केन्द्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारी संकेंद्रित होते हैं अथवा ऐसे स्थानों पर जहां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा उच्च अध्ययन की संस्थाएं स्थापित होती हैं। नये केन्द्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्तावों पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा उपयुक्त प्रायोजित प्राधिकरण से निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही विचार किया जाता है। जिलों का समूह बनाने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जहां केन्द्रीय विद्यालय खोलने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या कुछ कम है।

[अनुवाद]

नये विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ

3034. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस शिक्षा वर्ष में कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ करने के लिए और अधिक विद्यालयों का चयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या 2 वर्ष पूर्व प्रारम्भ की गई कम्प्यूटर शिक्षा का मूल्यांकन कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) जी, नहीं। वर्ष 1986-87 के दौरान स्कूलों में संगणक साक्षरता तथा अध्ययन (सं० सां० तथा अध्य० परि०) के अन्तर्गत सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के 500 और स्कूलों को शामिल किये जाने का प्रस्ताव है। स्कूलों का चयन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) स्कूलों में संगणक साक्षरता तथा अध्ययन परियोजना के मूल्यांकन का कार्य आन्तरिक्ष प्रयोग केन्द्र अहमदाबाद को सौंपा गया है, जिसने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट में कार्यक्रम के प्रबन्ध तथा पाठ्यचर्या के पहलुओं के बारे में सिफारिशें की गई हैं जिनकी इस समय सरकार जांच कर रही है।

[हिन्दी]

गाड़ियों का विलम्ब से चलना

3035. **प्रो० चन्द्रभानु देवी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक महत्वपूर्ण गाड़ियां जिनमें राजधानी एक्सप्रेस और डीलक्स गाड़ियां भी शामिल हैं, अपने गन्तव्य स्थान पर ठीक समय पर नहीं पहुंचती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन गाड़ियों को समय पर चलाने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) राजधानी और डीलक्स एक्सप्रेस गाड़ियां तथा अन्य महत्वपूर्ण गाड़ियां सामान्यतः अपने गन्तव्यों पर समय पर पहुंचती हैं। कभी-कभी गाड़ियां उपस्करों की विफलता, खतरे की जंजीर खींचे जाने, सिगनलिंग उपस्करों के साथ छेड़-छाड़ किये जाने और अन्य अप्रत्याशित कारणों से लेट हो जाती हैं।

(ग) असामाजिक तत्वों को पकड़ने के लिए राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क रखना, रेलवे उपस्करों का बेहतर अनुरक्षण तथा रेलवे बोर्ड सहित भिन्न-भिन्न स्तरों पर गाड़ियों के समय पालन पर निगरानी रखना आदि उपाय किये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

भीड़-भाड़ वाले शहरों में अतिरिक्त रेल सुविधाएं

3036. श्री हुसैन दलवाई : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे भीड़-भाड़ वाले शहरों में दैनिक रेल यात्रियों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो कार्यालयों के समय के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त संख्या के लिए यात्रा सुविधा प्रदान करने के लिए क्या-क्या व्यवस्था करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का बम्बई में दो मंजिले रेल डिब्बे शुरू करने का कोई प्रस्ताव है, यदि नहीं, तो क्या बम्बई में अतिरिक्त रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो यात्रियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए यदि सरकार के पास कोई प्रस्ताव है तो उनका ब्योरा क्या है ?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क), (ख) और (घ) जी, हां। आधुनिक सिगनलिंग सुविधाओं की व्यवस्था, बांद्रा और अंधेरी के बीच एक जोड़ी अतिरिक्त लाइनें बिछाना, पुराने ई०-एम० यू० रेकों को बदलना तथा गाड़ियों के फेरे बढाना जैसे कदम उठाये जा रहे हैं।

(ग) बम्बई उप-नगरीय खंड पर दुमंजिले ई० एम० यू० कोच चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी देने की प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाना

3037. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उत्तरी राज्यों ने केन्द्रीय सरकार द्वारा सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी देने की प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति दिये जाने के लिए प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने हेतु राज्यों द्वारा आग्रह किया जाता रहा है। योजना आयोग की परामर्शदात्री समिति के एक उप-समूह ने ऐसी प्रक्रिया को सरल और

कारगर बनाने के लिए उपाय सुझाए हैं।

[हिन्दी]

फैजाबाद उप-मार्ग (बाईपास) योजना

3038. श्री निर्मल खत्री : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में फैजाबाद उप-मार्ग (बाईपास) योजना की वर्तमान अनुमानित निर्माण लागत क्या है; और

(ख) इस योजना का कार्य किस तारीख से शुरू किये जाने की सम्भावना है और किये जाने वाले कार्य का स्वरूप क्या है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 465.44 लाख रुपये।

(ख) दोहरी लेनों वाली बाईपास सड़क का निर्माण चरणों में किए जाने का प्रस्ताव है और मिट्टी की तटबंध तथा पुलियों के निर्माण सम्बन्धी पहले चरण के लिए 104.07 लाख रुपये की अनुमानित लागत के प्राक्कलन पर कार्रवाई अग्रिम चरण में है। अनुमान की संस्वीकृति के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

[अनुवाद]

प्रयोज्य सिरिंज और सुइयों का प्रयोग

3039. प्रो० रामकृष्ण मोरे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'एड्स' रोग को फैलने से रोकने के लिए सरकारी अस्पतालों, रक्त-बैंकों, स्वास्थ्य देखभाल यूनिटों आदि को केवल प्रयोज्य सिरिंज तथा सुइयां प्रयोग करने संबंधी हिदायतें जारी की हैं किन्तु प्रयोज्य सिरिंजों तथा सुइयों की गुणवत्ता पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इन मदों के मानकीकरण हेतु तथा उन्हें कानून की सामा में लाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) सभी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों को लिखा गया है कि अस्पतालों, औषधालयों, स्वास्थ्य परिचर्या यूनिटों आदि में निर्जीवाणुकरण (स्टेरिलाइजेशन) प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन किया जाए और जहां तक सम्भव हो पहले से ही निर्जीवाणुकृत और दुबारा उपयोग में न लाई जाने वाली

सिरिंजें तथा सुइयां इस्तेमाल की जाएं।

दुबारा उपयोग न की जाने वाली सिरिंजों, सुइयों तथा ट्रांसफ्यूजन सेटों को अभी तक औषधों के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है। बहरहाल, औषध सलाहकार समिति (औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अधीन गठित एक सांविधिक समिति जिसमें सभी राज्य सरकारों के प्रतिनिधि सदस्यों के रूप में हैं) की एक उप-समिति ने निम्नलिखित यंत्र-युक्तियों के लिए मानक तैयार किए हैं : —

1. डिस्पोजेबल पर्फ्यूजन सेट

2. डिस्पोजेबल हाइपरडर्मिक सिरिंजें

3. डिस्पोजेबल हाइपरडर्मिक सुइयां।

इन सिफारिशों को औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा जिसके बाद औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में आवश्यक संशोधन अधिसूचित करने की कार्रवाई की जाएगी।

आदिवासियों को स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं और उन्हें चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के उपाय

3040. श्री मोहन भाई पटेल
श्री चिन्तामणि जेना } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में आदिवासियों की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) सरकार ने आदिवासियों की समस्याओं को हल करने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाये हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आदिवासी क्षेत्रो में परिवहन की सुविधाएं अपर्याप्त होने के कारण लोगों को अपना उपचार कराने के लिए कई-कई मील पैदल जाना पड़ता है और बहुत से लोगों की चिकित्सा सहायता मिलने से पहले ही मृत्यु हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने देश के प्रत्येक नागरिक को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये हैं और उनका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ङ) नियोजन प्रक्रिया के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वाली आबादी के क्षेत्रों में चिकित्सा परिचर्या सुविधाओं के विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। रोग उपचारक, निवारक और रोगहारक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप-सम्भागीय और जिला स्तरीय अस्पतालों के तंत्रों को सुदृढ़ किया जा रहा है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में आरम्भ किये गये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 10,000 आबादी पर एक उप-केन्द्र और प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन छठी योजना में "सन् 2000 ईसवी तक सबके लिए स्वास्थ्य" के लक्ष्य को देखते हुए स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं का और विस्तार करने पर अधिक ध्यान दिया गया तथा जनसंख्या मानदंडों में इस प्रकार संशोधन किया गया :—

		सामान्य	आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्र
1.	उप-केन्द्र	5,000	3,000
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	30,000	20,000
3.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (30 पलंगों वाले अस्पताल)	10,00,000	1,00,000

वर्तमान पंचवर्षीय योजना में भी यही नीति जारी है। इस प्रकार आदिवासी आबादी वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस बारे में हुई प्रगति की समीक्षा करने, राज्य सरकारों के लिए प्रस्तावों की जांच करने और आदिवासी लोगों की स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं का और विकास करने के लिए प्रतिवर्ष एक अलग आदिवासी उप-योजना तैयार की जाती है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, आयुर्वेद और सिद्ध की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और तीन क्षेत्रीय क्षत्र सर्वेक्षण इकाइयों द्वारा किए गए सीमित अध्ययनों के दौरान ध्यान में आई आदिवासीय लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को आदिवासी क्षेत्रों के लिए योजनाएं तैयार करते समय ध्यान में रखा गया है।

खेलों और व्यायाम शिक्षा के बारे में राज्यों के मन्त्रियों के सम्मेलन की सिफारिशें

3041. श्री बृजमोहन महन्ती : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेलों और व्यायाम-शिक्षा को शिक्षा का अंग मानने तथा उसके शिक्षोपार्जन के भाग

के रूप में मूल्यांकन करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) क्या मन्त्रियों के इस सम्मेलन में खेलों के उन क्षेत्रों पर, जिनमें भारत अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पिछड़ रहा है, चर्चा की गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) अब तक की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

युवा कार्यक्रम और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में खेल और शारीरिक शिक्षा सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है और इन्हें कार्य निष्पादन के मूल्यांकन में शामिल करने की परिकल्पना है। इसमें शारीरिक शिक्षा, खेल-कूद के लिए शिक्षा व्यवस्था में राष्ट्रव्यापी अवस्थापना (इंफ्रास्ट्रक्चर) के निर्माण की भी परिकल्पना है।

(ख) जी, नहीं। ब्यौरों का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इसका भी प्रश्न नहीं उठता।

गोदी और बंदरगाह कर्मचारियों की मांगें

3042. श्री के० वी० शंकर गौड़ा : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने बन्दरगाह और गोदी कर्मचारियों के चार मुख्य परिसंघों के प्रतिनिधियों को उनके मांग पत्र पर विचार करने के लिए 12 जून, 1986 को आमंत्रित किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या 20 मई, 1986 को भी बातचीत हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो गोदी और बन्दरगाह कर्मचारियों की मांगों को किस हद तक स्वीकार कर लिया गया है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी हां 8 जुलाई, 1986 को भी विचार-विमर्श हुआ है।

(ग) पत्तन और गोदी श्रमिकों की मांगें और विचार-विमर्श के अनुपालन में उनपर की गई कारंवाई नीचे दर्शाई गई है :—

	मांगें	की गई कारंवाई
(I)	पोर्ट ट्रस्टों और डाक लेबर बोर्डों द्वारा पदों के सृजन और भर्ती पर लगे प्रतिबन्ध को हटाना।	सरकार ने पदों के सृजन और रिक्त पदों को भरने पर लगे प्रतिबन्ध के बारे में मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धांतों में कतिपय संशोधन किए हैं।

(II) सेवा निवृत्ति लाभों को उदार बनाना।	पोर्ट ट्रस्टों और डाक लेबर बोर्डों को यह अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे मौजूदा कर्मचारियों और श्रमिकों को सेवा निवृत्ति की तारीख से तीन माह पहले अंशदायी भविष्य निधि स्कीम के स्थान पर पेंशन स्कीम/पेंशन के लिए वेतन के बारे में सरकार की परिभाषा/पेंशन के लिए वेतन के बारे में उदार परिभाषा के विकल्प को चुनने की अनुमति दें। यह अभिवेदन दिया गया कि पेंशन के प्रयोजन के लिए मंहगाई भत्ते के कुछ अंक तक की राशि को मंहगाई वेतन मानने के बारे में सरकार के आदेशों को क्रियान्वित करने के फलस्वरूप पेंशन तथा पेंशन पर मिलने वाली राहत की राशि में कमी हुई है तथा परिणामस्वरूप सेवानिवृत्त कर्मचारियों से रिकवरी हो रही है। सरकार इसकी जांच करने पर सहमत हो गई है।
(III) प्रोन्नति के अवसरों में सुधार	30 जून, 1986 को पोर्ट ट्रस्टों और डाक लेबर बोर्डों के अध्यक्षों से यह अनुरोध किया गया था कि वे 31 अगस्त, 1986 तक प्रोन्नति के अवसरों में सुधार लाने के बारे में उनकी मांगों पर स्थानीय यूनियनों के साथ विचार-विमर्श सम्पन्न कर लें।
(IV) पदों और श्रेणियों के पुनर्वर्गीकरण के दावे	19 मई, 1986 को पोर्ट ट्रस्टों और डाक लेबर बोर्डों से यह अनुरोध किया गया था कि वे अपने-अपने पत्तनों में पदों के पुनर्वर्गीकरण के बारे में उनके दावों पर स्थानीय यूनियनों के साथ जल्द से जल्द विचार-विमर्श कर लें। जहां तक सभी पत्तनों के आधार पर पदों के पुनर्वर्गीकरण से सम्बन्धित दावों का सम्बन्ध है, भारतीय पत्तन एसोसिएशन से यूनियनों की मांगों का अध्ययन करने तथा सरकार के विचारार्थ सिफारिश करने का अनुरोध किया गया है।

(V)	उत्पादकता से जुड़ी बोनस स्कीम शुरू करना	2.7.86 को राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को उत्पादकता से जुड़ी बोनस स्कीम तैयार करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत निर्दिष्ट करने का काम सौंपा गया है। इस स्कीम को अन्तिम रूप देने से पहले फेडरेशनों के प्रतिनिधियों के साथ मार्गदर्शी सिद्धांत के बारे में विचार-विमर्श किया जाएगा।
(VI)	टूटीकोरिन, न्यू मंगलूर, पारादीप और हल्दिया पत्तनों के कार्गो हैंडलिंग श्रमिकों का संस्थाकरण।	अब्राहम समिति जिसने मांग की जांच की थी, की सिफारिशों पर विचार-विमर्श हुआ। बातचीत के अगले दौर में आगे और विचार-विमर्श किया जाएगा।
(VII)	मद्रास स्टेविडोर्स एसोसिएशन के विलय और मद्रास डाक लेबर बोर्ड में क्लीयरिंग एण्ड फार्वडिंग एजेंटों का श्रमिक पूल बनाने की मांग	सरकार ने मद्रास स्टेविडोर्स एसोसिएशन पूल श्रमिकों और मद्रास क्लीयरिंग एण्ड फार्वडिंग एजेंट्स पूल श्रमिकों को मद्रास डाक लेबर बोर्ड के तहत नियमित करने की मांग सिद्धांत रूप में मान ली है और मद्रास डाक लेबर बोर्ड से अंतरण के परिणाम और प्रक्रिया तैयार करने तथा सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है।

राष्ट्रीय जलमार्ग के हल्दिया फरक्का भाग पर आधारभूत सुविधाओं का विकास

3043. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया इलाहाबाद राष्ट्रीय जलमार्ग के हल्दिया फरक्का भाग पर आधारभूत सुविधाओं के विकास सम्बन्धी योजना के कार्यान्वियन के बारे में ताजा स्थिति क्या है;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) विकास कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) हल्दिया-इलाहाबाद राष्ट्रीय जलमार्ग के हल्दिया-फरक्का प्रखंड पर आधारभूत सुविधाओं के निर्माण हेतु 189.50 लाख रु० की अनुमानित लागत पर एक स्कीम मार्च, 1983 में संस्वीकृत की गई थी जिसमें मोटे तौर पर नदी प्रशिक्षण कार्यों, नौचालन में सहायक कार्यों, हल्दिया, त्रिवेणी, नवाद्वीप और

बरहामपुर में टर्मिनल सुविधाओं तथा विशेष उपकरणों एवं संयंत्रों की उपलब्धि की परिकल्पना की गई थी। 22-8-84 को 72.80 लाख रु० और 19-3-85 को 114.83 लाख रु० की तकनीकी स्वीकृतियां जारी की गई थी।

ड्रेजिंग और बान्डालिंग जैसे नदी प्रशिक्षण कार्य, नौचालन में सहायक कार्य, हल्दिया में पान्टून और गैंगवे का निर्माण जैसी टर्मिनल सुविधाओं से सम्बन्धित कार्य, बरहामपुर में बर्थिंग सुविधाओं तथा परिवहन वाहन से संबंधित कार्य पूरे किए जा चुके हैं।

(ग) स्कीम के विभिन्न घटकों के निष्पादन हेतु क्षेत्र संगठनों की स्थापना में कुछ प्रारम्भिक विलम्ब हुए हैं।

(घ) इसके वर्ष 1987 के दौरान पूरा होने की संभावना है।

हवाई डाक सेवा के लिये वायुदूत विमान

3044. श्री बी० बी० रमैया : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुदूत ने हवाई डाक सेवा के लिए अपने चार विमान गैर-सरकारी पार्टी को किराये पर दिये हैं; और

(ख) क्या इसके लिए संचार मंत्रालय की अनुमति प्राप्त कर ली गई है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं। वायुदूत ने अपने रात्रि एयरमेल कोरियर प्रचालन रात्रि में दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास से केवल मात्र चार विमानों के साथ शुरू किया। प्रत्येक विमान में उपलब्ध 1900 किलोग्राम पे लोड क्षमता में से 900 किलोग्राम डाक ले जाने के लिए डाक तार विभाग के लिए निर्दिष्ट की गई है और शेष 1000 किलोग्राम निजी कोरियर कम्पनियों को दी गई है। एक कोरियर कम्पनी ने देश के विभिन्न स्थानों में उनके कागजातों और जरूरी सामान को ले जाने के लिए प्रस्ताव स्वीकार किया है।

(ख) कोरियर सेवा चलाने के लिए संचार मंत्रालय की सहमति की आवश्यकता नहीं है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के कार्यकरण की जांच करना

3045. डा० जी० विजय रामा राव }
प्रो० चन्द्र भानु देवी } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली के अधिकांश केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में विभिन्न औषधों की अनुपलब्धता, प्रतिदिन औषध इंडेंट करने की प्रणाली और उनके विलंब से प्राप्त होने, अत्यधिक कागजी-कार्य और कर्मचारियों की अधिक संख्या सहित अव्यवस्था और अकुशल कार्य-करण की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में जांच के आदेश देने और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को शीघ्रातिशीघ्र युक्तिसंगत बनाने का है; और

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली में प्रत्येक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय के लिए, शराब की दुकानों की तरह, सुपर बाजार अथवा किसी अन्य सहकारी संगठन के माध्यम से संचालक प्रणाली के अंतर्गत दवा और औषध भंडार खोलने और उन्हें 24 घंटे खुले रखने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) सरकार को मालूम है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के कार्यकरण में और अधिक सुधार किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में प्रयास किये जा रहे हैं।

(ग) ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

सर्वाधिक कुष्ठ रोगियों वाले जिले

3046. श्री आनन्द गजपति राजू : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आंध्र प्रदेश के विजयनगरम और श्रीकाकुलम जिलों में कुष्ठ रोगियों की संख्या सबसे अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) जी, नहीं। वैसे विजयानगरम तथा श्रीकाकुलम जिले देश में उच्च स्थानिकमारी वाले 76 जिलों में से हैं। इनमें कुष्ठ रोग की व्याप्तता दर 0 प्रति हजार जनसंख्या है। विजियानगरम और श्रीकाकुलम जिलों में 1983 में कुष्ठ व्याप्तता दर क्रमशः 20.7 तथा 18.2 थी। लेकिन बहु-औषध उपचार से तीन वर्ष बाद यह दर घट कर क्रमशः 5.8 तथा 3.8 हो गई है।

परिवहन के लिये रेक प्रणाली

3047. श्री एस० जी० घोलप : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नमक के लदान के लिये अलग-अलग माल डिब्बों की सप्लाई रोक

दी गई है और एक साथ 70 माल डिब्बों के रेक की व्यवस्था शुरू की गई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या महाराष्ट्र के नमक विनिर्माताओं ने इस प्रणाली का विरोध किया है क्योंकि महाराष्ट्र में अधिकांश नमक विनिर्माता मानव उपभोग के लिये नमक का उत्पादन करते हैं, औद्योगिक प्रायोजन के लिये नहीं और इसलिये एक ही स्टेशन पर रेक का स्टाक उपलब्ध नहीं हो सकता;

(ग) विनिर्माताओं से इस सम्बन्ध में यदि कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, तो उस पर रेलवे विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

परिवहन मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी नहीं। तथापि, संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने के उद्देश्य से विशेषकर माल डिब्बों का, जिनकी सप्लाई कम है, रेकों में संचलन को प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसे चरणों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) बम्बई के नमक व्यापारियों और शिलाट्रीज एसोसिएशन, बम्बई से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ग) उन्हें चालू मौसम में फुटकर में नमक का प्रेषण जारी रखने की अनुमति दी गयी थी। लेकिन जहां कहीं व्यावहारिक था, प्रेषण थोक में किये गये थे। वे अगले मौसम से गाड़ी भारों में अधिकतम लदान करने के लिए सहमत हो गये हैं।

[हिन्दी]

पंजाब में भारतीय खाद्य निगम को वैगनों का आबंटन

3048. **श्री बलवंत सिंह रामूवालिया** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) क्या रेल विभाग ने पंजाब से प्राथमिकता के आधार पर खाद्यान्न भेजने के आदेश जारी किये थे;

(ख) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम ने मई और जून, 1986 के दौरान पंजाब में किन-किन स्टेशनों को वैगनों का आबंटन करने का अनुरोध किया था; और

(ग) आबंटित किये गये वैगनों की स्टेशनवार संख्या क्या है और वे किस-किस तारीख को आबंटित किये गये थे ?

परिवहन मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—3116/86]

[अनुवाद]

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास का इस्पात कार्ड कनवेयर बैल्ट का ठेका

3049. श्री के० एस० राव : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशाखापत्तनम पत्तन न्यास ने 9,000 मीटर लम्बी इस्पात कार्ड कनवेयर बैल्ट की सप्लाई के लिए 5.97 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का एक ठेका इटली की एक ऐसी फर्म को दिया है जिसकी निविदा दूसरी न्यूनतम थी और जिसके प्रत्येक पत्र संदेहास्पद थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस फर्म को पहले तकनीकी दृष्टि से अनुपयुक्त घोषित किया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या इस फर्म को यह ठेका देने से पहले इसके प्रत्ययपत्रों की पूरी तरह जांच की गई थी;

(ङ) जापान आदि अन्य देशों की फर्मों की निविदाओं को अस्वीकृत किए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) सबसे कम दर की निविदा देने वाली फर्म का नाम क्या है और सबसे कम दर की निविदा देने वाली फर्म को ठेका न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास ने इटली के मेसर्स सेयज को 85.8 लाख रुपए की लागत से 4500 मीटर लम्बी इस्पात कार्ड कन्वेयर वेल्ट (1600 मि० मी० की 3000 मीटर और 1200 मि० मी० की 1500 मीटर (सप्लाई करने का ठेका दिया है, जिनकी प्रस्तावित दरें सबसे कम थीं। फर्म के प्रस्ताव पर पहले विचार नहीं किया गया था क्योंकि उस समय मोजूदा वेल्ट के साथ उसकी संगति तय नहीं हुई थी। पत्तन न्यास द्वारा फर्म के प्रत्यय-पत्रों के बारे में पूरी तरह से जांच करने और संतुष्टि होने के बाद ठेका दिया गया था।

(ङ) जापान आदि जैसे देशों से प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि उन्होंने जो मूल्य लिखे थे वे इटली के मैसर्स सेयज के मूल्य से लगभग 60 प्रतिशत अधिक थे।

(च) 4500 मीटर लम्बी इस्पात कार्ड कन्वेयर वेल्ट (1600 मि० मी० की 3000 मीटर और 1200 मि० मी० की 1500 मीटर) सप्लाई करने के लिए इटली के मेसर्स सेयज को ठेका दिया गया था जिनकी दरें सबसे कम थीं।

अधिकृत संवाददाताओं को किराये में रियायत

3050. श्री थम्पन थामस : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकृत संवाददाताओं को रेलवे किराये में रियायत दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रेस एसोसिएशन, नई दिल्ली ने प्रथम श्रेणी और सुपर फास्ट रेलगाड़ियों में किराये में 50 प्रतिशत की रियायत देने और रेलवे विश्राम गृहों का उपयोग रेलवे 'अधिकारियों द्वारा दी जाने वाली दरों पर करने हेतु अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके अनुरोध पर विचार किया है ?

परिवहन मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी हां।

(ख) सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पहले दर्जे में 15 प्रतिशत तथा दूसरे दर्जे में 50 प्रतिशत की रियायत।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां। लेकिन उनके अनुरोध स्वीकार करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

पश्चिम बंगाल में नामखाना बज-बज बड़ी रेलवे लाइन

3051. प्रो० एम० आर० हाल्दर : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में नामखाना बज-बज बड़ी रेलवे लाइन के लिए योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस पर अगले वित्तीय वर्ष में विचार करने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या इस परियोजना में अपेक्षाकृत कम दूरी के रेल सम्पर्क का प्रस्ताव है ?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) कुलपी के रास्ते लक्ष्मीकांतपुर और नामखाना के बीच एक छोटे सम्पर्क के पुनर्मूल्यांकन के बारे में सातवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के समय विचार किया जायेगा।

बकिंघम नहर का विकास

3052. श्री एन० सुन्दर राज : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्देशीय तटीय जलमार्ग का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है;

(ख) क्या बकिंघम नहर सुधार योजना नौवहन के विकास के लिए शुरू की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जी, हां। बकिंघम नहर को चौड़ा और गहरा करके इसकी 20 फुट चौड़ाई और 3 फुट गहराई की मूल मापों में इसको पुन: चालू करने के कार्य प्रथम चरण में पहले ही पूरे किये जा चुके हैं और अब मद्रास तथा ककिनाडा पत्तनों के बीच नौचालन के लिए नहर प्रणाली (बकिंघम नहर-कोम्मणमूर नहर-इलूरु नहर-ककिनाडा नहर) को परस्पर जोड़ने के लिए व्यापक व्यवहार्यता अध्ययन की आयोजना की गई है।

केरल में राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान

3053. श्री ए० चार्ल्स : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एक राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) केरल में राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान खोलने के बारे में सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय हैलीकाप्टर निगम

3054. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय हैलीकाप्टर निगम किस तारीख से कार्य करना शुरू कर देगा;

(ख) इस समय निगम के पास कितने हैलीकाप्टर हैं अथवा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इसके बेड़े में कितने हैलीकाप्टर होने की सम्भावना है; और

(ग) इस समय पदों पर कितने अधिकारी और कुल कितने कर्मचारी हैं; अथवा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस निगम में कितने अधिकारी और कर्मचारियों के होने की सम्भावना है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) भारतीय हैलीकाप्टर निगम अक्तूबर, 1986 से अपना कार्य आरम्भ कर देगा।

(ख) निगम धीरे-धीरे हैलीकाप्टर प्राप्त कर रहा है और चालू वित्त वर्ष के अन्त तक बेड़े में 19 हैलीकाप्टर आ जाने की आशा है।

(ग) इस समय भारतीय हैलीकाप्टर निगम में 86 कर्मचारी हैं जिनमें 22 अधिकारी पायलट, इंजीनियर हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान निगम की नफरी पर कुल 355 कर्मचारियों को ले लिये जाने की आशा है जिसमें एग्जीक्यूटिव, विमानचालक और इंजीनियर शामिल होंगे।

[अनुवाद]

वाणिज्यिक प्रयोजनों से विमान उतारने के लिए एयर इंडिया के अधिकार

3055. **श्री अमल दत्त** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एयर इंडिया को कुछ देशों में दो स्थानों पर वाणिज्यिक प्रयोजनों से विमान उतारने का अधिकार है, यदि हां, तो किस देश में किन-किन स्थानों पर और यह अधिकार किन-किन तारीखों से विद्यमान हैं;

(ख) दो स्थानों पर विमान उतारने के इन अधिकारों का अब तक किस सीमा तक उपयोग किया गया;

(ग) क्या भारत में इसी प्रकार के अधिकारों के लिए किसी अन्य देश ने भी मांग की है और यदि ये अधिकार अब तक किसी देश को दिए गए हैं तो किस देश को;

(घ) क्या यह सच है कि कुछ देशों से कलकत्ता में वाणिज्यिक प्रयोजन से विमान उतारने के दूसरे अधिकारों की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे देश कौन-कौन से हैं और उनके प्रस्ताव को अस्वीकार किये जाने के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) भारत सरकार द्वारा नामित विमान कम्पनी (एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइन्स) को कुछ देशों में दो स्थानों पर

अवतरण करने के अधिकार प्राप्त हैं। इन देशों के स्थान और तारीखें जब से इस प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, का विवरण संलग्न है।

(ख) एयर इंडिया/इन्डियन एयरलाइन्स कुछ देशों में दो स्थानों के लिए परिचालन कर रही है। ये हैं बंगलादेश (ढाका), चिट्टागांव), जापान (टोकियो, ओसाका), पाकिस्तान (कराची, लाहौर), सऊदी अरेबिया (जेद्दाह देहरान), स्विटजरलैंड (जनेवा, ज्यूरिख), यू०ए०ई० (दुबई, आबूधाबी, शारजाह, रास-अल-खामाह)।

(ग) काफी संख्या में दूसरे राष्ट्रों को भारत में दो या इससे अधिक स्थानों के लिए परिचालन अधिकार दिए गए हैं। वे अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, बहरीन, बंगलादेश, कनाडा, चेकोस्लोवाकिया, फिजी, फ्रांस, जर्मन जनवादी गणराज्य, घाना, ईराक, इटली, जापान, कुवैत, लेबनान, मलेशिया, मालदीव, नेपाल, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमन, पाकिस्तान, पोलैंड, कतार, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, श्रीलंका, स्वीडन, स्विटजरलैंड, सीरिया, थाइलैंड, तुर्की, यु०ए०ई०, यू०के०, यू०एस०ए०, सोवियत संघ और यूगोस्लाविया हैं।

(घ) और (ङ) हाल ही में सिंगापुर से बम्बई और मद्रास के अतिरिक्त कलकत्ता के लिए परिचालन करने का अनुरोध किया था जिसे स्वीकार कर लिया गया था। युगोस्लाविया को भी बम्बई और कलकत्ता तक परिचालन के लिए अनुमति दी गई है।

विवरण

उन देशों की सूची जिन पर एयर इन्डिया/इन्डियन एयरलाइन्स दो स्थानों पर परिचालन के लिए हकदार हैं

क्र०सं०	देश का नाम	उन देशों में वे स्थान जहां भारत द्वारा नामित विमान कम्पनी को परिचालन अधिकार प्राप्त है	ये अधिकार प्राप्त होने की तारीख
1	2	3	4
1.	अफगानिस्तान	काबुल, कन्धार	26-1-1952
2.	आस्ट्रेलिया	सिडनी, मेलबोर्न और/अथवा आस्ट्रेलिया में अन्य स्थान (पर्थ को मंजूरी अप्रैल, 1963 को दी गई)	11-7-1949
3.	बंगलादेश	ढाका, चिटगांव	3-7-1974
4.	कनाडा	मोंट्रियल, वैंकोवर	26-2-1982
5.	फांस	पेरिस, नीस	16-7-1947

1	2	3	3
6.	फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी	फ्रेंकफर्ट और अन्य स्थान	31-5-1963
7.	ईराक	बसरा और बगदाद	27-7-1955
8.	इटली	रोम, मिलान	16-7-1959
9.	जापान	टोकियो, ओसाका	2-4-1955
10.	मालद्वीव	माले और अन्य स्थान	13-3-1979
11.	नेपाल	काठमांडू और अन्य दो स्थान	26-11-1964
12.	नाइजीरिया	लागोस, कनो	31-1-1978
13.	पाकिस्तान	कराची, लाहौर	16-7-1976
14.	पोलैंड	वारसा या डंस्क	25-1-1977
15.	सऊदी अरेबिया	जेद्दाह, तेहरान	26-4-1973
16.	श्रीलंका	कोलम्बो, कांकेसौतुरिया	21-12-1948
17.	स्वीडन	स्वीडन अथवा नोर्वे में कोपनहेगन अथवा कोई अन्य स्थान	18-10-1966

1	2	3	4
18.	स्विटजरलैंड	जेनेवा, जुरिक	24-6-1949
19.	टर्की	स्तन्बूल, अंकारा	10-4-1986
20.	यू०ए०ई०	दुबई, आबूधाबी, शारजाह रास-अल-खोमाह्	24-4-1980
21.	यू०के०	लन्दन, बर्मिघम्	1-12-1951
22.	यू०एस०ए०	न्यूयार्क, सन फ्रांसिको, लास एंजलस	3-2-1956
23.	यू०एस०एस०आर०	मास्को, तासकन्द	2-6-1958
24.	यूगोस्लाविया	बैलग्रेड, डुपसैंक, जुबलजाना	17-7-1986

कर्नाटक की सिंचाई परियोजनाएं

3056. श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में इस समय कितनी बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं;

(ख) प्रत्येक परियोजना में निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था;

(ग) प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) प्रत्येक परियोजना के पूरा होने के लिए कौन-सी तारीख निर्धारित की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

कर्नाटक में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं के ब्यौरे

(करोड़ रुपये में)

क्र०सं०	परियोजना का नाम	जिस योजना अवधि में शुरू की गई	अद्यतन अनुमानित लागत	पूरा होने की संभावित तारीख
1	2	3	4	5
	बृहद परियोजनाएं			
निर्माणाधीन				
1.	तुंगभद्रा बांध बांयां तट नहर	पहली	90.40	सातवीं योजना
	तुंगभद्रा दायां तट नहर (अन्त०)	पहली	6.83	सातवीं योजना
2.	भाद्रा	पहली	59.00	सातवीं योजना
3.	मालप्रभा	तीसरी	269.69	सातवीं योजना के बाद
4.	हेमावती (योजनेतर)	1966-69	386.50	उपलब्ध नहीं

1	2	3	4	5
5.	तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर चरण-II	1966—69	15.34	सातवीं योजना
6.	अपर कृष्णा चरण-एक	चौथी	1071.00	सातवीं योजना के बाद
7.	काविनी (योजनेतर)	चौथी	360.00	उपलब्ध नहीं
8.	हरबंगी (योजनेतर)	चौथी	114.00	उपलब्ध नहीं
9.	घटप्रभा चरण-तीन	पांचवीं	221.76	सातवीं योजना के बाद
10.	करंजा	पांचवीं	68.00	सातवीं योजना के बाद
11.	वेनीधोरा	पांचवीं	49.50	सातवीं योजना के बाद
12.	हिपारगी बराज	पांचवीं	97.00	सातवीं योजना के बाद
13.	वरूणा (के०आर०एस० नहर) (योजनेतर)	1978—80	35.00	उपलब्ध नहीं
—दूधगंगा (अन्तर्रा०)		छठी	26.00	सातवीं योजना के बाद
नई परियोजनाएं				
14.	वराही		57.87	सातवीं योजना के बाद
मध्यम परियोजनाएं				
निर्माणाधीन				
1.	तरक	चौथी	11.60	सातवीं योजना
2.	वोटहोल	चौथी	13.70	सातवीं योजना
3.	मंचनाबेल	पांचवीं	14.48	सातवीं योजना
4.	अमरजा	पांचवीं	25.10	सातवीं योजना के बाद
5.	अपर मुलामारी	पांचवीं	10.35	सातवीं योजना
6.	लोअर मुलामारी	पांचवीं	27.05	सातवीं योजना के बाद

1	2	3	4	5
7.	सौदागर	पांचवीं	5.70	सातवीं योजना
8.	मस्कीनाला	पांचवीं	15.90	सातवीं योजना
9.	तीथा	पांचवीं	3.73	सातवीं योजना
10.	रानीकेरे की पो० नहर	पांचवीं	3.61	सातवीं योजना
11.	चुलकीनाला	पांचवीं	11.66	सातवीं योजना
12.	नलूर अमनीकेरे (योजनेत्तर)	पांचवीं	5.30	उपलब्ध नहीं
13.	चिकलीहोल (योजनेतर)	1978—80	7.10	वही
14.	इगालुर (योजनेतर)	1978—80	9.10	वही
15.	हीरानाला	छठी	17.25	सातवीं योजना के बाद
16.	अरकावती (योजनेतर)	छठी	24.70	उपलब्ध नहीं
17.	उदूथेरे हाला (योजनेतर)	छठी	18.60	उपलब्ध नहीं

[हिन्दी]

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के नर्सिंग होम में नर्सों की कमी

3057. श्री विजय कुमार यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के नर्सिंग होम में ऐसे गम्भीर रोगियों को भर्ती किया जाता है जिनकी चौबीस घन्टे देखभाल की आवश्यकता होती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि नर्सों की कमी के कारण कभी-कभी सभी रोगियों को साथ-साथ देख पाना सम्भव नहीं होता; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार, नर्सों की संख्या बढ़ाकर इस कमी को दूर करने का है और यदि हां, तो कब तक ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां ।

(ख) नर्सिंग कर्मचारियों की कमी के बावजूद सभी रोगियों को देखा जाता है।

(ग) आने वाले रोगियों की संख्या में भारी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता पर निरन्तर विचार किया जाता है। नर्सिंग होम में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए नर्सों के पदों के समेत 14 अतिरिक्त पद हाल ही में बनाए गये हैं।

असम में सेंट्रल नर्सिंग स्कूल खोलना

3058. **श्री भद्रेश्वर तांती :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि असम में कोई सेंट्रल नर्सिंग स्कूल नहीं है, केन्द्रीय सरकार का असम में डिगबोई में एक सेंट्रल नर्सिंग स्कूल खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) फिलहाल असम में डिगबोई में एक सेंट्रल नर्सिंग स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदर्भ क्षेत्र में जल संसाधनों का विकास

3059. **श्री उत्तम राव पाटिल :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना अवधि के दौरान महाराष्ट्र, विशेषकर राज्य के विदर्भ क्षेत्र में जल संसाधनों के विकास के लिए कौन-कौन सी योजना आरम्भ की गई है;

(ख) इस समय प्रत्येक योजना कितनी पूरी हो चुकी है; और

(ग) क्या प्रगति की वर्तमान दर से सातवीं योजना के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में निर्माणाधीन बृहद और मध्यम परियोजनाओं की सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। लघु सिंचाई परियोजनाओं के क्षेत्रवार ब्यौरे केन्द्र में नहीं रखे जाते हैं।

(ग) सातवीं योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

विवरण

महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में निर्माणाधीन बृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अद्यतन अनुमानित लागत	1985-86 तक प्रत्याशित व्यय	सातवीं योजना में आगे लाई गई संभावित लागत	सातवीं योजना परिव्यय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
	(क) बृहद परियोजनाएं					
1.	अपर तापी चरण I और II	93.73	4.15	40.86	30.00	
2.	पेंच (अन्तर्रा०)	142.77	11.00	54.23	31.28	
3.	अपर वेनगंगा	344.00	15.40	230.83	83.00	
4.	अपर वरधा	282.01	13.35	214.52	104.27	
5.	काली सरार	10.03	0.75	2.65	1.34	
6.	बावनथाड़ी (अन्तर्रा०)	58.10	0.20	47.10	0.50	
7.	लोअर पेनगंगा (अन्तर्रा०)	207.14	0.01	207.14	1.00	
8.	घोसी खुर्द (सावरगांव)	464.82	0.20	462.93	1.00	
9.	लोअर वरधा	92.59	0.25	91.43	5.00	
10.	लोअर वुना	52.09	3.55	44.26	40.03	
11.	वेन	34.14	0.15	31.04	4.00	
12.	अरूनवती	33.23	2.69	28.20	20.00	

1	2	3	4	5	6	7
13.	हूमन	61.47	0.16	57.40	2.00	
	(ख) मध्यम परियोजनाएं					
1.	वाग्दरी	9.84	0.50	2 76	1.00	
2.	देंगरगांव	6 00	0.01	5.63	0.37	
3.	अमल नाला	7.04	1.00	2.39	2.39	
4.	कोराडी	7.98	1.00	2.85	1.90	
5.	मेस	5.72	1.30	2.04	2.04	
6.	अरण (पिमपरी बारवत	20.75	1.75	10.55	7.70	
7.	वाघाडी	7.66	0.90	2.64	1 68	
8.	गोकी	12.53	0.90	4.75	4.75	
9.	लोअर पूस	13.72	1,17	4.51	4.31	
10.	कोलार	10.90	0.43	4.00	0.80	
11.	खेकरा नाला	8.82	0.85	5 30	1.75	
12.	घटम धाम	18.29	1.09	6.29	4.80	
13.	पोथरा	8.72	0.89	3 94	3.94	
14.	चीनानाडी	5.00	0.01	4 00	0.25	
15.	अन्तरगांव	2.35	0.39	1.68	1.68	
16.	पंधारी नाला	1.79	0.01	1.60	0.25	
17.	शाहनपुर	22.80	2.26	19.55	19.50	
18.	करवप्पा नाला	12.84	0.01	10.33	1.00	
19.	मून	21.42	2.02	18.80	18.80	

1	2	3	4	5	6	7
20.	बारगांव टैंक	1.84	0.25	1.60	1.54	
21.	पकाड़ीगुदम	7.25	0.56	6.08	6.08	
32.	जाम	7.00	0.50	6.89	3.00	

सड़कों के लिए आवंटन

3060. श्री जी० एम० बनातवाला
श्री मुरली देवरा
श्री सनत कुमार मंडल } : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सड़क विकास और उसके अनुरक्षण काय को अत्यधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता है;

(ख) क्या सातवीं योजना में कुल परिव्यय के अनुपात में सड़कों के लिए आवंटित राशि में छठी योजना की तुलना में कटौती की गई है;

(ग) यदि हां, तो कितनी मात्रा में कटौती की गई है;

(घ) क्या छठी योजना में सड़कों के लिए जो आवंटन विनिर्दिष्ट था वास्तविक रूप से कितनी राशि उपयोग में लाई गई, तथा आवंटित राशि का उपयोग न कर पाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार सातवीं योजना में सड़कों के लिए आवंटन में वृद्धि करने का है, विशेष रूप से जबकि सड़क यातायात से प्राप्त होने वाले राजस्व में यथेष्ट वृद्धि हुई है और खराब सड़कों के कारण ईंधन बर्बाद होने से देश को लगभग 500 करोड़ रुपये की लागत वहन करनी पड़ती है तथा स्थायी अवरुद्धता हुई है तथा किराये और मालभाड़े में उत्तरोत्तर रूप से वृद्धि हुई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी हां। सार्वजनिक क्षेत्र के कुल परिव्यय में से सड़क क्षेत्र के शेयर की प्रतिशतता छठी योजना में 3.5% थी, जो सातवीं योजना में घटकर 2.9% रह गई है।

(घ) छठी योजना में सड़कों के लिए 3439 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी, जिसके मुकाबले वास्तविक खर्च 3933 करोड़ रुपए हुए।

(ङ) और (च) सड़क क्षेत्र के लिए छठी योजना में 3439 करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन किया गया था। जिसे सातवीं योजना में बढ़ाकर 5200 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

राष्ट्रीय ग्रंथालयों को विदेश स्थित भारतीय दूतावासों से प्रकाशन

3061. श्री अजय विश्वास : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रंथालयों को पुस्तक और समाचार-पत्र वितरण (सार्वजनिक ग्रंथालय) अधिनियम 1954 के उपबन्धों के अनुसार विदेश स्थित भारतीय दूतावासों के विभिन्न प्रकाशन प्राप्त हो रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से भारतीय दूतावास, नियमित रूप से अपने प्रकाशन भारत भेज रहे हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी नहीं। पुस्तक और समाचार पत्र वितरण (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम 1954 में इस आशय का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मद्रास में भारतीय नौवहन निगम का कार्यालय

3062. श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम ने मद्रास में एक कार्यालय खोला है;

(ख) यदि हां, तो किस विशिष्ट प्रयोजन के लिए यह कार्यालय खोला गया है;

(ग) इस कार्यालय के लिए कितने कर्मचारी भर्ती किए गए हैं तथा उनमें से कितने मद्रास के नाविक हैं;

(घ) क्या यह सच है कि कार्यालय सुचारू रूप से नहीं चल रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी हां। तेल, लोह अयस्क और कंटेनरीकरण के बढ़ते ट्रैफिक तथा भारतीय नौवहन निगम के वाणिज्यिक प्रचालन पर नजर रखने और समीक्षा करने की दृष्टि से तकनीकी और प्रशासन संबंधी विषयों को

हैंडल करने के लिए अक्तूबर, 1985 में मद्रास में भारतीय नौवहन निगम का कार्यालय खोला गया था।

(ग) मद्रास कार्यालय के लिए कर्मचारियों की भर्ती नहीं की गई है। बम्बई स्थित मुख्यालय के 7 अधिकारियों और कलकत्ता के एक अधिकारी को मद्रास में तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त पहले रामेश्वरम कार्यालय में काम करने वाले 2 सहायकों को मद्रास कार्यालय में तैनात किया गया है। नाविकों को मद्रास कार्यालय में तैनात नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके कार्य और दायित्व जहाज पर हैं न कि तट-स्थापनाओं में।

(घ) और (ङ) कतिपय बाधाओं के बावजूद कार्यालय अपना निर्दिष्ट कार्य कर रहा है। मुख्य बाधा मद्रास में नाविकों के यूनियनों द्वारा मुख्य भूमि-अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह सेवा पर चलने वाले जहाजों पर तैनाती के सम्बन्ध में संघर्ष के कारण अशांति है।

[हिन्दी]

पालामऊ और कलकत्ता के बीच सीधी रेलगाड़ी शुरू करना

3063. कुमारी कमला कुमारी : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालामऊ से कलकत्ता तक कोई सीधी रेल सेवा न होने के कारण लोगों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का पालामऊ से कलकत्ता तक एक सीधी रेलगाड़ी शुरू करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कूप-प्लेटफार्मों की डिलिवरी में विलम्ब

3064. श्री वाई० एस० महाजन : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कूप-प्लेटफार्मों ई०वी० और ई०सी० के निर्माण हेतु हिन्दुस्तान

शिपयार्ड लिमिटेड को तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा एक आर्डर दिया गया जिसकी डिलीवरी का समय मार्च, 1986 था तथा हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने इन प्लैटफार्मों के लिए मेनडेक और हेलीडेक के संबंध में 20-25 प्रतिशत प्रगति की सूचना दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) हां। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने हिन्दुस्तान शिपयार्ड को मार्च, 1986 तक दो वेल हेड प्लेटफार्म ई०वी० और ई०सी० की सप्लाई करने के आर्डर दिए थे। जबकि प्लेटफार्म पर सकल कार्य में से 60% कार्य निर्धारित तारीख को पूरा हो गया, फिर भी मार्च, 1986 में शेष 40% कार्य की प्रगति लगभग 20% ही थी। इस समय सकल कार्य की प्रगति 80% है।

(ख) प्राथमिक रूप से इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के साथ इंजीनियरी ब्यौरे को अंतिम रूप देने में विलम्ब और आयातित उपकरणों की विलम्ब से प्राप्ति के कारण डेकों और हेलीडेकों को बनने में विलम्ब हुआ। तथापि मुख्य डेकों के बदले अस्थायी डेकों को लगाने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग से खास रियायत ली गई थी जिससे तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अपना खुदाई प्रचालन (ड्रिलिंग आपरेशन्स) चला सके।

कोसी नदी में गाद जमा हो जाना

3065. श्री महावीर प्रसाद यादव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोसी नदी, नदी तल के दोनों किनारों के बीच में भारी गाद जमा हो जाने के कारण, उस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या का कारण बनने जा रही है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुख्य नदी से पानी लेने वाली अधिकांश नहरें भारी गाद के कारण काम के लायक नहीं हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि किनारों पर पानी का भारी दबाव तथा नहरों से पानी के निकलने के कारण किनारों में दरार पड़ सकती है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) पिछले अध्ययनों से पता चलता है कि कोसी के तटबंधों के बीच नदी तल कुछ पहुंचों में ऊपर उठ रहा है।

(ख) यद्यपि गाद जमा होने की समस्याएं हैं लेकिन नहरें चालू हैं।

(ग) और (घ) चूंकि नहरों में बहने वाला निस्सरित जल उच्च बाढ़ निस्सरण का एक बहुत

छोटा हिस्सा होता है, अत: इससे अगले क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । तथापि, कोसी तटबंधों की सुरक्षा के लिए बिहार सरकार वर्ष प्रति वर्ष तट पर रिवेटमेंट करके तथा नदी नियंत्रण कार्य आदि के रूप में सुरक्षात्मक उपाय कर रही है ।

दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षाओं की दसवीं और बारहवीं कक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की पुन: जांच

3066. श्री अमर राय प्रधान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा ली गई दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षा की दसवीं तथा बारहवीं कक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की पुन: जांच किये जाने की अनुमति है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार परीक्षकों और बोर्ड के आधिपत्य को समाप्त करने के लिए तत्काल पुन: जांच प्रक्रिया शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक स्वायत्त संगठन है परीक्षा सुधार से सम्बन्धित मामलों सहित अपने कार्य-करण को नियमित करने की इसकी अपनी प्रणाली हैं । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उत्तर-पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं देता है । यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक प्रश्न के लिए प्रदान किए गए अंक, कुल योग में सम्मिलित है तथा योग ठीक है, यह केवल पांडुलिपि की जांच की अनुमति देता है । पुनर्मूल्यांकन को आरम्भ करने वाले अन्य बोर्डों के अनुभवों को दृष्टिगत रखते हुए, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का यह विचार है कि पुनर्मूल्यांकन सही उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि इससे प्राय: नए परीक्षकों को प्रभावित करने के लिए अधिक गुंजाइश हो जाती है ।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीनियर सैकेण्डरी स्तर पर केन्द्रित अथवा मौके पर मूल्यां-कन आरम्भ किया है जिससे परीक्षकों का निरंतर पर्यवेक्षण सुनिश्चित होता है । बोर्ड का माध्यमिक स्तर पर केन्द्रीय मूल्यांकन शुरू करने का प्रस्ताव है ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में एक विवरण दिया गया है कि परीक्षा प्रणाली को नया रूप दिया जायेगा ताकि मूल्यांकन की एक प्रणाली अर्थात छात्र के विकास की युक्ति तथा विश्वसनीय सीमा निश्चित की जा सके । नीति के प्रावधानों को कार्य में परिणित करने के लिए सरकार द्वारा तैयार की जा रही कार्रवाई योजना के अनुसार परीक्षा प्रणाली में एक चरणबद्ध ढंग से परिवर्तन लाने का आशय है ।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में कंकनमथ मंदिर का नवीकरण

3067. श्री महेन्द्र सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1986 में भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक को मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के प्रसिद्ध कंकम मंदिर के जीर्णोद्धार का 23,18,466 रुपये की लागत का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) इस राशि के उक्त प्रस्ताव को जानी कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है और जीर्णोद्धार का कार्य कब तक आरम्भ हो जाएगा ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) जी, हां। तथापि, प्रस्ताव में मंदिर की केवल आंशिक मरम्मत की परिकल्पना की गई है। विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।

दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चलने वाली प्राइवेट बसें

3068. श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चलने वाली 3×2 सीटों की व्यवस्था प्राइवेट बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की कठिनाइयों की जानकारी है क्योंकि इन बसों में उतरने चढ़ने के लिए रास्ता तंग होने के कारण इनमें जख्मी हुए बिना या कपड़े फाड़े बिना चढ़ा या उतरा नहीं जा सकता;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन असुविधाजनक बसों को हटाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो यात्रियों को होने वाली असुविधा दूर करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये जाने का प्रस्ताव है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) यात्री प्राइवेट बसों में, विशेषकर व्यस्त घन्टों में, यात्रा करने पर कुछ कठिनाई महसूस कर रहे हैं। दिल्ली परिवहन निगम नवम्बर, 1985 में यह निर्णय ले चुका है कि केवल 2×2 सीटिंग डिजाइन वाली ही नई प्राइवेट बसें ली जाएंगी। पुरानी प्राइवेट बसों के बदले भी केवल 2×2 सीटिंग व्यवस्था वाली बसों को ही लेने की अनुमति दी जाएगी।

[अनुवाद]

नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा संचालित अस्पतालों में औषधियों के अपर्याप्त भण्डार

3069. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा संचालित अस्पतालों में औषधियों के भण्डार अपर्याप्त हैं और रोगियों को विनिर्दिष्ट औषधियां खुले बाजार से खरीदनी पड़ती हैं; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि नई दिल्ली नगर पालिका के अस्पतालों में जीवन-रक्षक औषधों समेत अनिवार्य औषधें यथेष्ट मात्रा में उपलब्ध हैं।

स्वीकृति के लिए विचाराधीन गुजरात की सिंचाई परियोजनाएं

3070. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार द्वारा भेजी गई कुछ सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृति के लिए केंद्रीय सरकार के पास विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का ब्योरा क्या है और इनमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) 8 बृहद और 3 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की जांच की जा रही है और 5 बृहद तथा 3 मध्यम योजनाओं के बारे में राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण/ब्यौरे की प्रतीक्षा है। शेष योजनाओं में से एक बृहद योजना नामश: सरदार सरोवर परियोजना के लिए वन और पर्यावरण दृष्टिकोण से स्वीकृति प्राप्त करनी रहती है। वाटराक परियोजना के बारे में कुछ अन्तर्राज्यीय मामलों को हल किया जाना है। खारीकट आधुनिकीकरण योजना पर योजना आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की नदियों में बाढ़

3071. **डा० मनोज पांडेय : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश को प्रमुख नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र नेपाल में पड़ते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन्हीं नदियों के कारण इन राज्यों में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन राज्यों की बाढ़ समस्या का स्थायी हल खोजने के लिए नेपाल के साथ बातचीत करने और बाढ़ पर काबू पाने की योजनाओं को मंजूर करने का है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) बाढ़ समस्या को यथा सम्भव कम करने के लिए सरकार का नेपाल की महामाहिम सरकार के साथ बातचीत जारी रखने का प्रस्ताव है :

मासिक मौसम टिकट धारक यात्रियों को हावड़ा-कालका मेल से यात्रा करने की अनुमति

3072. **श्री केशवराव पारधी : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या मासिक मौसम टिकट धारक यात्रियों को हावड़ा-कालका मेल में दिल्ली और खुर्जा, अलीगढ़ और अन्य स्थानों के बीच यात्रा करने की अनुमति नहीं है जबकि मासिक मौसम टिकट धारक यात्रियों को इसी गाड़ी में इलाहाबाद और कालका के बीच यात्रा करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि असम मेल को बन्द कर दिया गया है, इन दैनिक यात्रियों को खुर्जा, अलीगढ़ तथा अन्य स्थानों तक हावड़ा-कालका मेल से उनकी अनुभव की जा रही कठिनाइयों को दूर करने को ध्यान में रखते हुए यात्रा करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) 1 अप/2 डाउन हावड़ा—दिल्ली कालका मेल एक सुपरफास्ट गाड़ी है जिसमें दूसरे दर्जे में 480 कि०मी० से कम दूरी की यात्रा

पर प्रतिबन्ध है। मासिक सीजन टिकट केवल 150 कि०मी० तक की दूरी के लिए जारी किये जाते हैं। इसलिए दूसरे दर्जे के मासिक सीजन टिकट धारकों को इस गाड़ी से यात्रा करने की अनुमति नहीं है। लेकिन, पहले दर्जे के मासिक सीजन टिकट धारी सुपरफास्ट प्रभारों का भुगतान करके इस गाड़ी से यात्रा कर सकते हैं बशर्ते कि उसमें स्थान उपलब्ध हो। चूंकि मासिक सीजन टिकट केवल 150 कि०मी० तक की दूरी के लिए जारी किये जाते हैं, अतः इलाहाबाद से कालका के लिए कोई मासिक सीजन टिकट जारी नहीं किया जा सकता है।

(ग) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) कालका मेल में केवल दो अनारक्षित सवारी डिब्बे लगाये जाते हैं जो लम्बी दूरी के यात्रियों के लिए हैं। यदि उनमें दैनिक यात्रियों को यात्रा की अनुमति दे दी जाये तो लम्बी दूरी के यात्रियों को भारी असुविधा होगी क्योंकि इन सवारी डिब्बों में पहले ही भारी भीड़ होती है।

[अनुवाद]

डाक्टरों का रोजगार के लिए विदेशों में उत्प्रवास

3073. **श्री मुरली देवरा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोजगार के लिए अथवा विदेशों में रहने के लिए हर वर्ष देश छोड़ने वाले डाक्टरों की औसत संख्या कितनी है जिसके कारण अच्छे डाक्टरों का पलायन हो रहा है;

(ख) इस प्रकार के पलायन से सही अर्थों में कितना वार्षिक नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है;

(ग) किसी डाक्टर के विदेश चले जाने से पूर्व उसे प्रशिक्षण देने पर सरकार को कितना खर्च करना पड़ता है; और

(घ) सरकार द्वारा हमारे इस राष्ट्रीय आधारभूत ढांचे में इस प्रकार की क्षति को रोकने के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) चिकित्सा कार्मिकों का प्रवसन एक जटिल समस्या है जिसके कई कारण हैं। चूंकि भारतीय डाक्टर जिनमें राज्यों या प्राइवेट सेक्टरों में कार्य कर रहे डाक्टर भी शामिल हैं विभिन्न माध्यमों के जरिये विदेशों में रोजगार के लिए जाते हैं, इसलिए विदेशों में कार्य कर रहे ऐसे प्रवासी डाक्टरों की संख्या और देश को ऐसे प्रवास के कारण हर वर्ष धन के रूप में कितना नुकसान उठाना पड़ता है, इसके आंकड़े भारत सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। यह अनुमान है कि एक डाक्टर के प्रशिक्षण पर लगभग 2.50 लाख रुपये खर्च आता है।

(घ) चिकित्सा कार्मिकों का विदेश प्रवसन रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(i) ऐसी उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जिसकी सुविधाएं देश में ही उपलब्ध हैं, चिकित्सा स्नातकों के विदेश प्रवास पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। विरल श्रेणियों के डाक्टरों को विदेशों में रोजगार के लिए नहीं भेजा जाता।

(ii) संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों की सिफारिशों पर विशेष अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को अग्रिम वेतन वृद्धियां दी जाती हैं।

(iii) डाक्टरों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे डाक्टरों की सेवा शर्तों में राज्य और संघ शासित क्षेत्र सरकारों द्वारा सुधार लाया जा रहा है।

(iv) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रतिष्ठापूर्ण सदस्यता परीक्षाएं आयोजित करने की व्यवस्था की गई है, जो कि विदेशी अर्हताओं अर्थात एफ०आर०सी०एस०,एम०आर०सी० पी०, आदि के समकक्ष होती हैं।

(v) वित्त मन्त्रालय, आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में तैनात डाक्टरों को 1985-86 और 1986-87 के दौरान ग्रामीण भत्ते के भुगतान के लिए 352.44 लाख रुपये का विशेष अनुदान देने के लिए सहमत हो गया है। यह राशि उन डाक्टरों को जिन्हें रिहायशी मकान उपलब्ध नहीं किये गये हैं, मकान किराया भत्ते के रूप में 1985-86 के दौरान दी गई 101.40 लाख रुपये तथा 1986-87 के दौरान दी गई 93.78 लाख रुपये की राशि के अतिरिक्त होगी।

अट्टाप्पाडी और चिमोनी परियोजनाएं

3074. **श्री पी० ए० एन्टनी :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल की अट्टाप्पाडी और चिमोनी परियोजनायें 10 से भी अधिक वर्षों से केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इनको कब तक स्वीकृति दिये जाने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) कावेरी बेसिन में अट्टाप्पाडी सिंचाई परियोजना को अभी अन्तर्राज्यीय दृष्टि से स्वीकृति प्राप्ति की प्रतीक्षा है। जल उपलब्धता तथा उमड़ मार्ग के लिए बाढ़ निस्सरण अभिकल्प के सम्बन्ध में चिमोनी सिंचाई परियोजना केन्द्रीय जल आयोग में परीक्षणाधीन है। इन पहलुओं के संतोषजनक ढंग से हल हो जाने के पश्चात इस परि-

योजना को स्वीकृति दी जा सकती है।

इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में शाकाहारी खाना न मिलना

3075. श्री अनूप चन्द शाह : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्डियन एयरलाइन्स की सेवाओं में अनेक बार यात्रियों को शाकाहारी खाना नहीं दिया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि 8 जुलाई, 1986 को कोचीन से बम्बई जाने वाली उड़ान संख्या आई० सी० 162 और 17 जुलाई, 1986 को बम्बई से दिल्ली जाने वाली उड़ान संख्या आई०सी० 181 में शाकाहारी खाने की कमी हो गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं और सरकार का विचार यात्रियों की परेशानियां दूर करने के लिए क्या उपाय करने का है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) 8-7-1986 को उड़ान आई०सी०-162 में 126 यात्री थे जिनमें से 108 के लिए मांसाहारी 18 के लिए शाकाहारी और 5 के लिए विशुद्ध शाकाहारी व्यंजन की व्यवस्था की गई थी। 17-7-86 को उड़ान आई०सी-181 में 2 3 यात्रियों में से, 148 के लिए मांसाहारी, 125 के लिए शाकाहारी और 7 के लिए विशुद्ध शाकाहारी व्यंजन उपलब्ध कराए गए थे। इन दो उड़ानों में शाकाहारी भोजन की कमी के बारे में यात्रियों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजकोट को विमान सेवा से दिल्ली से जोड़ना

3076. श्री दिग्विजय सिंह : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजकोट, जामनगर, भावनगर, केशोद, पोरबन्दर और भुज से दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों को पहले विपरीत दिशा में (दक्षिण दिशा में बम्बई) आना पड़ता और उसके बाद दिल्ली के लिए उड़ान पकड़नी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विमान मार्गों को अधिक सरल बनाने की नीति को दृष्टि में रखते हुए, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर होते हुए उत्तर की ओर दिल्ली को राजकोट से जोड़ते हुए उपयुक्त विमान सेवाएं प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावों के ब्यौरे क्या हैं और इस पर कब तक अमल किये जाने की आशा है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

शिक्षकों द्वारा निजी तौर पर शिक्षण

3077. श्री रणजीत सिंह गायकवाड़, श्री नरसिंह सूर्यवंशी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं आदि के लिए शिक्षण कक्षायें चलाना धन कमाने का धन्धा बन गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस समस्या को रोकने लिए सरकार का माध्यमिक स्कूलों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों द्वारा शिक्षण कक्षायें चलाने पर रोक लगाने और इसी प्रकार के अन्य उपाय करने का विचार है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) यह आमतौर पर मालूम ही है कि उच्चतर माध्यमिक तथा अन्य स्तरों पर शिक्षण कक्षाएं निजी संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाती हैं।

(ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में शिक्षा के व्यापारीकरण को समाप्त करने की आवश्यकता को मान्यता दी है।

गलगण्ड से प्रभावित क्षेत्रों में मानसिक रूप से अल्पविकसित बच्चे

3078. श्रीमती डी० के० भण्डारी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि "गलगण्ड से प्रभावित क्षेत्रों" में बहुत अधिक बच्चे मानसिक रूप से अल्प विकसित होते हैं;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे बच्चों की संख्या तथा उनके स्वास्थ्य की स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे बच्चों की राज्यवार संख्या कितनी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) सरकार को यह जानकारी है कि गलगण्ड प्रवण क्षेत्रों में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट आने की सम्भावनाएं होती हैं। इस बात का जायजा लेने के लिए कोई देशव्यापी सर्वेक्षण नहीं किया गया है कि विभिन्न गलगण्ड-प्रवण क्षेत्रों में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य में कितनी गिरावट आई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में किए गए एक सीमित अध्ययन से पता चला था कि गोंडा, देवरिया और गोरखपुर में इसकी काफी घटनाएं थीं जिनकी प्रतिशतता 4 से 15 के बीच थी।

त्रिवेन्द्रम से विदेशों के लिए सीधी विमान सेवा

3079. श्री के० मोहन दास : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय त्रिवेन्द्रम से किन-किन देशों क लिए सीधी विमान सेवाएं चालू हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : श्रीलंका, मालदीव, यू० ए० ई०, कुवैत और सऊदी अरेबिया।

त्रिवेन्द्रम और दिल्ली के बीच राजधानी एक्सप्रेस जैसी रेलगाड़ी चलाना

3080. श्री के० मोहन दास : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से त्रिवेन्द्रम के लिए राजधानी एक्सप्रेस जैसी रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर रेलवे के फिरोजपुर और दिल्ली मंडलों में बन्द रेलगाड़ी सेवाओं को पुनः शुरू करना

3081. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होने के कारण उत्तर रेलवे के फिरोजपुर और दिल्ली मंडलों में कई रेल गाड़ी सेवाएं अब भी रद्द पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो इन मंडलों में कौन-कौन सी रेल गाड़ी सेवा बन्द पड़ी हैं और वे किस-किस तारीख से बन्द हैं;

(ग) क्या लोगों को हो रही अत्यधिक परेशानी को ध्यान में रखते हुए इनमें से कुछ सेवाओं को फिर से चालू करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इन सेवाओं के पुन: चालू किये जाने की सम्भावित तारीख सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) यह स्थिति की समय-समय पर की जाने वाली पुनरीक्षा पर निर्भर करेगा।

विवरण

(ख) दिल्ली मंडल-10

गाड़ी नं०	रद्द करने की तारीख	खंड
1	2	3
347 पैसेंजर	12-4-1986	अम्बाला छावनी-भटिंडा
348 पैसेंजर	12-4-1986	अम्बाला छावनी-भटिंडा
2 यू० एस० एन०	12-4-1986	नंगलडैम-सरहिन्द
5 यू० एस० एन०	12-4-1986	नंगलडैम-सरहिन्द
1 बी० डी०	12-4-1986	धुरी-भटिंडा
4 यू० बी०	12-4-1986	भटिंडा-अम्बाला कैंट
3 यू० डी०	12-4-1986	अम्बाला छावनी-धुरी
3 एल० एस०	12-4-1986	लुधियाना-सरहिन्द
4 एल० एस०	13-4-1986	लुधियाना-सरहिन्द
341 पैसेंजर	1-5-1986	भटिंडा-जाखल
	फिरोजपुर मंडल-41	
1 ए० डी०	26-3-1986	अमृतसर-डेराबाबा नानक
4 ए० डी०	26-3-1986	अमृतसर-डेराबाबा नानक

1	2	3
1 ए० बी० पी०	25-3-1986	अमृतसर-पठानकोट
4 ए० बी० पी०	25-3-1986	अमृतसर-पठानकोट
5 ए० बी० पी०	25-3-1986	अमृतसर-पठानकोट
6 ए० बी० पी०	24-3-1986	अमृतसर-पठानकोट
4 ए० के०	25-3-1986	अमृतसर-खेमकरण
5 ए० के०	25-3-1986	—वही—
7 ए० के०	29-3-1986	—वही—
8 ए० के०	29-3-1986	—वही—
1 एन० जे०	11-4-1986	जालन्धर शहर-नवांशहर-दोआबा
2 जे० एच०	11-4-1986	जालन्धर शहर-होशियारपुर
7 जे० एच०	11-4-1986	—वही—
9 जे० एच०	11-4-1986	—वही—
10 जे० एच०	11-4-1986	—वही—
1 जे० एन० एल०	11-4-1986	जालन्धर शहर-नकोदर
1 जे० एन०	12-4-1986	—वही—
2 जे० एम० पी०	12-4-1986	जालन्धर शहर-पठानकोट
5 जे० एम० पी०	1'-4-1986	—वही—
7 एफ० एफ०	11-4-1986	फिरोजपुर-फाजिल्का
8 एफ० एफ०	11-4-1986	—वही—
3 एल० जे० एच०	12-4-1986	लुधियाना-हिसार
4 एल० जे० एच०	12-4-1986	—वही—

1	2	3
5 एल० जे० एच०	11-4-1986	लुधियाना-हिसार
6 एल० जे० एच०	11-4-1986	—वही—
2 बी० ए०	11-4-1986	भटिंडा-अबोहर
4 एस० एच० बी०	11-4-1986	भटिंडा-श्री गंगा नगर
7 एल० एफ०	11-4-1986	फिरोजपुर-लुधियाना
8 एल० एफ०	11-4-1986	—वही—
1 ए० बी० क्यू०	25-3-1986	अमृतसर-कादियां
2 ए० बी० क्यू०	25-4-1986	—वही—
3 ए० बी० क्यू०	25-3-1986	—वही—
4 ए० बी० क्यू०	25-3-1986	—वही—
1 ए० पी० जे०	25-3-1986	अमृतसर-जम्मूतवी
2 ए० पी० जे०	25-3-1986	—वही—
334 पैसेंजर	26-3-1986	अमृतसर-जालन्धर शहर
6 एल० जे०	17-5-1986	धुरी-जाखल
2 जे० एन० एल०	14-5-1986	जालन्धर शहर-नकोदर
337 पैसेंजर	27-3-1986	अमृतसर-लुधियाना
338 पैसेंजर	26-3-1986	—वही—
343 पैसेंजर	1-5-1896	जाखल-भटिंडा-श्रीगंगानगर

नवोदय विद्यालय खोलने के मानदंडों में छूट

3082. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वतीय राज्यों/क्षेत्रों में स्थलाकृति को ध्यान में रखते हुए नवोदय विद्यालय स्थापित

करने का निर्णय करने हेतु उपयुक्त भूमि और भवन की उपलब्धता सम्बन्धी मानदंडों में छूट दी जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों को दी जाने वाली छूट का ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) नवोदय विद्यालयों को स्थापित करने की योजना में यह परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक स्कूल के पास लगभग 30 एकड़ भूमि होनी चाहिए तथा यह भी निर्धारित किया जाता है कि विद्यमान स्कूल भवन, परियोजना भवन, जो उपयोग में नहीं है तथा पर्याप्त रिक्त भूमि सहित ऐसे ही अन्य परिसरों पर विचार किया जाएगा। अतः योजना के प्रावधान अधिक लचीले हैं। अलग-अलग मामलों में नवोदय विद्यालयों के स्थान निर्धारण के लिए उपयुक्त भूमि तथा भवनों की उपलब्धता के लिए मानदंड में ढील पर विचार प्रत्येक मामले के गुणावगुण पर किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश के मामले में, जहां पंडोस, जिला मंडी, ब्योग, जिला शिमला, सरोल जिला चम्बा और नहान जिला सिरमौर में चार विद्यालय खोलने का निर्णय किया गया है, वहां तीन मामलों में स्थायी स्थान के लिए भूमि के सम्बन्ध में छूट दी गई है।

किसी वस्तु के निर्माण स्थल पर उसके नमूने की जांच करना

3083. डा० वी० वेंकटेश : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी वस्तु की शुद्धता अथवा अशुद्धता की उसके नमूने का उसके निर्माण स्थल पर जांच करने के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार बिक्री के लिए मुहरबन्द किसी वस्तु के नकली या उसमें मिलावट पाये जाने पर उसके निर्माता को उत्तरदायी ठहराने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दिये गये लाइसेंस की शर्त के अनुसार, प्रत्येक निर्माता को अपने उत्पादों के निर्माण में उसके द्वारा उपयोग की गई कच्ची सामग्री के प्रत्येक बैच अथवा लॉट और अन्तिम उत्पाद के भी प्रत्येक बैच की जांच करनी होती है। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए औषध निरीक्षकों को विनिर्माण परिसर में और बिक्री अहातों से नमूने लेने और उनकी उक्त अधिनियम के अधीन नियुक्त सरकारी विश्लेषकों से जांच कराने की शक्तियां हैं।

जहां तक खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबन्धों का प्रश्न है, राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर उनके निर्माण के स्रोत पर कड़ी निगरानी रखें।

(ख) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गये नियमों और उपबन्धों के अधीन औषधियां केवल लाइसेंस शुदा थोक विक्रेता/फुटकर विक्रेता द्वारा ही बेची जा सकती है। कोई भी लाइसेंसशुदा विक्रेता ऐसी किसी औषधि को नहीं बेच सकता है जिसे उसने किसी लाइसेंसशुदा विक्रेता अथवा लाइसेंसशुदा निर्माताओं से कैश या क्रैडिट मेमो पर न खरीदा हो।

उक्त अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए औषध निरीक्षकों को विक्रय परिसर से नमूने लेने और उन्हें सरकारी विश्लेषकों को जांच के लिए भेजने की शक्तियां हैं। यदि विक्रय परिसर से लिए गए नमूने की जांच करने पर यह पाया जाता है कि वह घटिया/अपमिश्रित/नकली है तो ऐसे मामले में सरकारी विश्लेषक और औषध निरीक्षक के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए निर्माता विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाती है। प्रत्येक निर्माता उस प्रत्येक औषध की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार है जिसे उसने बाजार मे बेचने के लिए भेजा है।

खाद्य वस्तुओं के मामले में, यदि मोहरबन्द वस्तुएं अपमिश्रित पाई जाती हैं तो उसके निर्माता भी न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है।

अन्तर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण के कार्यालय का स्थान

3084. श्री सनत कुमार मंडल : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अन्तर्देशीय जल परिवहन सम्बन्धी गतिविधियों पर निगरानी रखने वाले शीर्षस्थ निकाय अन्तर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण के कार्यालय के स्थान के सम्बन्ध में निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस कार्यालय को कलकत्ता में, जहां आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं और विशेषकर जबकि कलकत्ता-पटना राष्ट्रीय जलमार्ग पर पहला वाणिज्यिक सेवा कलकत्ता से शुरू की गई थी और कलकत्ता यहां से देश के सभी ऊपरी भागों को माल के परिवहन के लिए ही नहीं, बल्कि यहां से नीचे के क्षेत्रों के लिए परिवहन क्रियाकलापों के लिए भी सक्षम है, स्थापित करने के पश्चिम बंगाल सरकार का अनुरोध स्वीकार न किए जाने के क्या कारण हैं?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार से इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

प्रथम श्रेणी के डिब्बों को हटाना

3085. श्री सनत कुमार मंडल : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग की धीरे-धीरे प्रथम श्रेणी के यात्री डिब्बों को हटाने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो जहां तक सुपरफास्ट मेल, एक्सप्रेस और स्थानीय यात्री गाड़ियों से प्रथम श्रेणी के डिब्बों को हटाने का संबंध है, इस संबंध में क्या चरणबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ग) तेज चलने वाली यात्री गाड़ियों के संदर्भ में इन डिब्बों को किस प्रकार बदलने का प्रस्ताव है ?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) महत्वपूर्ण मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के पहले दर्जे के डिब्बों को धीरे-धीरे वातानुकूल 2-टियर शयनयानों से बदला जाएगा। नये वातानुकूल शयनयानों की उपलब्धता को देखते हुए, यह कार्य चरणबद्ध रूप में किया जाएगा। प्राथमिकता उन गाड़ियों को दी जा रही है जिनमें दो या दो से अधिक पहले दर्जे के डिब्बे हैं। स्थानीय पैसेंजर गाड़ियों से पहले दर्जे के डिब्बे हटाने का निर्णय किया गया है। पहले दर्जे के सवारी डिब्बे बहुत पुराने हैं और आयु-एवं-हालत के आधार पर नकारा लिए जाएंगे। पहले दर्जे के नये सवारी डिब्बे नहीं बनाये जा रहे हैं।

बिना टिकट यात्रा करने वालों की जांच

3086. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1986 को विभिन्न रेल विभागों के वेतन चिट्ठे पर टिकट कलेक्टरों की संख्या कितनी थी; और

(ख) क्या बड़े पैमाने पर बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए रेलवे संरक्षण बल की सहायता से महत्वपूर्ण रेल गाड़ियों में बिना काला कोट पहने हुए जांच उड़न दस्ता चलाने का प्रस्ताव है ?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और उसका अनुरक्षण

3087. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय सांस्कृतिक विरासत के ऐतिहासिक सांस्कृतिक और कलात्मक मूल्य को बनाये रखने के लिए पुराने मन्दिरों, मस्जिदों, पैगोड़ा विहार, और गिरजाघरों को नष्ट होने और विनाश से बचाने के लिए एक प्राधिकरण का गठन करने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार उनके संरक्षण के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से प्रख्यात व्यक्तियों का चयन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत संरक्षित घोषित प्राचीन स्मारकों का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा परिरक्षण किया जाता हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली के स्कूलों कालेजों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के योग अध्यापक

3088. **श्री साइमन तिग्गा** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्यां दिल्ली के स्कूलों/कालेजों में योग की शिक्षा शुरू की गई है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली के स्कूलों/कालेजों में अब तक भर्ती किए गए योग अध्यापकों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की प्रतिशतता कितनी है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) योग शिक्षण केवल दिल्ली के स्कूलों में ही आरम्भ किया गया है।

(ख) दिल्ली प्रशासन के अधीन स्कूलों में भर्ती किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के योग शिक्षकों का संयुक्त प्रतिशत 2.3 है। नई दिल्ली नगर पालिका के अधीन स्कूलों में अनुसूचित जाति के योग शिक्षकों का प्रतिशत 6.5 है।

अल्पावधि निवास गृह

3089. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में इस समय कितने अल्पविधि निवास गृह हैं और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सातवीं योजना के अन्त तक सभी जिलों मे ऐसे गृह स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

युवा कार्य तथा खेल-कूद और महिला एवं बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) पच्चीस। अल्पवास गृहों का स्थान दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

विवरण

देश में राज्यवार/जिलावार अल्पावास गृहों की संख्या

क्र. सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	अल्पावास गृह का स्थान	अल्पावास गृहों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद विजवाड़ा	2
2.	बिहार	पटना	1
3.	गुजरात	गांधी नगर	1
4	गोआ, दमन और दीव	पानाजी	1
5.	हरियाणा	फरीदाबाद करनाल	2
6.	केरल	त्रिवेन्द्रम	1
7.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	1
8.	महाराष्ट्र	बम्बई नागपुर नासिक	3
9.	मणिपुर	इम्फाल	1
10.	उड़ीसा	कटक	1
11.	पंजाब	जालंधर	1
12.	तमिलनाडु	मदुराई मद्रास	1 1

1	2	3	4
13.	पश्चिम बंगाल	हुगली 24 परगना	2
14.	उत्तर प्रदेश	देहरादून, कानपुर, लखनऊ, सीतापुर, आगरा	5
15.	दिल्ली	—	1
	कुल		25

राष्ट्रीय बाल नीति

3090. श्री मूल चन्द डागा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बच्चों को जन्म से पहले और जन्म के बाद पर्याप्त सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1974 में बच्चों के लिए कोई राष्ट्रीय नीति बनाई थी;

(ख) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदण्ड के अनुसार 2500 ग्राम से कम वजन के शिशुओं को जन्म के समय कम वजन का शिशु समझा जाना चाहिए और ऐसे शिशु 5 से 7 प्रतिशत होते हैं जब कि भारत में ये 30 प्रतिशत से अधिक हैं; और

(ग) यदि हां तो वर्ष 1974 की नीति को सफलतापूर्वक कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

युवा कार्य तथा खेल-कूद और महिला एवं बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 2500 ग्राम से कम वजन के शिशु को जन्म के समय कम वजन का शिशु समझा जाता है। जन्म के समय कम वजन के बारे में उचित अनुमान उपलब्ध नहीं होता है। फिर भी कुछ सीमित सर्वेक्षणों से यह पता चला है कि भारत में पैदा हुए लगभग 30% बच्चों का वजन 2500 ग्राम से कम होता है। भारत में जन्म के समय शिशु का कम वजन होने के कई कारण हैं जैसे मातृ-पोषण, रक्त क्षीणता, बच्चों के जन्म में कम समयान्तर, पर्याप्त मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवा आदि है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय ने अनेक मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवा योजनाएं शुरू की हैं जैसे प्रसवपूर्व देखभाल, प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा अपूति प्रसूति की व्यवस्था, जन्म पश्चात देखभाल और शिशु की देखभाल। गर्भवती माताओं को टेटनेस टिक्साइड प्रतिरक्षण और माताओं में पौष्टिक

रक्तक्षीणता के विरुद्ध रोग निरंधन का कार्य भी शुरू किया गया है।

समेकित बाल विकास सेवा और विशेष पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत सामाजिक आर्थिक रूप से गरीब वर्ग की गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषाहार प्रदान किया जाता है।

[हिन्दी]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के विद्यार्थियों द्वारा शोध ग्रंथ प्रस्तुत करना

3091. **श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन विद्यार्थियों को जिन्होंने अपने शोध ग्रंथ अंग्रेजी में लिखे हैं, उन्हें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली द्वारा उनके शोध-ग्रंथ प्रस्तुत किए जाने के एक सप्ताह के अन्दर मौखिक साक्ष्य के लिए बुलाया गया है जबकि ऐसे विद्यार्थियों को जिन्होंने अपने शोध-ग्रंथ हिन्दी में अथवा अन्य भारतीय भाषाओं में लिखे होते हैं, उनके लिए मौखिक साक्ष्य कराने में चार महीने अथवा उससे अधिक समय लगा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का विचार प्रभावित विद्यार्थियों की किसी प्रकार सहायता करने का है और यदि हां, तो किस प्रकार ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) वर्ष 1984-85 के पश्चात ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के दो छात्रों ने अपनी परियोजना रिपोर्ट/शोध-प्रबन्ध हिन्दी में लिखे थे। इन परियोजना रिपोर्टों तथा शोध प्रबन्धों को स्वीकार करने तथा उनका मूल्यांकन करने के लिए कोई निश्चित मार्गदर्शी रूपरेखायें न होने की वजह से इन्हें स्वीकार करने में कुछ विलम्ब हो गया। सीनेट के निर्णय के पश्चात, भा०प्रौ०संस्थान, दिल्ली ने छात्रों तथा उनके पर्यवेक्षकों द्वारा उनके आगे स्पष्टीकरण के लिए परियोजना रिपोर्टों का अपनी ही लागत पर हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद कराने के प्रबन्ध किए। अनुवाद कार्य आदि में विलम्ब को कम करने के लिए भा०प्रौ०संस्थान, दिल्ली द्वारा कदम उठाये जा रहे हैं। छात्रों की क्षतिपूर्ति करने के लिए इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि परियोजना रिपोर्ट को अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत किए जाने की वजह से परिणाम घोषित करने में विलम्ब होने पर भा०प्रौ०संस्थान, दिल्ली में उच्च अध्ययन जारी रखने के इच्छुक छात्रों को अस्थाई रूप से अध्ययन जारी रखने की स्वयं ही अनुमति प्रदान की जाएगी।

[अनुवाद]

सड़क दुर्घटनाओं के बारे में अध्ययन

3092. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने महानगरों विशेषकर राजधानी में सड़क अध्ययन ऐसी दुर्घटनाओं के बारे में किया है; और

(ख) यदि हां, तो सड़क दुर्घटनाओं की प्रतिशतता और विशेषकर ऐसी दुर्घटनाओं जिनमें दिल्ली में दिल्ली में परिवहन निगम की बसें और दिल्ली-परिवहन निगम के अधीन चल रही निजी बसें शामिल हैं, की प्रतिशतता क्या है उनके प्रमुख कारण क्या हैं और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है।

जल-भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) महानगरों में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का सांख्यिकीय विश्लेषण परिवहन अनुसंधान निदेशालय द्वारा किया जाता है। आवधिक विश्लेषण दिल्ली परिवहन निगम द्वारा किया जाता है।

जहां तक दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं का सम्बन्ध है, दिल्ली परिवहन निगम भी अपनी बसों से होने वाली दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में आवधिक विश्लेषण कर रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस ने भी हाल ही में प्राइवेट प्रचालित बसों में हुई दुर्घटनाओं का अध्ययन किया है, जिससे यह बात सामने आई कि दुर्घटनाओं के कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि उनके ड्राइवरों द्वारा अधिक घंटों की ड्यूटी की गई। चूंकि किसी खंड में अधिक घंटों की ड्यूटी करना मोटरयान अधिनियम, 1939 का उल्लंघन है, अतः सम्बन्धित प्राधिकारियों को यह निर्देश जारी किए गए हैं कि वे विनियमों को सख्ती से लागू करें।

सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि सभी प्रकार के वाहनों में उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण हुई है जिसमें सड़क स्पेस, मशीनरी का फेल हो जाना, मनुष्य से गलती हो जाना, यातायात के नियमों का पालन न करना शामिल है।

तथापि, गत वर्षों से प्रति एक हजार वाहनों पर सड़क दुर्घटनाओं की प्रतिशतता में कमी आई है। दिल्ली में प्रति एक हजार वाहनों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	प्रतिशतता
1981	7.45
1982	7.83
1983	7.30
1984	7.13
1985	6.76

दिल्ली परिवहन निगम की बसों और प्राइवेट प्रचालित बसों से हुई सड़क दुर्घटनायें इस प्रकार हैं :—

	1985		1986 (जून तक)	
	दिल्ली परिवहन निगम की बसें	प्राइवेट प्रचालित बसें	दिल्ली परिवहन निगम की बसें	प्राइवेट प्रचालित बसें
छोटी दुर्घटनायें	3387	993	1950	594
बड़ी दुर्घटनायें	538	14	121	2
घातक दुर्घटनाएं	240	93	105	47
कुल	4165	1100	2176	643

[हिन्दी]

उन्नाव रेलवे स्टेशन (उत्तर प्रदेश) पर रेलवे भूमि पर अनधिकृत कब्जा

3093. श्री जगन्नाथ प्रसाद : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्नाव रेलवे स्टेशन (उत्तर प्रदेश) पर रेलवे भूमि पर बाड़ हटाई गई है और वहां बाड़ से 30 फुट अन्दर की तरफ दुकानों के निर्माण के लिए ईंटों का ढेर लगाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या अवैध निर्माण रोकने और इसकी जांच करवाने के आदेश जारी किये जा रहे हैं; और

(ग) उन व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है/की जानी है जिन्होंने रेलवे भूमि पर अवैध कब्जा किया है ?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) श्री डी० पी० द्विवेदी को 21-4-86 को उन्नाव रेलवे स्टेशन पर 14 मी० × 5 मी० रेलवे भूखंड आबंटित किया गया था। चूंकि वह ईंटों से अर्द्ध स्थायी शेड का निर्माण करना चाहते थे, इसलिए उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और स्थान खाली कराने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में तालाबों का निर्माण

3094. श्री बी० तुलसी राम : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार आन्ध्र प्रदेश में नये तालाबों के निर्माण के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिनको भूमि की सिंचाई की दृष्टि से बहुत कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आवश्यक वित्तीय सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और कब तक आवश्यक धन राशि प्रदान की जाएगी; और

(ग) क्या किसी विशेषज्ञ समिति ने आन्ध्र प्रदेश के उन क्षेत्रों का दौरा किया है जहां पर इन तालाबों का निर्माण किया जायेगा यदि हां, तो समिति की रिपोर्ट का ब्योरा क्या है और सरकार ने इसकी सिफारिशों को कहां तक स्वीकार किया है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आन्ध्र प्रदेश में भूतल और जल भूतल जल का विकास

3095. **श्री बी० तुलसी राम** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में राज्य भूतल और जल भूतल जल बनाव के लिए कुल कितनी धनराशि खर्च की है;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश के लिए नियत की गई धनराशि का ब्योरा क्या है और सातवीं योजना के लिए कुल कितनी राशि नियत की गई है;

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में कितना क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त योजना के अन्तर्गत कितना क्षेत्र लाये जाने की सम्भावना है; और

(घ) क्या इस मामले में देश में आन्ध्र प्रदेश का हिस्सा सबसे कम है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) राज्य के भूजल तथा सतही जल संगठनों को सुदृढ़ करने के लिए छठी योजना के अन्तिम तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश सरकार को 102.74 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता रिलीज की गई थी।

(ख) प्रस्ताव के प्राप्त होने तथा राज्य सरकारों द्वारा बजट प्रावधान की पुष्टि करने के पश्चात सहायता रिलीज की जाती है। 1985-86 के दौरान 12 96 लाख रुपये की राशि रिलीज की गई है।

(ग) राज्यों को केवल ड्रिलिंग रिग्स, बेल लोगर्स आदि जैसे उपस्करों को खरीदने के लिए ही सहायता दी जाती है।

(घ) जी, नहीं।

छिड़काव और रिसाव सिंचाई प्रणाली

3096. श्री बी० तुलसी राम : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए देश में छिड़काव/रिसाव प्रणाली के माध्यम से सिंचाई की कोई केन्द्रीय प्रायोजित योजना चल रही है;

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश को छठी योजना के अन्तिम दो वर्षों के दौरान कितनी धन-राशि स्वीकृत की गई है और सातवीं योजना अवधि के दौरान कितनी धनराशि स्वीकृत की गई/की जानी है;

(ग) आन्ध्र प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत कितना क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया और सातवीं योजना के अन्त तक कितना क्षेत्र लाये जाने की सम्भावना है; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए आन्ध्र प्रदेश को कम से कम धनराशि आबंटित करने के क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान 58.50 लाख रुपये की राशि रिलीज की गई थी। राज्य सरकार से वर्ष 1984-85 और सातवीं योजना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते क्योंकि राज्य सरकार से सातवीं योजना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

पक्षियों के टकराने के कारण विमान दुर्घटनायें

3097. श्री बी० तुलसी राम : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों से देश में छोटे पक्षियों के टकराने के कारण विमान दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी कितनी दुर्घटनायें हुई हैं;

(ग) कितने मामलों में लोगों की मृत्यु हुई और कितने मामलों में विमान उड़ने-योग्य नहीं रहे;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितना मुआवजा दिया गया और विमानों की मरम्मत पर कितनी राशि खर्च हुई; और

(ङ) इस सम्बन्ध में यदि कोई समिति नियुक्त की गई है; तो उसके द्वारा दिये गये निवारक उपायों के सुझावों का ब्यौरा क्या है और यदि ऐसी कोई समिति नियुक्त नहीं की गई, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों (1983—85) के दौरान पक्षियों से टकराने के कारण कोई अधिसूचनीय दुर्घटनाएं नहीं हुई, तथापि, पक्षियों से टकराने की कुछ घटनाएं हुईं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पक्षियों से टकराने के कारण कोई घातक दुर्घटनाएं नहीं हुईं। इसी अवधि के दौरान एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स के 74 विमानों को पक्षियों से टकराने के कारण जमीन पर उतारना पड़ा।

(घ) इस प्रकार की एक घटना में घायल हुए कर्मीदल के दो सदस्यों को इण्डियन एयरलाइन्स ने मुआवजे के रूप में 18,124.40 रुपये की राशि का भुगतान किया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पक्षियों से टकराने के कारण क्षतिग्रस्त हुए विमानों की मरम्मत पर एयर इण्डिया और इंडियन एयरलाइन्स ने 369.70 लाख रुपए की राशि व्यय की है।

(ङ) विमानों के लिए पक्षी उत्पात की घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से इसकी समीक्षा, निगरानी और कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित समितियां गठित की गई हैं :—

1. सचिवों की समिति।

2. पक्षियों के विमानों से टकराने सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति।

3. कार्यकारी बल।

उपरोक्त समितियों द्वारा सुझाए गए कदमों में, हवाई पट्टियों के इर्द-गिर्द घास को काटने, कीटनाशक छिड़कने, मलबे को जलाने के लिए भस्मक्रयन्त्र का प्रयोग करने, विमानक्षेत्रों पर पक्षियों को मारने, परिचालनक्षेत्र पर सोडियम वाष्पयुक्त बत्तियां लगाने, विमानक्षेत्रों के चारों ओर से झोपड़-पट्टियों को हटाने, विभिन्न प्रचार माध्यमों से विमान पट्टियों के चारों ओर के पर्यावरण की सफाई के लिए जनता में जागरूकता पैदा करना शामिल है।

सिंचाई के लिए राज्यों को आवंटन

3098. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1985-86 के दौरान बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं के कार्यान्वयन और नल कूप आदि की खुदाई के लिए राज्यों को कितनी धनराशि आबंटित की है;

(ख) क्या सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि विभिन्न राज्यों को आबंटित की गई धनराशि का समुचित उपयोग किया गया है और धनराशि का उपयोग किसी दूसरी मद पर नहीं किया गया है; और

(ग) किन-किन राज्यों ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सहायता का समुचित उपयोग नहीं किया है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) बृहद-मध्यम तथा लघु सिंचाई स्कीमों के लिए प्रत्याशित व्यय सहित राज्यवार अनुमोदित परिव्यय सम्बन्धी सूचना संलग्न विवरण-एक और दो में दी गई है। परिव्ययों के उसी उद्देश्य हेतु उपयोग किए जाने की आशा की जाती है जिसके लिए वे आबंटित किए जाते हैं।

विवरण-एक

वार्षिक योजना 1985-86—बृहद तथा मध्यम सिंचाई

राज्य	स्वीकृत परिव्यय	प्रत्याशित व्यय	(लाख रु० में) कालम 2 से कालम 3 में अन्तर
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	17197	17274	(+) 95
असम	2100	2100	—
बिहार	20000	22020	(+) 2020
गुजरात	15136	15113	(—) 23
हरियाणा	12081	11100	(—) 981
हिमाचल प्रदेश	164	164	—
जम्मू व कश्मीर	1308	1285	(—) 23
कर्नाटक	9738	9738	—

1	2	3	4
केरल	5950	6085	(+) 135
मध्य प्रदेश	21744	21570	(—) 174
महाराष्ट्र	23785	24511	(+) 726
मणिपुर	1110	1110	—
मेघालय	10	—	(—) 10
उड़ीसा	9070	9670	(+) 600
पंजाब	4923	4764	( ) 159
राजस्थान	10013	9713	(—) 300
सिक्किम	10	10	—
तमिलनाडु	5100	5297	(+) 197
त्रिपुरा	435	435	—
उत्तर प्रदेश	18510	19048	(+) 538
पश्चिम बंगाल	3950	3620	(—) 330
कुल—(राज्य) :	182316	184627	(+) 2311

विवरण-दो

वार्षिक योजना 1985-86—लघु सिंचाई

राज्य	स्वीकृत परिव्यय	प्रत्याशित व्यय	(लाख रुपए) कालम 2 से 3 में अन्तर
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	3370	3370	—
असम	2950	2950	—

1	2	3	4
बिहार	4600	4950	(+) 350
गुजरात	1530	2733	(+) 1203
हरियाणा	245	245	—
हिमाचल प्रदेश	565	614	(+) 49
जम्मू व कश्मीर	850	999	(+) 149
कर्नाटक	2630	2630	—
केरल	400	453	(+) 53
मध्य प्रदेश	7339	7673	(+) 334
महाराष्ट्र	4900	7400	(+) 2500
मणिपुर	170	170	—
मेघालय	170	170	—
नागालैंड	259	259	
उड़ीसा	2200	2200	
पंजाब	622	634	(+) 12
राजस्थान	721	721	—
सिक्किम	135	135	
तमिलनाडु	905	905	—
त्रिपुर	300	300	—
उत्तर प्रदेश	9628	9628	—
पश्चिम बंगाल	1500	1631	(+) 131
कुल—राज्य	45989	50770	(+) 4781

वर्ष 1985-86 के दौरान रेल दुर्घटनायें

3099. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी**
श्री टी० बशीर
श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान देश में विभिन्न रेलवे जोनों में बड़ी और छोटी कितनी रेल दुर्घटनायें हुई;

(ख) इनके परिणामस्वरूप कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने गम्भीर रूप से घायल हुए और रेल-सम्पत्ति को कितना नुकसान हुआ;

(ग) मृतकों के परिवारों और घायलों को कितना मुआवजा दिया गया;

(घ) क्या इन दुर्घटनाओं के कारण कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) वर्ष 1985-86 के दौरान भारतीय रेलों पर 717 छोटी और बड़ी परिणामी दुर्घटनाएं हुईं।

(ख) इन दुर्घटनाओं में 212 व्यक्तियों की जानें गयीं और 269 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए थे। रेलवे सम्पत्ति को लगभग 11.82 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(ग) वर्ष 1985-86 में मृत व्यक्तियों के सम्बन्ध में 202.33 लाख रुपए का और घायल व्यक्तियों को 18.55 लाख रुपये का भुगतान किया गया है, भले ही दुर्घटना वर्ष कोई हो।

(घ) और (ङ) जी हां, इन दुर्घटनाओं के मुख्य कारण रेल कर्मचारियों और रेल कर्मचारियों से इतर व्यक्तियों की गलती, चल स्टाक, रेलपथ, बिजली और सिगनल एवं दूर-संचार उपकरणों की खराबी तथा तोड़-फोड़ हैं।

रेलवे वैगनों का गायब होना

3100. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य तथा कोयले को छोड़कर सरकारी सामान से भरे, प्राइवेट पार्टियों के सामान से भरे, भारतीय खाद्य निगम की सेवा में कार्यरत, कोयला ढोने वाले वर्ष-वार कितने रेलवे वैगन और किस-किस जोनल रेलवे के अन्तर्गत गायब हुए;

(ख) प्रत्येक वर्ष में और उपयुक्त प्रत्येक श्रेणी के कितने वैगनों को ढूंढ लिया गया;

(ग) ऐसे वैगनों को ले जाने की सामान्य कार्य प्रणाली क्या है; और

(घ) कितने मामलों में रेलवे कर्मचारियों के शामिल होने का पता लगा है ?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) रेलवे के माल डिब्बे एक पूल में रखे जाते हैं और भारतीय खाद्य निगम या कोयला या सामान के लिए अलग से नहीं रखे जाते हैं। इस रूप में आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

(ग) रेलों से माल डिब्बा गायब नहीं होता है। लेकिन, मार्ग परिवर्तन कर दिये जाने आदि या लेबलों के खो जाने या अस्पष्ट लेबल होने के कारण असम्बद्ध हो जाने की वजह से कुछ माल डिब्बों की गलत सुपुर्दगी, क्रास-सुपुर्दगी या बुक किये गये गन्तव्यों से इतर स्टेशनों पर सुपुर्दगी हो जाती है।

(घ) चूंकि मार्ग परिवर्तन के आदेश अपरिहार्य कारणों से दिये जाते हैं इसलिए ऐसे मामलों में किसी कर्मचारी के व्यक्तिगत रूप से शामिल होने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि, जब कभी जांच-पड़ताल से यह पता चलता है कि रेल कर्मचारियों की लापरवाही या कुप्रबंध के कारण माल डिब्बे असम्बद्ध हुए थे तो उसके लिए कर्मचारियों की जिम्मेदारी निश्चित की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान दावों के सभी मामलों में दंडित किये गये कर्मचारियों की कुल संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	दंडित किये गये कर्मचारियों की संख्या
1983	677
1984	806
1985	706

[हिन्दी]

परिवार कल्याण कार्यक्रमों में स्वयंसेवी संगठनों को शामिल करना

3101. श्री मूल चन्द डागा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार परिवार कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय और अन्य सहायता उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संगठनों के नाम क्या हैं और ये संगठन कब से कार्य कर रहे हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक संगठन को कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है और उन्हें सहायता देने हेतु क्या मानदंड अपनाए जाते हैं; और

(ग) क्या इनके कार्यकरण की कभी पुनरीक्षा की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सिकन्दराबाद-पारली बैंजनाथ रेलगाड़ी का देर से चलना

3102. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिकन्दराबाद-पारली बैजनाथ (दक्षिण मध्य रेलवे) के बीच चलने वाली रेलगाड़ी बहुत धीमी गति से चलती है और उसका कोई नियमित समय नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह गाड़ी ठीक समय पर चले क्या कदम उठाने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) सिकन्दराबाद और पूर्णा के बीच एक्स-प्रेस और पैसेंजर गाड़ियां चल रही हैं। पूर्णा और परली बैंजनाथ के बीच केवल एक तेज पैसेंजर गाड़ी चल रही है और परभनी तथा परली बैंजनाथ के बीच दो धीमी पैसेंजर गाड़ियां चल रही हैं। इस खंड पर गाड़ियों का ठीक समय पर चलना, जंजीर खींचे जाने की अधिक घटनाओं और अन्य कारकों के कारण प्रभावित हो रहा है।

(ख) उपर्युक्त खंड पर गाड़ियों के चालन में सुधार लाने के लिए दक्षिण मध्य रेलवे को अनुदेश जारी किए जा चुके हैं।

अमारजा सिंचाई परियोजना

3103 **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में गुलबग जिले में केअलन्द ताल्लुक में अमारजा सिंचाई परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) इसकी आरंभिक अनुमानित लागत क्या थी और इसके पूरा होने पर इस पर कितनी लागत आएगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) कर्नाटक सरकार से प्राप्त सूचना

के अनुसार मिट्टी बांध, वाम तट पर सिंचाई जलद्वार तथा नहरें पूरी हो चुकी हैं। नहर को पक्का करने का कार्य चल रहा है। उमड मार्ग तथा दाएं जलद्वार का कार्य हाथ में लिया जाना है। इस परियोजना के आठवीं योजना के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है। इस स्वीकृत परियोजना की लागत, 1975-76 की दरों पर 3.70 करोड़ रुपए है तथा अद्यतन अनुमानित लागत 1985-86 की दरों पर 25.10 करोड़ रुपए है।

[हिन्दी]

बीकानेर सवाई माधोपुर रेलगाड़ी को बिस्साऊ में रोकना

3104. **श्री मोहम्मद अयूब खां :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर और सवाई माधोपुर के बीच चलने वाली रेलगाड़ी बिस्साऊ नगर, रामगढ़ में रुकने लगी थी, लेकिन कुछ समय बाद उसका वहां पर रुकना बन्द कर दिया गया; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इस रेलगाड़ी के बिस्साऊ में रोकने की व्यवस्था करने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी हां।

(ख) यातायात कम होने के कारण ठहराव समाप्त कर दिया गया था।

[अनुवाद]

वायुदूत के कर्मचारियों के वेतन मान

3105. **श्री मुरलीधर माने :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वायुदूत सेवा निगम के कर्मचारियों के वेतनमान, सरकार द्वारा नवनिर्मित हेलीकाप्टर निगम के कर्मचारियों के लिए मंजूर किए गए वेतनमानों की तुलना में कम हैं;

(ख) यदि हां, तो इन निगमों के वेतनमानों का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वायुदूत सेवा के कर्मचारी अधिक वेतन की मांग कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उनके वेतनमानों में संशोधन करने के बारे में विचार कर रही है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) अन्तर मुख्यत: वायुदूत द्वारा सरकारी मंहगाई भत्ते के ढांचे की बजाय औद्योगिक मंहगाई भत्ते के ढांचे को न अपनाने के कारण हुआ है। एक विवरण संलग्न है जिसमें दोनों संगठनों में विद्यमान वेतनमान दिखाए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

विवरण

वायुदूत और भारतीय हेलीकाप्टर निगम लिमिटेड में
वेतनमानों में तुलना

वायुदूत (केन्द्रीय सरकार मंहगाई भत्ते के ढांचे पर)		हेलीकाप्टर निगम (औद्योगिक मंहगाई भत्ते के ढांचे पर प्रस्तावित वेतनमान)	
ड्राइवर/चपरासी	196-233	चपरासी	550-770
सहायक	260-400	ड्राइवर	580-825
वरिष्ठ सहायक	330-560	क्लर्क	595-875
सचिव	425-700	तकनीशियन	630-970
आफिसर	550-900	सहायक	650-1070
ऑफिसर	650-1200	वरिष्ठ तकनीशियन	715-1215
वरिष्ठ अधिकारी	700-1300	निजी सचिव	770-1305
सहायक प्रबन्धक/		अधीक्षक लेखा	835-1490
उप प्रबन्धक	1100-1600	फोरमैन	9 5-1595
प्रबन्धक	1500-1800	ऑफिसर	1100-1940

महाप्रबन्धक	2250-2750	सहायक प्रबन्धक	1450-2240
		उप प्रबन्धक	1800-2480
		प्रबन्धक/कम्पनी सचिव/कैप्टेन	2050-2750
		वरिष्ठ प्रबन्धक/ कमांडर/अधीक्षक इंजीनियर	2475-3075
		उप महाप्रबन्धक	2650-3250
		महाप्रबन्धक	3000-3700

हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण

3106. श्री मुरलीधर माने : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली और बम्बई हवाई अड्डों के अलावा देश के अन्य महत्वपूर्ण हवाई अड्डे का भी एक साथ आधुनिकीकरण करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) । (क) जी, हां।

(ख) इस समय निम्नलिखित आधुनिकीकरण योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं/विचाराधीन है :

(i) मद्रास हवाई अड्डे पर 9.84 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से नए अन्तर्राष्ट्रीय अन्तस्थ परिसर का निर्माण ;

(ii) कलकत्ता हवाई अड्डे पर 27.68 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से नए अन्तर्देशीय अन्तस्थ परिसर का निर्माण;

(iii) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास हवाई अड्डों पर टैक्सी पथों, एप्रेनों और सड़कों, बाह्य सेवाओं आदि जैसी सुविधाओं में सुधार करना और शीघ्रगामी अंतर्राष्ट्रीय वाहनों को लगाना; और

(iv) अमृतसर, भोपाल, कानपुर, मोहनबाड़ी, वाराणसी, अगरतला, इम्फाल, जयपुर, जम्मू और पटना में 10 हवाई हवाई अड्डों पर उपकरण अवतरण प्रणाली स्थापित करना।

बाल्यावस्था में कन्याओं की हत्या

3107. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में बाल्यावस्था में कन्याओं की हत्या की घटनाओं का राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ख) क्या समाज के किन्हीं ऐसे वर्गों का पता चला है जिनमें बाल्यावस्था में कन्याओं की हत्या करना आम बात है; और

(ग) इस बुराई पर रोक लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

युवा कार्य तथा खेलकूद और महिला एवं बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) से (ग) तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा आयोजित एक द्रुतगामी अध्ययन के आधार पर यह पाया गया है कि मदुरै जिले के कल्लर और थेवर जैसे कुछ समुदाय लड़कियों के जन्म को अच्छा नहीं समझते, यदि उनके परिवार में पहले से ही एक या दो बच्चे विद्यमान हों और इसलिए नवजात लड़कियों की मृत्यु दर अधिक होती है। अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने तमिलनाडु समेकित पोषाहार कार्यक्रम, जन-स्वास्थ्य, शिक्षा, मुख्य मन्त्री मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जैसी एजेंसियों को इस बुराई पर काबू पाने के लिए गहन शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने के अनुदेश जारी किए हैं।

मेडिकल कालेज जबलपुर में बाल स्वास्थ्य केन्द्र को सुदृढ़ बनाने की मांग

3108. श्री अजय मुशरान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना अवधि के दौरान मेडिकल कालेज जबलपुर के बाल स्वास्थ्य केन्द्र को सुदृढ़ बनाने के बारे में जनता निरन्तर मांग करती रही है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से भी अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) जबलपुर स्थित मेडिकल कालेज का प्रशासन राज्य सरकार के हाथ में है। इस प्रकार मेडिकल कालेज में बाल स्वास्थ्य केन्द्र को मजबूत बनाने की यदि कोई मांग होती है तो उस पर मध्य प्रदेश सरकार ने विचार करना होता है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार को मध्य प्रदेश शासन का कोई

प्रस्ताव नहीं मिला है। सातवीं योजना अवधि के दौरान राज्यों को उनके द्वारा चलाये जा रहे मेडिकल कालेजों का विस्तार करने, उन्हें मजबूत बनाने के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए केन्द्र सरकार की कोई योजना नहीं है।

बम्बई-कलकत्ता मेल रेलगाड़ी के साथ भोजन यान जोड़ना

3109. **श्री अजय मुशरान :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद स्टेशन पर बम्बई-कलकत्ता मेल रेलगाड़ी के साथ भोजन यान अब नहीं जोड़ा जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यात्रियों की सुविधा के लिए इसे पुनः जोड़ने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) इलाहाबाद के रास्ते बम्बई-कलकत्ता मेल से पैंट्री कार सेवा एक दशक से भी अधिक समय पहले हटा ली गयी थी।

(ख) और (ग) पैंट्री कारों की कमी के कारण इस गाड़ी में पैंट्री कार सेवा शुरू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

कटनी में पैदल उपरि पुल

3110. **श्री अजय मुशरान :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कटनी में, जहां जनता को लोकोमोटिव शेड जाने के लिए बीस रेल लाइनें पार करनी पड़ती हैं, पैदल उपरि पुल के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण-कार्य कब तक शुरू होने की सम्भावना है ?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) रेलें, रेल पथ पार करने के लिए जनता के उपयोगार्थ, ऊपरी पैदल पुलों का निर्माण "निक्षेप शर्तों" पर करती हैं जिसके लिए प्रस्ताव राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा इस वचनबद्धता के साथ प्रायोजित करने होते हैं कि कि वे निर्माण की समग्र लागत वहन करेंगे। रेलों को कटनी में ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था करने के लिए अभी तक राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

एयर इण्डिया में हिन्दी अधिकारियों के रिक्त पद

3111. **श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया में हिन्दी अधिकारियों के पद तथा कुछ अन्य पद काफी समय से रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या है और इन रिक्त पदों को न भरने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन पदों को निकट भविष्य में भरने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) एयर इंडिया में इस समय हिन्दी अधिकारी का कोई पद खाली नहीं है। तथापि, हिन्दी सहायक-एवं-अनुवादक के दो पद जुलाई, 1982 और अगस्त, 1984 से क्रमश: दिल्ली और बम्बई में खाली हैं। हिन्दी सहायक-एवं-अनुवादक का पद पर्याप्त अनुभव होने पर हिन्दी टंककों/लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। मौजूदा टंककों/लिपिकों को 1983 में ही नियुक्त किया गया था, इसलिए अभी उन्हें पदोन्नत नहीं किया जा सकता। अत: हिन्दी सहायक-एवं-अनुवादक के पद भरे नहीं गए।

बम्बई में एयर इंडिया ने अस्थायी प्रबन्ध किए हैं ताकि कार्य पर प्रभाव न पड़े।

[अनुवाद]

किट्टूर एक्सप्रेस रेलगाड़ी का नाम बदलने का प्रस्ताव

3112. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या युवा पीढ़ी में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए सरकार का विचार किट्टूर एक्सप्रेस रेलगाड़ी का नाम बदल कर किट्टूर रानी चेन्नम्मा एक्सप्रेस रखने का है ?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

सिंचाई सम्बन्धी पूंजीनिवेश क्षमता

3113. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई संबंधी पूंजीनिवेश क्षमताओं में पिछड़ने के कारण पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई क्षमताओं का पता लगाने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) सरकार जल का किफायती से उपयोग करने के संबंध में सिंचाई कर्मचारियों और

किसानों को प्रशिक्षित करने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) सृजित सिंचाई क्षमता के उपयोग में पिछड़ने के कारण अन्यों के साथ-साथ ये हैं :—खेत पर अवसंरचना और विस्तार सुविधाओं की कमी तथा सिंचित खेती अपनाने के लिए कृषकों द्वारा लिया गया समय ।

(ग) सातवीं योजना के लिए लक्ष्य 12.9 मि० हेक्टे० है ।

(घ) राज्य सरकारों को सिंचाई कार्मिकों तथा कृषकों को प्रशिक्षण के लिए परियोजना स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का अनुरोध किया गया है ।

भूतल जल संसाधनों के लिए जल विज्ञान सर्वेक्षण

3114. श्री विजय एन० पाटिल : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतल जल संसाधनों के लिए किए गए जल विज्ञान सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों से एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर भूतल जल प्राप्त करने में क्या कार्यवाही कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए हैं; और

(ख) सरकार का इन ससाधनों को कम से कम लागत पर खोज करने और उनका इस्तेमाल करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) छठी योजना के अन्त तक, केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने देश के 20.31 लाख वर्ग कि० मी० क्षेत्र को जल मौसम विज्ञानी सर्वेक्षणों के अन्तर्गत ले लिया था। इन सर्वेक्षणों से एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर, छठी योजना के अन्त तक भूजल से 27.98 मिलियन हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित की जा चुकी थी ।

(ख) सातवीं योजना के दौरान, देश के शेष 12.57 लाख वर्ग कि० मी० क्षेत्र में सर्वेक्षण किए जाएंगे और छठी योजना में 1178 अन्वेषण छिद्रों की तुलना मे 4000 से अधिक अन्वेषण छिद्र खोदे जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय भू-जल बोर्ड को सशक्त कर दिया गया है। इस कार्य पर आने वाली लागत को कम करने के लिए आधुनिक एवं परिष्कृत प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है।

हाड़मांगी सिंचाई परियोजना

3115. श्री सोमनाथ रथ : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाड़मांगी सिंचाई परियोजना की कुल परिव्यय राशि क्या है और इस योजना पर

कितनी राशि व्यय की गई है;

(ख) इस परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता/ऋण के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई;

(ग) क्या अभी बांध निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्य में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) 34.07 करोड़ रुपये की अद्यतन अनुमानित लागत के प्रति मार्च, 1986 तक परियोजना पर 11.48 करोड़ रुपये व्यय हो जाने की प्रत्याशा है।

(ख) विश्व बैंक ने मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के समूह जिसमें हरभांगी परियोजना भी शामिल है, के लिए उड़ीसा सिंचाई II परियोजना ऋण के तहत 105 मिलियन डालर की ऋण सहायता देना स्वीकार किया है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बांध पर कार्य प्रगति पर है।

दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों के लिए आबंटन

3116. श्री सोमनाथ रथ
श्री प्रकाश वी० पाटिल } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों के लिए वहां देखे जाने वाले रोगियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार आबंटन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक अस्पताल के लिए प्रति वर्ष कितना आबंटन किया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों को धन का आबंटन जरूरतों और धन की सामान्य उपलब्धता को ध्यान में रखकर किया जाता है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों को जो धन आबंटित किया गया

है, वह इस प्रकार है :—

	1984-85 (रुपये लाखों में)	1985-86 (रुपये लाखों में)	1986-87 (रुपये लाखों में)
1. डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल	488.70	594.38	666.87
2. सफदरजंग अस्पताल	751 03	886.91	983.38
3. लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल	390.09	44[illegible].33	498.70
4. कलावती सरन बाल अस्पताल	110.92	115.13	137.07

परिवार कल्याण के लिए पुरस्कार की राशि और सर्वोत्तम कार्यनिष्पादन दल का वर्गीकरण

3117. श्री एच० बी० पाटिल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों के लिए परिवार कल्याण के लिए पुरस्कार की राशि और सर्वोत्तम कार्यनिष्पादन दल पुरस्कार (प्राइज मनी एण्ड बैस्ट परफार्मेन्स ग्रुप एवार्ड) का वर्गीकरण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) (i) 1985-86 के दौरान परिवार कल्याण क्षेत्र में पुरस्कार जीतने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का निर्णय करने के लिए प्रस्तावित मानदण्ड संलग्न विवरण-एक में दिये गये हैं।

(ii) 1985-86 के नगद पुरस्कारों के लिए राज्यों का वर्गीकरण (11-4-1985 को दम्पती सुरक्षा दर के आधार पर) और पुरस्कारों की राशि संलग्न विवरण-दो में दी गई है।

विवरण-एक

परिवार कल्याण के क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य करने वाले राज्यों को नगद प्रोत्साहन — 1985-86 के दौरान पुरस्कार जीतने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का निर्णय करने के लिए अपनाये जाने वाले प्रस्तावित मानदण्ड :—

I. 1981 की जनगणना के अनुसार एक करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के लिए : —

1. राज्यों को 1-4-1985 की दम्पती सुरक्षा दर के स्तर के अनुसार क, ख और ग तीन समूहों में, जिनमें 5-5 राज्य होंगे अवरोही क्रम में बांटा जाएगा।

2. केवल वे राज्य ही पुरस्कार प्राप्त करने के योग्य होंगे जिन्होने 1985-86 के दौरान निम्नलिखित उपलब्धियां की हों :—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1985-86 के समतुल्य नसबन्दी के संदर्भ में परिवार नियोजन लक्ष्यों के बारे में निर्धारित की जाने वाली समग्र उपलब्धियों का न्यूनतम स्तर।

(ख) पिछले वर्ष की तुलना में दम्पती सुरक्षा दर में 1.5 प्रतिशत प्वाइंट की न्यूनतम वृद्धि।

3. उपर्युक्त (क) और (ख) में निर्धारित पात्रता मानदण्ड को जो राज्य पूरा करते हों उनके क्रम निर्धारण के लिए राज्यों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन निम्नलिखित घटकों के आधार पर किया जाएगा।

(क) समतुल्य नसबन्दी के संदर्भ मे वर्ष 1985-86 के दौरान लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत।

(ख) राष्ट्रीय स्तर पर दम्पती सुरक्षा दर में वृद्धि की तुलना में दम्पती सुरक्षा दर में वृद्धि।

(ग) वर्ष 1984-85 में समतुल्य नसबन्दी के लक्ष्यों की प्रतिशत उपलब्धि की तुलना में वर्ष 1985-86 के दौरान लक्ष्यों की प्रतिशत उपलब्धि के कार्यनिष्पादन में हुआ सुधार।

4. उपर्युक्त पैरा (3) में उल्लिखित मानदण्डों पर आधारित सूचकांक को 1985-86 के दौरान मूल्यांकन दलों से प्राप्त रिपोर्टों के निष्कर्षों के अनुसार और सन्तुलित किया जाएगा। अन्तिम क्रम निर्धारण इस समायोजित सूचकांक के आधार पर किया जाएगा।

II. 1981 की जनगणना के अनुसार एक करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए

1. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को (घ) और (ङ) दो समूहों में इस प्रकार बांटा जाएगा :—
समूह (घ) ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 10 लाख अथवा अधिक है।
समूह (ङ) ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है।

2. इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यनिष्पादन का हिसाब लगाने के लिए मानदण्ड वही होंगे जो एक करोड़ और इससे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के लिए हैं।

विवरण-दो

1985-86 के नगद पुरस्कारों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का वर्गीकरण (1-4-1985 को दम्पती सुरक्षा दर के आधार पर) और पुरस्कार राशि

समूह	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पुरस्कार राशि		
"क"	महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और केरल	प्रथम पुरस्कार द्वितीय पुरस्कार	2.5 1.00	करोड़ रुपये "
"ख"	तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश	प्रथम पुरस्कार द्वितीय पुरस्कार	2.5 1.0	" "
"ग"	पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश	प्रथम पुरस्कार द्वितीय पुरस्कार	2.5 1.0	" "
"घ"	दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर मेघालय और गोवा, दमन, दीव		0.50	"
"ङ"	नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, पांडिचेरी, मिजोरम, चण्डीगढ़, सिक्किम, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली।		0.25	"

(समूह "घ" और "ङ" प्रत्येक समूह में केवल एक पुरस्कार है)

दिल्ली के अस्पतालों में चिकित्सा उपकरणों का उपयोग में लाया जाना

3118. श्री एच० बी० पाटिल
श्री इन्द्रजीत गुप्त
श्रीमती किशोरी सिंह
श्री एन० डेनिस
श्री बलवंत सिंह रामूवालिया
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही
श्री मोहम्मद महफूज अली खां
श्री अमर सिंह राठवा
श्री प्रकाश बी० पाटिल

: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 जुलाई, 1986 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि नई दिल्ली के सुचेता कृपलानी अस्पताल, कलावती सरन अस्पताल तथा अन्य केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में एक करोड़ रुपये से अधिक की कीमत के चिकित्सा उपकरण कई वर्षों से बिना प्रयोग के बेकार पड़े हैं;

(ख) क्या इस मामले में जांच करने के लिए कोई समिति नियुक्त की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में प्रयोग न किए जा रहे अथवा कम प्रयोग किये जा रहे उपकरणों के पूरे मामले का पता लगाने के लिए सरकार ने हाल ही में एक, एक सदस्यीय समिति गठित की है ।

महिलाओं के दर्जे संबंधी समिति

3119. श्री सी० जंगा रेड्डी
डा० ए० के० पटेल

: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में महिलाओं के दर्जे संबंधी समिति की उन प्रमुख सिफारिशों का ब्योरा क्या है जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है/स्वीकार नहीं किया गया है/संशोधित रूप में स्वीकार किया गया है;

(ख) उन पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है और देश में सामान्य महिलाओं पर इसका

क्या असर पड़ा है; और

(ग) इन सिफारिशों को किन एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा ?

युवा कार्य तथा खेल-कूद और महिला एवं बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) से (ग) भारत में महिलाओं के दर्जे संबंधी समिति ने उन क्षेत्रों का पता लगाया था जहां स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक विधान आदि जैसी महिलाओं की स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इस समिति ने 52 सिफारिशें की थीं जिनमें से अधिकार प्राप्त समिति द्वारा 20 सिफारिशें स्वीकार की गई थीं। 19 सिफारिशें संशोधित रूप में स्वीकार की गई थीं और 13 सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया था। समिति की सिफारिशों के आधार पर महिलाओं के विकास के लिए अपेक्षित प्रयासों और उपायों का पता लगाने और उनका समन्वय करने के लिए एक राष्ट्रीय मशीनरी की स्थापना की गई थी। सिफारिशों पर अमल करने की जिम्मेदारी संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों की है। ये सिफारिशें दीर्घकालीन और निरन्तरस्वरूप की हैं। जिन पर लगातार कारंवाई करने की आवश्यकता है। चूंकि इन सिफारिशों पर सामाजिक प्रतिबन्ध हैं इसलिए स्वयंसेवी संगठनों और समुदाय संगठनों की सहायता और समर्थन के लिए भी अनुरोध किया गया है। महिला और बाल विकास विभाग, महिलाओं के विकास के लिए एक प्रमुख विभाग है जिसकी राष्ट्रीय समिति द्वारा अभिज्ञात क्षेत्रों में कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ सम्पर्क स्थापित करना और प्रबोधन कराने की जिम्मेदारी है।

महिला विकास कार्यक्रमों के संबंध में योजना निगरानी और मूल्यांकन कक्ष

3120. श्री सी० जंगा रेड्डी
डा० ए० के० पटेल } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला कल्याण विभाग में महिला विकास कार्यक्रमों के लिये एक योजना निगरानी तथा मूल्यांकन कक्ष की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) महिला विकास कार्यक्रमों का ब्योरा क्या है, जिनका यह निगरानी और मूल्यांकन करेगा; और

(घ) इन कार्यक्रमों को कौन सी एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जायेगा ?

युवा कार्य तथा खेल-कूद और महिला एवं बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) महिला विकास कार्यक्रमों के लिए एक निगरानी और मूल्यांकन सैल की स्थापना करने

के लिए एक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इस सैल की स्थापना शीघ्र ही की जाएगी।

(ख) से (घ) इस सैल का उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित या प्रायोजित महिला कल्याण और विकास कार्यक्रमों की निगरानी करना है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बच्चों का विकास (ग्रामीण विकास विभाग) लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा (शिक्षा विभाग); ए० एन० एम०, महिला स्वास्थ्य निरीक्षक, दाईओं को प्रशिक्षण देना, और गर्भवती महिलाओं को रोग निरोधक टीके लगाना (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय); महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु कई योजनाएं (श्रम मंत्रालय) लड़कियों के लिए होस्टल (कल्याण मंत्रालय); महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग); श्रमजीवी महिला होस्टल, आय उत्पादक प्रशिक्षण केन्द्र, शिक्षा का गहन कार्यक्रम, सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम, जन सहयोग कार्य में ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण, संकटग्रस्त महिलाओं का पुनर्वास, अल्पावास गृह महिला विकास निगम (महिला एवं बाल विकास विभाग)। कुछ कार्यक्रम मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्वयं कार्यान्वित किए जाते हैं और अन्य कार्यक्रम राज्य सरकारों और स्वायत्त/स्वयंसेवी संगठन के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं।

ईसाई मिशनरी और अन्य अल्पसंख्यकों के विद्यालयों में भेदभाव

3120. श्री सी० जंगा रेड्डी
डा० ए० के० पटेल
: क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईसाई मिशनरी और अन्य अल्पसंख्यकों के विद्यालयों में प्रवेश, फीस और अन्य मामलों में धर्म के आधार पर भेदभाव बरता जाता है;

(ख) क्या इस प्रकार की नीति संविधान में परिकल्पित धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों के अनुरूप है;

(ग) ऐसी शिकायतें किन-किन राज्यों में प्राप्त हुई है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, ईसाई मिशनरी/अन्य अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा संचालित सहायता प्राप्त स्कूल सामान्यत: बिना किसी भेदभाव के एक समान दाखिला नीति का प्रयोग करते हैं। गैर सहायता प्राप्त स्कूल अपनी ही दाखिला नीति का प्रयोग करते हैं, जिसपर सरकार का नियंत्रण नहीं है।

(ख) अल्पसंख्यक स्कूलों के संचालन के लिए संविधान में एक विशेष प्रकार के कार्य ढांचे का विशिष्ट प्रावधान है। यह स्कूल संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत सुरक्षित है।

(ग) और (घ) किसी भी राज्य सरकार से कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

खड़गपुर रेलवे कालोनी में बिजली की सप्लाई

3122. श्री नारायण चौबे : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार खड़गपुर में वर्ष 1975-76 के दौरान किस दर पर प्रति यूनिट बिजली की खरीद करती थी;

(ख) सरकार खड़गपुर में इस समय प्रति यूनिट बिजली किस मूल्य पर खरीदती है;

(ग) वर्ष 1975-76 के दौरान खड़गपुर रेलवे स्टेशन के प्राधिकारी रेलवे कालोनी में वाणिज्यिक और घरेलू दोनों उपभोक्ताओं को बिजली किस मूल्य पर बेचते थे;

(घ) खड़गपुर रेलवे स्टेशन के प्राधिकारी इस समय वाणिज्यिक और घरेलू दोनों उपभोक्ताओं को किस मूल्य पर बिजली देते हैं; और

(ङ) यदि वहां बिजली की दरें बहुत अधिक हैं तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) 23.69 पैसे प्रति यूनिट।

(ख) वर्तमान खरीद दर 82.4 पैसे प्रति यूनिट है।

(ग) वाणिज्यिक दर 52 पैसे प्रति यूनिट और घरेलू दर 19 पैसे प्रति यूनिट थी।

(घ) वाणिज्यिक दर 1 61 रुपये प्रति यूनिट और घरेलू दर 83 पैसे प्रति यूनिट है।

(ङ) राज्य बिजली बोर्ड द्वारा टैरिफ में की गयी वृद्धि तथा बढ़े हुए अनुरक्षण प्रभारों को देखते हुए दर बहुत ऊंची नहीं समझी जाती।

ठेकेदारों द्वारा रेल लाइनों का अनुरक्षण कार्य

3123. श्री नारायण चौबे : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहले रेलवे में स्लीपरों को बदलने, रेल लाइन को फिर से बिछाने, गहराई की छानबीन करने आदि जैसे कार्य विभागीय मजदूरों और कभी-कभी नैमित्तिक कर्मचारियों द्वारा किये जाते थे;

(ख) क्या इस समय ये सभी कार्य ठेकेदारों द्वारा किये जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो कब से इस प्रथा का अनुपालन किया जा रहा है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस योजना से सरकार को कोई वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो 1985-86 के दौरान कितनी राशि का लाभ हुआ है ?

परिवहन मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) इन कार्यों को एक सीमित मात्रा में ठेकेदारों के माध्यम से करवाया जा रहा है। यह परिपाटी लगभग 1980-81 और उसके बाद धीरे धीरे चली आ रही है। वित्तीय लाभों का कोई ब्यौरा नहीं रखा गया है लेकिन सामान्यत: विभागीय श्रम की अपेक्षा यह किफायती रहा है।

कुछ औषधों का औषधीय महत्व

3124. **श्री नारायण चौबे** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चिकित्सा विशेषज्ञों की इस व्यापक राय की जानकारी है कि देश में प्रयोग में लाए जाने वाले औषधों के सत्तर हजार नामों में से खांसी के उपचार के लिए विभिन्न शर्बतों, ग्राइप वाटर, गले की तकलीफ के उपचार के लिए चूसने वाली गोलियों जैसे औषधों में से नब्बे प्रतिशत औषधों का कोई औषधीय महत्व नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) हमें चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा प्रकट किए गए विचारों की कोई सूचना नहीं है कि खांसी के मिक्सचर, ग्राइप वाटर, गले के विकारों के लिए चूसने वाली गोलियों में (जो कि खांसी और तेज दर्द से लाक्षमिक राहत दिलाने के लिए चिकित्सा व्यवसाय द्वारा लिखी जाती हैं) कोई औषधीय गुण नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

डाक्टरों को "नान-प्राक्टाईसिंग" भत्ता

3125. **श्रीमती वैजयन्ती माला बाली** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार में, उन सभी स्थानों पर चिकित्सकों को जहां भर्ती

नियमों के अनुसार चिकित्सा योग्यता की आवश्यकता होती है, "नान-प्राक्टाइसिंग" भत्ता दिया जाता है;

(ख) यदि ऐसे सभी योग्य चिकित्सकों को नहीं दिया जाता है तो इस विसंगति के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का विचार उपचारात्मक उपाय करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 1982 के अनुसार इस सेवा में शामिल पदों पर कार्य कर रहे अधिकारियों को निर्धारित दरों के अनुसार प्रेक्टिसबन्दी भत्ता दिया जाता है। इनमें स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक और स्वास्थ्य सेवा अपर महानिदेशक के पद शामिल नहीं हैं क्योंकि इन्हें क्रमश: 3500 रुपये और 3000 रुपये प्रतिमास नियत वेतन मिलता है। क्लीनिकल ड्यूटी कर रहे तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में कार्य कर रहे भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी के चिकित्सकों को भी निर्धारित दरों पर प्रैक्टिसबन्दी भत्ता दिया जाता है।

जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कालेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण

3126. **श्री साइमन तिग्गा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कालेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के प्रवेश के लिए कोई आरक्षण नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का विचार, इस मेडिकल कालेज में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए कब तक आरक्षण की व्यवस्था करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को दिया गया प्रवेश

3127. **श्री साइमन तिग्गा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कानपुर, मद्रास, दिल्ली और खड़गपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों को वर्ष 1984 से अब तक प्रतिवर्ष दाखिला दिया गया और उसकी प्रतिशतता क्या है ; और

(ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश के लिये अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को दी जाने वाली रियायतों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है ।

विवरण

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में कुल स्थानों के 71/2% स्थान अनुसूचित जनजाति के छात्रों के दाखिले के लिए आरक्षित किये जाते हैं । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा के अर्हक अंकों में सामान्य कट आफ प्वाइन्ट को सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए निर्धारित कट आफ प्वाइन्ट के 2/3 पर नियत किया जाता है तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों का दाखिला बढ़ाने के लिए इसे और कम कर दिया गया है । इस मानदण्ड के आधार पर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में दाखिले के लिए वर्ष 1934, 1985 तथा 1986 के दौरान क्रमश: 10,21 तथा 30 अनुसूचित जनजाति के छात्रों ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की । संयुक्त प्रवेश परीक्षा के अर्हक अंकों में छूट के अलावा, अ० जा०/अ० जन० जा० के छात्रों को आयु सीमा में पांच वर्षों की छूट दी जाती है । अ० जा०/अ० जन० जा० के छात्रों के लिए योग्यता सूची अलग से तैयार की जाती है । संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सभी संभव छूट के बावजूद भी अ० जा०/अ० जन० जा० के जो छात्र दाखिले के लिए अर्हक नहीं हो पाते तो उन्हें अ० जा०/अ० जन० जा० के छात्रों के लिए भा० प्रो० संस्थानों द्वारा संचालित लगभग एक वर्षीय प्रारम्भिक पाठ्यक्रम में दाखिला प्रदान किया जाता है । प्रारम्भिक पाठ्यक्रम के अन्त में आन्तरिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर बी० टेक० कार्यक्रम में छात्रों का दाखिला स्वत: हो जाता है ।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा मंजूर की गई सामाजिक एवं आर्थिक योजनाएं

3128. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान लड़कियों/महिलाओं के कल्याण के लिए कितनी सामाजिक एवं आर्थिक योजनाएं मंजूर की गई;

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत कितनी लड़कियों/महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया;

(ग) प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात कितनी महिलाएं स्व-रोजगार कर रही हैं और उनकी औसत आय कितनी है ?

युवा कार्य तथा खेल कूद और महिला एवं बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम	1983-84	1984-85	1985-86
(क) स्वीकृत यूनिटों की संख्या	708	671	551
×× (ख) प्रशिक्षित लड़कियों/महिलाओं की संख्या	311	657	372
×× (ग) प्रशिक्षण प्राप्त स्वरोजगार महिलाओं की संख्या	311	657	572

औसत आय 150 रुपए प्रति मास से 300 रुपए प्रति मास।

×× सामाजिक आर्थिक योजना के अन्तर्गत स्वीकृत यूनिटें मुख्यत: उत्पादन यूनिटें हैं। केवल थोड़ी सी यूनिटों में लड़कियों/महिलाओं को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रशिक्षित महिलाओं/लड़कियों की संख्या नीचे दी गई है। सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत यूनिटों के लाभ प्राप्तकर्ताओं की कुल संख्या नीचे दी गई है :-—

वर्ष	लाभ प्राप्त कर्ताओं की संख्या
1983-84	8951
1984-85	9254
1985-86	6772

व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

लड़कियों/महिलाओं को विभिन्न व्यावसायों/ट्रेडों में प्रशिक्षण इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भी प्रदान किया जाता है। स्वीकृत यूनिटों की संख्या और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर्ता (प्रशिक्षणार्थियों) की संख्या अगले पृष्ठ पर दी गई है :—

वर्ष	स्वीकृत यूनिटों की संख्या	(प्रशिक्षणार्थियों की संख्या)
1983-84	488	10943
1984-85	614	15132
1985-86	555	12321

परिवार नियोजन कार्य में लगे कर्मचारियों के कार्य के बारे में मूल्यांकन

3129. डा० फूलरेणु गुहा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न स्तरों पर परिवार नियोजन कार्य में लगे कर्मचारियों के कार्य के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो किये गये मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना और जम्मू और कश्मीर की रेहबरे-सेहत तथा तमिलनाडु की लघु स्वास्थ्य केन्द्र की वैकल्पिक योजनाओं का मूल्यांकन किया गया है। मूल्यांकन रिपोर्ट से पता चलता है कि ग्राम स्तर के स्वैच्छिक कार्यकर्ता आपाती स्थितियों में प्राथमिक उपचार प्रदान करने के साथ-साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को बढ़ावा देने में उपयोगी हैं।

दाई प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में किए गए ऐसे ही मूल्यांकन से सतत् शिक्षा की आवश्यकता प्रतीत हुई है।

रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं और यात्रियों के आवागमन और माल की ढुलाई से आय

3130. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के अधिकारी स्टेशनों का दर्जा बढ़ाने और यात्री तथा अन्य सुविधाएं स्वीकृत करते समय रेलवे स्टेशनों को यात्रियों के आवागमन और माल की ढुलाई से होने वाली आय को ध्यान में रखते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अपनाये गये दिशानिर्देशों की संक्षिप्त रूप रेखा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या विभिन्न सुविधाएं देते समय और रेलवे

स्टेशनों का दर्जा बढ़ाते समय माल की ढुलाई से होने वाली आय को ध्यान में रखा जाएगा; और

(घ) यह किस तारीख तक कर दिये जाने की सम्भावना है ?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सुविधाओं की व्यवस्था, धन की उपलब्धता के अनुसार प्रत्येक स्टेशन पर सम्हाले जाने वाले यात्री यातायात के महत्व और उसकी मात्रा को ध्यान में रखकर की जाती है। स्टेशनों का ग्रेड परिचालनिक निहितार्थों के अनुसार बढ़ाया जाता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मलेरिया रोधी वैक्सीन

3131. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका में बैठसेडा स्थित वाल्टर रीड इंस्टिच्यूट के वैज्ञानिकों ने मलेरिया-रोधी वैक्सीन की खोज करने में सफलता प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार मलेरिया उन्मूलन के लिए इस मलेरिया-रोधी वैक्सीन को हमारे देश में इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराने का है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाने वाली है और क्या सरकार का विचार इस वैक्सीन को देश में इस्तेमाल के लिए सीधे खरीदने का है या विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से प्राप्त करने का है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) मलेरिया परजीवी पी० फाल्सीपेरम की स्पोरोजोइट अवस्था पर रोकथाम करने के लिए अमेरिका में वाल्टर रीड इंस्टिच्यूट द्वारा मलेरिया वैक्सीन का विकास कर लिया गया है। इस वैक्सीन की छोटी-छोटी मात्राएं क्लिनिकल परीक्षणों के लिए तैयार कर ली गई हैं। फिलहाल चरण-I के परीक्षण कार्य चल रहे हैं।

(ग) इस अवस्था में यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि क्षेत्रीय परीक्षण अभी भी चल रहे हैं।

(घ) सभी क्षेत्रीय-परीक्षणों के परिणाम उपलब्ध हो जाने के पश्चात ही इस बारे में उपयुक्त दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

कैंसर के रोगियों के लिए त्वरित कार्यक्रम

3132. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कैंसर के रोगियों की अधिकता वाले क्षेत्रों में रोगियों को आर्थिक, स्वास्थ्य और पौष्टिक भोजन के लिए कोई त्वरित कार्यक्रम है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध आम सुविधाएं जैसे मुफ्त आहार, औषधियां कैंसर के रोगियों को भी दी जाती हैं। किसी रोगी की विशेष जरूरत के लिए चिकित्सक की सलाह के अनुसार आहार दिया जाता है। आर्थिक सहायता के लिए रोगियों का कोई एक वर्ग बता पाना संभव नहीं है। सरकार की कार्य योजना में प्राथमिक रोकथाम, रोगियों का शुरू में ही पता लगने और उपचार करने तथा इलाज की सेवाओं का विस्तार करने और उन्हें सुदृढ़ बनाने पर अधिक बल दिया गया है।

राज्यों में पृथक चिकित्सा विश्वविद्यालयों की स्थापना

3133. **डा० टी० कल्पना देवी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश की तरह सभी राज्यों में पृथक चिकित्सा विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) चिकित्सा शिक्षा पुनरीक्षा समिति ने स्वास्थ्य विज्ञान के विश्वविद्यालय स्थापित करने के बारे में सिफारिशें की थीं ताकि, आधुनिक चिकित्सा शिक्षा तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति, की विभिन्न शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं, नर्सों फार्मासिस्टों आदि के बीच तालमेल रखा जा सके। भारत सरकार ने इन सिफारिशों को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है। चिकित्सा शिक्षा पुनरीक्षा समिति

की रिपोर्ट के अध्याय 9 के पैरा 9.5 में स्वास्थ्य विज्ञान के विश्वविद्यालय खोलने का उल्लेख किया गया है। चिकित्सा शिक्षा पुनरीक्षा समिति की रिपोर्ट तथा इस समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार के निर्णय का एक विवरण लोक सभा पटल पर 2 मई, 1986 को रख दिया गया था।

अपर इन्द्रावती सिंचाई परियोजना के लिए विशेष वित्तीय सहायता

3134. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने सातवीं योजना अवधि के दौरान कालाहांडी जिले के आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए योजना परिव्यय से बाहर विशेष वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत करके राज्य योजना राशि में वृद्धि की जाए। वर्ष 1986-87 के लिए 10 करोड़ रुपए की केन्द्रीय ऋण सहायता हेतु योजना आयोग को सिफारिश की गई है तथा उस पर योजना आयोग विचार कर रहा है।

इन्द्रावती बहुप्रयोजनी परियोजना

3135. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में निर्माणाधीन इन्द्रावती बहुप्रयोजनी परियोजना पर 30 जून, 1986 तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त बहुप्रयोजनी परियोजना के तेजी से निर्माण करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) उक्त परियोजना के किस वर्ष तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) 101.03 करोड़ रुपये।

(ख) और (ग) भारत सरकार राज्य सरकारों से निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक निधियां प्रदान करके उन्हें शीघ्र पूरा करने का अनुरोध करती

रही है। विश्व बैंक ऋण सहायता के तहत जल विद्युत घटक शामिल है। परियोजना को शीघ्र पूरा करने में राज्य सरकारों की सहायता करने हेतु केन्द्रीय जल आयोग परियोजना की मानीटरी कर रहा है। बाधाओं का पता लगाया जाता है और उपचारी उपायों की सिफारिश की जाती है। वर्ष 1986-87 के दौरान सिंचाई घटक के लिए 10 करोड़ रुपए की विशेष केन्द्रीय ऋण सहायता देने की योजना आयोग की सिफारिश की गई है।

(घ) अपेक्षित निधियों के उपलब्ध होने पर यूनिट-I (बांध और अनुषंगिक कार्य) तथा यूनिट III (विद्युत) के वर्ष 1991-92 तक और यूनिट-II (सिंचाई) के वर्ष 1992-93 तक पूरा हो जाने का कार्यक्रम है।

सुवर्ण रेखा परियोजना

3136. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य ने सुवर्ण रेखा परियोजना के बाढ़ नियन्त्रक संघटक केन्द्र द्वारा रख-रखाव करने का अनुरोध पूर्णतः इस आधार पर किया है कि इससे केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल आदि को बार-बार बाढ़ के विनाश से बचाया जायेगा;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ऐसी अन्तःराज्यीय परियोजनाओं को आर्थिक प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में मानने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

शिमोगा में स्नातकोत्तर केन्द्र के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता

3137. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने शिमोगा में स्नातकोत्तर केन्द्र को वित्तीय सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) क्या यह मामला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास लम्बे समय से विचाराधीन

पढ़ा हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

रेलवे स्टेशनों पर खोमचे/खान-पान (वेन्डिंग/केटरिंग) के एक से अधिक ठेके देना

3138. डा० एस० जगतरक्षकन : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेशन/प्लेटफार्मों पर खोमचे/खान-पान (वेन्डिंग/केटरिंग) के एक से अधिक ठेके किस आधार पर दिए जाते हैं;

(ख) स्टेशन/प्लेटफार्मों पर खोमचे/खान-पान (वेन्डिंग/केटरिंग) के एक से अधिक ठेके दिए जाने तक रेलवे विभाग को किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है;

(ग) ऐसे स्टेशनों/प्लेटफार्मों पर जहां मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी के बुकस्टाल के ठेके होते हैं, एक से अधिक ठेके नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) रेल विभाग को उन स्टेशनों पर क्या कठिनाई होती है जहां दो या अधिक बुकस्टाल बेरोजगार स्नातकों द्वारा चलाए जा रहे हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) यात्रियों की मांग को पूरा करने तथा यात्री जनता को पर्याप्त सेवा प्रदान करने के लिए रेलें एक ही स्टेशन पर, एक से अधिक ठेकेदारों को, एक जैसी वस्तुओं की बिक्री करने की अनुमति देती हैं। इस द्वितीयकरण की व्यवस्था यात्रियों की सुविधा के लिए की जाती है न कि रेलवे की किसी कठिनाई को दूर करने के लिए।

(ग) मैसर्स ए० एच० व्हीलर को, उनके करारों में विनिर्दिष्ट कुछ स्टेशनों पर बिक्री का एकाधिकार प्राप्त है।

(घ) जी, नहीं।

कर्नाटक को स्वास्थ्य केन्द्रों/परिवार नियोजन केन्द्रों के लिए आबंटन

3139. डा० बी० वेंकटेश : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान कर्नाटक राज्य में स्वास्थ्य केन्द्रों और परिवार नियोजन केन्द्रों के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई थी ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : कर्नाटक राज्य में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की व्यवस्था के लिए वर्ष 1983-84, 84-85 और 85-86 में क्रमशः 1567.00 लाख 2247.00 लाख और 1000.00 लाख रुपए का परिव्यय रखा गया था। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत कर्नाटक राज्य में ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों/उप केन्द्रों की व्यवस्था के लिए 1983-84, 1984-85 और 1985-86 में क्रमशः 499.00 लाख, 45 '.76 लाख और 612.90 लाख रुपए मंजूर किए गए थे।

[हिन्दी]

ग्रामीण स्वास्थ्यचरों को मानदेय राशि

3140. श्री हरीश रावत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने हाल ही में राज्यों को ग्रामीण स्वास्थ्यचरों को इस समय दिए जा रहे मानदेय की राशि बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करने की सलाह दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

तीव्र गति वाली यात्री और माल गाड़ियां

3141. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार और अधिक तेज यात्री तथा माल गाड़ियां चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह प्रक्रिया खतरनाक है क्योंकि रेल पटरियों का नवीनीकरण नहीं हुआ है; और

(घ) क्या सुरक्षा सम्बन्धी पहलू पर विचार किया गया है ?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी हां।

(ख) 1987 के दौरान एक्सप्रेस गाड़ियां 140 कि०मी० प्रति घंटा की रफ्तार से चलाने के परीक्षण करने का प्रस्ताव है। माल गाड़ियों की रफ्तार 100 कि०मी० प्रति घंटा तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) उन्हें नियमित रूप से चलाने से पहले रेलपथ की हालत और संरक्षा संबंधी पहलुओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

[हिन्दी]

प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए बजटीय आवंटन

3142. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों की अवधि के दौरान प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में शैक्षिक क्रियाकलापों के लिए कितनी बजटीय व्यवस्था की गई थी; और

(ख) क्या सरकार के विचार से धनराशि पर्याप्त है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) 31 मार्च, 1986 तक समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान दोनों योजनागत तथा योजनेत्तर बजट के अन्तर्गत केन्द्र तथा राज्यों, दोनों में प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के लिए क्रमशः 8202.25 करोड़ रु०, 5478.50 करोड़ रु० तथा 2682.43 करोड़ रु० का बजट प्रावधान है।

(ख) इन क्षेत्रों के लिए प्रावधान, संसाधनों की उपलब्धता तथा विकास के विभिन्न क्षेत्रों को दी गई प्राथमिकता के आधार पर किया गया है।

[अनुवाद]

बुक स्टालों का आवंटन

3143. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग उन सभी स्टेशनों पर जहां ए०एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी के ठेके पर बुकस्टाल हैं वहां अन्य व्यक्तियों/फर्मों को स्टेशन के कनकार्स और सरकुलेटिंग बुकस्टाल आवंटित कर सकता है;

(ख) यदि हां, तो 2-6-76 से 31-12-85 तक की अवधि के बीच उन स्टेशनों पर जहां व्हीलर एण्ड कम्पनी के ठेके पर बुकस्टाल हैं, कनकार्स और सरकुलेटिंग क्षेत्रों में व्यक्तियों/बेरोजगार स्नातकों/सहकारी समितियों को स्टेशन-वार और जोन-वार कितने बुकस्टाल आवंटित किये गये; और

(ग) व्हीलर एण्ड कम्पनी के बुकस्टाल वाले स्टेशनों पर नए प्लेटफार्मों को छोड़कर वर्ष 1973 से 1985 तक बेरोजगार स्नातकों को जोन-वार कितने बुकस्टाल आवंटित किए गए हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) करार के उपबन्धों के अनुसार करार में निर्दिष्ट स्टेशनों के सम्पूर्ण स्टेशन-परिसरों में मैसर्स ए०एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड को बिक्री के एक मात्र अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन, रेलें इन स्टेशनों पर लोकोपकारी तथा लाभ न कमाने वाले संगठनों को बुक स्टाल आबंटित कर सकती हैं। मैसर्स ए०एच० व्हीलर को प्राप्त बिक्री के एक मात्र अधिकार उन नए प्लेटफार्मों के मामले में लागू नहीं होते जो 1-1-1976 को अथवा उसके बाद बने हैं। (उन प्लेटफार्मों को छोड़कर जो आमान परिवर्तन के कारण बदले गये हैं)। ऐसे नए प्लेटफार्मों पर बुकस्टालों का आबंटन बेरोजगार स्नातकों, वास्तविक कार्य-कर्ताओं-बैंडरों की साझेदारी वाले संगठन और सहकारी समिति आदि को किया जा सकता है।

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

रेल यातायात से आय और रेल मार्गों के विकास पर व्यय की गयी धनराशि

3144. श्री हरिहर सोरन : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान विभिन्न रेलवे के जोनों द्वारा यात्री किराए और माल भाड़े (जोनवार) कितनी आय हुई है;

(ख) प्रत्येक जोन को इससे पहले वर्ष में हुई आय की तुलना में कितने प्रतिशत लाभ/हानि हुई;

(ग) वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान दक्षिण-पूर्व रेलवे तथा रेलवे के अन्य जोनों पर तथा मौजूदा रेलमार्गों के विकास तथा नई रेलवे लाइनें डालने पर वर्षवार कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) वर्ष 1985-86 के लेखाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। 1985-86 के दौरान विभिन्न रेलवे जोनों द्वारा यात्री यातायात से तथा माल यातायात से भी अर्जित राजस्व के अनन्तिम आंकड़े (जोन-वार) नीचे दिये गये हैं :—

करोड़ रुपयों में

रेलवे	यात्री यातायात	माल यातायात
मध्य	316.00	716.00
पूर्व	203.00	510.00
उत्तर	326.00	679.00
पूर्वोत्तर	99.00	77.50
पूर्वोत्तर सीमा	37.72	93.00
दक्षिण	161.00	256.00
दक्षिण मध्य	164.00	447.00
दक्षिण पूर्व		117.00919.00
पश्चिम	291.00	625.00

(ख) पिछले वर्षों में राजस्व के अर्जन में प्रत्येक जोन पर लाभ/हानि का प्रतिशत (शुद्ध राजस्व) निम्नलिखित है :

रेलवे	1983-84			1984-85			1985-86 (राजस्व अनुमान)		
	शुद्ध राजस्व (करोड़ में)	सकल अर्जन (करोड़ में)	प्रतिशत	शुद्ध राजस्व (करोड़ में)	सकल अर्जन (करोड़ में)	प्रतिशत	शुद्ध राजस्व (करोड़ में)	सकल अर्जन (करोड़ में)	प्रतिशत
मध्य	223.75	895.60	24.98%	192.75	943.17	20.44%	255.83	1092.00	23.43%
पूर्व—	70.71	578.62	—13.78%	—12.01	611.2[illegible]	—18.32%	—58.50	753.69	—7.76%
उत्तर	90.97	816.46	11.14%	77.13	875.48	8.81%	167.75	1056.00	15.89%
पूर्वोत्तर—	108.87	148.10	—73.51%	135.43	154.83	—87.47%	—129.45	192.75	—67.16
पूर्वोत्तर-सीमा—	84.49	122.99	—68.70%	—110.77	121.43	—91.2[illegible]%	119.89	145.12	—82.61%
द०	71.21	354.95	20.06%	—79.48	394.14	—20·17%	—86.13	457.00	—18.85%
द० म०	57.47	476.27	12.07%	89.33	541.21	16.50%	124.64	664.50	19.28%
द० पू०	196.59	824.57	23.84%	224.27	907.99	24.70%	277.65	1064·41	26.08%
प०	171.74	777.92	22.08%	146.67	815.95	17.98%	200.60	956.25	20.98%

(ग) और (घ) 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान नई लाइनों के निर्माण तथा महत्व-पूर्ण विकास कार्यों जैसे आमान परिवर्तनों, दोहरी लाइन बिछाने, यातायात सुविधा सम्बन्धी कार्यों के लिए प्रत्येक रेलवे को आवंटित की गयी धन राशि इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

रेलवे	नयी लाइनें		आमान परिवर्तन		दोहरी लाइन बिछाना		अन्य यातायात सुविधाएं	
	1984-85	1985-86	1984-85	1985-86	1984-85	1985-86	1984-85	1985-86
मध्य	4.10	6.55	—	—	15.00	9.53	8.13	8.47
पूर्व	0.71	1.75	—	—	2.41	3.67	5.24	9.25
उत्तर	7.38	4.51	20.00	14.00	7.23	6.52	9.73	14.32
पर्वोत्तर	1.01	0.50	13.00	10.51	—	—	1.14	0.60
पूर्वोत्तर सीमा	22.51	11.50	4.51	5.75	0.20	1 00	3 47	4.76
दक्षिण	9.53	7.40	0.50	1.00	10.88	10.16	8.98	4.50
दक्षिण मध्य	11.17	9.25	8.71	2.85	19.60	13.29	7.77	7.74
दक्षिण पूर्व	18.50	13.04	—	—	1.11	1.79	16.93	21.65
पश्चिम	15.10	15.50	5.20	3.44	9.11	9.15	7.22	7.57

बिहार की सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में आरम्भ करना

3145. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने कुछ बड़ी जल संसाधन विकास परियोजनाओं को राष्ट्रीय परि-

योजनाओं के रूप में आरम्भ करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

3146. **श्री पी० एम० सईद :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रशिक्षण के उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) प्रतिदिन कितनी बसें नहीं चलाई जाती हैं और इसके क्या कारण हैं ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) नए ड्राइवरों को प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त दिल्ली परिवहन निगम में बस कर्मीदल के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम और सहायक टिकट इंसपेक्टरों के लिए जाब ओरिएन्टेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी प्रबन्ध है।

(ख) यात्रियों को भरोसेमन्द कुशल और आरामदेह सेवा प्रदान करने के लिए निगम के सकल कार्यकरण में सुधार लाना।

(ग) 1985-86 में दिल्ली परिवहन निगम के 86.27% बेड़े को प्रयोग में लाया गया है जो दूसरे शहरों के परिवहन उपक्रमों की तुलना में अनुकूल पड़ता है। इस रुझान को बनाए रखा गया है। शेष प्रतिशत के अंतर्गत बड़ी मरम्मत के लिए कार्यशाला में खड़ी बसें, दुर्घटनाग्रस्त बसें तथा आवधिक निरीक्षण आदि के लिए रोकी गई बसें शामिल हैं।

[हिन्दी]

दक्षिण भारत के लिए अयोध्या/वाराणसी से नई रेलगाड़ी

3147. **श्री निर्मल खत्री :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण भारत के लिए अयोध्या अथवा वाराणसी से फैजाबाद

बाराबंकी, लखनऊ तीर्थ स्थानों से होते हुए एक नई रेलगाड़ी चलाने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी नहीं।

(ख) संसाधनों की कमी के कारण।]

फैजाबाद और लखनऊ के बीच शटल रेलगाड़ी शुरू करना

3148. श्री निर्मल खत्री : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में फैजाबाद और लखनऊ के बीच पड़ने वाले रुदौली, बाराबंकी आदि जैसे विभिन्न स्टेशनों से फैजाबाद और लखनऊ के बीच प्रतिदिन यात्रा करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या कितनी है;

(ख) इस मार्ग पर कितने मासिक पास जारी किए गए हैं; और

(ग) क्या इन दोनों वर्गों के यात्रियों की संख्या को देखते हुए फैजाबाद और लखनऊ के बीच कोई शटल रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव है।

परिवहन मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) पिछले 2-3 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर फैजाबाद और लखनऊ के बीच कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों से यात्रा करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या नीचे दी गयी है :—

स्टेशन	दैनिक औसत
लखनऊ	2195
बाराबंकी	1586
दरियाबाद	368
रुदौली	1254
सोहवल	423
फैजाबाद	917

(ख) उपर्युक्त स्टेशनों से प्रति माह जारी किए गए मासिक सीजन टिकटों की औसत संख्या

नीचे दी गयी है :]

स्टेशन	मासिक औसत
लखनऊ	1740
बाराबंकी	766
दरियाबाद	101
रुदौली	166
सोहवल	148
फैजाबाद	245

(ग) फैजाबाद और लखनऊ के बीच पांच जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियों सहित आठ जोड़ी गाड़ियां पहले से चल रही हैं और उन्हें वर्तमान यातायात के स्तर के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

किसान एक्सप्रेस रेलगाड़ी प्रतिदिन चलाना

3149. श्री निर्मल खत्री : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को किसान एक्सप्रेस रेलगाड़ी (उत्तर रेलवे) को, जो इस समय सप्ताह में चार दिन चलती है, प्रतिदिन चलाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, हां।

(ख) 407 अप/408 डाउन वाराणसी-लुधियाना एक्सप्रेस गाड़ियां सप्ताह में दो दिन चल रही हैं। भीड़-भाड़ वाले कतिपय महीनों के दौरान वाराणसी और लुधियाना के बीच सप्ताह में दो बार चलने वाली एक विशेष गाड़ी उपर्युक्त गाड़ियों के समय पर चलाई गई थी। अब 1-10-1986 से 407/408 गाड़ियों के फेरे बढ़ाकर उन्हें सप्ताह में चार दिन चलाने का विनिश्चय किया गया है। संसाधनों की कमी के कारण इस गाड़ी को रोजाना चलाना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

[अनुवाद]

नई दिल्ली भुवनेश्वर पुरी के बीच रेल सेवा

3150. श्री बृजमोहन महन्ती : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली-पुरी एक्सप्रेस रेलगाड़ी को सप्ताह में दो दिन चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सातवीं योजनावधि में नई दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच राजधानी की तरह की कोई रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या पुरी-नई दिल्ली एक्सप्रेस रेलगाड़ी कम से कम सम्भावित समय में चलाने हेतु इसका समय फिर से नियत किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) जी, नहीं। 915/916 नई दिल्ली-पुरी एक्सप्रेस गाड़ियां सप्ताह में चार दिन चलती हैं और नई दिल्ली तथा पुरी को जोड़ने वाली 175/176 नीलांचल एक्सप्रेस गाड़ियां सप्ताह के अन्य तीन दिन चलती हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च) 1-8-1986 से 915/916 का मार्ग बदल कर बरास्ता इलाहाबाद, कानपुर कर दिया गया है और गाड़ी को रफ्तार तेज कर दी गई है।

नौवहन कम्पनियों का वित्तीय सहायता देने के लिए उनकी अर्थक्षमता सम्बन्धी अध्ययन

3151. श्री के० बी० शंकर गौड़ा
श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर } : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवहन कम्पनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उनकी अर्थक्षमता के सम्बन्ध में अध्ययन पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा नौवहन कम्पनियों की सहायता के लिए किए गए उपायों से किस सीमा

तक वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) भाड़ा स्थिति के अनुमानों के आधार पर 1984 में भुगतान न करने वाली 17 प्राइवेट क्षेत्र की नौवहन कम्पनियों का विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन किया गया। लगातार नौवहन की मन्दी तथा भाड़ा-दरों के लगातार गिरते हुए स्तर के कारण ये पूर्वानुमान प्रामाणिक नहीं रहे हैं। तदनुसार अन्तर्राष्ट्रीय नौवहन की प्रवृत्ति, विशेष नौवहन कम्पनियों की अन्तर्निहित क्षमता व कमियों तथा अन्य संगत ब्यौरों को ध्यान में रखते हुए नौवहन कम्पनियों की लम्बे समय की व्यवहार्यता का गहराई के साथ मूल्यांकन करना अनिवार्य समझा गया है।

(ग) नौवहन उद्योग को सैफोंस ऋण देने हेतु नौवहन विकास निधि समिति/कर्मशियल बैंक को देय नौवहन कम्पनियों की बकाया राशियों के भुगतान के लिए सहायता के तौर पर हाल में क्रमशः अक्तूबर, 1978, नवम्बर, 1981 तथा अप्रैल, 1983 में भुगतान की समय-सारणी का पुनर्निर्धारण किया गया है। कुल 128 करोड़ रुपये तथा 24.65 करोड़ रुपये की देय राशियों के भुगतान की समय-सारणी का पुनर्निर्धारण किया गया है। जो साफोंस ऋण के तहत विभिन्न नौवहन कम्पनियों के क्रमशः नौवहन विकास निधि समिति एवं कर्मशियल बैंक को देय थी और नौवहन कम्पनियां इस सीमा तक लाभान्वित हुई हैं।

केन्द्रीय पत्तन विकास निधि

3152. श्री के० बी० शंकर गौड़ा : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केंद्रीय पत्तन विकास निधि की स्थापना करने पर विचार कर रही है जिसमें सभी पत्तनों का फालतू कोष सारे देश में पत्तनों के आधुनिकीकरण के लिए जमा किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां। देश के महापत्तनों के लिए ऐसे प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(ख) महापत्तन सुधार समिति इस प्रस्ताव की जांच कर रही है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ब्यौरे को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

लिलुआ कार्यशाला (हावड़ा) का विस्तार

3153. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा पूर्वी रेलवे लिलुआ के कार्यशाला का विस्तार कार्यक्रम शीघ्र पूरा होगा; और

(ख) इस समय वहां कुल कितने आदमी काम पर लगे हैं और उक्त कार्यशाला का विस्तार हो जाने के बाद सातवीं योजना में कितने आदमी लगाने की आशा है।

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) पूर्व रेलवे के लिलुआ कारखाने का विस्तार करने का कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन कारखाने को 15.00 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक बनाया जा रहा है। यह कार्य जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा, बशर्ते कि धन उपलब्ध हों।

(ख) कारखाने की कुल स्वीकृत कर्मचारी संख्या 11,802 है। आधुनिकीकरण के बाद सातवीं योजना के दौरान जन-शक्ति में कोई बड़ा परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण

3154. श्री चिन्तामणि जेना : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे,कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण की स्थापना कर ली है;

(ख) यदि हां, तो वह कब से कार्य करना शुरू कर देगा;

(ग) क्या यह भी सच है कि नागर विमानन और अन्य विभागों के कर्मचारियों को इस प्राधिकरण में खपाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या प्राधिकरण में खपाये गये कर्मचारी प्राधिकरण के कर्मचारी माने जाएंगे अथवा उन्हें प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा और ऐसा कब तक माना जायेगा ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) इसने 1 जून, 1986 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बाढ़ नियन्त्रण उपाय

3155. श्री चिन्तामणि जेना : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान बाढ़ नियन्त्रण के उपायों पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) कुल कितने हेक्टेयर भूमि को बाढ़ से बचाया गया।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में बाढ़ नियन्त्रण के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान निष्पादित किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान बाढ़ नियन्त्रण क्षेत्र पर प्रत्याशित व्यय 778.66 करोड़ रुपये है जिसमें लगभग 1.8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को उचित सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के लिए राज्यवार अनुमोदित परिव्यय दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संबंधित राज्यों द्वारा तटबन्धों, निकासी नालियों, तट सुरक्षा कार्यों, समुद्री कटावरोधी कार्यों आदि जैसे विभिन्न बाढ़ नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किये जाने की योजना है।

विवरण

सातवीं योजना (1985-90) के लिए बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी अनुमोदित परिव्यय

(करोड़ रु० में)

क्र० सं०	राज्य	सातवीं योजना अनुमोदित व्यय
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	47.90
2.	असम	27.00
3.	बिहार	144.00
4.	गुजरात	12.00
5.	हरियाणा	75.69
6.	हिमाचल प्रदेश	4.00

1	2	3
7.	जम्मू और कश्मीर	20.00
8.	कर्नाटक	4.00
9;	केरल	25.00
10.	मध्य प्रदेश	5.00
11.	महाराष्ट्र	0.70
12.	मणिपुर	5.00
13.	मेघालय	1.35
14.	उड़ीसा	17.00
15.	पंजाब	37.00
16.	राजस्थान	14.60
17.	सिक्किम	1.05
18.	तमिलनाडु	13.00
19.	त्रिपुरा	6.00
20.	उत्तर प्रदेश	161.00
21.	पश्चिम बंगाल	105.00
	उप योग (क राज्य)	726.38
ख	संघ शासित प्रदेश	
1.	अरुणाचल प्रदेश	2.00
2.	दादरा व नागर हवेली	0.10
3.	दिल्ली	63.98

1	2	3
4.	गोवा, दमन व दीव	1.00
5.	लक्षद्वीप	1.00
6.	मिजोरम	1.00
7.	पांडिचेरी	2.00
	उप-योग (ख—संघशासित प्रदेश)	71.08
	कुल (क+ख) राज्य क्षेत्र	797.46
	सी—केन्द्रीय क्षेत्र	149.93
	कुल योग :	947.39

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा "मिक" गैस पीड़ितों का अनुवर्ती अध्ययन

3156. श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने यूनियन कारबाइड संयंत्र से निकली "मिक" गैस के पीडितों का अनुवर्ती अध्ययन हाल ही में पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो यह अध्ययन कब पूरा हुआ था और इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने भोपाल में गैस रिसने से प्रभावित हुए व्यक्तियों के अनुवर्ती इलाज पर एक दीर्घकालिक भावी अध्ययन किया गया है और यह अध्ययन जारी है। अत्यधिक/मामूली/बहुत कम प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न जल-समूहों तथा नियंत्रण उपायों का अध्ययन किया गया तथा गर्भवती महिलाओं, बच्चों और वयस्कों का अनुवर्ती उपाय किया जा रहा है।

गैस से प्रभावित हजारों व्यक्तियों में अभी भी श्वसन-तंत्र, नेत्र, व्यवहार सम्बन्धी, तंत्रीय-पेशीय और अन्य विकार व्यापक रूप में विद्यमान हैं। बच्चों और वयस्कों, दोनों में, फेफड़े से संबंधित

रुग्णता क्लीनिकी तौर पर अत्यधिक स्पष्ट रूप से सामने आई और यह अभी भी चिरकालिक श्वसन रोग के रूप में विद्यमान है।

10 सरकारी क्लीनिकों के बहिरंग रोगियों के मोहृच्छिक मूल्यांकन ने पता लगाया कि जांच किए गए रोगियों में 22 प्रतिशत रोगी मानसिक विकारों से ग्रस्त हैं।

यात्रियों को अस्वास्थ्यकर पानी की सप्लाई

3157. **आनन्द गजपति राजू** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय रेल विभाग द्वारा यात्रियों को पीने के लिए अस्वास्थ्यकर पानी की सप्लाई के बारे में शिकायतें और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किये जाने का विचार है ?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, हां। कभी-कभी ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं।

(ख) ऐसी शिकायतों की तत्परता से जांच-पड़ताल की जाती है और उन पर यथावश्यक ध्यान दिया जाता है।

वायुदूत सेवा के लिए रियायतें

3158. **श्री गुरुदास कामत** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिस समिति ने वायुदूत सेवा की व्यवहारिता की जांच की थी उसने बिक्री कर, उत्पादन शुल्क तथा विमानों के मार्ग प्रभार से छूट देने के बारे में भी सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या ये सभी रियायतें वायुदूत सेवा को दी गई और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारें वायुदूत सेवा को बिक्री कर रियायत देने के लिए सहमत हो गई हैं; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने अन्य सभी राज्य सरकारों को भी वायुदूत सेवा को उसी प्रकार की रियायत देने के लिए कहा है जिससे की वह अपने कार्यचालक नेटवर्क का और विस्तार कर सके ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) जबकि कुछ राज्य सरकारों ने वायुदूत को इसके द्वारा लिये जाने वाले विमानन ईंधन में बिक्री कर की अदायगी पर छूट दे दी है, परन्तु अन्य राज्य सरकारों ने अनुकूल रुख नहीं दिखाया है। भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने वर्ष 1985, 1986 और 1987 के लिए क्रमश: सामान्य दरों के 40 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और 60 प्रतिशत अवतरण प्रभारों की अदायगी पर सहमति व्यक्त की है। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सुझाव दिया गया है कि वे वायुदूत से सामान्य दरों के 50% की दर से अवतरण और मार्ग दिक्चालन प्रभार वसूल करें।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे ट्रक पार्किंग कम्प्लैक्स

3159. श्री एस० जी० घोलप : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे चुने हुए स्थानों पर ट्रक पार्किंग कम्प्लैक्सों के निर्माण को प्रोत्साहन देने की कोई योजना बनाई है;

(ख) क्या पंजाब और हरियाणा में ऐसे कम्प्लेक्स कार्य कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसे कम्प्लैक्सों के कार्यकरण का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(घ) अन्य राज्यों में भी ऐसे कम्प्लैक्सों की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) जी हां। ट्रक पार्किंग कम्प्लैक्स, परिवहन विकास परिषद सहित विभिन्न मंचों पर चर्चा का विषय रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ ट्रक पार्किंग कम्प्लैक्सों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एक विशेष रूप से तैयार की गई स्कीम के तहत भारत सरकार वित्तीय सहायता की व्यवस्था करती है, ताकि ट्रक पार्किंग कम्प्लैक्सों की अनुमोदित स्कीम के संदर्भ में भूमि की लागत व आधारभूत सुविधाओं को पूरा किया जा सके। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे ट्रक आपरेटर्स हाइवे अमेनिटीज सोसाइटी बनाएं जो इन स्कीमों का निर्धारण व निष्पादन कर सकें तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ-साथ अपने क्षेत्राधिकार के भीतर उचित स्थान देखकर ट्रक पार्किंग कम्प्लैक्सो के निर्माणकार्य को तत्काल प्रारम्भ करें।

पंजाब सरकार ने यह सूचना दी है कि जालंधर के निकट कोट कलां में ट्रक पार्किंग कम्प्लैक्स पूरा हो गया है तथा शीघ्र ही क्रियात्मक हो जाएगा। हरियाणा में मुरथल पर ट्रक पार्किंग कम्प्लैक्स पहले से ही क्रियाशील है।

एयर इण्डिया के विमानों की संख्या

3160. श्री अमल दत्त : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया में नए विमानों की खरीद के बाद विमानों की संख्या कितनी हो जाएगी, उनकी किस्में, कार्यकाल और क्षमता कितनी होगी;

(ख) क्या इसमें कोई विमान फालतू हो जाएगा और यदि हां, तो उसका निपटान किस प्रकार किया जाएगा; और

(ग) विभिन्न किस्मों के विमानों में प्रत्येक में यात्री किलोमीटर लागत क्या है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) 31 जुलाई, 1986 को एयर इंडिया के विमान-बेड़े में विमानों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :--

क्र०सं०	विमानों का प्रकार	विमानों की संख्या	सेवा-काल वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए	यात्री क्षमता
1.	बोइंग 707	5	1964—1968	144
2.	बोइंग 747	9	1971—1980	377
3.	एयरबस ए300-बी4	3	1982	238
4.	एयरबस ए310-300	3	1986	181

एयर इंडिया का 1986 के दौरान अनुसूचित सेवाओं से पांच बोइंग 707 विमानों को हटाने का प्रस्ताव है। इस वर्ष के दौरान एयर इंडिया से विमान-बेड़े में तीन और एयरबस ए310-300 विमान जोड़े जाएंगे। एयर इंडिया का "सम्राट कनिष्क" के बदले जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, एक विमान प्राप्त करने की योजना है।

(ग) एयर इंडिया यात्री और माल क्षमता दोनों के अनुसार विमान परिचालन करती है और इसकी लागत का निर्धारण उपलब्ध टन किलोमीटर के आधार पर किया जाता है न कि प्रति यात्री किलोमीटर के आधार पर। तथापि, एयर इंडिया ने निम्न प्रकार से प्रत्येक प्रकार के विमान के लिए प्रति यात्री किलोमीटर के अनुसार परिचालन लागत निकाली है :—

(1) बोइंग 707	132.4
(2) एयरबस ए300-बी4	82.0
(3) बोइंग 747	75.6

एयरबस ए310-300 विमान के वास्तविक आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हो सके हैं क्योंकि इस विमान को परिचालन में केवल अप्रैल-मई, 1986 से लगाया गया है। तथापि, 1986-87 के बजट अनुमानों के आधार पर, प्रति औसत टन किलोमीटर और प्रति यात्री किलोमीटर पर परिचालन लागत क्रमश: 555.7 पैसा होगा।

एयर इंडिया को खाड़ी के देशों से शुद्ध लाभ

3161. श्री अमल दत्त : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया द्वारा खाड़ी के देशों से अर्जित शुद्ध लाभ अन्य सभी देशों से मिलकर अर्जित कुल लाभ की अपेक्षा अधिक है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) एयर इंडिया को किन क्षेत्रों से हानि हो रही है तथा उसके गत तीन वर्षों के लाभ/हानि के आंकड़ों का क्षेत्रवार/मार्गवार ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय परिपाटी को ध्यान में रखते हुए, एयर इंडिया निवल लाभ का निर्धारण प्रणालीवार आधार पर करती है और न कि विशेष सैक्टर/मार्ग के आधार पर।

मायो अस्पताल, कलकत्ता को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अस्पताल में बदलने का प्रस्ताव

3162. श्री अमल दत्त : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मायो अस्पताल, कलकत्ता का प्रबन्ध ग्रहण करने और उसे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अस्पताल में बदलने का कोई प्रस्ताव रखा गया था और, यदि हां, तो कब तथा उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार मायो अस्पताल को केन्द्रीय सरकार को सौंपने और उसका उपयोग केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना अस्पताल के रूप में करने की पेशकश की है और यदि हां, तो ऐसी पेशकश कब प्राप्त हुई थी और उसके अनुसरण में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) क्या मायो अस्पताल को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अस्पताल में बदलने के लिए अपेक्षित व्यय के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण अथवा आकलन किया गया था और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) मायो अस्पताल का प्रबन्ध ग्रहण करने और उसे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अस्पताल में बदलने के प्रश्न पर बड़ी गहराई से विचार किया गया। यह निर्णय लिया गया है कि मायो अस्पताल का प्रबन्ध ग्रहण न किया जाए।

शांतिनिकेतन में पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना

3163. श्री नित्यानन्द मिश्र : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शांतिनिकेतन में पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि इस परियोजना में भाग लेने के लिए जो राज्य पहले तैयार हुए थे, उन्होंने अब अपनी अनिच्छा जाहिर की है;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा उनके भाग न लेने के क्या कारण है; और

(घ) क्या सहयोगी के बावजूद केन्द्रीय सरकार का इसे जारी रखने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) एक पंजीकृत सोसाइटी पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र का प्रधान मन्त्री द्वारा 5 दिसम्बर, 1985 को शांतिनिकेतन में उद्घाटन किया गया था। केन्द्र के शासी निकाय, कार्यकारी बोर्ड और कार्यक्रम समिति की बैठकें आयोजित की गई हैं। केन्द्र ने कुछ सांस्कृतिक प्रदर्शनों में भाग लिया है।

(ख) और (ग) केवल असम ने केन्द्र की सदस्यता को छोड़ने के सम्बन्ध में सूचित किया है। और यह बताया है कि उत्तर पूर्व क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र में शामिल होकर इसकी सांस्कृतिक आवश्यकताएं अच्छी तरह से पूरी हो सकेंगी। तथापि, राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे अपने निर्णय पर पुन: विचार करें तथा उतर-पूर्व क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र में शामिल होने के अलावा अपनी सदस्यता बनाए रखें।

(घ) और (ङ) पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र अपने कार्यकलापों और कार्यक्रमों को तैयार करने का कार्य कर रहा है।

भारतीय जहाजों के माध्यम से आयात

3164. श्री नित्यानन्द मिश्र : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984, 1985 और 1986 के दौरान भारतीय जहाजों के माध्यम से कितना आयात किया गया है और विशेषकर सरकार द्वारा कितना आयात किया गया है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : भारतीय जहाजों से किया गया कुल आयात इस प्रकार है :—

वर्ष	(आंकड़े मिलियन टनों में)*
1983-84	23.47
1984-85	21.96
1985-86	26.61**

*आंकड़े वित्तीय वर्ष के आधार पर रखे जाते हैं और इसलिए कैलेंडर वर्ष के लिए ब्यौरेवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

**वर्ष 1985-86 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

सरकार के स्वामित्व/नियन्त्रण वाले कार्गो प्रबन्ध जल भू-तल परिवहन विभाग के ट्रांस-चार्ट द्वारा किया जाता है। 1984, 1985 और 1986 के दौरान किए गए आयात की मात्रा, जिसके लिए ट्रांसचार्ट द्वारा भारतीय जहाजों से नौवहन के प्रबन्ध किए गए थे, इस प्रकार हैं :—

वर्ष	(हैंडल किया गया कुल कार्गो लाख टनों में)		
	बल्क	लाइनर	कुल
1984	84.7	11.00	95.7
1985	90.1	16.00	106.1
1986 (जनवरी से जून)	35.2	तत्काल उपलब्ध नहीं	35.2***

***इसमें लाइनर कार्गो शामिल नहीं है।

सूर्य मंदिर, कोणार्क की जीर्ण-शीर्ण स्थिति

3165. श्री नित्यानन्द मिश्र : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर पहले की अपेक्षा तीव्र गति से जीर्ण-शीर्ण होता जा रहा है;

(ख) क्या इस विख्यात मंदिर के एक हिस्से तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है तथा पर्याप्त लवणता-विरोधी उपचार के कारण मंदिर का सूर्योन्मुख भाग नष्ट होता जा रहा है;

(ग) क्या धूप परावर्तकों के माध्यम से अंधकारमय हिस्सों को प्रकाशमय करने के लिए कोई योजना बनाई गई थी और यदि हां, तो इसमें क्या प्रगति हुई है; और

(घ) राष्ट्र की इस बहुमूल्य विरासत को नष्ट होने से बचाने के लिए क्या प्रमुख उपाय किये जा रहे हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) मंदिर के उत्तरी भाग पर पर्याप्त धूप नहीं पहुंचती है तथा इस भाग की ओर कटाव बालू क्षेपण से होता है न कि लवणता-निरोधक उपचार से।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इस स्मारक के परिरक्षण के लिए उठाए गए मुख्य कदम नीचे दिए गए हैं :—

(i) लवणयुक्त हवाओं को, जो सीधी मंदिर से टकराती हैं, रोकने के लिए जिस ओर से हवाएं आती हैं, उस ओर कैजुरीना पट्टी बनाना;

(ii) नमक की जमी पपड़ी को हटाने के लिए एक प्रतिकारक के रूप में लवण अवरोधी उपचार ताकि भारी लवणता से बचा जा सके;

(iii) काई और श्वाक के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए फफूंदी नाशक उपचार;

(iv) इसकी नींव को मजबूत करके इसकी इमारत को सुदृढ़ बनाना;

(v) पानी के रिसाव को रोकने के लिए चिनाई में रिक्त स्थानों में पतले मसाले की पिलाई और टीप करना।

ग्रामीण शिक्षा के लिए परिषद स्थापित करने का सुझाव

3166. श्री नित्यानन्द मिश्र : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण शिक्षा के लिए एक परिषद स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पर विचार किया गया है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या नई शिक्षा नीति में ऐसे किसी निकाय की परिकल्पना की गई है और इस नीति में ग्रामीण शिक्षा के लिए क्या मुख्य प्रस्ताव रखे गये हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) केंद्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद स्थापित करने के प्रस्ताव पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई योजना को अन्तिम रूप देने के बाद ही विचार किया जाएगा।

राजस्थान में नई रेल लाइनें

3167. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में नई रेल लाइनें बिछाने के लिए रेलवे द्वारा कितने सर्वेक्षण किए गए हैं; और

(ख) उन क्षेत्रों का ब्योरा क्या है, जहां 1986-87 के दौरान नई रेल लाइनें बिछाई जाएंगी ?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) पिछले 15 वर्षों में, निर्माण के लिए हाथ में ली गई लाइनों के सर्वेक्षणों के अतिरिक्त, 3 नई लाइनों के सर्वेक्षणों को पूरा किया गया है। चार अन्य लाइनों के लिए सर्वेक्षण चल रहे हैं।

(ख) वर्ष 1986-87 में निम्नलिखित नई लाइनों का निर्माण कार्य चल रहा है, जो अंशतः राजस्थान में हैं :—

1. मथुरा-अलवर
2. कोटा-चित्तौड़गढ़-नीमच

अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन के वास्तुकला निदेशालय को बन्द करना

3168. **श्री अनिल बसु** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन के वास्तुकला निदेशालय को बंद करने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की योजना इसके परिणामस्वरूप फालतू घोषित किए गए कर्म-

चारियों को किस प्रकार खपाने की है; और

(ग) क्या सरकार के इस आश्वासन में कोई परिवर्तन किए जाने की सम्भावना है कि विद्यमान कर्मचारी, अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन संगठन, लखनऊ में सेवानिवृत्त होने तक कार्य करते रहेंगे?

परिवहन मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) जी हां। इसे चरणबद्ध आधार पर किया जाना है।

(ग) संबंधित कर्मचारी अपनी नियुक्ति की सेवा-शर्तों द्वारा शासित होंगे।

महाराष्ट्र में भूतल जल के स्तर का कम होना

3169. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के कई भागों में कुछ वर्षों से भूतल जल का स्तर बड़ी तेजी से घटता चला जा रहा है और सूखे के दौरान पेयजल की कमी से ग्रामवासियों को गांव छोड़ने और शहरों में बसने के लिए विवश होना पड़ता है;

(ख) क्या महाराष्ट्र के ऐसे सूखा प्रवण क्षेत्रों का मूल्यांकन करने हेतु कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है जहां आगामी तीन वर्षों में कुओं और तालाबों में पेयजल पूर्णतः सूख जाएगा और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा इस कठिन स्थिति से निबटने हेतु कोई योजना तैयार की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) महाराष्ट्र में स्थापित हाइड्रोग्राफ नेटवर्क स्टेशनों से जल स्तर के अभिलेखों से पता चलता है कि राज्य के केवल चार तालुकों में भू-जल स्तर में कमी पाई गई है।

(ख) राज्य में 12 जिलों के 76,290 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जिसे सूखा प्रवण वर्गीकृत किया गया है, में 1.4 मिलियन हेक्टेयर मीटर की भूजल क्षमता है। इसमें से 0.49 मि०हेक्ट०मी०का इस समय उपयोग किया जाता है जो कि आपूर्ति-योग्य संसाधनों का 35% है। भूजल की काफी बड़ी क्षमता उपयोग के लिए अभी भी उपलब्ध है, इन क्षेत्रों में पेयजल की कमी की सम्भावना नहीं है।

(ग) ग्रामीण जल आपूर्ति एवं कमी राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत 1986-87 के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 6657 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

चालू वित्तीय वर्ष तथा 7वीं योजना के दौरान नये केन्द्रीय विद्यालय

3170. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सिविल और मिलिट्री क्षेत्रों में नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक क्षेत्र में राज्य-वार स्थानों के नाम क्या है और क्या ये विद्यालय खुल गए हैं अथवा वर्ष के दौरान इनके खोले जाने की सम्भावना है; और

(ग) 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितने विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है और इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक क्षेत्र का ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी हां।

(ख) इस वर्ष अब तक सिविल और प्रतिरक्षा क्षेत्रों में जहां पर केन्द्रीय विद्यालय खोले गए हैं राज्यवार स्थानों के नाम वर्ष-वार संलग्न विवरण में दिया है। इस वर्ष और नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के कुछ प्रस्ताव भी केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विचाराधीन हैं।

(ग) सरकार ने प्रतिवर्ष सिविल और प्रतिरक्षा क्षेत्रों में 1986-90 के चार वर्षों की अवधि के दौरान 100 केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया है।

विवरण

रक्षा सैक्टर

आंध्र प्रदेश

1. नौसेना बाग 11, विशाखापटनम
2. नेवल कोस्ट बैटरी विशाखापटनम

आसाम

3. मीसा
4. मीसाहारी

हिमाचल प्रदेश

5. कसौली

जम्मू-कश्मीर

6. अखनूर

7. इन्द्रा नगर श्रीनगर

पंजाब

8. कपूरथला

9. मामून

10. नाभा कैंट

राजस्थान

11. इतराना

12. जयपुर

13. सूरतगढ़

उत्तर प्रदेश

14. चांदी नगर

15. दादरी

16. आगरा (ए० एफ०)

पश्चिमी बंगाल

17. लेबोंग

18. दम-दम कलकत्ता

19. ए० एफ० एम० तालुआ

अण्डमान निकोबार और द्वीप समूह

20. मिनी खाड़ी पोर्ट ब्लेयर

गोआ दमन और दीव

21. वासको-डे गामा

सिविल सैक्टर

हरियाणा

1. पलवल

हिमाचल प्रदेश

2. मन्डी

केरल

3. केलट्रोन नगर जिला कनानोर

4. पाल्लापुरम, उटटेपलम, जिला पाल ाट

5. मालापुरम

उड़ीसा

6. भवनेसवर, रेलवे कालोनी

राजस्थान

7. अनूपगढ़

8. झुनझुन

उत्तर प्रदेश

9. गाजीपुर

10. अल्मोड़ा

दिल्ली से लेह के बीच आने जाने वाली उड़ानों का रद्द किया जाना

3171. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष वार दिल्ली और लेह के बीच तक दिल्ली और श्रीनगर के बीच आने जाने वाली दोनों तरफ की कितनी उड़ानें रद्द की गई हैं;

(ख) इन उड़ानों के रद्द होने से प्रतिवर्ष कितने यात्रियों को कठिनाई हुई;

(ग) क्या रुके हुए सभी यात्रियों को अगले दिन उनके गन्तव्य स्थान पर ले जाया गया था;

(घ) यदि नहीं, तो अगली उड़ान के लिए उन्हें कितने दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी और उन्हें जाने के लिए क्या सुविधायें उपलब्ध कराई गई; और

(ङ) इन समस्याओं को हल करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

केरल में नए केन्द्रीय विद्यालय

3172. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन }
श्री वक्कम पुरुषोत्तमन } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में उन केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या कितनी है, जिनके लिए सरकार ने इस वर्ष स्वीकृति दी है और वे कहां स्थित हैं;

(ख) क्या केरल के विनाड जिले में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केरल में उन जिलों के नाम, यदि कोई हों, तो क्या है जिनमें कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) केरल में इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित तीन स्थानों के लिए केन्द्रीय विद्यालय संस्वीकृत किए गए हैं :

1. केल्ट्रान नगर, जिला केन्नानोर

2. पल्लापुरम, ओटापल्लम, जिला पालघाट

3. मल्लापुरम, जिला मल्लापुरम

(ख) केरल के व्यनाद जिले में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय विद्यालय संगठन को प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) (i) अल्लीपै

(ii) इदुकी

(iii) किवलोन

(iv) व्यनांद

(v) पाथानमथीटा

इस्पात क्षेत्र के यातायात के लिए रेलवे के स्थान पर सड़क परिवहन प्रयोग करना

3173. डा० बी० एल० शैलेश : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा माल डिब्बों का आबंटन करने में असमर्थता व्यक्त किये जाने के कारण सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र अपने इस्पात उत्पादों को धीरे धीरे सड़क मार्ग से ले जाने पर विचार कर रहे हैं;

(ख) क्या इस्पात क्षेत्र अब तक रेलवे का सबसे बड़ा ग्राहक रहा है और इस्पात संयंत्रों से समस्त माल की ढुलाई रेल द्वारा ही होती नहीं है;

(ग) क्या माल यातायात को रेल मार्ग की बजाए सड़क मार्ग से ले जाने की संभावना का रेल यातायात और रेलवे को होने वाली आय पर प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो इस्पात संयंत्रों की विपणन आवश्यकताओं को पूरा करने में रेलवे की असमर्थता के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस समस्या को हल करने और भाड़े के रूप में भारी आय वाले इस रेल यातायात के लिए सड़क परिवहन का प्रयोग किया जाना रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) इस्पात संयंत्रों द्वारा सौंपे गये सारे

यातायात की निकासी करने में रेलें समर्थ हैं। अत: इस्पात यातायात को सड़क की ओर मोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) जी नहीं। तथापि, इस्पात संयंत्र प्रमुख रेल उपयोगकर्ताओं में से एक है और उनके यातायात के अधिकांश भाग की ढुलाई रेल द्वारा हो रही है।

(ग), (घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे का आधुनिकीकरण करने के लिए पश्चिमी जर्मनी और फ्रांस प्रौद्योगिकी

3174. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे अपने आधुनिकीकरण के कार्यक्रम के लिए पश्चिम जर्मनी और फ्रांस प्रौद्योगिकी की मांग कर रही है;

(ख) यदि हां, तो आधुनिकीकरण के लिए कौन से क्षेत्र चुने गये हैं;

(ग) कार्यक्रम के लिए पूंजी परिव्यय कितना है;

(घ) क्या प्रौद्योगिकियों को चुनने के संबंध में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ङ) निगमित योजना को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

परिवहन मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) रेलें उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी मांग रही हैं। अन्य के साथ-साथ जर्मन और फ्रेंच प्रौद्योगिकी पर भी विचार किया जा रहा है।

(ख) आधुनिकीकरण में रेल प्रौद्योगिकी के लगभग सभी क्षेत्र शामिल हैं और यएक ह सतत प्रक्रिया है।

(ग) इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकियों के, जब कभी उनके अपग्रेडेशन पर विचार किया जाता है, चयन से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं।

(ङ) समवेत योजना 2000 ईस्वी तक की अवधि की होगी और इसका कार्यान्वयन चरणों में होगा।

वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति की आवश्यकता और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का कोटा

3175. **श्री अनादि चरण दास** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में इंजीनियरी, चिकित्सा तथा कृषि के क्षेत्र में अलग-अलग कितने व्यक्ति स्नातक बनकर निकले हैं और उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के स्नातकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या योजना आयोग और जन शक्ति अनुसंधान संस्थान ने देश में विभिन्न श्रेणियों की वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति की भावी आवश्यकताओं और उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की अलग-अलग संख्या के बारे में वर्तमान स्थिति के संबंध में विस्तृत अनुमान तैयार किए; और

(ग) यदि हां, तो इन अनुमानों का विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

श्रीनगर हवाई अड्डे पर सुरक्षा सम्बन्धी जांच

3176. **श्री प्रकाश वी० पाटिल**
श्रीमती गीता मुखर्जी
श्रीमती प्रभावती गुप्त : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जून, 1986 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में यात्रियों की सुरक्षा सम्बन्धी जांच में गंभीर लापरवाही जिससे श्रीनगर हवाई अड्डे के परिसर में बिना तलाशी के अनेक यात्री आ सकते हैं, के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सामान की जांच के संबंध में भी ऐसी लापरवाही बरती जाती है जैसा कि उक्त समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो श्रीनगर हवाई अड्डे पर सुरक्षा सम्बन्धी अपेक्षित जांच सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जी, नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा लाभों के लिए केन्द्रीय सरकार कर्मचारी

3177. श्री अमल दत्त : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कुल कितने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं;

(ख) उक्त भाग (क) में उल्लिखित कर्मचारियों में से कितने कर्मचारी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के लाभों के पात्र हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा लाभों के लिए पात्रता के मानदण्ड क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की कुल संख्या (केन्द्रीय अर्द्ध-सरकारी प्रतिष्ठानों/संगठनों को छोड़कर) लगभग 38 लाख है।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत सेवाएं प्राप्त कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या का एक विवरण संलग्न है।

(ग) किसी नये शहर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का विस्तार करने के लिए यह आवश्यक है कि वहां 7000-7500 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी रहते हों और नया औषधालय खोलने के लिए यह जरूरी है कि वहां 3 कि०मी० के दायरे में 2000 से 2500 सरकारी कर्मचारी रहते हों।

विवरण

31-3-1986 तक सरकारी कर्मचारियों की संख्या

शहर	सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या (कार्डधारी)
1	2
1. इलाहाबाद	23852
2. बम्बई	66719
3. कानपुर	32620

1	2
4. मेरठ	11179
5. नागपुर	21229
6. पटना	15698
7. मद्रास	34052
8. अहमदाबाद	2828
9. कलकत्ता	44453
10. बंगलौर	3[illegible]0[illegible]1
11. हैदराबाद	5[illegible]8[illegible]9
12. जयपुर	12706
13 लखनऊ	9906
14. पुणे	18013
15 दिल्ली	343646*
कुल	7[illegible]2731

*—आंकड़े पेंशन भोगियों सहित।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों में आरक्षण नीति

3178· श्री राम भगत पासवान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को प्रवेश देने में आरक्षण नीति का उल्लंघन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार को इस सम्बन्ध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही

की गई है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) आरक्षण नीति को कार्यान्वित न किए जाने से सम्बन्धित शिकायतों की संख्या के आंकड़े न तो केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय में और न ही इस मंत्रालय में रखे जाते हैं। तथापि, जब कभी ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उनकी सम्बन्धित सहायक आयुक्त द्वारा जांच की जाती है तथा मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

अपराध और अश्लील विषयों से सम्बन्धित फिल्मों के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध

3179. श्री मोहन भाई पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपराध और अश्लील विषयों से सम्बन्धित फिल्मों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाने की भारी मांग है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान रिलीज हुई ऐसी फिल्मों की संख्या कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी कितनी फिल्मों को "ए" प्रमाण पत्र दिया गया है;

(घ) क्या यह सच है कि "ए" प्रमाण पत्र वाली फिल्में "यू" प्रमाण पत्र वाली फिल्मों से अधिक लोकप्रिय होती है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने अपराध और अश्लील विषयों से सम्बन्धित फिल्मों के रिलीज पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए क्या उपाय किए हैं क्योंकि ऐसी फिल्में देश में अपराध बढ़ाने के मुख्य स्रोत हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) विभिन्न वर्गों द्वारा समय-समय पर फिल्मों में आपत्तिजनक मामलों के विरुद्ध विचार प्रकट किए जाते हैं जिसमें वे दृश्य शामिल हैं जिसमें अपराध और अश्लीलता दर्शाई जाती है।

(ख) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा उन निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार फिल्मों की जांच करके उन्हें प्रमाणित किया जाता है जिनमें विशेष रूप से यह व्यवस्था है कि हिंसा जैसे समाज

विरोधी कार्यकलापों का गुणगान न किया जाए अथवा न्यायसंगत न ठहराया जाए, अपराधियों की कार्य-प्रणाली अथवा अन्य दृश्य अथवा किसी अपराध करने के लिए भड़का सकने वाले शब्दों को प्रस्तुत न किया जाए, हिंसा के परिहार्य दृश्यों को न दिखाया जाए और मानवीय भावनाओं को अश्लीलता, अभद्रता और दुश्चरित्रता द्वारा ठेस न पहुंच पाए। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमाणित की गई भारतीय फीचर फिल्मों की संख्या निम्नलिखित है :—

1983	—	741
1984	—	833
1985	—	912

(ग) पिछले तीन वर्षों में जिन फिल्मों को "ए" प्रमाण पत्र दिया गया, उनकी संख्या निम्नलिखित है :—

1983	—	218
1984	—	301
1985	—	284

(घ) यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि "ए" प्रमाणपत्र वाली फिल्में "यू" प्रमाण पत्र वाली फिल्मों से अधिक लोकप्रिय हैं।

(ङ) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा फिल्मों के आपत्तिजनक समझे गए तथा दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अंशों को उन्हें प्रमाणित करने से पहले ही निकाल दिया जाता है।

[हिन्दी]

जापान और पश्चिमी जर्मनी में मन्त्रालय के सम्पर्क अधिकारी

3180. श्री बलराम सिंह यादव : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों में उनके मंत्रालय के सम्पर्क अधिकारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या जापान और पश्चिम जर्मनी में सम्पर्क अधिकारियों के पद समाप्त कर दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) मंत्रालय का भारत

से बाहर किसी भी देश में कोई संपर्क अधिकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

पूर्व रेलवे में कतरास में स्टीम लोको शेड को बन्द करना

3181. श्री बसुदेव आचार्य : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे, धनबाद में कतरास में स्टीम लोको शेड को हाल में बन्द कर दिया गया है जिससे ठेके पर राख की धरा-उठाई करने वाले 55 मजदूरों का रोजगार समाप्त हो गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ख) क्या यह कदम सिविल विविध याचिका संख्या 10984 और 1986 में कोयले की राख की धरा-उठाई करने वाले मजदूरों का रोजगार समाप्त किए जाने से रोकने के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करके उठाया गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मजदूरों ने डिवीजनल रेलवे प्रबन्धक के समक्ष प्रदर्शन किया था और 2-7-1986 को इस कदम के विरोध में ज्ञापन भी दिया था; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी हां। कटरासगढ़ में भाप रेल इंजन शेड को 30-6-1986 को बन्द कर दिया गया था। इस शेड के लिए कोयला और राख सम्हलाई का ठेका उसी दिन समाप्त हो गया था। उपलब्ध सूचना के अनुसार ठेकेदार ने ठेका समाप्त होने से पहले लगाए गए 36 श्रमिकों को सेवा से हटा दिया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) अभ्यावेदकों को सूचित किया गया था कि मंत्रालय की नीति के अनुसार भाप रेल इंजनों को हटाकर कर्षण का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। भाप रेल इंजनो के हटा लिए जान से भाप इंजन शेडों का बन्द होना अनिवार्य है और तदनुसार इन शेडों में कोयला और राख सम्हलाई ठेकों की अब आवश्यकता नहीं होगी।

[हिन्दी]

रेलवे अधिकारियों को प्रशिक्षण

3182. रामेश्वर नीखरा : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी प्रशिक्षण कालेज सभी श्रेणियों के रेलवे अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है;

(ख) क्या प्रशिक्षण की यही सुविधाएं उदयपुर के प्रशिक्षण विद्यालय में भी विद्यमान हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो श्रेणी-ख के अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए उदयपुर के विद्यालय में भेजने के क्या कारण हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां, मूलतः वही सुविधाएं विद्यमान हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेल कर्मचारियों की विधवाओं को फ्लैटों का आबंटन

3183. डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान रेल मंत्रालय/रेल मंत्री द्वारा कितने व्यक्तियों को वरीयता का उल्लंघन करके पारी के बाहर मकानों का आबंटन किया गया है और ऐसा किस आधार पर किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी विधवाओं ने पारी के बाहर फ्लैटों के आबंटन हेतु आवेदन किया है;

(ग) उनमें से कितनी विधवाओं को फ्लैट आबंटित किए गए हैं और कितनी विधवाओं को अभी तक फ्लैट आबंटित नहीं किए गए हैं;

(घ) इन विधवाओं को पारी के बाहर फ्लैट आबंटित करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का इन विधवाओं को भी फ्लैट आबंटित करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (च) क्षेत्रीय रेलों/यूनिटों से सूचना

इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अधवारा समूह की नदियों की बाढ़ नियन्त्रण योजनायें

3184. **श्री अब्दुल हन्नान अन्सारी :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने अधवारा समूह की नदियों के बाढ़ के नियन्त्रण के लिये तीन चरणों वाली एक योजना का प्रस्ताव स्वीकृति के लिये भेजा है ;

(ख) क्या गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग द्वारा इस योजना की जांच की थी; और टिप्पणियां राज्य सरकार को भेज दी थीं;

(ग) क्या अब राज्य सरकार से संशोधित योजनाएं प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो संशोधित योजनाओं का ब्योरा क्या है और सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) जी, हां। योजना के चरण-I और चरण-II की गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग द्वारा जांच की गई थी और टिप्पणियां राज्य सरकार को भेज दी गई थीं। चरण-I की आशोधित स्कीम प्राप्त हो गई है, जिस पर योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा विचार किया गया है और उनकी टिप्पणियां अनुपालना हेतु राज्य सरकार को भेज दी गई है।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

3185. **श्री मारिस कुजूर :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में सबसे अधिक सफल रहे हैं;

(ख) उड़ीसा में वर्ष 1985-86 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने लोगों ने इन सुविधाओं का लाभ उठाया;

(ग) वर्ष 1985-86 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य को कितनी राशि का आबंटन किया गया; और

(घ) वास्तव में कितनी राशि का उपयोग किया गया ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का राज्यवार कार्यान्वयन दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) 1985-86 के दौरान उड़ीसा में 2,06,760 प्रौढ़ निरक्षर नामांकित किए गए थे।

(ग) 1985-86 में केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत 238.96 लाख रु० संस्वीकृत किए गए हैं।

(घ) केन्द्रीय क्षेत्र में राज्य सरकार से खर्च विवरण की प्रतीक्षा है।

विवरण

क्र०सं०	राज्य	वह सीमा जिस तक लक्ष्य प्राप्ति हुई है (प्रतिशत में)	लक्ष्य (1985-86) (लाखों में)	नामांकन (मार्च, 1986) (लाखों में)
1	2	3	4	5
1.	बिहार	142.19	10.40	14.79
2.	केरल	122.18	1.00	1.22
3.	महाराष्ट्र	115.01	5.72	6.58
4.	जम्मू और काश्मीर	106.28	0.77	0.82
5.	कर्नाटक	103.90	3.84	3.99
6.	नागालैंड	102.58	0.20	0.21
7.	मध्य प्रदेश	99.45	7.52	7.48
8.	तमिलनाडु	98.33	7.00	6.88
9.	सिक्किम	97.30	0.15	0.14
10.	हरियाणा	96.84	1.83	1.77
11.	हिमाचल प्रदेश	93.54	0.40	0.37

1	2	3	4	5
12.	उड़ीसा	91.89	2.25	2.07
13.	राजस्थान	89.57	3.66	3.28
14.	उत्तर प्रदेश	86.35	9.00	7.77
15.	असम	83.31	3.62	3.02
16.	त्रिपुरा	78.42	0 40	0.31
17.	पंजाब	78.16	1.25	0.98
18.	पश्चिम बंगाल	77.27	5.50	4.23
19.	गुजरात	68.40	4.15	2.84
20.	आंध्र प्रदेश	52.47	4.40	2.31
21.	मेघालय	38.19	0.40	0.15
22.	मणिपुर	22.15	0.50	0.11
संघ शासित क्षेत्र				
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	242.90	0.02	0.05
2.	मिजोरम	217.34	0.05	0.11
3.	अरुणाचल प्रदेश	177.45	0.13	0.23
4.	चंडीगढ़	112.62	0.06	0.07
5.	पांडिचेरी	110.45	0.15	0.17
6.	दिल्ली	70.83	0.80	0.64

1	2	3	4	5
7.	लक्षद्वीप	64.70	0.01	0.06
8.	दादरा और नगर हवेली	44.20	0.04	0.018
9.	गोआ, दमन और दीव	8.85	0.10	0.008

मधुमेह के रोगियों में मोतियाबिन्द के उपचार के लिए एस्पिरिन का प्रयोग

3186. श्री पी० मानिक रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस्पिरिन मधुमेह के रोगियों में मोतियाबिन्द के उपचार के लिए कई आशाजनक दवाओं में से एक ऐसी दवा सिद्ध हुई है, जैसा कि दिनांक 17 जुलाई, 1986 के स्टेट्समैन में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या यह नया तरीका/उपचार भारत में प्रयोग किया गया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) एस्पिरिन के अथवा मोतियाबिन्द के उपचार के लिए अन्य आशाजनक दवाएं कौन-सी हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) एस्पिरिन तथा कुछ अन्य औषधों में मधुमेह जनित मोतियाबिन्द को बढ़ने से रोकने की सम्भव सामर्थ्य होती है।

(ख) जी नहीं। यह अभी भी अनुसंधान अवस्था में है।

(ग) मोतियाबिन्द के उपचार के लिए एस्पिरिन के अलावा निम्नलिखित औषधों पर अनुसंधान कार्य चल रहा है :—

(i) ग्लुटेथियोन;

(ii) सोरबिनिल; और

(iii) टोलिएस्टेट।

[हिन्दी]

बीना नदी सिंचाई परियोजना

3187. श्री नन्द लाल चौधरी : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सागर जिले में बीना नदी सिंचाई परियोजना को स्वीकृति देने का कोई प्रस्ताव मन्त्रालय के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को कब तक अन्तिम स्वीकृति दिये जाने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) इस परियोजना की स्वीकृति तकनीकी—आर्थिक सक्षमता प्रमाणित होने तथा पर्यावरण एवं वन सम्बन्धी दृष्टिकोण से इसके अनुमोदन प्राप्त करने पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में पश्चिम जोन खेल-कूद केन्द्र खोलने का प्रस्ताव

3188. श्री मुकुल वासनिक : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नेताजी इंस्टीट्यूट आफ स्पोर्ट्स पटियाला का पश्चिम जोन खेल-कूद केन्द्र महाराष्ट्र में खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने कौन-कौन से स्थानों की सिफारिश की है; और

(ग) प्रस्तावित केन्द्र के कब तक कार्य शुरू करने की सम्भावना है ?

युवा कार्यक्रम और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) से (ग) देश के पश्चिमी क्षेत्र में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान का केन्द्र अथवा केन्द्रों को स्थापित करने के प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद में केन्द्र स्थापित करने की सिफारिश की है और वहां इस प्रयोजनार्थ भूमि देने की पेशकश की है। राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल संस्थान के लिए सोसाइटी (स्नाइप्स) जो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान का प्रबन्ध करती है, ने सिफारिश की है कि पश्चिम क्षेत्र में एन०एस०एन० आई०एस० के केन्द्र और औरंगाबाद (महाराष्ट्र) और गांधी नगर (गुजरात) में स्थापित किए जाएं। स्नाइप्स की सिफारिशों पर विचार करके और सभी सम्बन्धित पहलुओं को ध्यान में रखकर सरकार

द्वारा औरंगाबाद (महाराष्ट्र) में एन०एस०एन०आई०एस० प्रशिक्षण केंद्र और गांधीनगर (गुजरात) में एन०एस०एन०आई०एस० का पश्चिमी केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

अब सरकार ने औरंगाबाद में एन०एस०एन०आई०एस० प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है और स्नाइप्स को महाराष्ट्र सरकार से केन्द्र स्थापित करने में राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले अंशदान और भूमि की आवश्यकताओं के बारे में ब्यौरों पर निर्णय लेने के लिए सम्पर्क करने की सलाह दी जा रही है। केन्द्र की शुरुआत इस बात पर निर्भर करेगी कि कब इन ब्यौरों पर निर्णय लिया जायेगा और कब केन्द्र का कार्य शुरू होगा।

एर्णाकुलम—अलेप्पी और अलेप्पी—चेन्कोट्टा रेल लाइन

3189. प्रो० के० वी० थामस
प्रो० पी० जे० कुरियन
: क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एर्णाकुलम—अलेप्पी रेल लाइन पर हुए व्यय का कुल कितना अनुमान है और इस परियोजना के लागत अनुमानों सहित इसके मूल निर्माण कार्यक्रम सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई थी;

(ग) इस परियोजना का कितना प्रतिशत काम पूरा हो चुका है;

(घ) पूरी लाइन के कब तक चालू हो जाने की सम्भावना है;

(ङ) क्या अलेप्पी—चेन्कोटा रेल लाइन के निर्माण के लिए एक परियोजना विचाराधीन है; और

(च) यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ किये जाने की सम्भावना है?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) मार्च, 1986 तक किया गया खर्च 17.22 करोड़ रुपये और 1986-87 के लिए स्वीकृत राशि 3 करोड़ रुपये है। यह 1979-80 में अनुमोदित किया गया था और इसे 12/82 तक चालू करने का मूल कार्यक्रम बनाया गया था। इसकी वर्तमान अनुमानित लागत 39 करोड़ रुपये है।

(ग) 46 प्रतिशत।

(घ) इसका पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा

3190. श्री उमा कान्त मिश्र
डा० सुधीर राय
: क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा के लिए क्या स्पष्ट कार्यक्रम है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को दिशा निदेश देने और उनकी सहायता करने के लिए कोई निर्णय किया गया है;

(ग) प्रत्येक ब्लाक में कम से कम एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के बारे में किसी कार्यक्रम को स्वीकृति दी गई है; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

नई शिक्षा नीति-1986 में व्यावसायिक शिक्षा

शिक्षा के प्रस्तावित पुनर्गठन में व्यवस्थित और सुनियोजित व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम को दृढ़ता से क्रियान्वित करना बहुत ही जरूरी है। इससे व्यक्तियों के रोजगार पाने की क्षमता बढ़ेगी, आजकल कुशल कर्मचारियों की मांग और आपूर्ति में जो असन्तुलन है वह समाप्त होगा और ऐसे विद्यार्थियों को एक वैकल्पिक मार्ग मिल सकेगा जो इस समय बिना किसी विशेष रुचि या उद्देश्य के उच्च शिक्षा की पढ़ाई किए जाते हैं।

व्यावसायिक शिक्षा अपने में शिक्षा की एक विशिष्ट धारा होगी जिसका उद्देश्य कई क्षेत्रों के चुने गए काम-धंधों के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना होगा। ये कोर्स आमतौर पर सेकेंडरी शिक्षा के बाद दिए जाएंगे लेकिन इस योजना को लचीला रखा जाएगा ताकि आठवीं कक्षा के बाद भी विद्यार्थी ऐसे कोर्स ले सकें। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी बड़ी व्यावसायिक शिक्षा के ढांचे के अनुसार चलेंगे ताकि इनमें प्राप्त सुविधाओं का पूरा लाभ उठाया जा सके।

स्वास्थ्य नियोजन और स्वास्थ्य सेवा प्रबन्ध को उस क्षेत्र के लिए आवश्यक जनशक्ति प्रशिक्षण से जोड़ा जाना चाहिए। इसके लिए स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की आवश्यकता होगी। प्राथमिक और अन्य मध्य स्तर पर स्वास्थ्य की शिक्षा पाने से व्यक्ति परिवार और समाज के स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्ध होगा। इससे उच्चतर माध्यमिक स्तर पर स्वास्थ्य से सम्बन्धित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ेगी। कृषि, विपणन, सामाजिक सेवाओं आदि के क्षेत्र में भी इसी प्रकार के पाठ्यक्रम तैयार किये जाएंगे। व्यावसायिक शिक्षा में ऐसी मनोवृत्तियों, ज्ञान और कुशलताओं पर बल रहेगा उनसे उद्यमोपन और स्वरोजगार की प्रवृति को बढ़ावा मिलेगा।

व्यावसायिक पाठ्यचर्याओं या संस्थाओं को स्थापित करने का दायित्व सरकार पर और सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के सेवा नियोजकों (एम्पलायर्स) पर होगा, तो भी सरकार स्त्रियों, ग्रामीण और जनजातियों के विद्यार्थियों और समाज के वंचित वर्गों की आवश्यकता पूरी करने के लिए विशेष कदम उठाएगी। विकलांगों के लिए भी समुचित कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के स्नातकों को ऐसे अवसर दिए जाएंगे जिनके फलस्वरूप के पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार व्यावसायिक विकास कर सकें, कैरियर में तरक्की पा सकें और सामान्य तकनीकी एवं उच्च स्तरीय व्यवसायों के कोर्सों में प्रवेश पा सकें।

नव साक्षर लोगों, प्राथमिक शिक्षा पूरी किये हुए युवाओं, स्कूल छोड़ आने वालों और रोजगार में या आंशिक रोजगार में लगे हुए व्यक्तियों के लिए भी अनौपचारिक लचीले और आवश्यकता पर आधारित व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इस सम्बन्ध में महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की अकादमिक धारा के स्नातक यदि चाहें तो उनके लिए उच्च स्तरीय व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का प्रबन्ध किया जाएगा।

यह प्रस्ताव है कि उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों का दस प्रतिशत 1990 तक और 25 प्रतिशत 1995 तक व्यावसायिक पाठ्यचर्या में आ जाए। इस बात के लिए कदम उठाए जाएंगे कि व्यावसायिक शिक्षा पाकर निकले हुए विद्यार्थियों में से अधिकतर को या तो नौकरी मिले या वे अपना रोजगार स्वयं कर सकें। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का पुनरीक्षण नियमित रूप से किया जायेगा। माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रमों के विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार अपने अधीन की जाने वाली भर्ती की नीति पर भी पुनः विचार करेगी।

व्यावसायीकरण के लिए कार्रवाई योजना तैयार की जा रही है और संसद के समक्ष विचारार्थ शीघ्र ही प्रस्तुत की जाएगी।

[अनुवाद]

गुजरात में रेलवे का विकास

3191. श्री अमरसिंह राठवा : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के पिछड़े क्षेत्रों, विशेषकर बड़ौदा जिले में रेल लाइनों को बदलने, कोयले से चलने वाले पुराने इंजनों के स्थान पर भाप से चलने वाले इंजनों की व्यवस्था करने और रेल लाइनों का विस्तार करने जैसी रेल सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

परिवहन मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) गुजरात राज्य में, भुज-नालिया के बीच एक नई रेल लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है। भारतीय रेलों पर सभी भाप रेल इंजन कोयले से चलते हैं;

(ख) और (ग) गुजरात राज्य में नई लाइनें बिछाने और मौजूदा लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने के लिए मांगें प्राप्त हुई हैं। निम्नलिखित लाइनों के सर्वेक्षण पूरे हो गए हैं :—

(1) प्रतापनगर—छोटा उदयपुर/तनखाला छोटी लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव।

(2) अंकलेश्वर-राजपिपला मीटर लाइन का बडी लाइन में बदलाव और इसका गो:ा तक विस्तार।

(3) तारापुर और भावनगर के बीच नई बड़ी लाइन।

इन्हें वित्तीय दृष्टि से अलाभप्रद आंका गया था। गांधीधाम भुज मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने और मांडवी के रास्ते भुज/गांधी धाम से लखपत तक बड़ी लाइन बिछाने के लिए भी सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया है।

दाहोद रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधायें

3192. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम निदेशों के अनुसार दाहोद रेलवे स्टेशन पर दी जाने वाली यात्री-सुख सुविधायें क्या हैं;

(ख) कितनी सुविधाओं की वास्तव में व्यवस्था की जा चुकी है और पैदल ऊपरिपुलों सहित कितनी सुविधाएं अभी दी जानी शेष हैं ?

परिवहन मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) दाहोद रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) इस स्टेशन पर प्लेटफार्मों पर छत सहित प्रतीक्षालयों, बेंचों, पीने के पानी के नलों, शौचालयों, प्लेटफार्मों, बुकिंग खिड़कियों, पुरुषों और महिलाओं के लिए ऊंचे दर्जे के प्रतीक्षा कक्षों, चाय स्टाल, बुक स्टाल और ऊपरी पैदल पुल जैसी यात्री सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

इस स्टेशन पर ऊपरी पैदल पुल सहित पर्याप्त यात्री सुविधायें मौजूद हैं। इस स्टेशन पर निष्पादन के लिए कोई स्वीकृत यात्री सुविधा सम्बन्धी निर्माण लम्बित नहीं पड़ा है।

परिवार नियोजन आपरेशनों के लिए आगे आने में बाधायें

3193. श्री आर० एस० माने : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवार नियोजन आपरेशन कराने हेतु आगे आने वाले लोगों की मुख्य कठिनाई साफ सुथरे और अच्छे अस्पतालों का अभाव है; और

(ख) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी माध्यम से सहयोग प्राप्त करने के बजाय लोगों को परिवार नियोजन के लिए सक्रिय रूप से आगे लाने हेतु गैर-सरकारी एजेंसियों को इसमें शामिल करने का है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं। इस विभाग में ऐसी कोई शिकायक प्राप्त नहीं हुई है जिसमें यह कहा गया हो कि अस्पतालों में अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों के कारण लोग परिवार नियोजन आपरेशन कराने के लिए अस्पतालों में जाने के इच्छुक नहीं हैं।

(ख) परिवार कल्याण कार्यक्रम में उन, प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टीशनरों को शामिल करने की योजना पहले ही चल रही है जो भारतीय चिकित्सा संघ और राष्ट्रीय एकीकृत चिकित्सा संघ के सदस्य हैं। ये प्राइवेट मेडीकल प्रेक्टीशनर पुरुष नसबन्दी, महिला नसबन्दी आपरेशन करते है और आई० यू० डी० भी लगाते हैं। इन प्रेक्टीशनरों को अपने प्राइवेट क्लीनिकों/नर्सिंग होम में महिला/पुरुष नसबन्दी आपरेशन करने के प्रत्येक मामले में 50/—रुपये तथा आई० यू० डी० निवेशन के प्रत्येक मामले में 5/ रुपये का भुगतान किया जाता है। ये प्रेक्टीशनर अपने व्यावसायिक कार्य के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए शैक्षिक और प्रेरणात्मक कार्य भी कर सकते हैं। भारतीय चिकित्सा संघ और राष्ट्रीय एकीकृत चिकित्सा संघ की स्थानीय शाखाओं द्वारा उन्हें परिवार नियोजन साहित्य, खाई जाने वाली गोलियां और निरोध की सप्लाई करनी होती है जिसका उन्हें उचित रिकार्ड रखना होता है और राष्ट्रीय एकीकृत चिकित्सा संघ और राष्ट्रीय एकीकृत चिकित्सा संघ की स्थानीय शाखाओं के माध्यम से इसकी सूचना समय-समय पर जिला परिवार कल्याण अधिकारी को भेजनी होती है। भारतीय चिकित्सा संघ और राष्ट्रीय एकीकृत चिकित्सा संघ की शाखाओं के अनुरोध पर राज्य परि-कल्याण ब्यूरो/जिला परिवार कल्याण ब्यूरो यह सामग्री सप्लाई करते हैं।

प्रचलित गर्भ निरोधकों और खाई जाने वाली गोलियों तथा आई०यू०डी० निवेशन के मामले में प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टीशनरों और सक्रिय सहयोग लेने के लिए एक नई योजना तैयार की गई है और उस पर कारंवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

नजफगढ़ अस्पताल में अधिक बिस्तरों की व्यवस्था करना

3194. श्री भरत सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण दिल्ली के नजफगढ़ टाउन में मन्त्रालय द्वारा संचालित केवल एक अस्पताल है और यहां दिल्ली प्रशासन अथवा दिल्ली नगर निगम का कोई अन्य अस्पताल नहीं है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि इस अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बहुत कम है और यहां पूरी चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध नहीं है जिसके परिणामस्वरूप मरीजों को दिल्ली ले जाना पड़ता है और यदि हां, तो क्या सरकार का इस अस्पताल में निकट भविष्य में अतिरिक्त बिस्तरों और अन्य चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करने का विचार है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस०कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) नजफगढ़ में इस मंत्रालय अथवा दिल्ली प्रशासन द्वारा कोई अस्पताल नहीं चलाया जा रहा है। वैसे नजफगढ़ में ग्राम स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र का एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। इस केन्द्र में जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सेवाएं, प्राथमिक उपचार प्रदान करने और छोटी-मोटी बीमारियों से पीड़ित रोगियों को देख-रेख के लिए ग्यारह पलंग है। सबसे नजदीक अस्पताल तिलकनगर में है, जो नजफगढ़ से लगभग 12 कि० मी० दूर स्थित है। दिल्ली प्रशासन नजफगढ़ से लगभग 10 कि० मी० दूर जफरपुर गांव में एक और अस्पताल खोल रहा है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश और उत्तरी राज्यों में रेलवे लाइनों के सम्बन्ध में असंतुलन

3195. श्री गोपाल कृष्ण थोटा : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वतंत्रता के पश्चात आंध्र प्रदेश में निर्माण की गई नई रेलवे लाइनों की संख्या उत्तरी राज्यों की तुलना में बहुत कम है; और

(ख) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश में उर्वरक कारखानों की स्थापना करने को ध्यान

में रखते हुए मद्रास हावड़ा (वारास्ता) काकीनाडा मुख्य लाइन को, जो समालकोट से लगभग 8 कि० मी० दूर है, दूसरे मार्ग पर ले जाने का है ?

परिवहन मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) नई रेल लाइनें बिछाने का कार्य क्षेत्रीय या राज्य आधार पर नहीं किया जाता है, बल्कि सामाजिक-आर्थिक और परिचालनिक दृष्टियों से किया जाता है। यदि राज्य आधार पर देखा जाए तो स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद कुछ उत्तरी राज्यों में रेल जाल तंत्र का विस्तार आंध्र प्रदेश की तुलना में कम तथा अन्य राज्यों की तुलना में अधिक हुआ है।

(ख) जी नहीं।

पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारियों की झूसी आवास निर्माण सहकारी समिति, इलाहाबाद को रेलवे की भूमि का आबंटन

3196. **श्री डालचन्द्र जैन** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारियों की झूसी आवास निर्माण समिति, इलाहाबाद को रेलवे की अतिरिक्त भूमि देने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या झूसी रेलवे स्टेशन पर रेलवे की कोई ऐसी भूमि है जो बेकार पड़ी है और उसका किसी प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी कुल कितनी भूमि है और क्या सरकार इस भूमि के आबंटन के बारे में विचार करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दक्षिण पूर्व रेलवे गाड़ियों में स्थान उपलब्ध कराने की योजना

3197. **श्री एच० बी० पाटिल** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे की लम्बी दूरी की डाक व एक्सप्रेस गाड़ियों में किसी भी यात्री को वर्ष में किसी भी दिन और किसी भी गंतव्य स्थान के लिए सीट उपलब्ध कराने की गारन्टी देने में भारतीय रेल के नौ जोनों में सबसे आगे माना गया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और इसका यदि कोई आधार है तो वह क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) दक्षिण-पूर्व रेलवे ने वर्ष 1985-86 के दौरान दुर्गा पूजा, क्रिसमस और ग्रीष्मकालीन भीड़-भाड़ की निकासी के लिए तथा हावड़ा से केवल मद्रास, बम्बई, पुरी और रांची की यात्राओं के लिए सीमित अवधि के लिए पक्के आरक्षण की पद्धति को आरम्भ किया है। अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाकर या वैकल्पिक गाड़ियों में व्यवस्था करके अथवा विशेष गाड़ियों की व्यवस्था करके स्थान सुनिश्चित किये जाते थे। रेलों द्वारा विज्ञापित तिथि तक अपनी यात्रा पूरी करने वाले प्रतीक्षा-सूचीबद्ध यात्रियों की इस व्यवस्था के अन्तर्गत निकासी कर दी गई थी।

राष्ट्रीय खेल संस्थान के केन्द्रों में प्रशिक्षण का स्तर

3198. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खेल संस्थान के केन्द्रों में प्रशिक्षकों सहित विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधायें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन केन्द्रों की प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

युवा कार्यक्रम और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला ने सूचित किया है कि एन०एस०एन०आई०एस०, पटियाला में उपलब्ध प्रशिक्षण की सुविधायें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की है। इनके दक्षिण केन्द्र, बंगलौर और पूर्वी केन्द्र, कलकत्ता में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधायें उत्पन्न करने के लिए पहले ही कदम उठाए गए हैं। एन० आई० एस० के बहुत से प्रशिक्षक उन्नत देशों में प्रशिक्षण लेकर उच्च कोटि की अहर्ताएं प्राप्त किए हुए हैं। इतना होते हुए भी उनकी प्रशिक्षण क्षमताओं में सुधार करने को ध्यान में रख कर विदेशी विशेषज्ञ प्रशिक्षकों की सेवाएं समय-समय पर ली जाती हैं।

कलाईकुंडा रेलवे यार्ड दक्षिण-पूर्व रेलवे) की क्षमता

3199. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलाईकुंडा रेलवे यार्ड (दक्षिण-पूर्व रेलवे) की क्षमता कितनी है;

(ख) कलाईकुंडा रेलवे यार्ड में एक समय में कितने रेल माल डिब्बों से माल उतारा जा सकता है;

(ग) क्या रेलवे अधिकारियों ने एक समय में इतने माल रेल डिब्बों से माल उतारने के अनुदेश जारी किये हैं जो कि इस रेलवे स्टेशन में विद्यमान रेलवे यार्ड की क्षमता से अधिक हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) इसमें बी०ओ०एक्स० किस्म के 44 माल डिब्बों अथवा बी०सी०एक्स० किस्म के 37 माल डिब्बो के पूरे रेक खड़े किये जा सकते हैं।

(ख) यहां एक ही समय में बी०ओ०एक्स०किस्म के 44/बी०सी०एक्स०के 37 माल डिब्बों के पूरे रेक खाली किए जा सकते हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

देश में प्लेनेटेरियम

3200. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने प्लेनेटेरियम हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से बंगलौर शहर में एक प्लेनेटेरियम के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) कलकत्ता, बम्बई, इलाहाबाद, बड़ोदा, दिल्ली, हैदराबाद और पुष्पाप्रुथी में सात बड़े और पोरबन्दर, सूरत, वारंगल, विजयवाड़ा, लुधियाना और मुजफ्फरपुर में छः छोटे तार-घर विद्यमान हैं।

(ख) बंगलौर शहर में तारघर के निर्माण के लिए कर्नाटक सरकार से वित्तीय सहायता के लिए अभी तक कोई भी अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा नई शिक्षा नीति के अनुसार पाठ्य पुस्तकें तैयार किया जाना

3201. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह
श्री जगन्नाथपटनायक } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नई शिक्षा नीति के अनुसार पाठ्य पुस्तकें तैयार करने में तीन वर्ष लगने की संभावना है, जैसा कि 9 जुलाई, 1986 के स्टेट्समैन में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने इसके लिए कक्षा-वार आधार पर एक कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ग) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यह भी सुनिश्चित करेगी कि ये पाठ्य पुस्तकें शैक्षिक वर्ष के शुरू होने पर विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने नई शिक्षा नीति के अनुरूप I से XII तक के लिए मॉडल पाठ्य पुस्तकों का विकास करने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है। सेवारत शिक्षकों के अवस्थापन को शिक्षण तथा अध्ययन के नए दृष्टिकोण को लागू किए जाने के साथ-साथ प्रारम्भ किया जाना चाहिए जैसा कि पाठ्य पुस्तकों की नई श्रृंखलाओं में इसके प्रतिबिम्बित होने की संभावना है, इन्हें निम्नलिखित रूप में एक चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा:—

(ख) कक्षा I, III तथा VI के लिए पाठ्यपुस्तकें मार्च,1987 के अन्त तक मुक्त की जाएंगी II, IV, VII, IX तथा XI के लिए पाठ्य पुस्तकें मार्च, 1988 तक मुक्त किए जाने का कार्यक्रम है, तथा कक्षाएं V, VII, X तथा XIII के लिए पाठ्य पुस्तकें मार्च, 1989 तक मुक्त की जायेंगी।

(ग) परिषद अंग्रेजी तथा हिन्दी में मॉडल पुस्तकें तैयार करेगी। राज्य सरकारों तथा स्कूल शिक्षा बोर्डों से यह आशा की जाती है कि वे इन मॉडल पाठ्य पुस्तकों को अपनाने/उन्हें अपने अनुरूप बनाने तथा क्षेत्रीय भाषाओं में इनका अनुवाद करने के लिए प्रयोग करें। उल्लिखित कार्यक्रम में यह सुनिश्चित किया गया है कि मॉडल पाठ्य पुस्तकें स्कूलों को ठीक समय पर और स्कूल का वर्ष शुरू होने के समय रा० शै० अनु० व प्र० परि० द्वारा प्राप्त आर्डरों के आधार पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करायी जाएगी।

[हिन्दी]

टिकटों के आरक्षण का रद्द किया जाना

3202. **प्रो० चन्द्र भानु देवी :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिकटों के आरक्षण को रद्द करने के संदर्भ में नये नियमों के लागू होने के पश्चात् लोगों को और अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इसके परिणामस्वरूप उन्हें आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का

विचार है ?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) धन वापस करने की प्रक्रिया 1.1.1986 से सरल बना दी गई है। नये नियमों के अन्तर्गत अधिकांश मामलों में यात्री उन्हीं स्टेशनों पर धनराशि वापस ले सकते हैं जहां से उन्होंने टिकट खरीदे थे। यदि आरक्षित टिकट दो दिन पहले, यात्रा की तारीख को छोड़कर, रद्द कराये जाते हैं तो 50 प्रतिशत रद्दकरण प्रभार वसूल किया जाता है। ऐसा समाज विरोधी तत्वों को हतोत्साहित करने के लिए किया गया है जो वास्तविक यात्रियों की आरक्षित सीटें/शायिकाएं हथिया लेते हैं।

बिहार की सिंचाई परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता

3203. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की सहायता से बिहार में सिंचाई परियोजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव है।

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किन परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया गया है;

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल की गई परियोजनाओं के क्या नाम हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य कितने चरणों में पूरा किया जाएगा और उनके पूरा होने में कितना समय लगने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) (I) केवल सुवर्णरेखा बहुप्रयोजनी परियोजना क्रियान्वणाधीन है तथा इसे 4 वर्षों में पूरा किया जाना है।

(II) बिहार नलकूप सिंचाई परियोजना, जिस पर हाल ही में विश्व बैंक के साथ बातचीत की गई है, के 7 वर्ष के एक चरण में पूरा हो जाने की आशा है, तथा

(III) राज्य सरकार द्वारा सोन नहर आधुनिकीकरण परियोजना को प्रत्येक 5 वर्ष के तीन चरणों में हाथ में लेने का प्रस्ताव है। तथापि, इस परियोजना के केवल प्रथम चरण को विश्व बैंक की सहायता हेतु प्रस्तुत किए जाने का प्रस्ताव है।

नजफगढ़ क्षेत्र में और अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना

3204. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 64 गांवों का नजफगढ़ क्षेत्र भी दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत आता है;

(ख) क्या 64 गांवों के लिये 20 बिस्तर वाला केवल एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है जिसके परिणामस्वरूप गम्भीर हालत वाले रोगियों को सफदरजंग अस्पताल जाना पड़ता है;

(ग) क्या सरकार का विचार नजफगढ़ क्षेत्र में और अधिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) सामुदायिक विकास खण्ड, नजफगढ़ के अन्तर्गत आने वाले 64 गांवों को 1981 की जनगणना के अनुसार दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ख) सामुदायिक विकास खण्ड, नजफगढ़ के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (27 पलंगों वाले), 16 उप केन्द्र और 22 औषधालय हैं।

(ग) और (घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मौजूदा जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्तमान सुविधाएं पर्याप्त समझी जाती हैं।

[अनुवाद]

कोल्हापुर-रत्नगिरि और कराड़—चिपलस के बीच रेल सम्पर्क

3205. **श्री हुसैन दलवाई :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कोल्हापुर-रत्नगिरि और कराड़—चिपलस के बीच रेल सम्पर्क का कार्य आरम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इन दो रेल मार्गों की अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) क्या इन दोनों रेल मार्गों का कार्य इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह रेलमार्ग तटवर्ती क्षेत्र के पर्वतीय और दुर्गम स्थानों के लिए है जहां इस समय कोई रेल सम्पर्क नहीं है प्राथमिकता के आधार पर प्रारम्भ किया जायेगा ?

परिवहन मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मान्यता प्राप्त/गैर मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों की राज्यवार संख्या

3206. श्री मोहन भाई पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों की संख्या कितनी है और उनकी राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या गैर मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज भी भारी संख्या में चल रहे हैं और यदि हां, तो उनकी राज्यवार संख्या कितनी है और किस प्राधिकारी द्वारा इन कालेजों को स्वीकृति दी गई है;

(ग) क्या मान्यता प्राप्त कालेजों के अपर्याप्त संख्या में होने के कारण लोगों को भारी धनराशि देकर अपने बच्चों को इन गैर-मान्यता प्राप्त कालेजों में भर्ती कराना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा परिषद ने सूचित किया है कि परिषद द्वारा अनुमोदित मेडिकल कालेजों की संख्या 106 है और गत कुछेक वर्षों के दौरान 15 और मेडिकल कालेज (15 का प्राइवेट प्रबन्ध के अन्तर्गत और दो का राज्य सरकार के अन्तर्गत) केन्द्रीय सरकार और परिषद के पूर्वानुमोदन के बिना शुरू किये गये हैं। राज्यवार ब्योरा इस प्रकार है :—

मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज

1.	आंध्र प्रदेश	8
2.	असम	4
3.	बिहार	9
4.	दिल्ली	4
5.	गुजरात	5
6.	जम्मू व कश्मीर	2
7.	केरल	4
8.	तामिलनाडु और पांडिचेरी	10

गैर-मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज

1.	आंध्र प्रदेश	2
2.	केरल	1
3.	कर्नाटक	7
4.	महाराष्ट्र	3
5.	तमिलनाडु	4
	योग :	17

मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज		
9.	मध्य प्रदेश	6
10.	महाराष्ट्र	14
11.	कर्नाटक	9
12.	उड़ीसा	3
13.	पंजाब	5
14.	हरियाणा	1
15.	हिमाचल प्रदेश	1
16.	राजस्थान	5
17.	उत्तर प्रदेश	9
18.	पश्चिम बंगाल	7
	योग :	106

(ग) भारत सरकार इस समय देश की चिकित्सा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए मौजूदा कालेजों को पर्याप्त समझती है तथा वह देश में नये कालेज खोलने के पक्ष में नहीं है। चिकित्सा कार्मिकों को प्रशिक्षित करने से संबंधित मौजूदा सुविधाओं को सुदृढ़ करने और उनका सुधार करने पर बल दिया जाता है न कि इसके विस्तार पर।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे के लिए जर्मन संघीय गणराज्य/फ्रांस से जानकारी प्राप्त करना

3207. डा० जी० विजय रामाराव : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे आधुनिकीकरण के लिए जर्मन संघीय गणराज्य/फ्रांस से जानकारी प्राप्त कर रही है;

(ख) हमारे "रेल इण्डिया टेक्नीकल एण्ड इकानामिक सर्विसेज" को विदेशों में ठेके मिलने के बावजूद रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए विदेशों से जानकारी प्राप्त करने का क्या औचित्य है; और

(ग) क्या देश में अनुसंधान और विकास कार्य में आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं हुई है अथवा विकसित नहीं की गई है ?

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी हां (अन्य देशों से सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध जानकारी के साथ-साथ)

(ख) यद्यपि राइट्स और भारतीय रेलें अन्य देशों में कुछ रेलवे प्रणालियों के आधुनिकीकरण में सहायता करने की स्थिति में है; लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि कतिपय चुनिंदा क्षेत्रों में कुछ विदेशी रेलों से भारतीय रेलों को जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) रेलवे प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में पूर्णतः नहीं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रावेशिक शुल्क लेने वाले संस्थानों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

3208. श्री सुरेश कुरूप : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1984 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रावेशिक शुल्क लेने वाले कालेजों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने की शक्ति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऐसे किसी संस्थान के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे संस्थानों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1984 में वि० अ० आ० को उन मामलों को, जिनके सम्बन्ध में शुल्क वसूल किया जा सकता है तथा उन मानदण्डों को, जिनके अनुसार किसी कालेज द्वारा ऐसे शुल्क वसूल किए जा सकते हैं, विनियमों द्वारा निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विस्तृत विनियम तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त की है। विनियमों को अन्तिम रूप दिए जाने और किसी निर्धारित तारीख से लागू किए जाने के पश्चात् ही विभिन्न कालेजों द्वारा शुल्क एकत्र किए जाने को विनियमित किया जा सकता है।

जादवपुर विश्वविद्यालय द्वारा एक्स-रे मशीन का निर्माण

3209. श्री नारायण चौबे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 जुलाई, 1986 के बंगला दैनिक "आनन्द बाजार पत्रिका" में छपे इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि जादवपुर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा एक नये माडल की एक्स-रे मशीन बनाई गई है जिससे एक्सरे फिल्मों की लागत काफी कम हो जायेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन मशीनों का सरकारी अस्पतालों में उपयोग करने जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी हां।

(ख) जादवपुर विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जब मौजूदा एक्स-रे मशीन के साथ इस मशीन को प्रयोग में लाया जाता है तो यह मशीन कागज पर एक्स-रे के चित्र दर्शाती है। एक्स-रे फिल्म की आवश्यकता नहीं होती और इस पर कम व्यय होता है। इलेक्ट्रानिक कमीशन इस प्रौद्योगिकी को अंतरित कर रहा है।

(ग) और (घ) भारत सरकार उपयोगिता की दृष्टि से इस मशीन की जांच कर लेने के बाद इस मशीन का सरकारी अस्पतालों में प्रयोग किये जाने के विरुद्ध नहीं है।

जहाज निर्माण उद्योग के पास क्रयादेशों का अभाव

3210. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे और मझोले क्षेत्र के शिपयार्ड उद्योग को कम क्रयादेश प्राप्त हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उद्योग को चालू रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या समुद्री जलपोतों के आयात को उदार बनाने का प्रस्ताव किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसा करने से उद्योग में संकट नहीं आएगा; और

(ङ) क्या जहाज निर्माण उद्योग को प्रोत्साहन देने और विदेशी मुद्रा की निकासी में कमी करने के लिए कोई कदम उठाने की योजना तैयार की गई है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) प्रबल मंदी की परिस्थितियों के अन्तर्गत भारत सहित विश्व के सभी शिपयार्ड आर्डरों की कमी का सामना कर रहे हैं। उद्योग को जारी रखने के लिए सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उनमें ये कदम शामिल हैं :—

(I) फ्लोटिंग क्राफ्ट्स का आयात स्वदेशी क्लीयरेंस की शर्त पर है तथा फिशिंग ट्रालर का आयात समरूप परस्पर-बाध्यता की शर्त पर है।

(II) तकनीकी एवं उत्पादन-प्रक्रिया को अद्यतन बनाने के लिए चयनात्मक विदेशी सहयोग की अनुमति देना।

(III) अनुषंगिक उद्योग के लिए विकास सहायता प्रदान करना।

(IV) बड़े महासागर में आने वाले जहाजों एवं फिशिंग ट्रालरों के स्वदेशी उत्पादन के लिए सबसिडी स्कीम प्रारम्भ करना।

(ग) से (ङ) इस सम्बन्ध में सरकारी नीति को सुव्यवस्थित किया गया है ताकि निश्चित समय के अन्तर्गत फिशिंग ट्रालरों के फ्लीट में वृद्धि करते हुए गहरे समुद्र की मछलियों के निर्यात को बढ़ाने तथा भारत में फिशिंग ट्रालरों के निर्माण द्वारा उपयुक्त आयात को समानुपातिक ढंग से प्रतिस्थापित करने के दोहरे प्रयोजनों को सिद्ध किया जा सके।

वर्ष 1985-86 के दौरान फिल्मों का निर्माण

3211. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 के दौरान विभिन्न भाषाओं में कितने कथा-चित्रों एवं वृत्त चित्रों का निर्माण किया गया ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा पंचाग वर्ष 1985 और जनवरी—मई 1986 की अवधि के दौरान भाषावार प्रमाणित चल-चित्रों की संख्या निम्नलिखित है :—

क्र० सं०	भाषा	1985 (जनवरी-दिसम्बर)	1986 (जनवरी—मई)
1	2	3	4
1.	तेलगू	198	76
2.	तमिल	190	70
3.	हिन्दी	187	69
4.	मलयालम	137	57

1	2	3	4
5.	कन्नड़	69	25
6,	बंगाली	28	19
7.	गुजराती	22	7
8.	उड़िया	17	5
9.	मराठी	16	4
10.	हरियाणवी	10	4
11.	असमी	10	5
12.	पंजाबी	8	3
13.	भोजपुरी	6	8
14.	नेपाली	4	—
15.	राजस्थानी	3	—
16.	उर्दू	2	1
17.	मैथिली	1	—
18.	निमाड़ी	1	—
19.	दिमासा	1	—
20.	अंग्रेजी	1	—
21.	कोंकणी	1	—
22.	बोदो	—	1
23.	सिन्धी	—	1
		912	355

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने लघु फिल्मों, जिसमें वृत्त-चित्र भी शामिल है, का ब्यौरा नहीं

रखती। पंचांग वर्ष 1985 के दौरान 448 वृत्त-चित्र और जनवरी —मई 1986 की अवधि के दौरान 165 फिल्म प्रमाणित की गई थी।

जल पोतों का सुपुर्दगी सम्बन्धी कार्यक्रम

3212. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग संघ द्वारा किये गये अध्ययन के बारे में दिनांक 3-7-1986 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" नई दिल्ली में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसके अनुसार भारतीय शिपयार्ड द्वारा निर्मित जलपोतों का सुपुर्दगी कार्यक्रम गम्भीर रूप से प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृति देने सम्बन्धी प्रक्रियागत आवश्यकताएं पूरा करने के कारण हुए इस अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रणाली को सरल और कारगर बनाने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) देश में ही फिशिंग ट्रालरों के निर्माण के लिए पुर्जों के आयात के लिए आयात लाइसेंस जारी करने की निर्धारित प्रक्रिया के कारण प्रारम्भ में कुछ विलम्ब हुआ। इसे जनवरी, 1986 में ठीक कर दिया गया है। यह आशा की जाती है कि नई प्रक्रिया से विभिन्न स्वदेशी शिपयार्डों को आयात लाइसेंस जारी करने में कम समय लगेगा। फिशिंग ट्रालरों सम्बन्धी शक्ति प्राप्त समिति इस प्रणाली की कुशलता की अनवरत समीक्षा करती रहती है।

कागज की घटिया किस्म और बढ़ते हुए मूल्य

3213. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न अनुदानों के बढ़ते मूल्यों के कारण भारत में प्रकाशन उद्योग गम्भीर संकट में है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रकाशकों की सबसे बड़ी समस्या कागज के बढ़ते मूल्य और इसकी किस्म घटिया होना है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि विभिन्न निवेशों की बढ़ती हुई कीमतों के कारण भारतीय पुस्तक उद्योग कुछ कठिनाइयों का सामना कर रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने कागज के उत्पादन को बढ़ाने और उसकी कोटि को उत्कृष्ट बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इसमें उत्पादन शुल्क में छूट, कच्चे माल के आयात में उदारता और अवस्थापना सम्बन्धी सहायता में वृद्धि शामिल है। इन उपायों के फलस्वरूप कागज के उत्पादन में पहले ही वृद्धि हुई है।

कर्नाटक में कन्नड़ भाषा का अनिवार्य किया जाना

3214. डा० दत्ता सामन्त : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान कर्नाटक सरकार के दिनांक 30-4-1982 के आदेश संख्या 113 एस०ओ०एच० 79 पर आकर्षित किया गया है जिसके द्वारा वर्ष 1982-83 से गैर-कन्नड़ स्कूलों में प्रथम कक्षा में कन्नड़ भाषा को प्रथम भाषा के रूप में पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि कर्नाटक सरकार ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगांव, निप्पानी, खानपुर आदि सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां अधिसंख्यक लोग मराठी भाषी हैं, विभिन्न सरकारी कार्यालयों के साथ पत्राचार के लिए भी अनिवार्य रूप से कन्नड़ भाषा को एक मात्र भाषा बना दिया है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को उक्त सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मराठी भाषी लोगों में व्याप्त तीव्र रोष की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो क्या संविधान के अनुच्छेद 350 के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है कि प्रभावित लोगों को अपने बच्चों को अपनी मातृ भाषा में शिक्षा देने तथा केन्द्र और राज्य सरकार के कार्यालयों के साथ अपनी भाषा में पत्राचार करने की भी सुविधाएं दी जाएं और उन पर कोई भाषा थोपी न जाए ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि उस राज्य में भाषा-शिक्षण त्रिभाषा सूत्र के अनुसार है और उनके आदेश सं० 113, एस०ओ०एच० 79 दिनांक 20 जुलाई, 1982 के अनुसार है, अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रथम स्तर से ही कन्नड़ शिक्षण के लिए अतिरिक्त सुविधाएं दी जाती हैं।

(ख) सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि इस मामले पर कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्रियों से चर्चा की गई है और इस समय कोई आन्दोलन नहीं है।

बड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च और उसके फलस्वरूप कृषि उत्पादन

3215. श्री सी० जंगा रेड्डी
डा० ए० के० पटेल
: क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक विशेषज्ञ समिति ने उन बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का मूल्यांकन किया था जिनके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और भूमि की दशा में भी सुधार हुआ;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में तवा परियोजना, बिहार में गंडक और कोसी परियोजना और उड़ीसा में महानदी परियोजना के कारण प्रतिवर्ष कृषि उत्पादन में औसतन पृथक-पृथक कितनी वृद्धि हुई;

(ग) इन परियोजनाओं में से प्रत्येक पर कितना खर्च हुआ है और उनसे औसतन कितना वार्षिक लाभ हुआ है; और

(घ) उपर्युक्त परियोजनाओं में से प्रत्येक परियोजना के जल निवारण पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1984-85 तक कोसी परियोजना पर 131.56 करोड़ रुपए, गण्डक परियोजना पर 373.48 करोड़ रुपए, तवा परियोजना पर 102.08 करोड़ रुपए और महानदी परियोजना पर 70.53 करोड़ रुपए व्यय किए गए। ऐसे मूल्यांकन के अभाव में, लाभों के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) मार्च, 1986 तक गण्डक (बिहार) परियोजना तथा कोसी (बिहार) परियोजना के जल निकासी घटक पर क्रमशः 34.51 करोड़ रुपए तथा 20.78 करोड़ रुपए व्यय किए गए। तवा (मध्य प्रदेश) और महानदी (उड़ीसा) परियोजनाओं के जल निकासी घटक सम्बन्धी व्यय के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

तेलुगू गंगा परियोजना पर विचार विमर्श करने के लिए मुख्य मंत्रियों की बैठक के बारे में दिनांक 24-7-86 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1098 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

उत्तर के भाग "ख" में निम्नलिखित को दूसरे वाक्य के रूप में जोड़ा जाता है : —

"महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने भी बैठक में भाग लेने हेतु अपनी असमर्थता सूचित की थी :"

— ——

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जब तक सभी सदस्य अपने स्थान ग्रहण नहीं कर लेते हैं, तब तक कोई भी बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जायेगी। यह सही तरीका नहीं है। सभी लोग खड़े हो रहे हैं—यह कोई तरीका नहीं है और मैं किसी की कोई बात सुनने वाला नहीं। कुछ नियम और विनियम होते हैं और यदि आप उन सभी का उल्लंघन कर रहे हैं; तो मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दे सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : और आप सभी क्यों बैठे हैं। आप सब भी खड़े हो जाइये। यह सभा बैठने वालों की सभा नहीं है अपितु यह खड़े होने वालों की सभा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चारों तरफ देखिये, मैं कुछ भी कैसे सुन सकता हूं ?

(व्यवधान)**

अध्यक्षमहोदय : मैंने उन लोगों को अनुमति नहीं दी है। कृपया कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित मत करिये।

(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, आप हमें एक-एक कर बुलाइये। (व्यवधान)

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य सभी नियमों का उल्लंघन करना चाहते हैं; तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस सभा के कुछ नियम हैं। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि जब मैं हर एक का सुझाव सुनने को तैयार हूं और जब मैं किसी भी चर्चा करने से इन्कार नहीं करता तब इस प्रकार एक साथ उठकर यह सब करने की क्या आवश्यकता है ? मैं किसी भी विषय पर चर्चा करने से इन्कार नहीं करता किन्तु मुझे कार्य सही ढंग से करना चाहिये। यदि एक व्यक्ति बोले तो मैं उत्तर दे सकता हूं। मैं एक-एक करके प्रत्येक का उत्तर दे सकता हू। तीन या चार बातें ही ऐसी हो सकती हैं, जो अत्यधिक महत्व की हो सकती हैं। मैं या तो उनको बता सकता हूं, या उसको देखूंगा या मैं उसे देख सकूंगा अथवा मैं सूचना प्राप्त कर रहा हूंगा। किंतु यदि आप एक साथ उठकर एक साथ बात करने की चेष्टा करेंगे तो आप स्वयं कार्य सम्पादित कीजिये और मैं बैठ जाता हूं। मैं और क्या कर सकता हूं ?

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर): महोदय, यदि आप सर्वप्रथम खड़ा होना चाहते हैं, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट। मैं आपकी बात सुनूंगा। यदि वह ठीक होगी, तो मैं हा कहूंगा। अन्यथा आपको बैठ जाना चाहिये क्योंकि आपको डटे रहने की आदत है। अब बैठ जाइये।

श्री बसुदेव आचार्य : यह आपका विषय है, महोदय। श्रमिकों और किसानों के समर्थन में पश्चिम बंगाल में बंद का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय पटसन निगम पटसन नहीं खरीद रहा है। पटसन बाजार में बिक रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर चर्चा करने की अनुमति दी है और नियम 377 के अन्तर्गत इस पर चर्चा की भी अनुमति दी गई है।

श्री बसुदेव आचार्य : इससे प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ है, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : तब मैं उनसे कहूंगा, मैं इसे ले लूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : भारतीय पटसन निगम ने खरीद नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी आपका समर्थन करूंगा। कृपया अब आप अपने स्थान पर बैठ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके साथ यही समस्या है। एक भी शब्द कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित

नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके साथ यही समस्या है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यहां, यही समस्या है। श्री आचार्य, यही समस्या है। आप मदद नहीं करना चाहते हैं। आप केवल समाचार पाना चाहते हैं। ठीक है मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं उनको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैं केवल स्वयं को अनुमति दे रहा हूं। मैं केवल यह कह रहा हूं कि मैं आपकी तथा किसानों की मदद करना चाहता हूं। किन्तु कोई तरीका तो होना चाहिये। अब आप बैठ जाइये और हम ढंग से कार्य संचालन कर सकते हैं। और उनकी भी सहायता करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक-एक करके। यदि ठीक तरीके से बात कही गई, तो मैं सुनूंगा। कृपया बैठ जाइये। यदि आप खड़े रहेंगे तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। आप अपने स्थान पर बैठ जाइये और मैं आपकी बात भी सुनूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं मामले की गुणवत्ता के आधार पर सुनता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय; आपकी अनुमति से मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि चूंकि रेल विभाग केन्द्रीय विषय है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं पता लगाऊंगा। आपने मुझे विवरण दे दिया है।

प्रो० मधु दंडवते : रेल विभाग केन्द्र का विषय है और रेलवे पुलिस इलस्ट्रेटेड वीकली की उन प्रतियों को जब्त नहीं कर सकती है जिसमें यह कहा गया है···** आप समाचारपत्रों का मुंह बन्द कर रहे हैं। रेल विभाग की सहायता से समाचार पत्रों की आजादी को छीना जा रहा है।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं पता लगाऊंगा। मैं इसकी सूचना प्राप्त करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : मेरे पास यह विभाग रहा था किन्तु मैंने कभी ऐसा नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, मैं इसका पता लगाऊंगा।

[हिन्दी]

ऐसा है कि जो लिख दिया जाता है, परसों मैंने अखबार में पढ़ा···

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बृज मोहन महंती (पुरी) : महोदय, व्यवस्था का प्रश्न।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या कर रहे हैं ?

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय को परेशान न करें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। मैं आपकी बात सुन लूंगा।

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : आमतौर से हमें यह नहीं पता होता है कि आप दोनों के बीच क्या होता है तथा इन लोगों तथा आपके बीच क्या होता है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं कर रहा हूं।

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा : हमें यहां असहाय होकर बैठना होगा। यह सब क्या हो रहा है ? आप

पूरे समय तक एक दूसरे से बात करते रहें। आप अपना वाक्य तक पूरा नहीं करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं सुन रहा हूं।

प्रो० एन० जी० रंगा : मैं इस प्रकार की बातों का विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुन रहा हूं। क्या समस्या है, महोदय ?

प्रो० एन० जी० रंगा : इस प्रकार हम कब तक धैर्य रख सकेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आप मुझसे क्या चाहते हैं, महोदय ?

प्रो० मधु दंडवते : कृपया प्रो० रंगा से कहिये कि मैंने आपसे अनुरोध किया है और आप मेरी बात सुन रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं आपसे कहूं, प्रोफेसर महोदय ?

(व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा : आप दोनों आपस में ही बात करते हैं। अब हमें यह नहीं पता चल पाता कि क्या हो रहा है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात भी सुनूंगा।

प्रो० एन० जी० रंगा : एक सीमा होनी चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री बृज मोहन महंती : वास्तव में कोई प्रक्रिया नहीं है··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : महोदय, मुझे सलाह दीजिये, मैं क्या करूं, प्रो० रंगा।

प्रो० एन० जी० रंगा : मुझे पता होना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। मुझे यह भी पता होना चाहिए कि वह क्या कह रहे हैं। आप दोनों आपस में बात करते हैं और हमें नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात भी सुनूंगा।

[हिन्दी]

यह आपको क्या हो रहा है ?

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : प्रो० रंगा के लिए, मैं उनसे कह सकता हूं कि एकदम शांत वातावरण में,

आपने मेरी बात सुन ली है···

अध्यक्ष महोदय : मैं उनकी बात सुनूंगा। प्रोफेसर साहब, मुझे यह करना ही चाहिये।

[हिन्दी]

आप क्यों कर रहे हैं ऐसा ?

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा : मुझे यह तो पता चलना ही चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं और वह आपसे क्या कह रहे हैं। आप एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और हम आपकी आधी बात नहीं समझ पाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया है।

प्रो० एन० जी० रंगा : कार्यवाही वृत्तांत में क्या बातें सम्मिलित की जाती हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह बात आपको बताने की नहीं है।

प्रो० एन० जी० रंगा : आप उनसे क्या कह रहे हैं, क्या वह बात हमें नहीं पता चलनी चाहिये ? वह आपसे क्या कह रहे हैं, क्या वह बात हमें नहीं जानना चाहिये ? ये बातें आप दोनों के बीच ही हो रही हैं ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप उनको सुन लेने दीजिये।

[अनुवाद]

प्रो० रंगा···ठीक है।

डा० कृपा सिंधु भोई (सम्बलपुर) : महोदय, एक दिन आप उनकी बात पहले सुनें और दूसरे दिन आप हमारी बात भी सुनें। आप हमेशा ही उनकी बातें सुनते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं हर एक बात सुनता हूं। क्या आप विरोधी दल में हैं ? बैठ जाइये।

डा० कृपा सिंधु भोई : मुझे भी समान अधिकार प्राप्त है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मुझे नियम का पता है। नियम का पालन करने के कारण ही वे लोग मुझसे नाराज हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सभा को चलाना चाहते हैं; तो ठीक है। मैं सभा को नहीं चलाना

चाहता हूं। यह आपकी सभा है। मैं इसे नहीं चलाना चाहता हूं। यदि आप कहते हैं कि "सभा को न चलाओ" मैं नहीं चलाऊंगा। मैं तदनुसार ही कार्य करूंगा।

डा० कृपा सिंधु भोई : जी नहीं, महोदय, आप हमें अवश्य ही अवसर दें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी भी चर्चा के लिए आपको अवसर देने से कब इन्कार किया है, मुझे बतायें।

डा० कृपा सिंधु भोई : आप उन लोगों को अवसर दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह उनका काम है। यदि आप व्यवधान डालना चाहते हैं, तो आपका भी स्वागत है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : नियमों का पालन करने के लिए मैं अपना खेद व्यक्त करता हूं। मुझे खेद है। आप पर्यवेक्षण कर रहे हैं और मैं सुन रहा था। सभा में हुई शांति को वह बर्दाश्त न कर सके।

अध्यक्ष महोदय : यही तो समस्या है। कृपया बैठ जाइये। मैं इसके बारे में कुछ न कुछ पता कर लूंगा और इसके बाद मैं उस विषय पर कुछ कह सकता हूं। इसके अलावा, मेरे मित्र श्री शमिन्दर सिंह ने एक आपत्ति उठायी है जिसे उन्होंने मुझे लिखकर भी दिया है कि इस प्रकार के पत्र जो हैं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ और भी कह रहा था।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। मैं रेलवे द्वारा उन पत्रों के लिए जाने के बारे में कह रहा था।

अध्यक्ष महोदय : मैं उसके बारे में बताऊंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शून्य काल जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। यह मनगढ़न्त है। समाचार पत्र जो सदा कहते हैं; उस पर ध्यान मत दीजिये क्योंकि कल···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं जो बात कह रहा हूं वह आपके लिए भी ठीक है क्योंकि हम लोग समाचार पत्रों की बात कर रहे थे और जब राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह भामाशाह अभिसमय को सम्बोधित कर

रहे थे, उसके बारे में एक बहुत ही प्रचलित दैनिक समाचार में लेख लिख दिया था और उस लेख में यह लिखा गया था कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए भामाशाह ने बहुत अधिक वित्तीय सहायता दी थी। समाचार पत्र इस प्रकार समाचार पत्र छापते हैं। इसलिए इसके लिए चिंता मत कीजिये। मैं पता लगाऊंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : आप पता लगायें कि क्या पत्र जब्त किये गये थे अथवा···

अध्यक्ष महोदय : आप इसे अब क्यों दोहराते हैं ? कृपया बैठ जाइये। जी, हां, श्री महंती।

श्री शरत देब (केन्द्रपाड़ा) : मैंने एक ध्यानाकर्षण दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं। यदि आपने कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। मैं उस पर विचार करूंगा।

श्री शरत देब : राज्यों द्वारा केन्द्रीय निधियों का ठीक उपयोग न किये जाने के बारे में।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई सही बात होगी, तो मैं सुनूंगा। मैंने श्री महन्ती को आमन्त्रित किया है।

श्री शरत देब : मैंने लिखित रूप में भी दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कोई भी बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जायेगी। उन्हें आगे कुछ भी बोलने से वंचित किया जाता है। अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप दबाव डालेंगे तो मुझे कुछ और भी करना होगा।

श्री शरत देब : मैं नियमों का पालन करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइये। इसके अलावा माननीय सदस्य की बात मत करिये।

श्री बृज मोहन महन्ती : मेरा व्यवस्था मुद्दा यह है कि जब मधु दंडवते किसी विशेष मुख्य मन्त्री द्वारा समाचार पत्र का मुंह बन्द करने के बारे कहा था, उसके बारे में मेरा निवेदन है···

अध्यक्ष महोदय : यह मन्त्री नहीं हैं। यह बात रेल विभाग के बारे में है। वह यही बात कह रहे हैं।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : उन्होंने मुख्य मंत्री के बारे कहा था।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य मंत्री के बारे में नहीं।

श्री बृज मोहन महन्ती : तब ठीक है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : में अपने आप कह रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री जयपाल जी, आप इस प्रकार क्या कर रहे हैं ? आप ढंग से क्यों नहीं बैठ जाते, जबकि मैं आपकी बात पर पहले ही ध्यान दे चुका हूं ? मैं उसे देखूंगा। कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री टी० बशीर (चिरायिंकिल) : परसों मंत्री महोदय ने दूसरी सभा में बताया था कि चीन ने एक हैडीपेंड स्थापित कर लिया है।

अध्यक्ष महोदय : अब मेरी बात सुनिये।

श्री टी० बशीर : मुझे एक मिनट की अनुमति दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिये। अनुमति देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री टी० बशीर : उसी समय में, इस सभा में मंत्री महोदय ने कहा था…

अध्यक्ष महोदय : मुझे उस विषय के बारे में मालूम है। क्या माननीय सदस्य मेरी बात सुनेंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको सूचित करना चाहता हूं और आप सुनना नहीं चाहते। मैं आपको उसी विषय के बारे में बताना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय आज स्पष्टीकरण करने वाला वक्तव्य देंगे।

श्री० टी० बशीर : आपने एक ध्यानाकर्षण की अनुमति दी थी किन्तु यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए तो इसे यहां फिर से उठाया जा रहा है।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नही किया गया।

श्री टी० बशीर : मैं उस पर एक पूर्णकालिक चर्चा चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य के बाद, आप कोई और बात भी उठा सकते हैं।

श्री टी० बशीर : मैंने दिया है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। जयपाल जी, आपके विषयानुसार, मंत्री महोदय आ रहे हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, आप क्यों अनुरोध करना चाहते हैं? मैं आपको बता चुका हूं कि मैं इस पर ध्यान दे चुका हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : जब माननीय विदेश मंत्री श्री शिव शंकर ने यहां वक्तव्य दिया था तो हमने उनको सूचित किया था कि स्वयं अरुणाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ने प्रेस को बताया है···

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि इसी काम के लिए वह यहां आ रहे हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : अगर आप किसी भी बात को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं देते तो आप हमें बोलने की ही अनुमति क्यों देते हैं?

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा कि इसी काम के लिए वह यहां आ रहे हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह ठीक है। मेरा आरोप यह है कि मंत्री जी ने जान-बूझकर सदन को गुमराह किया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह समस्या नहीं है। अगर आप वक्तव्य को पढ़ें तो आपको मालूम होगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वक्तव्य उसी गलती को दूर करने के उद्देश्य से दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय : नहीं! यह ऐसी कुछ बात है जिसे आप बाद में समझेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : आज, आज मेरे विचार से वह दूसरी गलती को दूर करने के लिए एक वक्तव्य देंगे।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : तो आप एक और वक्तव्य की मांग कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री शमिन्दर सिंह (फरीदकोट) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। औरत—जो हमारी मां है, बहन है, बेटी है, उसकी इज्जत के लिए हम सबको मिलकर युवा पीढ़ी को कुछ अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन ये जो पेपर वाले हैं, मैं एक फोटोग्राफ पेश करता हूं।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं—ऐसा नहीं करना चाहिए।

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे नहीं ले सकता। इस पुस्तक को मत दिखाइये। मैं इसे देखूंगा।

[हिन्दी]

मैं देखूंगा। यह नहीं दिखाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : एक विधेयक आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय : विधेयक आ रहा है। हम देखेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : एक रेल दुर्घटना में 52 यात्री मारे गये हैं। भूतपूर्व रेल मंत्री इसके बारे में चिंतित नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं इस पर एक चर्चा चाहता हूं। मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी एक वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : : यह ठीक है। आपने अपनी बात कह दी है। इसे बार-बार मत दोहराइये अन्यथा यह कार्यवाही वृत्तांत में जाने से रह जायेगी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसी राम (नगर कुरनूल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मदद चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्वाइंट आफ आर्डर क्या है ?

श्री वी० तुलसी राम : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कि रेल दुर्घटनाओं में जो लोग मरते हैं...

अध्यक्ष महोदय : कौन सी रेल दुर्घटना में ?

श्री वी० तुलसी राम : किसी भी प्लेन दुर्घटना में मरने पर एक लाख रुपया दिया जाता है, लेकिन रेल दुर्घटना में केवल पांच हजार रुपये दिए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं होता है। आप लिखकर दीजिए।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है। आपको शर्म नहीं आती है। क्या आप लोग हाउस में बैठे हुए हैं। मिस्टर देव—शर्म आनी चाहिए आप लोगों को।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : देव जी, मैं माननीय सदस्य की बात सुन रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें। कृपया गलियारे में खड़े होकर बात न करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम स्वरूप राम (गया) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में चार रेल दुर्घटनाएं भीषण रूप से हुई हैं ··(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आप क्या चाहते हैं···(व्यवधान)···

श्री राम स्वरूप राम : आप डिसकशन कराइये···(व्यवधान)···

कुछ माननीय सदस्य : हां, हम डिसकशन चाहते हैं···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : सुन लिया। आप शोर क्यों करते हैं।

···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप जैसा चाहें वैसे ही इसे कर सकते हैं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए हमें कितना समय मिलेगा ? मेरा इरादा कुछ और कार्य करने का था। लेकिन अब मैं इसे नहीं करूंगा, क्योंकि अब आप इस पर जोर नहीं दे रहे हैं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने एक बार आपकी बात सुन ली है। अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके पास कोई और विषय है ? मैंने सुन लिया है। मैंने मान लिया है। इससे अधिक आप और क्या चाहते है ? क्या अब आप मुझसे नाच करवाना चाहते हैं।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : मैं एक गम्भीर प्रश्न उठाना चाहता हूं। आप इस तरफ की भी बात सुनिए। एक गम्भीर दुर्घटना हुई है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, बिहार के यूनिवर्सिटियों और कालेजों के टीचर की स्ट्राइक के बारे में मैंने कालिंग एटेंशन दिया है···

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राम प्यारे पनिका : बहुत लोग मर गये हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने कर दिया। आप क्या चाहते हैं। पनिका जी, आप मेरे से कथककली डांस करवाना चाहते हैं, मैं कर देता हूं। मैंने कर दिया।

[अनुवाद]

श्री राम प्यारे पनिका : धन्यवाद।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, आपने जूट हड़ताल के बारे में एक टिप्पणी की है। परन्तु कृपया इसके महत्व को भी देखिए···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, दूसरी बार नहीं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : क्यों नहीं, महोदय? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अनुमति नहीं दी जा जाती है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, पहले तो आप एक माननीय सदस्य के भाषण में हस्तक्षेप कर रहे हैं। दूसरे, आप मेरे अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। तीसरे, आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। एक नेता से यह आशा नहीं की जा सकती।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या हम उन्हें नियम दिखाएं? (व्यवधान)

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या आप व्यवस्था के प्रश्न पर।

अध्यक्ष महोदय : आपका कौन सा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में माननीय विदेश मन्त्री ने स्पष्ट कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में हेलीपैड का कोई निर्माण नहीं हुआ है···

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही फैसला कर दिया है। वह एक वक्तव्य देने जा रहे हैं। आप इसे फिर क्यों उठाते हैं ? यह कोई मजाक है। आपको इससे क्या मिलता है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : विदेश मन्त्री कब वक्तव्य देने जा रहे हैं, महोदय ?

अध्यक्ष महोदय : यह अपराह्न में दिया जाएगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : दो बजे बाद ?

अध्यक्ष महोदय : हां।

अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

12.21 म॰ प॰

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे कार्यकरण की समीक्षा तथा सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) (एक) भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय दर्शन अनुसंसान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल॰ टी॰—2880/86]

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं पोत परिवहन विकास निधि समिति, नई दिल्ली का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 869 (अ), जो 16 जून, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (परिवार सुरक्षा निधि), विनिमय, 1986 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा० का० नि० 916 (अ), जो 27 जून, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन न्यास सेवा (सुझावों के लिए पुरस्कार) संशोधन विनियम, 1986 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा० का० नि० 929 (अ), जो 2 जुलाई, 1986 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) पहला संशोधन विनियम, 1986 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—2881/86]

(2) (1) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 16 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत परिवहन विकास निधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(2) पोत परिवहन विकास निधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—2282/86]

भारतीय रेडक्रास सोसाइटी का वर्ष 1983 और 1984 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा विश्वायतन योगाश्रम, नई दिल्ली का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) भारतीय रेडक्रास सोसाइटी के वर्ष 1983 और 1984 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय रेडक्रास सोसाइटी के वर्ष 1983 और 1984 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—2883/86]

(3) (एक) विश्वायतन योगाश्रम, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विश्वायतन योगाश्रम, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—2884/86]

खाद्य अपमिश्रण निवारण (पहला संशोधन) नियम, 1986

परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : मैं खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (पहला संशोधन) नियम, 1986 जो 29 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 73 (अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—2885/86]

12.22 म० प०

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 6 अगस्त, 1986 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 30 जुलाई, 1986 को पारित किये गये जांच आयोग (संशोधन) विधेयक 1986 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

———

12.22½ म० प०

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 6 अगस्त, 1986 को सभा में प्रस्तुत किये गये अपने पांचवें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को प्रत्येक के सामने लिखित अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की जाये :—

1. श्री बी० बी० रमैय	25 अप्रैल से 7 मई, 1986 तक
2. श्रीमती इन्दुमती भट्टाचार्य	24 अप्रैल से 8 मई, 1986 तक और 17 जुलाई से 14 अगस्त, 1986 तक
3. श्री ए० सेनापति गौंडर	24 अप्रैल से 7 मई, 1986 तक
4. प्रो० राम कृष्ण मोरे	17 अप्रैल से 7 मई, 1986 तक
5. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर	21 अप्रैल से 8 मई, 1986 तक

6. चौ० रहीम खां	28 जुलाई से 14 अगस्त, 1986 तक
7. श्री चरण सिंह	17 जुलाई से 14 अगस्त, 1986 तक
8. श्री सलीम आई० शेरवानी	29 जुलाई से 14 अगस्त, 1986 तक
9. श्री गंगाधर एस० कुचन	21 जुलाई से 14 अगस्त, 1986 तक

क्या सभा इस बात से सहमत है कि समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार अनुमति प्रदान की जाए ?

कई माननीय सदस्य : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति प्रदान की जाती हैं। सदस्यों को तदनुसार सूचना भेज दी जाएगी।

12.23 म० प०

लाभ के पदों संबंधी समिति

तीसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

कुमारी कमला कुमारी (पलामू) : महोदय, मैं लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

12.23½ म० प०

मिजोरम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और उपभोक्ता सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, प्रधान मन्त्री जी के हाल के मिजोरम दौरे के बाद कुछ मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के

एक दल ने मिजोरम के विकास को गति देने के लिए कुछ उपायों का पता लगाने हेतु जुलाई, 1986 के अन्तिम सप्ताह में मिजोरम का दौरा किया था। मिजोरम के लोगों को आवश्यक उपभोज्य वस्तुओं की आपूर्ति उचित मूल्यों पर करना अयत्यन्त महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। इस संदर्भ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा सहकारी आधार-ढांचे को पुनरुज्जीवित करने तथा उसे मजबूत बनाने के लिए नागरिक पूर्ति विभाग में कुछ उपायों पर विचार किया गया है। सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाने का निर्णय किया है :—

1. राज्य व्यापार निगम के सिलचर स्थित गोदाम का प्रयोग केवल मिजोरम को आयातित खाद्य तेलों की आपूर्ति करने के लिए किया जायेगा। वितरण को सुप्रवाही बनाने तथा खुदरा मूल्यों को उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए सिलचर से नौ केन्द्र बिन्दुओं अर्थात एज्वाल, लुंगलेई, लांगतलाई, कोलासिब, एबाक, चम्फाई, कालकुल, सेतुआल तथा लोकीछेड़ा तक ढुलाई के लिए राज सहायता भी दी जाएगी।

2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत छोटे पैकों में लेवी चीनी तथा आयोडाइज्ड नमक सप्लाई करने के लिए मिजोरम सरकार को शत-प्रतिशत राज सहायता देने के आधार पर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 10 लाख रुपये की वित्तीत सहायता मंजूर की जा रही है।

3. मिजोरम विपणन तथा उपभोक्ता संघ को अपनी उपभोक्ता गतिविधियों का विस्तार करने तथा उनमें विविधता लाने के लिए 10 लाख रुपये तक की राशि अंशपूंजी अंशदान के रूप में दी जाएगी।

4. मिजोरम विपणन तथा उपभोक्ता संघ को 2.50 लाख रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी, ताकि वे लुंगलेई, मामित, कोलासिब, चम्फाई, स्लाबुंग, सेरछिप तथा सैहा में खुदरा बिक्री केन्द्र खोल सकें।

5. मिजोरम में सार्वजनिक वितरण का कार्य कर रहे अधिकारियों की प्रबन्धकीय कुशलता में उन्नतिकरण के लिए अक्तूबर, 1986 में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

———

12.25 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) सोन नहर परियोजना को स्वीकृति देने और उसके लिए आवश्यक धनराशि प्रदान करने की आवश्यकता

श्री सी० पी० ठाकुर (पटना) : पूर्व सत्रों में मैंने सोन नहर के आधुनिकीकरण के विषय को

[श्री सी० पी० ठाकुर]

उठाया था। पिछले सत्र में मंत्री जी ने इस मामले को जल्दी हाथ में लेने का आश्वासन दिया था। हाल ही में एक दैनिक पत्र (इंडियन वाटर) ने यह समाचार प्रकाशित किया कि इस परियोजना को छोड़ दिया गया है। अगर इस परियोजना को आरम्भ नहीं किया गया तो बिहार का बहुत बड़ा भाग मरुभूमि बन जाएगा। मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और योजना आयोग से इस परियोजना को स्वीकृति दिलवाये तथा इसके लिए आवश्यक धनराशि आबंटित की जाए।

[हिन्दी]

(दो) राजस्थान सरकार को यह निदेश देने की आवश्यकता कि हरियाणा में गंगा सम्पर्क नहर के भाग का निर्माण करने के लिए वह हरियाणा सरकार को अग्रिम धन राशि प्रदान करे।

श्री बीरबल (गंगानगर) : बीकानेर गंग नहर का निर्माण हुए 60 वर्ष हो चुके हैं। इस कारण से इस नहर का जो हिस्सा पंजाब सीमा में है वह जर्जर हो गया है इसलिए यह नहर हरि के बेराज से अपने हिस्से का 2750 क्यूसेक पानी नहीं ले रही है।

12.26 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अब यह नहर सिर्फ 1850 क्यूसेक पानी ले रही है। इससे गंग कैनाल के काश्तकारों को पैदावार के लिहाज से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर अब से चार वर्ष पहले राजस्थान सरकार ने इस नहर के हिस्से के पानी को हरि के बेराज से इंदिरा गांधी नहर में डालकर आर० डी० 529 से एक गंग केनाल लिंक के नाम से नहर निकालने का कार्य चालू किया था। इस लिंक नहर का जो हिस्सा राजस्थान सीमा में पड़ता है उसका निर्माण कार्य वर्ष 1986-87 में पूर्ण हो जावेगा। जबकि इस गंग कैनाल लिंक का कुछ हिस्सा हरियाणा सीमा में पड़ता है, जिसके निर्माण के लिए राजस्थान सरकार ने हरियाणा सरकार को दो करोड़ बीस लाख रुपये देने थे मगर अभी तक राजस्थान सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया है। इस वजह से यह लिंक चालू होने में देरी होगी। लिंक चालू होने के उपरान्त ही गंग नहर के पंजाब में पड़ने वाले हिस्से की मरम्मत होना सम्भव है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि राजस्थान सरकार को आदेश देकर इस नहर के निर्माण कार्य को पूरा करवाया जाए। अगर समय रहते हरियाणा सीमा में इस नहर का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया तो गंग नहर का किसान बर्बाद हो जावेगा, जिसकी जिम्मेवारी केन्द्र सरकार की होगी।

[अनुवाद]

(तीन) उड़ीसा के कालाहांडी, बोलंगीर, फूलबनी और गंजाम जिलों में और अधिक सार्वजनिक टेलीफोन लगाने की मांग

*श्री राधाकान्त डिगाल (फूलबनी) : देश में दूरसंचार नेटवर्क के कार्य के विस्तार के लिए भारत सरकार ने एक व्यापक कार्यक्रम बनाया है। लेकिन यह खेद की बात है कि उड़ीसा के फूलबनी और बोलंगीर जिलों में दूरसंचार विभाग का कार्यकरण बहुत ही असंतोषजनक है। फूलबनी से उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में लोगों से घंटों प्रतीक्षा करने के बाद भी टेलीफोन पर बात नही हो पाती।

सरकार ने देश में 1990 तक नई पी० सी० ओ० और बी० पी० ओ० लगाने पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है। बोलंगीर के सोनपुर और बिंका क्षेत्रों और राज्य के कालाहांडी और फूलबनी तथा गंजम जिलों का विकास इस प्रतिबन्ध से रुक जायेगा। ये उड़ीसा के पिछड़े जिले हैं। इसलिए मैं सरकार से राज्य के तीव्र विकास को ध्यान में रखते हुए इस निर्णय पर पुन. विचार करने का आग्रह करता हूं। इसलिए, मैं सातवीं योजना के दौरान उड़ीसा के कालाहांडी, बोलंगीर, फूलबनी और गंजम में और अधिक सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने की मांग करता हूं।

(चार) बम्बई गैस कम्पनी के माध्यम से बम्बई के नागरिकों को वितरण के लिए प्राकृतिक गैस दिये जाने की आवश्यकता

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : बम्बई के नागरिकों को बम्बई हाई तेल कूओं से प्राप्त होने वाली गैस को भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पूर्ति करने की सम्भावना महाराष्ट्र सरकार का 1984 से ध्यान आकृष्ट कर रही है। श्री एस० एस० मराठे की अध्यक्षता में नियुक्त किये गये दल ने बम्बई गैस कम्पनी को 0.70 मिलियन एम3 प्रतिदिन शहर के 3,00,000 लाख घरों के लिए और 0.70 मिलियन एम3 प्रतिदिन उपनगरों के लिए प्रतिदिन गैस आबंटन करने की सिफारिश की है। राज्य सरकार द्वारा दल की रिपोर्ट पैट्रोलियम मंत्रालय को इस सिफारिश के साथ भेजी गई है कि इस परियोजना के लिए प्राकृतिक गैस की सप्लाई की जाये। शहर में पाइप के द्वारा गैस की सप्लाई मिट्टी के तेल के इस्तेमाल का स्थान लेगी और बम्बई में एल०पी०जी० सिलेण्डरों के उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी। मैं अतः पैट्रोलियम मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि बम्बई गैस कम्पनी के माध्यम से बम्बई के नागरिकों को प्राकृतिक गैस की सप्लाई की जाए।

(पांच) देश में पटसन उत्पादकों और पटसन मिलों में कार्यरत कर्मकारों की शिकायतों की जांच करने की आवश्यकता

डा० सुधीर राय (बर्दवान) : महोदय, मैं सदन का ध्यान पटसन मिल कर्मचारियों की

*मूलतः उड़िया में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[डा० सुधीर राय]

हड़ताल और ग्रामीण बंगाल के बंद की ओर दिलाना चाहूंगा। भारतीय पटसन निगम द्वारा कच्चे पटसन की मजबूरन बिक्री न रोक सकने के कारण पश्चिम बंगाल में विकट स्थिति है। जिसके परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा के पटसन उत्पादकों को भारत सरकार द्वारा कच्चे पटसन के लिए घोषित समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिल रहा है। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में उद्योग मिलों के बन्द होने, तालाबन्दी, पुरानी मशीनरी और संकुचित बाजार आदि के कारण वहां का पटसन उद्योग भयंकर स्थिति का सामना कर रहा है। सिंथेटिक फाइबर के अधिक आयात से कच्चे पटसन के सामान की मांगें कम होने के कारण उद्योग को गहरा धक्का लगा है इसलिए पटसन उद्योगों के मजदूर 7 अगस्त (आज) हड़ताल कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के किसान भी अन्य मांगों के अतिरिक्त पटसन मिलों के राष्ट्रीयकरण, संयंत्रों व मशीनों के आधुनिकीकरण और भारतीय पटसन निगम द्वारा कच्चे पटसन की अधिक खरीद किये जाने सम्बन्धी मांगों के समर्थन में बन्द का आयोजन कर रहे हैं।

मैं सरकार से इन मांगों को स्वीकार करने और सदन में वक्तव्य देने का आग्रह करता हूं।

(छ:) पूरे देश में, विशेष रूप से, आंध्र प्रदेश में, जिला स्तर पर नवोदय स्कूल खोलने की आवश्यकता

श्री सी० जंगा रेड्डी : महोदय, मैं विशेष तौर से आन्ध्र प्रदेश की स्थिति का उल्लेख करते हुए पूरे भारत में जिला स्तर पर नवोदय स्कूल खोलने की अपील करता हूं और राय देना चाहूंगा कि इस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में नवोदय स्कूल खोलने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। केन्द्र सरकार के बहुत अधिक प्रयासों और भाषा समस्या न होने के बावजूद आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। हिन्दी भाषा सम्बन्धी जो कारण इतना महत्वपूर्ण बताया गया है, वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है प्रस्ताव का मुख्य लाभ शिक्षा में एकरूपता लाया जाना है।

केन्द्र के दृढ़ हित को और कुछ राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदम को ध्यान में रखते हुए हमें प्रयास जारी रखने चाहिएं, ऐसा या तो राज्य सरकार को आश्वस्त करके किया जा सकता है या कतिपय गैर-सरकारी स्वयं सेवी संगठनों को अवसर देकर किया जा सकता है। या भारत सरकार केन्द्रीय विद्यालयों के नमूने पर ऐसे स्कूल बना सकती है। मेरा निष्कपट सुझाव है कि केन्द्र सरकार को इन वैकल्पिक सुझावों पर विचार करना चाहिए। मैं इसके महत्व पर इसलिए बल देता हूं क्योंकि न केवल यह उद्देश्य को ही पूरा करेगा [बल्कि साहसी लोगों को, जो गैर-सरकारी संस्थाओं के अध्यक्ष के रूप में अपना योगदान देना चाहते हैं, को भी अवसर प्रदान करेगा।

(सात) व्यापक फसल बीमा योजना के अधीन फसलों की हानि के मूल्यांकन का कार्य ग्राम पंचायतों को सौंपने की आवश्यकता

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सरकार ने देश में विस्तृत फसल बीमा योजना कृषि और किसानों के हित में लागू की है इस योजना से किसानों को बड़ी आशा हुई है लेकिन जिस प्रकार से यह योजना कार्य कर रही है उसके कारण जिनको लाभ मिलना चाहिए था उनको नहीं मिल रहा है। इसके परिणामस्वरूप किसानों की निराशा और प्रसन्नता के कारण यह योजना लोगों में अप्रिय हो गई है।

योजना के उचित क्रियान्वयन और किसानों को उचित राहत देने हेतु खरीफ और रबी दोनों मौसमों में फसल को हुई हानि का अनुमान लगाने के लिए क्रमशः ब्लाक तथा जिला स्तर की बजाय पंचायत को यूनिट माना जाना चाहिए। इसके अलावा फसल को हुई हानि का अनुमान लगाने के लिए वर्तमान उत्पादन को ध्यान में रखा जाना चाहिए न कि पिछले निपटान के रिकार्ड में बताये गये उत्पादन सम्बन्धी आंकड़ों को।

(आठ) तिरुपति में एक 'मुक्त व्यापार क्षेत्र केन्द्र' खोलने की आवश्यकता

डा० चिन्ता मोहन (तिरुपति) : महोदय, रायल सीमा एक पिछड़ा क्षेत्र है, जहां पर तिरुपति स्थित है। तिरुपति में एक हवाई अड्डा तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह मद्रास और बंगलौर के बीच में पड़ता है और दक्षिण भारत के बीचोबीच स्थित है। इस स्थान के महत्व को ध्यान में रखते हुए आन्ध्र प्रदेश में विजाग के अतिरिक्त यहां पर मुक्त व्यापार क्षेत्र केन्द्र स्थापित करने की अत्यन्त आवश्यकता है।

———

12.35 म० प०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1986-87 (—जारी)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सदन अब 1986-87 के बजट (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान और आगे चर्चा करेगा।

कल हमने कुछ सदस्यों के लिए जो इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं आधा घंटा बढ़ाने का निर्णय किया था मैं सदस्यों को सहयोग देने और इसे पांच मिनट में समाप्त करने का अनुरोध करूंगा।

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पूर्व एक माननीय

[श्री चिरंजी लाल शर्मा]

सदस्य देश में ट्रैक्टरों के बढ़े हुए मूल्यों के बारे में बोल रहे थे। मैं कुछ दिन पहले स्टील और स्टेनलैस स्टील की चीजें खरीदने के लिए बाजार गया और मैं कीमतें देखकर अवाक् रह गया मैंने दुकानदार से इसका कारण पूछा तो वह तर्क देने लगा और इसके लिए सरकार को दोषी ठहराया इस्पात उत्पादन मांग से बहुत कम है।

इस्पात उद्योग अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र माना गया है और स्पष्ट रूप से हमारे देश का औद्योगिक और आर्थिक विकास इस महत्वपूर्ण इस्पात उद्योग के विकास पर निर्भर करता है। देश में इस्पात उद्योग के उत्पादन में सुधार लाने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए छठी योजना में रखे गये 4000 करोड़ रु० के स्थान पर सातवीं योजना में 6420.13 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें से अयस्क से उत्पादन करने वाले संयंत्र का उत्पादन 7.70 लाख टन है, जबकि लघु इस्पात संयंत्र का उत्पादन 30 लाख टन है। लघु इस्पात संयंत्र का उत्पादन का लगभग 30 प्रतिशत है।

1984 में भारत में और दूसरे देशों में स्टेनलैस स्टील का उत्पादन क्या था ?

जापान में—25.91 लाख मीट्रिक टन,

अमरीका—16.08 लाख मीट्रिक टन,

स्वीडन — 4.42 लाख मीट्रिक टन

स्पेन — 2.92 लाख मीट्रिक टन,

फ्रांस — 6.46 लाख मीट्रिक टन,

और भारत 1.51 लाख मीट्रिक टन था।

योजना आयोग ने अनुमान लगाया है कि 15 लाख टन तैयार स्टील की कमी से सातवीं योजना के दौरान पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होती रहेगी और आठवीं योजना में इसकी दशा और खराब हो जायेगी। इसके क्या कारण हैं ? लगाये गये माल की मात्रा व उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है।

रक्षा, मोटरगाड़ियों और औद्योगिक औजारों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न श्रेणी के मिश्रित इस्पात और स्टेनलैस स्टील के विकास में छोटे इस्पात संयंत्रों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। घरेलू स्टेनलैस स्टील उत्पादन प्रशंसनीय है क्योंकि 1977-78 में उत्पादन लगभग 12,000 टन और पिछले वर्ष 150,000 टन तक पहुंच गया है। सातवीं योजना के अन्त में 3 लाख टन के करीब और 1994-95 में 5 लाख टन तक इसके और बढ़ने की संभावना है स्टेनलैस स्टील के उत्पादन के लिए एक मूल कच्चा माल फेरोक्रोम की आवश्यकता होती है। उड़ीसा राज्य में फेरोक्रोम

अयस्क के बहुत अच्छे भण्डार हैं। अब यह बताया गया है कि उत्पादन का 80 प्रतिशत निजी क्षेत्र के एक यूनिट के एकाधिकार में है। जिसके परिणाम से मूल्य लगातार बढ़ रहा है। हाल ही के एक अध्ययन से पता चला है कि वर्तमान लाइसेंस क्षमता को दुगना करने की आवश्यकता है जिससे इस विशेष कच्चे माल की पूर्ति की जा सके।

महोदय मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान मूल्यों में परिवर्तन की ओर दिलाना चाहता हूं। फेराक्रोम का मूल्य 7-6-84 को 11,350 रु० प्रति मीट्रिक टन और 1-1-86 को 12,850/ रु० प्रति मीट्रिक टन था। इसी प्रकार 1984 में फेरोसिलीकोन का मूल्य 9,550/-रु० प्रति मीट्रिक टन था और 1986 वर्ष में 1 जनवरी को मूल्य बढ़कर 16,500 रु० प्रति मीट्रिक टन हो गया है। इतने थोड़े से समय में कीमतों की बढ़ोतरी का आप मूल्यांकन कर सकते हैं ? इसका कारण क्या है ? कारण यह है कि उत्पादन का 85 प्रतिशत से अधिक भाग पर एकाधिकार है। उत्पादन के 85 प्रतिशत से अधिक भाग पर केवल एक यूनिट का नियन्त्रण है इस्पात के लिए मंत्री जी को एक अभ्यावेदन दिया गया था। इस प्रश्न की जांच करने, समस्या के अध्ययन और कारणों को जानने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी। स्टेनलैस स्टील की भविष्य में मांग के सम्बन्ध में समिति के निष्कर्ष और सिफारिशें उन्हीं के अनुसार है। भविष्य में 1989-90 मे स्टेनलैस स्टील को मांग 268,000 टन होगी। क्रोमीयम वाले मिश्रित इस्पात की भविष्य में मांग के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि 1989-90 में यह 263,000 टन होगी और 1994-95 में यह 338,000 टन होगी। फेरोक्रोमीयम (65 प्रतिशत क्रोमीयम के अंश सहित) की भविष्य में कुल आवश्यकता 61,500 टन होगी और 1994-95 में 97,000 टन होगी।

तब समिति ने स्पष्ट किया कि उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि 1989-90 के लगभग फेरो-क्रोमीयम की कमी हो सकती है। समिति का यह मत है कि इस कमी को पूरा किया जा सकता है। (अनुमति देकर पूरा किया जा सकता है मैं इन शब्दों पर बल देता हूं) अगर उन फैरो मैंगनीज इकाइयों को जिनको फेरोक्रोम उत्पन्न करने की अनुमति नहीं दी जाती, उनको यदि फेरो क्रोमीयम और फेरो मैंगनीज उत्पन्न करने की अनुमति दी जाये इससे किसी भी विशेष 'फेरो अलाए' की अस्थायी कमी दूर होगी और वर्तमान 'फेरो अलाय' इकाइयों में भी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी।

सरकार द्वारा गठित समिति का यह प्रतिवेदन अस्पष्टता को बिलकुल स्पष्ट कर देता है। अब यह भेद खुल गया है। इसको केवल समझा ही नहीं गया लेकिन देश में स्टेनलैस स्टील की कमी को स्वीकार कर लिया गया है। आज हिन्दुस्तान टाइम्स में यह समाचार था कि भारत में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में 153 प्रतिशत मूल्य अधिक है जब हम आयात करते हैं तो यह आय कर और सीमा कर के कारण और अधिक बढ़ जाता है।

यह बात हमारी समझ में नहीं आती है कि समिति सारे देश में एक यूनिट का एकाधिकार होने की सिफारिश क्यों करे ? इस सम्बन्ध में नियुक्त की गयी समिति ने जब स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि देश में फेरो-सिलीकोन और फेरो क्रोमियम की बहुत अधिक मांग है तो ऐसे अन्य यूनिटों को प्रोत्साहन क्यों नहीं दिया जाता है जो इसका उत्पादन करना चाहते है ? इससे इन मामलों

[श्री चिरंजी लाल शर्मा]

को देखने वालों की नेकनीयती पर संदेह होता है। क्या हमें इस्पात नियंत्रक से, जो इस समिति के सदस्य थे, और संभवतः वह इस समिति के अध्यक्ष भी थे, यह पूछना चाहिए भारत के लोगों की कीमत पर एक यूनिट को ही एकाधिकार क्यों दिया गया और दूसरों को इससे क्यों वंचित रखा गया ?

हमें इस्पात और स्टेनलैस स्टील की आवश्यकता है और इसके लिए कच्चा माल आयात करना पड़ता है। जब हमारे अपने व्यापारी और उद्योगपति यह कच्चा माल बनाने के लिए तैयार हैं, तो इसका आयात क्यों किया जाये ? आंध्र प्रदेश में इसकी काफी गुंजाइश है। वे इस प्रकार की इकाई लगाने के लिए तैयार है, परन्तु उन्हें अनुमति नहीं दी जाती है। उन्हें उसके लिए लाइसेंस नहीं दिये जा रहे हैं।

मैं इस विशेष विषय पर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि किसी ने मुझे बोलने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा है कि मूल्यवृद्धि के लिए और मांग की तुलना में कम सप्लाई के लिए सरकार जिम्मेदार है मैंने पूछा है कैसे ? फिर उन्होंने मुझसे बहस की और मुझे विश्वास दिलाने की कोशिश की। एक वकील होने के नाते मैंने कहा कि मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं परन्तु मुझे भी उन्हें सन्तुष्ट करना है।

इसलिए मैं इस्पात मंत्रालय और भारत सरकार से अनुरोध करता हू कि उन्हें इस एकाधिकार को खतम करना चाहिए ताकि अन्य इकाईयों द्वारा अपेक्षित मात्रा में इस्पात का उत्पादन किया जा सके।

घंटी बज रही है इसलिए महोदय, मैं आपकी अवज्ञा नहीं करूंगा, अन्यथा मैं विषय के और विस्तार में जाना चाहता था। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लाल विजय प्रताप सिंह यहां नहीं हैं, न ही श्री सुन्दर सिंह यहां हैं। अब श्री रामदेव राय।

[हिन्दी]

श्री रामदेव राय (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत पूरक मांगों के सम्बन्ध में बोलते हुए मैं चन्द निवेदन पेश करना चाहूंगा।

स्पष्ट है कि घाटा क्यों होता है ? जब हम अपने कार्य को ठीक ढंग से समय-सीमा के भीतर कार्यान्वित नहीं कर पाते तो स्वभावतः घाटा लगेगा। सरकार की कोई भी योजना समय-सीमा के भीतर पूरी नहीं हो पाती है। सामान की कीमतें बढ़ती जाती हैं और अनाज में घाटे पर घाटा लगता है। हमें यह भी देखना होगा कि जितना हमने खर्च किया है, जितनी लागत है, उसके अनुपात में लाभ कितना होता है ? कभी ठीक ढंग से मौनिटरिंग नहीं हो पाती, कभी भी इन कामों की समीक्षा नहीं हो पाती जिसके कारण हम समय-सीमा पर कोई काम पूरा नहीं कर पाते।

निगरानी का हमारे यहां घोर अभाव है। कोई भी सक्षम अधिकारी, जो इससे संबंधित है, वह ठीक ढंग से इन्सपैक्शन नहीं कर पाते हैं। अगर कर पाते तो निश्चित रूप से कार्याविधि में ही काम पूरा होता। यही कारण है कि हर योजना में घाटा लगता है और हर योजना समय के बाद पूरी होती है जिससे सरकार की परेशानी बढ़ती है और आम जनता में क्षोभ भी होता है। इनकी निगरानी करने के लिए एक ही उपाय है कि हम अपने काम को ठीक ढंग से करें और उसे समय-सीमा में पूरा करने की चेष्टा करें।

आज भारत 21वीं शताब्दी की ओर जा रहा है, लेकिन इन कठिनाइयों के चलते हमारे प्रधान मंत्री जी को काफी मेहनत करनी पड़ रही है। मेरे क्षेत्र की एक समस्या है, उससे आप अन्दाजा कर सकते हैं। आज से 10 वर्ष पूर्व बिहार के समस्तीपुर में ग्रेफाइट कारखाने के लिए 80 एकड़ जमीन जनता से ली गई। न हम जनता का उपकार कर पाये हैं, न जमीन की कीमतों का भुगतान ही कर पाये हैं। न उस पर कोई फैक्ट्री ही लग पायी है। न मालूम उस पर कब फैक्ट्री शुरू होगी इसका अंदाज नहीं है। यदि इस पर शुरू में ही फैक्ट्री लग जाती है तो वहां की जनता को कितना लाभ मिलता। दस वर्षों से जमीन पड़ी हुई है। अब तक इस जमीन से किसान को कितना फायदा होता। आज किसान उससे भी वंचित न हो पाता। आप समझ सकते हैं कि आज कहीं भी हम अपनी योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं। इससे आम जनता को क्यों नहीं क्षोभ होगा। अगर आप इस स्थिति से बचना चाहते हैं तो इस पर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो जो लाभ बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत होने वाला है उस लाभ से हमारी जनता निश्चित रूप से वंचित रह जायेगी।

बीस सूत्री कार्यक्रम को आप देखें कि किस ढंग से इसको क्रियान्वित करने की दिशा में उद्यम हो रहा है। इसका लाभ हमारी आम जनता तक नहीं पहुंच पाता है क्योंकि इसको हम ठीक ढंग से नहीं देख पाते हैं। बीस सूत्री कार्यक्रम के अनेक मुद्दे हैं। चाहे गरीबी हटाने के लिए, चाहे गरीबी दूर करने के लिए या और भी जो रूप हैं उनमें आप देखिए कि बैंकों के कर्जे देने की क्या हालत है। बैंक जो कर्जे देना है उसकी सही राशि आम जनता तक नहीं पहुंच पाती है। इतना ही नहीं राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी जनता को कुछ राशि कर्जा प्राप्त करने के लिए पे करनी पड़ती है। यह बात उपाध्यक्ष महोदय आपको मालूम है।

इसलिए मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप बैंकों के कार्य पर निगरानी नहीं रखेंगे, बैंकों के क्रियाकलाप में सुधार नहीं लायेंगे, बैंकों के अधिकारियों पर जिम्मेदारी नहीं डालेंगे तो कभी भी इनसे अपेक्षित लाभ जनता को नहीं मिल पाएगा और बीस सूत्री कार्यक्रम की जो स्प्रिट है उसको कभी भी आप पूरा नहीं कर पाएंगे।

हमारी इन्दिरा जी, जिनको प्रणाम, जो बीस सूत्री कार्यक्रम हम लोगों को देकर गयीं, जिसको विश्व के लोग भी देखते हैं लेकिन उसका लाभ हम अपने गांवों के लोगों को नहीं दे पाये हैं। गांवों के लोगों को जितना लाभ हम दे सकते थे, गाय, बैल, भैंस, रिक्शा, टमटम जैसे अनेक छोटे-छोटे उद्योगों के सहारे से, जिसके बल पर वे जीना चाहते हैं वे भी हम उनको नहीं दे पा रहे हैं। इतना ही नहीं हम

[श्री रामदेव राय]

जो कर्जा उनको देते हैं उसका लाभ भी वे नहीं उठा पाते हैं। कर्जा देने के एक साल बाद बैंक वाले उनके दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और उन्हें कर्जा लौटाने के लिए विवश करते हैं। इस तरह से कैसे काम हो सकता है।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप इसको देखें। नहीं तो बीस सूत्री कार्यक्रम को जिस हौसले के साथ हमारे प्रधान मंत्री जी पूरा करना चाहते हैं और इसके लिए वे जागरूक हैं, हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे और अभी तक पूरा नहीं कर पाये हैं।

इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में जहां पर कि उद्योग बन्द पड़े हैं। आप अनेक उद्योग खड़े करना चाहते हैं और इन उद्योग धंधों के सहारे से देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज बिहार वैसे ही उद्योग के नक्शे पर पिछड़ा हुआ कहलाता है जबकि बिहार में खनिज सम्पदा का भंडार है और इस खनिज सम्पदा के जरिए से हम दूसरे देश के लोगों, दूसरे राज्य के लोगों को जीने का सहारा देते हैं। वहीं बिहार के लोग गरीब हैं। क्योंकि जितनी तेजी से वहां हमें उद्योग देने चाहिए थे वे हम नहीं दे पाए हैं। आप गौर करें कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में दो फैक्ट्रियां बन्द हैं। एक रामेश्वर जूट मिल और एक दूसरी फैक्ट्री बन्द पड़ी है। इनके कारण 50 हजार मजदूर बेकार पड़े हैं। इन 50 हजार मजदूरों को इन फैक्ट्रियों से काम मिलता था। इन पर आश्रित लोग होंगे कोई ढाई-तीन लाख। ये लोग भूख के कगार पर खड़े हुए हैं। इस तरह से कैसे हम अपने देश में इंडस्ट्री डवलप करेंगे। हमारे राजीव जी देश को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारे बन्द लोग उनके इस उत्साह में बाधक बने हुए हैं।

इसलिए मैं मन्त्री जी से आग्रह करना चाहूंगा आपने वित्त मंत्रालय का भार संभाला है। आप इस जवाबदेही को पूरे विश्वास के साथ पूरा करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो निस्सन्देह हमारे देश की तरक्की होगी और विकास के लाभ गांव वालों तक पहुंच पाएंगे। हमारे राजीव जी देश को 2 वीं सदी के दरवाजे पर खड़ा करने के लिए तत्पर हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि देश में जो आर्थिक असंतुलन है जब तक यह समाप्त नहीं होगा तब तक देश का विकास संभव नहीं हो पाएगा। जब तक आप विकास का लाभ हर व्यक्ति तक, हर गांव वाले तक नहीं पहुंचा पाएंगे तब तक देश आर्थिक सफलता प्राप्त नहीं कर सकेगा। जब तक आप आर्थिक असंतुलन को कम नहीं करेंगे तब तक प्रजातंत्र का असली रूप हमारे देश के सामने आ नहीं सकेगा, प्रजातंत्र का जो असली रूप है वह जनता समझ नहीं पाएगी।

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि गांवों में जो समस्याएं हैं, पानी की, सिंचाई की, बिजली की उनको आपको देखना होगा। जिस किसान की कमाई पर देश की इमारत खड़ी है, उसकी आज उपेक्षा हो रही है। वह दो समय की रोटी नहीं पा रहा है, इसको कौन देखेगा, इसको आपको देखना होगा। अगर आप इसको नहीं देख पाएंगे तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकेंगे। जिस किसान की कमाई पर आज देश सिर ऊंचा करके खड़ा है, जिसकी बदौलत आज हम अन्न

के मामले में आत्म-निर्भर हुए हैं वह किसान आज देश का सबसे बड़ा गरीब है, उसको दो समय खाने को नहीं मिलता। आज मंहगाई की क्या हालत है, लेकिन किसान के उत्पादन का उसको पूरा मूल्य नहीं दिया जाता। उसका सामान सस्ते दामों में ले लिया जाता है और आगे बाजार में वह पांच गुना और दस गुनी कीमत में बिकता है, लेकिन किसान को उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता। जब तक किसान के उत्पादन की कीमत को स्थिर नहीं किया जाएगा, उसको उसकी गाढ़ी कमाई की उचित कीमत नहीं देंगे तब तक उसकी हालत में सुधार नहीं हो सकता और देश आगे नहीं बढ़ सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, आज बिहार में मजदूर की क्या हालत है, वहां मजदूर मिलता नहीं है। मजदूर वहां से पलायन करके पंजाब और हरियाणा में जा रहे हैं और वहां पर भी उनका शोषण हो रहा है। रुपयों के बदले उनको बीमारी मिल रही है। इस पलायन को रोकने के लिए आपको बिहार में ही उनको रोजगार उपलब्ध कराना होगा और जितने कारखाने और उद्योग बन्द पड़े हैं, उनको फिर से चालू करवाना होगा। इन सब चीजों को आपको देखना होगा। इन शब्दो के साथ मै फिर से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। आशा है मैंने जो बातें कही हैं, सिंचाई का पूरा प्रबन्ध होना चाहिए, बिहार में दस नदियां हैं, उस पानी का हम सही उपयोग नहीं कर पाते, उसके उपयोग के लिए हम योजनाएं बनाएं, नलकूप भी जहां पर हैं वहां बेकार पड़े हैं, वे ढंग से काम नहीं कर रहे और किसान को उनका लाभ नहीं मिल रहा, किसानों को बिजली मिले, पानी मिले, उस के उत्पादन का उचित मूल्य मिले, इन सारी बातों को आप अपने स्तर पर देखेंगे।

[अनुवाद]

श्री गिरधारी लाल डोगरा (ऊधमपुर) : महोदय, श्री डागा ने राज सहायता के प्रावधान की आलोचना की है। मैं उनके इस दृष्टिकोण पर हैरान हूं। भारत जैसे कल्याणकारी राज्य में राज-सहायता का दिया जाना अनिवार्य है। अधिकाधिक गरीबों की सहायता के लिए आपको अधिकाधिक राज सहायता देने की जरूरत पड़ेगी। राज सहायता खाद्य पदार्थों और उर्वरकों पर दी जाती है तथा ये ऐसी मदें हैं, जिन पर वे समझते हैं कि राज सहायता कम की जानी चाहिए ? मैं ऐसा नहीं समझता हूं तथा यह ठीक है। यह राजसहायता न्यायोचित है।

एक महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूं वह रावी नदी पर थीन बांध के निर्माण के बारे में है, इसका आधा भाग जम्मू-कश्मीर में है, तथा आधा पंजाब में है। थीन बांध के बनने से मेरे राज्य का बहुत सा हिस्सा पानी में डूब जाएगा। इसके बनने से बहुत से लोग बेघर हो जाएंगे और थीन से बसोली वाली सड़क पानी में डूब जाएगी। थीन बांध अधिकारियों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे विस्थापित होने वाले सभी व्यक्तियों का उचित रूप से पुनर्वास करें। थीन से बसोली तक सड़क की वर्तमान दूरी 21 किलोमीटर या लगभग 18 किलोमीटर है। परन्तु पानी के फैलाव के कारण बनी नयी झील के किनारे यदि सड़क बनाई जाए तो वह 200 किलोमीटर लम्बी होगी। यह ठीक नहीं है। और किसी को भी न केन्द्र को, न ही राज्य सरकार तथा न ही पंजाब सरकार को यह करने का अधिकार है।

[श्री गिरधारी लाल डोगरा]

1.00 म० प०

(श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए)

इसका एकमात्र विकल्प यही है कि बसोली में रावी नदी पर इस क्षेत्र को पंजाब से मिलाने के लिए एक पुल बनाया जाये जिससे वे थीन पर आने के लिए बांध की दीवार का प्रयोग कर सकें। बसोली पर पुल भी थीन बांध अधिकारियों द्वारा बनाया जाना चाहिए। जम्मू और कश्मीर राज्य के पास इस पुल का निर्माण करने की वित्तीय क्षमता नहीं है और इससे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को ही अधिक लाभ होगा। इसलिए यह थीन बांध यहां की सिंचाई और बिजली की क्षमता भी खत्म कर देगा।

विस्थापित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए। और बसोली तथा पंजाब में बातुओं के बीच पुल का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है। यह पुल पंजाब के लिए भी लाभकारी है।

उधमपुर जिले में मझहाल्टा से बारास्ता रामनगर, डाडू, बसन्तगढ़, लाली मंतलाई से जाने वाली एक और सड़क बनाये जाने की आवश्यकता है जो जम्मू और श्रीनगर राष्ट्रीय राजपथ को जोड़ सके। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जाना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। पंडित जी के समय में केन्द्र द्वारा स्थापित सीमा सड़क संगठन का मुख्य उद्देश्य उत्तरी तथा पूर्वोत्तर भारत के पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों को अन्य भागों से जोड़ना था। अब उन्होंने इसी तरह का कार्य दक्षिण और मध्य भारत सहित देश के अन्य भागों में भी करना शुरू कर दिया है। यह एक अच्छी बात है। परन्तु इस क्षेत्र की अवहेलना नहीं की जा सकती है।

किश्तवार से कारगिल तक की एक अन्य सड़क भी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय जोजिला वाली सड़क की तरफ से शत्रुओं द्वारा हमले किए जाने का खतरा है। किसी भी प्रकार के हमले में इसका खुला रखना असंभव है। कारगिल को किश्तवार से सुरक्षा की दृष्टि से जोड़ा जाना चाहिए। परन्तु यह बहाना बनाकर अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है कि इसके लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि वे घाटे की अर्थव्यवस्था की सहायता क्यों नहीं ले रहे हैं जो कि बुनियादी ढांचे एवं उत्पादक योजनाओं के लिए आसानी से ली जा सकती है। अतः वित्त का बहाना एक थोथा बहाना है। जबकि दूसरी ओर पाकिस्तान ने अपनी सीमा की कई सड़कें मुख्य भूमि से जोड़ दी हैं। परन्तु हमारे यहां केवल एक ही सड़क है तथा वह भी शत्रु के हमले के लिए खुली है। यह ठीक नहीं है। यह सुरक्षित स्थित नहीं है। ये सड़कें बनायी जानी चाहिए।

पहाड़ी क्षेत्रों का समेकित विकास किया जाना चाहिए अर्थात कृषि, बागवानी, कुटीर उद्योग और यहां तक कि शिक्षा का भी प्रसार किया जाना चाहिए। हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने घोषणा की है कि 12वीं कक्षा तक प्रत्येक लड़की को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। परन्तु इन क्षेत्रों में न कोई उच्च विद्यालय है न ही शिक्षक हैं। राज्य या केन्द्र सरकारा द्वारा इसका कोई इन्तजाम नहीं किया गया है।

हम सुविधाओं की बात करते हैं उन्हें धन देते हैं परन्तु उसका क्या उपयोग किया गया यह

जांच नहीं करते हैं।

जो कुछ हम कहते हैं उसे लागू नहीं किया जाता। हमारी लाभकारी घोषणाएं जब लागू नहीं की जाती तो वे उत्पादन के प्रतिकूल बन जाती हैं। इसलिए निगाह रखना बहुत आवश्यक है।

हमारे यहां गेहूं और धान की बहुत अधिक पैदावार हो रही है। परन्तु एफ०सी०आई० या राज्य सरकारों के पास भण्डारण की व्यवस्था नहीं है। इसके साथ ही, हम दूर-दराज के पिछड़े इलाकों में निजी आटे के मिलें लगाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। यदि उसकी अनुमति दे दी जाए तो वे उत्पादक और किसानों से सीधे ही गेहूं खरीद सकते हैं। वे इसे पीसकर उन क्षेत्रों के लोगों को ताजा आटा सप्लाई करेंगे क्योंकि उन्हें हर बार बासी वस्तु ही दी जाती हैं। यह बहुत आश्चर्यजनक है कि बार-बार चेतावनी और अनुरोध के बावजूद हमारा खाद्य मंत्रालय आटे का स्तर और उसके घटकों को नियत नहीं कर रहा है कि इसमें कितना मैदा, कितनी सूजी व कितनी भूसी होनी चाहिए। शुद्ध खाद्य वस्तुएं अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक वस्तु के लिए मानदण्ड नियत कर दिया गया है परन्तु आटे का कोई मानदण्ड नियत नहीं किया गया है।

महोदय, मैं आपका ध्यान अपने राज्य के रेडियो व टी०वी० प्रसारण केन्द्रों की ओर आकर्षित करता हूं। राजौरी और पुंछ के बीच जारांवाली गली में एक केन्द्र स्थापित किया गया है जिससे यह समझा गया था कि यह राजौरी और पुंछ दोनों जिलों के लिए प्रसारण व्यवस्था करेगा। जबकि पुंछ जिले की व्यवस्था की जाती है और राजौरी जिले की व्यवस्था नहीं की जाती है। सरकार को यह देखना चाहिए कि जिस कार्य के लिए केन्द्रों को स्थापित किया जाता है उन्हें पूरा किया जाता है अथवा नहीं, और यदि नहीं तो कमियों को दूर करना चाहिए। इस प्रकार इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ अवश्य ही किया जाना चाहिए ताकि राजौरी जिले के लिए भी प्रसारण व्यवस्था हो।

इसी तरह डोडा जिले में न तो रेडियो की व्यवस्था है और न ही टी०वी० की। यही बात चेनानी कस्बे की है जिसकी व्यवस्था एक प्रसारण केन्द्र से समझी जाती थी। परन्तु इसकी व्यवस्था नहीं की गई है।

अन्त में मैं केवल यही कहूंगा कि हम प्रावधान करते जाते हैं परन्तु विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी है। कभी-कभी रेलवे और कोयला विभाग व कोयला प्रयोग करने वाले अन्य विभागों के बीच समन्वय नहीं रहता। वास्तव में समन्वय की कमी के कारण हम हानि उठा रहे हैं।

जैसा मैंने पहले ही कहा है हम जो प्रावधान करते हैं उस पर ठीक-ठीक यह निगाह रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि क्या राज्य सरकारें उनका उचित उपयोग कर रही हैं अथवा क्या हमारे अपने केन्द्रीय विभाग कार्यक्रमों को लागू कर रहे हैं अथवा नहीं। इसीलिए निगाह रखने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए चाहे वह योजना आयोग में हो अथवा प्रशासनिक विभाग में। यह अत्यंत आवश्यक है क्योंकि हम निगाह नहीं रख पाते हैं।

मुझे कहना चाहिए कि कार्यकुशलता न होने और कम उत्पादकता तथा आवश्यकता से अधिक लोगों के नियोजन के कारण हमारे यहां लागत बढ़ रही है। मजदूरी तो अधिक है परन्तु उत्पादकता

[श्री गिरधारी लाल डोगरा]

कम है। इसका सीधा सा कारण यह है कि मजदूरों को प्रबन्धन में भाग लेने की अनुमति नहीं है। उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाए अथवा हमारी उत्पादन प्रणाली में क्या कमियां हैं, इन विषयों पर उनसे परामर्श नही किया जाता। हम अपनी उत्पादन प्रणाली का आधुनिकीकरण कर रहे हैं परन्तु हम अपने मजदूरों के अनुभव का लाभ नहीं उठा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : सभापति जी, किसी भी देश की आर्थिक उन्नति कृषि उत्पादन पर आधारित होती है। हम इस सभा में हमेशा किसानों का रोना रोते हैं। अभी आज सुबह जीरो आवर में हमारे बंगाल के मित्र कह रहे थे कि कोई जूट खरीदने वाला नहीं है। हम कहते हैं कि कपास खरीदने वाला नहीं है, मिर्ची खरीदने वाला नहीं है···हल्दी खरीदने वाला नहीं है, मैंगो खरीदने वाला नहीं। हर समय इस सदन में कृषि उत्पादन के बारे में चर्चा होती है और बाद में हम भूल जाते हैं, उसके बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं। इसका देश की आर्थिक नीति पर बहुत प्रभाव पड़ता है।

अभी हमारे बिहार के एक मित्र बोल रहे थे कि किसान को एक या दो बार रोटी मिलना मुश्किल होता है। गेहूं पैदा करने वाले को रोटी नहीं मिलती है मगर गेहूं बेचने वाले को रोटी 3 बार मिलती है। इसका क्या कारण है?

इसका कारण यही है, हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार में बाढ़ आती है और दक्षिण में सूखा पड़ता है। इसको जोड़ना चाहिए। उत्तर से आये लोग भाषण देते हुए कहते हैं कि बाढ़ बढ़ रही है, पानी के कारण लोग बेघर हो रहे हैं। दक्षिण से आने वाले बोलते हैं कि पीने के लिए पानी नहीं है। सूखा खेत है, 3 और 4 साल से परेशान हैं। केन्द्रीय सरकार हमको कोई फंड नहीं देती है। इसके कारण हम ड्राट के बारे मे स्टैप नहीं ले पा रहे हैं। इसी कारण दक्षिण से आये हुए लोग रोते हैं। इसको मिलाने के लिए हम क्या कोशिश करते हैं? इतना होने पर भी किसान आज हमारी 70 करोड़ जनता को खाना खिला रहा है, रोटी खिला रहा है। उसके बारे में सोचने में हम बिल्कुल पीछे हैं।

अभी 2, 3 महीने के बाद फसल मार्केट में आ जायेगी। नवम्बर में कपास की, धान की, गेहूं की फसल आती है, मगर अभी तक हमने उसका भाव तय नहीं किया है कि इसकी सपोर्ट प्राइस क्या है? एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन ने क्या तय किया है, अभी इसके बारे में सोचा नहीं है। अभी इसके बारे में डिक्लेयर नहीं किया है। फर्स्ट अक्तूबर को कपास की फसल मार्केट में आती है लेकिन सी०सी०आई० किस भाव पर खरीदेगी यह पता नहीं है। कौनसी वैराइटी का क्या भाव होना चाहिये, इसके बारे में अभी तक तय नहीं हुआ। बीज डाले हुए 2 महीने हो गए, अक्तूबर में माल मार्केट में आने वाला है। कपास और जूट की हालत अभी हमारे मित्र ने बताई थी, पैडी भी आने वाला है लेकिन धान के बारे में भी अभी तक आपने सपोर्ट प्राइस तय नहीं किया है। इसके कारण विवश होकर किसान को मार्केट में सस्ते दाम पर बेचना पड़ता है। ऐसा उसे विवश होकर परेशान होकर कर्जा

मिटाने के लिए करना पड़ता है। आप उसके बारे में क्यों नहीं सोचते ? हर सत्र में इसके बारे में चर्चा होती है, हर सदस्य बोलता है कि कृषि उत्पादन के लिए एक साल पहले, बोने से पहले सोइंग से पहले इसके भाव तय होने चाहिएं, रीजनेबल प्राइस तय होने चाहिएं। हमको केवल सपोर्ट प्राइस दिया जा रहा है, रैमुनरेटिव प्राइस नहीं है, रीजनेबल प्राइस नहीं है। हमें हमेशा उसके लिए सरकार के दरवाजे खटखटाना पड़ते हैं। आपके पास हमको निवेदन-पत्र देना पड़ता है। उसके बाद भी कपास ज्यादा होने पर भी लोक सभा में सी०सी०आई० के पीछे पड़कर विवश करना पड़ेगा। आप क्यों नहीं अभी तक प्राइस डिक्लेयर कर पाते ? अक्तूबर में डेढ़ महीने बाद फसल आ रही है, क्यों नहीं आपने भाव तय किये ? इसका क्या कारण है ? मेरे ख्याल में कारण यह है कि आप फसल को देखकर भाव तय करते हैं। अगर फसल ज्यादा हो गई तो कम भाव देते हैं, अगर फसल कम होती है तो थोड़ा ज्यादा भाव देते हैं। यह क्या है पता नहीं चलता है ?

मैंने इसके बारे में रेलवे मिनिस्ट्री को एक चिट्ठी लिखी थी कि आन्ध्र प्रदेश में आम का फल ज्यादा होता है और इस फल का ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। केला भी ज्यादा होता है, केले के लिए 50 परसेंट रेल के फ्रेट में कम कर दिया है लेकिन आम के बारे में कहते हैं कि आम का 10 हजार वैगन है, केले का 150 से ज्यादा वैगन है इसलिए कम किया है। आम का कम नहीं करेंगे। यह कौन सा तर्क है ? आम अगर खराब होने वाली चीज है तो उसको जल्दी भेजना चाहिए। इस प्रकार किसान के साथ अन्याय होता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस बारे में शीघ्र कोई कदम उठायें।

सभापति महोदय, आज हमारे पास ऐसे अनेकों पत्र आते हैं जिसमें लोग हमसे शिकायत करते हैं कि इंडियन शिपिंग कारपोरेशन, फूड कारपोरेशन आफ इंडिया आदि में बहुत घपला होता है। हमने स्वयं देखा है कि फूड कारपोरेशन आफ इंडिया में सड़ा और गला हुआ चावल व दालें मिलती हैं। पत्र लिखने के बाद यही जवाब मिलता है कि जांच करवाई जा रही है। आप उन्हीं के हाथ में जांच का काम सौंपते हैं जिन्होंने घपला किया होता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर कोई एम०पी० आपको पत्र लिखता है तो एक तो उस पत्र का उत्तर अवश्य दिया जाना चाहिए, उस केस की जांच निष्पक्ष रूप से करवायी जानी चाहिए और जांच करने के बाद जो रिपोर्ट आये, उससे अवगत कराया जाना चाहिए।

जो चीज इंडिया में मैन्यूफैक्चर की जा सकती हो, उसे बाहर से नहीं मंगाया जाना चाहिए। विशाखापट्टनम में जो शिप-यार्ड है, वहां पर शिप्स तैयार होती हैं। वहां पर एक शिप की कीमत 42 करोड़ रुपए होती है। लेकिन उस शिप की कीमत शिपिंग कारपोरेशन वाले 21 करोड़ रुपए रखते हैं क्योंकि उन्हें वह शिप बाहर से 21 करोड़ रुपए में ही मिल जाती है। मै मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन कीमतों में भेदभाव क्यों है ? यही कारण है कि विशाखापट्टनम का शिप यार्ड घाटे में जा रहा है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जहाज विदेशों से नहीं मंगाए जाएं।

आज हम शूगर भी बाहर से मंगाते हैं। इस पर सालाना 700 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। हमने अखबारों में पढ़ा है कि इसमें दो करोड़ रुपए का घपला हुआ है और शूगर में आयरन के छोटे-छोटे कण भी पाये जाते हैं। बाद में हमें पता लगा था कि दोषी अफसरों को पकड़ भी लिया गया

[श्री सी० जंगा रेड्डी]

था। उन्हें शो-कॉज़ का नोटिस भी दिया गया। लेकिन अब वह रिहा भी हो गये हैं। इस प्रकार के जो घपले होते हैं, उन्हें आगे के लिए रोका जाना चाहिए। हम 225 रु० क्विंटल के हिसाब से शूगर मंगाते हैं। स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन वाले उसी शूगर को 387 रुपए क्विंटल के हिसाब से एफ०सी०आई० को देते हैं। आप 162 रुपए ज्यादा क्यों लगाते हैं? इसका क्या कारण है? इसको अवश्य सुधारा जाना चाहिए। केवल हम बातों के लिए बातें नहीं बोल रहे हैं, इसको सुधारने की जरूरत है। इस पर आपको जल्दी से जल्दी एक्शन लेना होगा।

हमारी न्यू टैक्सटाइल पालिसी के कारण 11 लाख मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। हैंडलूम का जो आपने रेस्ट्रिक्शन लगाया और धोती बनाने के लिए और पावर लूम को आपने उसके लिए बैन कर दिया, उसके कारण पावर लूम के वर्कर्स आन्ध्र और तमिलनाडु में परेशान हैं। उन बेरोजगार मजदूरों को काम मिलना चाहिए। केवल मशीनरी बढ़ाते जाने से काम नहीं चलेगा। लोगों को रोटी कमाने के लिए काम देना होगा, तभी देश की उन्नति होगी।

श्रीमती ऊषा ठक्कर (कच्छ) : सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने अनुदान की अनुपूरक मांगें जो रखी हुई हैं, उसका मैं समर्थन करती हूं और धन्यवाद देती हूं कि माननीय मंत्री जी और भारत सरकार ने व्यापारी लोगों को प्रामाणिक बनाने के लिए जो तरीका अपनाया उसका बड़ा अच्छा असर पड़ा है। किसानों के लिए और बेघर लोगों के लिए इन्दिरा आवास योजना जैसी कई योजनाएं बनाई गई हैं। उनके ऊपर तेजी से अमल करने के लिए हमारी भारत सरकार से मांग है और जो कर की धनराशि आ रही है उससे बेघर लोगों को घर बनाकर दिये जाएं तथा किसानों को खेती में मदद दी जाए।

जो हमारे प्रधान मंत्री ने प्रोग्राम दिया है उससे 20-सूत्री कार्यक्रम तेजी से पूरा हो सकेगा।

गुजरात में मेरा क्षेत्र जो कच्छ है, उसके बारे में दो ही बातें करूंगी। मेरा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ और बार्डर एरिया है। वहां पर भुज शहर में एक हवाई अड्डा है। वह वायु सेना के नियन्त्रण में है। इससे लोगों को बहुत परेशानी है। मैंने माननीय मन्त्री जी को लिखा था और उन्होंने मुझे जवाब दिया है कि नागरिक हवाई अड्डा भुज में अलग करने के लिए धनराशि प्राप्त करने की कोशिश जारी है। मैं प्रार्थना करूंगी कि भुज में नागरिक हवाई अड्डे के लिए और धनराशि का बंदोबस्त जल्दी करने की कृपा करें।

मेरा क्षेत्र कच्छ गुजरात का एक चौथाई एरिया है। वहां पीने के पानी का बहुत अभाव है। इसलिए उसके स्थायी हल के लिए नर्मदा परियोजना का पानी वहां पहुंचना अत्यन्त आवश्यक है। मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगी कि पानी लोगों के जन-जीवन के लिए प्राण-प्रश्न है। तो पीने का पानी लोगों तक पहुंचे उसके लिए आप बंदोबस्त करें।

गुजरात में सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात और कच्छ में सूखा बार-बार पड़ता है। उसमें से मेरा क्षेत्र कच्छ रन एरिया है। वहां पेड़ लगाने की बहुत आवश्यकता है। जब प्रधान मन्त्री जी कच्छ गए थे तो

उन्होंने भी कहा था कि यहां वन लगाने की बड़ी आवश्यकता है। इसलिए स्पेशल धनराशि खर्च करके कच्छ में वन लगाने के लिए प्राथमिकता दी जाए, इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करती हूं।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : सभापति जी, मैं इन अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं क्योंकि किसी प्रगतिशील और विकासशील देश के लिए इस प्रकार की अनुपूरक मांगों का आना स्वाभाविक होता है। मुझे खेद है कि समय का अभाव है इसलिए मैं कुछ रचनात्मक सुझाव ही देना चाहूंगा जो विशेष तौर से आज के हालात में ठीक हैं।

सबसे पहले मैं काटेज इंडस्ट्री के बारे में कहना चाहता हूं। आज शहरों पर बड़ा दबाव है। आवास की समस्या वहां बनी हुई है। लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है। उसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि यदि हम गांवों की तरफ लोगों का रुझान शुरू करें तो उसका एक ही तरीका है कि हम लघु उद्योग को प्राथमिकता दें जिससे गांवों के अन्दर छोटे-छोटे कारखाने लगाए जाएं और लोग उसमें काम करें। उससे बेरोजगारी की समस्या भी दूर होगी। तो लोगों का रुझान भी शहर के बजाए गांवों की तरफ होगा। उसके साथ यह भी जरूरी है कि गांवों की तरफ रुझान करने के लिए गांवों में भी वही फैसिलिटीज दी जाएं जो कि शहरों में दी जाती हैं।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस सप्लीमेंटरी बजट में प्राकृतिक आपदाओं के लिए जो धन निर्धारित किया गया है, वह बहुत ही कम है। हमारे देश में हर समय कोई न कोई प्राकृतिक आपदा आती ही रहती है कहीं सूखा, कहीं बाढ़, कहीं ओला, कहीं आंधी तूफान—इसलिए मैं चाहता हूं कि प्राकृतिक आपदाओं के लिए जो धन रखा गया है उसको बढ़ाया जाए। आप देखेंगे कि किसानों को ही इस धन की सबसे अधिक जरूरत पड़ती है। हमारे देश के जो किसान हैं उनके सम्बन्ध में यदि आप फीगर्स इकट्ठी करके देखें तो मेरे ख्याल में 80-90 परसेंट किसान आपको कर्जदार मिलेंगे। इस प्रकार की बदतर हालत आज किसानों की हो रही है। आजादी से पहले 1935-36 में साहूकारों के पास किसानों की जमीन जायदाद रेहन हुआ करती थी। आज यदि किसी विशेष वर्ग के पास उनकी जमीन जायदाद रेहन नहीं है तो सभी किसानों की जमीन, उनके मकानात, घर वगैरह किसी कोआपरेटिव बैंक या जो हमारे नेशनलाइज्ड कामर्शल बैंक्स हैं, उनके पास रेहन हैं। आज आप किसी भी प्रान्त में देख लें, यही स्थिति आपको मिलेगी। हमारे विरोधी दल के भाई भी इसी बात को उठाते हैं कि अगर वे सत्ता में आएंगे तो किसानों के कर्जे माफ करेंगे। क्योंकि वे समझते हैं कि हमारा किसान अनाज तो पैदा करता है लेकिन उसका अनाज खेत से ही साहूकार के पास चला जाता है और उसकी हिम्मत नहीं रह जाती कि वह भरपेट रोटी खा सके। इसलिए मैं कहूंगा कि जो लोग बहुत पुराने कर्जदार हैं, जिनके यहां हर साल बाढ़, सूखा जैसी आपदा आ जाती है, उन किसानों के लिए कोई लिमिट मुकर्रर की जाए जिसके बाद उनके कर्जों को माफ कर दिया जाए।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि किसानों की जो इतनी खस्ता हालत हुई है इसकी एक दूसरी वजह भी है। कोई किसान किसी बैंक से कर्जा लेने के लिए जाता है, नलकूप बनाने के लिए या ट्रैक्टर खरीदने के लिए या किसी दूसरे विशेष काम के लिए कर्जा लेने जाता है, तो मैं कहता हूं कि अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम उसका पांचवां हिस्सा रिश्वत में उसे देना पड़ता है। कारण यह है कि कर्ज लेने में इतनी ज्यादा प्रक्रियाएं हैं, इतना लम्बा-चौड़ा प्रोसीजर है कि उसमें कोई न कोई

[श्री धर्मपाल सिंह मलिक]

बाटलनेक्स आ जाते हैं और अधिकारी उस काम को वहीं रोक देता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि किसानों को कर्जा देने की प्रक्रिया बड़ी साधारण होनी चाहिए। अगर किसानों को जमीन रेहन रखनी ही है तब बहुत साधारण प्रक्रिया अपनाकर किसानों को इस बेईमानी, घूसखोरी और रिश्वतखोरी से बचाया जाए ताकि उसकी हालत सुधर सके।

इसके साथ ही मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। सरकार ने यह जो फसल बीमा योजना लागू की है वह बहुत अच्छी चीज है। इसके लिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन मेरा सुझाव है कि जितना पैसा रखा गया है फसल बीमा योजना के लिए वह बहुत कम है। हमारे देश में जो भी छोटे या बड़े किसान हैं उनको बड़ी मेहनत करके अपनी फसल पैदा करनी पड़ती है। इसमें किसी एक वर्ष का सवाल नहीं है, किसी एक फसल का सवाल नहीं है, किसी एक जिले या गांव का सवाल भी नहीं है, किसी भी किसान की जमीन में साल में कोई भी फसल पैदा होती है उसको प्राकृतिक आपदा, विशेष तौर से बाढ़ और सूखा से बचाने के लिए बाकायदा फसल का बीमा योजना लागू होनी चाहिए। केवल किसी एक विशेष फसल का या किसी विशेष जिन्स का बीमा करना उपयुक्त नहीं होगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि सभी फसलों को इस फसल बीमा योजना के तहत लाया जाना चाहिए और हर राज्य को इसके तहत लाया जाए।

अब मैं हरियाणा प्रान्त के पानी के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि यह समस्या बहुत दिनों से लटकी हुई चली आ रही है। बहुत से लोग शायद समझते होंगे कि हरियाणा का सतलुज यमुना लिंक कैनाल का मसला राजनीतिक होगा लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यह मसला राजनीतिक नहीं है बल्कि यह मसला हरियाणा के लोगों के लिए, किसान ही नहीं बल्कि वहां के हर प्राणी के लिए यह जिन्दगी और मौत का सवाल है। हर किसान की हालत अच्छी होगी तो हर एक नागरिक की हालत अच्छी होगी। इसलिए एस०वाई०एल० कैनाल को विशेष ध्यान देकर सरकार इसको कम्पलीट कराए। इसके साथ मैं कहता हूं कि सम्भावना एस०वाई०एल० कैनाल से जितना पानी हरियाणा को मिलने की आवश्यकता है, उससे सारे इलाके में पानी नहीं आएगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि हरिद्वार से गंग नहर निकलती है, इसका पानी त्रिवेणी से होता हुआ बंगाल की खाड़ी में चला जाता है और पानी बेकार हो जाता है। यदि आप वहां पर बांध बनाकर इसका पानी हरियाणा के लिए डाइवर्ट कर दें, तो उससे बहुत फायदा होगा।

एक बात मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। हमारी सरकार की यह योजना है कि हर जिले के हैडक्वार्टर पर एक सैंट्रल स्कूल हो, लेकिन मैं हरियाणा की बात करता हूं, उस प्रदेश में सिर्फ दो सैंट्रल स्कूल हैं। मेरी कांस्टीचूएंसी, सोनीपत, से 70 हजार लोग प्रति दिन दिल्ली के लिए सफर करते हैं। यहां पर उनको रहने की परेशानी है, इसलिए वे रोजाना सफर करते हैं। अगर इनका तबादला दिल्ली से बाहर हो जाता है और बच्चों को वे वहां ले जाना चाहते हैं, तो उनको स्कूल में दाखिला नहीं मिलता है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि सोनीपत में ही सैंट्रल स्कूल कायम किया जाए। इसी प्रकार बहादुरगढ़ से भी 15—20 किलोमीटर के फासले पर है, वहां से भी 20—30

हजार लोग डेली पैसेंजर हैं, वहां पर भी सैंट्रल स्कूल कायम किया जाए। इसलिए मैं पुनः गुजारिश करना चाहता हूं कि जिला हैड क्वार्टर पर जल्दी से जल्दी सैंट्रल स्कूल कायम किए जाएं। आप चूंकि घंटी बजा रहे हैं, समयाभाव के कारण, तो मैं अपनी बात समाप्त करते हुए सप्लीमेंट्री बजट का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, मैं 1318.40 करोड़ रुपये राशि की अनुपूरक मांगों की पहली किश्त का जिसमें 26 अनुदान शामिल हैं, समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस अनुपूरक मांग से कुल अतिरिक्त खर्च 663.89 करोड़ रुपये का होगा। आप जानते हैं कि हमारे वार्षिक बजट में 3600 करोड़ रुपये का घाटा है। और यदि इन आंकड़ों को घाटे में जोड़ दिया जाए तो यह घाटा लगभग 4200 करोड़ रुपये का हो जाएगा। इस प्रकार घाटा बढ़ जाएगा। इसके अतिरिक्त जब वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएंगी, तो उससे निश्चित ही राजकोष पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह अपने उत्तर में यह स्पष्ट करें कि इस वर्ष इतने अधिक घाटे को कैसे पूरा करने का उनका विचार है।

महोदय, हमारे भारतीय बजट के बारे में एक प्रसिद्ध कहावत है कि यह कहा जाता है कि भारत में बजट मानसून का जुआ है। स्वतंत्रता के लगभग चार दशकों के बाद भी किसी सीमा तक यह कहावत अब भी सच है क्योंकि अब तक हम केवल लगभग 30 प्रतिशत कृषि भूमि तक ही सिंचाई सुविधा पहुंचा सके हैं। यह एक राष्ट्रीय औसत है।

अब मैं उड़ीसा जैसे राज्य पर आता हूं जहां यह आंकड़े अब भी 20 प्रतिशत और 25 प्रतिशत के बीच है। संसद में एक-दो दिन पहले दिया गया हमारे माननीय वित्त मंत्री का यह वक्तव्य मैंने देखा कि मानसून अच्छी होने से उन्हें इस वर्ष एक अच्छी फसल की आशा है। परन्तु मैं सोचता हूं कि ऐसी भविष्यवाणी अभी नहीं की जा सकती। वास्तव में उड़ीसा सहित कुछ राज्यों में, श्रीमान जी जैसा आप जानते हैं मानसून आरम्भ होने से पहले 15 दिन के अन्दर ही कुल वर्षा की लगभग आधी वर्षा पहले ही रिकार्ड की जा चुकी है। केवल उड़ीसा ही नहीं अपितु अन्य राज्यों के बारे में भी यह सच है। पहले ही रिकार्ड की गई इतनी भारी वर्षा के कारण किसानों को आने वाले महीनों में सूखे की आशंका होना बिलकुल स्वाभाविक है। परन्तु सितम्बर, अक्तूबर में एक-दो बौछारों को छोड़कर, भारत के कुछ भागों में अतीत में गम्भीर सूखा पड़ा है।

राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के लिए अब इस दिशा में एक बहुत सावधानीपूर्वक रास्ता अपनाने और फसल स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने और एक अनुभवाश्रित योजना के लाभ किसानों व उत्पादकों को बचाने के लिए यदि उन पर कोई विपदा आती है, तैयार रहने का समय है।

अब मैं फसल बीमा योजना पर आऊंगा। आज नियम 377 के अन्तर्गत मैंने इस विषय पर काम किया है। इस योजना के लिए अनुदान की पूरक मांगों के 9 करोड़ रुपये का प्रावधान है। मैं माननीय मंत्री से इस समस्या के लिए यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने का अनुरोध करूंगा। किसानों

[श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही]

एवं उत्पादकों द्वारा अभिनन्दित यह एक प्रशंसनीय योजना है परन्तु जिस तरह इसे लागू किया जा रहा है उससे वे इस योजना पर आशावान होने की अपेक्षा धीरे-धीरे निराश हो रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे ग्राम पंचायतों को इकाइयां बनवायें, रबी व खरीफ दोनों फसलों के लिए और फसल की हानि का अनुमान लगाने के लिए वर्तमान उपज को आधार बनाया जाए। वरना इस योजना का वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होगा।

अब मैं ऊर्जा की समस्या पर आता हूं। ऊर्जा के गैर-परम्परागत तरीके की उन्नति के लिए इस पूरक बजट में प्रावधान है। इस आधुनिक संसार में ऊर्जा सभी वस्तुओं के लिए मूलभूत निवेश है। सातवीं योजना के अन्त तक 10,000 मेगावाट ऊर्जा की कमी होगी। मेरा सुझाव है कि ऊर्जा को जोकि प्रत्येक वस्तु की जड़ है। उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके।

जैसा कि आप जानते हैं उड़ीसा में ऊर्जा की बिलकुल कमी है, जबकि विद्युत उत्पादन श्रेणी का कोयला भारी मात्रा में यहां मौजूद है। एक इब घाटी में व दूसरा तालचर में, दो ताप संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है। परन्तु किसी-न-किसी बहाने बहुत समय से दोनों प्रस्ताव लम्बित हैं। इन दोनों परियोजनाओं को अनुमति मिलनी चाहिए और निर्माण-कार्य आरम्भ करना चाहिए ताकि उन्हें सातवीं योजना में पूरा किया जा सके। ताप संयंत्रों की स्थापना कोयला खान द्वार के पास होनी चाहिए। निजी उद्यमियों को अपने उपभोग के लिए अपने विद्युत संयंत्रों लगाने का प्रोत्साहन देना चाहिए।

अब हीराकुंड बांध के संबंध में कुछ बातें कहना चाहूंगा। उसमें दरारें पड़ गई हैं। यह देश की एक बहुत बड़ी, अग्रणी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जिसमें संसार का सबसे लम्बा मिट्टी का बांध है, और पूरे एशिया में सबसे बड़ा जलाशय है। इसमें दरारें पड़ चुकी हैं जो धीरे-धीरे चौड़ी हो रही हैं और जोखिमपूर्ण हैं जिससे लोग आतंकित हैं। इस परियोजना की मरम्मत के लिए लगभग 8 करोड़ रुपये की लागत का एक प्रस्ताव लम्बित पड़ा है। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और तुरन्त युद्ध-स्तर पर कार्य आरम्भ किया जाना चाहिए।

तालचर और ब्रजराज नगर उड़ीसा के दो ऐसे स्थान हैं जो भयंकर पर्यावरण प्रदूषण का सामना कर रहे हैं। उन्हें प्रदूषण मुक्त करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए।

दूसरी बात यह है कि मैं माननीय वित्त मंत्री से वित्तीय वर्ष की अवधि के प्रश्न पर पुन: विचार करने का अनुरोध करूंगा। मैं समझता हूं कि वित्तीय वर्ष जोकि अब प्रथम अप्रैल से 31 मार्च तक होता है उसे बदल कर जुलाई-जून तक कर देना चाहिए ताकि क्षेत्र में प्रगति कार्य के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध हो सके।

विभिन्न स्तरों पर सरकारी धन का बहुत अधिक दुरुपयोग होता है और सार्वजनिक उपक्रमों में भी जहां हमने बहुत अधिक पूंजीनिवेश किया हुआ है और जहां हमारे बहुत अधिक हित निहित हैं,

वे भली प्रकार कार्य नहीं कर रहे हैं। सरकारी उपक्रमों और सरकारी संगठनों के कार्य को अधिक करने की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ में अनुदान की पूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : सभापति महोदय, सप्लीमेंटरी ग्रांट्स लगभग 1318 करोड़ रुपये की आपने मांगी है। मैं इनकी ताईद करने के लिए खड़ा हूं।

सबसे पहले मैं वाटर रिसोर्सिज की ग्रांट्स के बारे में कहना चाहता हूं। इनके तहत आपने 239 करोड़ रुपये मांगे हैं जिनमें से फ्लड कंट्रोल स्पेशल असिस्टेंश के लिए केवल तीन करोड़ रुपये रखे हैं। यह रकम आपने वैस्टर्न और ईस्टर्न सेक्टर्स के लिए रखी है जो कि मैं समझता हूं बहुत कम रकम है। आपने नार्दर्न सेक्टर के लिए ही कोई प्रोविजन नहीं रखा है। इसके लिए भी र ने की जरूरत है। खुसूसीतौर पर आपने पढ़ा होगा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में फ्लड की बहुत बड़ी सिचुएशन है। लद्दाख और कश्मीर में नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं। अब की बार वहां बहुत बड़ा नुक्सान उठाना पड़ा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हिल एरियाज के लिए आपको काफी रकम रखनी चाहिए। लद्दाख में फ्लड की वजह से छ: आदमी मर गए, बहुत सारे घर बह गए हैं, हजारों एकड़ जमीन बह गई है, मवेशी मर गए हैं। वहां साल में एक ही फसल होती है, वह भी इस साल ज्यादा बारिश और फ्लड हो रहा है। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस एरिया के लिए खास ध्यान दें।

आपने सिविल एविएशन के लिए रकम मांगी है जो कि हैलीकॉप्टर कार्पोरेशन पर खर्च करने जा रहा है। मैं इसको वेलकम करता हूं। लेकिन इस कार्पोरेशन को ठीक ढंग से प्लान बनाकर चलाना चाहिए। आपने जो वायुदूत सर्विस चलाई है और इसमें डोनियर प्लेन लाये हैं ये प्लेन बहुत ही छोटे हैं इस स्कीम को आपने ठीक ढंग से प्लान नहीं किया है। ये हमारी जरूरत को पूरा नहीं कर पाये हैं। ये बहुत ऊंचाई पर नहीं जा सकते। आप हेलिकोप्टर कार्पोरेशन बनाने जा रहे हैं जो कि आयल एण्ड नेचुरल गैस के अलावा उसमें ईस्टर्न सेक्टर के लिए चलाने का मनसूबा है। मैं समझता हूं कि बाकी जगह, यानी नार्दर्न सेक्टर में भी अल्टीमेटली आप इसको एक्सटेंड करने वाले हैं। नार्दर्न सेक्टर में भी चलाने का प्लान बनाना चाहिए।

मैं सिविल एवियेशन मिनिस्टर का मशकूर हूं कि उन्होंने लद्दाख के लिए हफ्ते में दो बार एडीशनल एयर सर्विस मंजूर की है जो कि एक चण्डीगढ़ के रास्ते से और दूसरी श्रीनगर के रास्ते से जाएगी। लेकिन लेह का एयरपोर्ट अण्डर रिपेयर है। बार्डर रोड्स आरगेनाइजेशन रिपेयर कर रहा है। लेकिन बार्डर रोड्स आरगेनाइजेशन, सिविल एवियेशन डिपार्टमेंट और एयर फोर्स में कोआर-डिनेशन न होने की वजह से वहां प्लेन के लैण्ड करने की परमीशन नहीं मिली है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि ये तीनों डिपार्टमेंट आपस में कोआरडिनेट करें ताकि जो एडीशनल फ्लाईट्स आपने मंजूर की हैं वे चल सकें। इनको जल्दी से जल्दी चलाया जाए यही लद्दाख के लोग चाहते हैं। यह वहां के लिए बहुत जरूरी है।

इंडस्ट्री के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं। पिछले सेशन में मैंने रूल 377 के तहत यह

[श्री पी० नामग्याल]

मांग की थी कि एच० एम० टी० का एक असेम्बली यूनिट लद्दाख में चलाया जाए क्योंकि वहां की आबोहवा ऐसी है जिसकी एच० एम० टी० को अपने ऐसे यूनिट के लिए जरूरत पड़ती है। वहां पर ह्युमिडिटी बहुत कम रहती है। दूसरी जगह पर एच० एम० टी० को ह्युमिडिटी को कम करने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करना पड़ता है। वहां पर इसकी जरूरत नहीं है और जो इलेक्ट्रानिक कंपोनेंट्स हैं उनको बाई एयर आसानी से लाया जा सकता है, इसलिए वहां पर असेंबलिंग के लिए ये प्लांट लगना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से सरकार ने कहा कि अभी इसका प्रावधान नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी आपने पढ़ा होगा कि मिजोरम का जो अकार्ड हुआ है, वहां के लिए एच० एम० टी० का यूनिट सैंक्शन किया है। सरकार को यह नहीं करना चाहिए कि अगर कोई डंडा लेकर आ जाए तो उसकी मांग पूरी कर दे और जो शान्ति से बात करता रहे, उसकी बात न सुनी जाए। मैं इसके लिए मांग करता हूं कि वहां एच० एम० टी० असेंबलिंग यूनिट लगाने की गुंजाइश है, इस ओर ध्यान देना चाहिए।

मैं माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो सेट-अप कर दिया। आज सारी यूनिवर्सिटीज में, कालेजों में और यहां तक कि स्कूलों में नशीली दवाओं का उपयोग हो रहा है, लोगों को बताने लिए और इसको चैक करने के लिए यह जो ब्यूरो बनाया है, मैं समझता हूं कि इससे काफी फायदा होगा, पब्लिक लाइफ में काफी सुधार होगा। हाल ही में नेशनल एजूकेशन पालिसी के सेमीनार में चर्चा हो रही थी तो हाउस के एक डिस्टिंग्विश मेम्बर ने यह मसला उठाया था और हर स्टेट के मिनिस्टर ने एप्रेशिएट किया था। यह काम बहुत जरूरी है, देर से हुआ है और "बैटर लेट दैन नैवर" वाली मिसाल दें, लेकिन इस बात के लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। इन शब्दों के साथ मैं ग्रांट्स का सपोर्ट करता हूं।

شری پی نام گیال (لداخ)

صبھاپتی مہودے سپلیمنٹری گرانٹس لگ بھگ ۱۳۱۸ کروڑ روپے کی آپ نے مانگی ہے. میں آپ کی تائید کے لئے کھڑا ہوں۔

سب سے پہلے میں واٹر ریسورسز کی گرانٹس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں. ان کے تحت آپ نے ۲۳۹ کروڑ روپئے مانگے ہیں جن میں سے فلڈ کنٹرول اسپیشل اسسٹینس کے لئے کیول تین کروڑ روپئے رکھے ہیں۔ یہ رقم آپ نے ویسٹرن اور ایسٹرن سیکٹرس کیلئے ہی رکھی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت کم رقم ہے۔ آپ نے ناردن سیکٹر کے لئے کوئی پرودیزن نہیں رہا ہے. اس کے لئے بھی رکھنے کی ضرورت ہے خصوصی طور پہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جموں کشمیر اور لداخ میں فلڈ کی بہت بُری سچویشن ہے. لداخ اور کشمیر میں نیچرل (NATURAL) کیلیمیٹیز آتی ہیں. اب کی بار وہاں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ حل ایریا ز کے لئے آپ کو کافی رقم رکھنی چاہیئے. لداخ میں فلڈ کی وجہ سے چھ آدمی مر گئے ہیں بہت سارے گھر بہہ گئے ہیں. ہزاروں ایکڑ زمین بہہ گئی ہے مویشی مر گئے ہیں. وہاں سال میں ایک ہی فصل ہوتی ہے وہ بھی اس سال زیادہ بارش اور فلڈ ہو رہے ہیں, اس لئے میں سرکار سے گزارش کروں گا کہ اس ایریا کے لئے خاص دھیان دے۔

آپ نے سول ایویئیشن کے لئے رقم مانگی ہے جو کہ ہیلی کاپٹر کارپوریشن پہ خرچ کرنے جا رہا ہے. میں اس کو ویلکم کرتا ہوں. لیکن اس کارپوریشن کو ٹھیک ڈھنگ سے پلان بنا کر چلانا چاہیئے. آپ نے جو وایودوت سروس چلائی ہے اور اس میں ڈورنیئر پلین لائے ہیں یہ پلین بہت ہی چھوٹے ہیں. اس سکیم کو آپ نے ٹھیک ڈھنگ سے پلان نہیں کیا ہے. یہ ہماری ضرورت کو پورا نہیں کر پائے ہیں. یہ بات اونچائی پر نہیں جا سکتے. آپ ہیلی کاپٹر کارپوریشن بنانے جا رہے ہیں

ہیں جو کہ آئل اینڈ نیچرل گیس کے علاوہ اس میں ایسٹرن سیکٹر کے لئے چلانے کا منصوبہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ باقی جگہ یعنی ناردرن سیکٹر میں بھی الٹیمیٹلی آپ اس کو ایکسٹینڈ کرنے والے ہیں۔ ناردرن سیکٹر میں بھی چلانے کا پلان بنانا چاہیئے۔

میں سول ایویئیشن منسٹر کا مشکور ہوں کہ انہوں نے لداخ کے لیے ہفتے میں دو بار ایڈیشنل ائیر سروس منظور کی ہیں جو کہ ایک چنڈی گڑھ کے راستے سے اور دوسری سری نگر کے راستے سے جائے گی۔ لیکن لیہہ کا ائیرپورٹ انڈر ریپیئر ہے بارڈر روڈس آرگنائزیشن سول ایویئیشن ڈپارٹمنٹ اور ایئر فورس میں کوآرڈینیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہاں بلیین کے لینڈ کرنے کی پرمیشن نہیں ملی ہے۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تینوں ڈپارٹمنٹ آپس میں کوآرڈینیٹ کریں تاکہ جو ایڈیشنل فلائٹس آپ نے منظور کی ہیں وہ چل سکیں۔ ان کو جلدی سے جلدی چلایا جائے یہی لداخ کے لوگ چاہتے ہیں۔ یہ وہاں کے لئے بہت ضروری ہے۔

انڈسٹری کے بارے میں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں پچھلے سیشن میں میں نے رول ۳۷۷ کے تحت یہ مانگ کی تھی کہ ایچ ایم ٹی کا ایک اسمبلی یونٹ لداخ میں چلایا جائے کیونکہ وہاں کی آب و ہوا ایسی ہے جس کی ایچ ایم ٹی کو اپنے ایسے یونٹ کے لئے ضرورت پڑتی ہے۔ وہاں پر ہیومڈٹی بہت کم رہتی ہے۔ دوسری جگہ پر ایچ ایم ٹی کو ہیومیڈٹی کو کم کرنے کے لئے اسپیشل ایکویپمنٹس استعمال کرنا پڑتا ہے۔ وہاں پر اس کی ضرورت نہیں ہے اور جو الیکٹرانک کمپونینٹ ہیں ان کو بائی ائیر آسانی سے لایا جا سکتا ہے اس لیے وہاں پر اسمبلنگ کے لئے یہ پلانٹ لگنا چاہیئے تھا۔ لیکن بدقسمتی سے سرکار نے کہا کہ ابھی اس کا پراودھان نہیں کیا جا سکتا لیکن ابھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ میمورنڈم کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہاں کے لئے ایچ ایم ٹی کا۔

یونٹ سیکشن کیا ہے ۔ سرکار کو یہ نہیں کرنا چاہیئے کہ اگر کوئی ڈنڈا لے کر آجائے تو اس کی مانگ پوری کر دے اور جو شانتی سے بات کرتا ہے اس کی بات نہ سُنی جائے۔ بس اس کے لئے مانگ کرتا ہوں کہ وہاں آئی ایم ٹی اسمبلنگ یونٹ لگانے کی گنجائش ہے اس اور دھیان دینا چاہیئے۔

میں مانیئے فائنانس منسٹر صاحب کو بھی دھنیواد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ڈرگ کو ٹھیک کنٹرول بیورو سیٹ کیا۔ آج ساری یونیورسٹیز میں کالجوں میں اور یہاں تک کہ اسکولوں میں نشیلی دواؤں کا پریوگ ہو رہا ہے لوگوں کو بتانے کے لئے اور اس کو چیک کرنے کے لیے یہ جو بیورو بنایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کافی فائدہ ہوگا پبلک لائف میں کافی سدھار ہوگا۔ حال ہی میں نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے سیمینار میں چرچا ہو رہی تھی تو ہاؤس کے ایک ڈسٹنگوئیشڈ ممبر نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا اور ہر اسٹیٹ کے منسٹر نے ایپریشیئیٹ کیا تھا۔ یہ کام بہت ضروری ہے۔ دیر سے ہوا ہے "بیٹر لیٹ دین نیور" والی مثال ہے۔ لیکن اس بات کے لئے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ میں ان شبدوں کے ساتھ میں گرانٹس کا سپورٹ کرتا ہوں]

[अनुवाद]

श्री शरत देब (केन्द्रपाड) : सभापति महोदय, पूरक मांगों पर बोलते हुए, मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे समर्थन से आर्थिक स्थिति अथवा वित्तीय स्थिति को राहत पहुंचने के बदले गिरावट आएगी।

जैसे आप जानते हैं, हमारे देश को सचमुच और अधिक आर्थिक प्रगति चाहिए, और मुख्यतः हमारी अर्थव्यवस्था उद्योग और कृषि पर निर्भर है और मेरा विचार है कि यह दोनों विद्युत पर निर्भर हैं। और तीसरा है वाणिज्य। यदि आप इन तीनों बातों का एक सूक्ष्म सर्वेक्षण करेंगे तो आप देखेंगे कि वे तीनों संकट में हैं।

और सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में एक माननीय मंत्री श्री बसन्त साठे ने एक लेख लिखा है। किन्तु प्रश्न यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र वह कार्य क्यों नहीं कर रहा है जो उसे करना था। इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में भी अच्छी प्रगति नहीं हुई है। जहां तक हमें मालूम है वाणिज्य क्षेत्र मे भी निर्यात में जिस प्रकार की हम आशा करते हैं उतना नहीं हो रहा है। विद्युत क्षेत्र में भी भारी कमी है। केवल कृषि क्षेत्र में एक बात है कि सरकार गर्व करती है कि हमारे पास अतिरिक्त खाद्यान्न हैं। हां, ठीक है यदि आप इस बात से संतुष्ट हैं कि आपके पास अतिरिक्त खाद्यान्न हैं। किन्तु जहां तक कृषकों का संबंध है क्या आप संतुष्ट हैं ? क्या खाद्यान्नों का उत्पादन करने वाले लोगों को अच्छा मूल्य मिल रहा है ? जब उन्हें अच्छे मूल्य नहीं मिल रहे हैं तो खाद्यान्नों में आपके द्वारा आत्मनिर्भरता दिखलाने का क्या अर्थ है ?

अन्त में, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य आरम्भ किया है। निस्सन्देह कुछ परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं। क्या इन्हें उचित ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है ? मैं अपने राज्य का केवल एक उदाहरण दे रहा हूं। यदि इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाता तो इनसे किन को लाभ मिलता ? वह लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उनको लाभ मिल जाएगा। किन्तु ऋणों के वितरण के नाम पर क्या हो रहा है ? यदि आप आंकड़े देखें तो यह पता चलेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में उन लोगों को जो पहले ही ऋण ले चुके हैं उन्हें पुनः ऋण दिए जाते हैं। उन्हें पहले से ही "तकावी ऋण" और "सोसाइटी ऋण" मिले हुए हैं। इसके अतिरिक्त आप अभी जो ऋण देते रहते हैं यह देखे बिना कि क्या ऋणों का उचित उपयोग हो रहा है या नहीं।

अन्त में, जो भी केन्द्रीय सहायता उड़ीसा राज्य को दी जा रही है, उसका उचित ढंग से उपयोग नहीं हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि उड़ीसा ने क्या बुराई की है। आपने दूसरा ताप संयंत्र वापस ले लिया है। महोदय, जब आप वहां थे आपने विद्युत उत्पादन के संबंध में एक प्रश्न पूछा। आपको पहले ही उत्तर मिल गया। केन्द्रीय सरकार की ओर से इस संबंध में कोई सुनिश्चित उत्तर नहीं था कि क्या कोई विद्युत परियोजना आरम्भ हो रही है अथवा नहीं।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं जो बहुत गम्भीर मामला है जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है। मैं वित्त मन्त्री की नोटिस में लाना चाहता हूं कि उड़ीसा के सम्बन्ध में उन्होंने क्या किया है। उड़ीसा

सरकार ने वित्त विभाग में बहुत सारे धन का घोटाला किया है।

सबसे अधिक दुख की बात यह है कि मुख्य मन्त्री के राहत कोष में दुरुपयोग के सम्बन्ध में...** द्वारा आरोप हैं।

सभापति महोदय : कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। कुछ भी कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी०के० गढ़वी) : 53 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है। मेरे विचार में उन सभी ने अनुदानों की मांगों के संबंध में कहने के अतिरिक्त अपने क्षेत्रों, राज्य, चुनाव क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं और मांगो के संबंध में में कुछ मुद्दे उठाए जो भारत सरकार के विभिन्न विभागों से सम्बद्ध थे। मैं अपनी बात अनुदानों की मांगों तक ही सीमित रखूंगा। साथ ही मैं कुछ ऐसी सामान्य समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहता हूं तो यहां उठाई गई हैं। किन्तु यदि मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई विशिष्ट समस्याओं अथवा मांगों की ओर ध्यान नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैंने पहले ही अपने विभाग को आदेश दिया है कि माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई समस्याओं को नोट कर लें ताकि इनकी जांच के लिए इन्हें अपने सम्बद्ध मन्त्रालयों में भेज दिया जाए और वित्त मन्त्रालय को सूचित करके माननीय सदस्यों को उत्तर दिया जाए।

मुख्य समस्याएं जिनके संबंध में उल्लेख किया गया है वह ग्रामीण विकास और ग्रामों में रोजगार के अवसर ढूंढ निकालने और किसानों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार के रवैये से सम्बद्ध है। सिंचाई, विद्युत, आदि से सम्बन्धित अन्य सभी समस्याएं इससे सम्बद्ध हैं।

हम जानते हैं कि हमारे शहरी क्षेत्रों और नगरों में भीड़-भाड़ हो रही है। जनता ग्रामों से नगरों शहरी क्षेत्रों में रोजगार की तलाश में आ रहे हैं। यह भी एक टिप्पणी है कि ग्रामीण कारीगर तथा अन्य बेरोजगार शिक्षित युवक ग्रामों में रहकर अपनी पसन्द के काम को आगे बढ़ाने के लिए अनुकुल नहीं समझते हैं। मुझे सभा को यह सूचना देने में प्रसन्नता है कि भारत सरकार और हमारे प्रधान मंत्री को इस सम्बन्ध में बहुत चिंता है। हमारे पास आई० आर० डी० पी०, आर०एल० ई०जी० पी०, एन० आर० ई० पी० और शिक्षित बेरोजगार योजना के अन्तर्गत बहुत से कार्यक्रम हैं। जहां तक अन्य कार्यक्रमों का सम्बन्ध है। हम अत्याधिक ध्यान देते हैं, किन्तु जहां तक बेरोजगार शिक्षित युवाओं का सम्बन्ध है, यह योजना आदरणीय इन्दिरा जी ने आरम्भ की थी और हम इसे जारी रखे हुए हैं। हम न केवल इस समय तक इसे जारी रखे हुए हैं किंतु पहले ऋण सीमा 25 हजार रुपये थी और अब हम इसको कुछ व्यवसायों के लिए 35 हजार रुपये तक बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी तक इस योजना में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कोई प्राथमिकता अथवा आरक्षण नहीं था। इस योजना

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री बी० के० गढ़वी]

में भी हम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 30 प्रतिशत का आरक्षण आरम्भ कर रहे हैं।

जहां तक ग्रामीण कारीगरों का सम्बन्ध है, व्यवसायों, अथवा व्यापार या उद्योग को खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग के अन्तर्गत विस्तार किया जा रहा है, और सरकार भी इस बात पर विचार कर रही है कि ऋण और वित्तीय सहायता की सीमा बढ़ाई जाए।

शहरी निर्धन योजना तो पहले से ही है। एक आलोचना यह भी है कि योजनाओं की उचित जांच नहीं की जाती है, अत: सरकार द्वारा इन योजनाओं पर भारी रकम खर्च करने के बावजूद, योजनाओं का वास्तविक लाभ उन लोगों को नहीं मिलता है जिनके लिए यह योजनाएं होती हैं। इसके लिए भी सरकार नई पद्धतियों के निर्माण के सम्बन्ध में विचार कर रही है। सरकार यह भी विचार कर रही है कि कड़ी निगरानी की जाए। निस्सन्देह जहां तक डी० आई० सी० तथा अन्य एजेंसियों का सम्बन्ध है मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकारों को भी अधिक ध्यान देना है परन्तु जहां तक बैंकों का सम्बन्ध है मैं विश्वास दिला सकता हूं कि यदि ऋण आदि के वितरण में कोई भ्रष्टाचार का तत्व है और यदि इसे हमारे ध्यान में लाया जाता है तो हम उन लोगों के विरुद्ध कड़ी कारंवाई करने में नहीं हिचकिचाएगें। परन्तु अन्तत: हमारे जैसे विशाल देश में दूरदराज के गावों में, मैं यह महसूस करता हूं कि यह देखना सरकार का कर्त्तव्य है कि जो पैसा गरीबों के लिए नियत किया गया है वह उनको मिलना चाहिए। यदि यह उसके पास नहीं पहुंचता है तो हमें सामाजिक कार्यकर्त्ता राजनैतिक कार्यकर्त्ता के रूप में यह हमारा कर्त्तव्य होना चाहिए कि हम इस प्रकार की प्रथाओ को जिन्हें हम पसन्द नहीं करते या जो अनुचित हैं रोकने में सहयोग दें। सलाहकार समितियां निश्चितरूप से इसकी जांच कर सकती है। परन्तु जब हम गरीबों और दलित लोगों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के हितो का समर्थन करना चाहते हैं तो समाज के सभी सम्भ्रांत लोगों विशेषरूप से राजनैतिक दलों से सम्बन्धित लोगों का यह प्रयास होना चाहिए कि जो भी गलत कार्य हो रहा है उसे सरकार के ध्यान में लायें। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि उन्हें हमारे ध्यान में लाया जाता है तो निश्चित रूप से उपचारात्मक उपाय किये जाएंगे।

2.00 म० प०

श्री डोगरा जी ने यह सही ही पूछा था कुछ सदस्य किसानों को दी जा रही सब्सिडी का क्यों विरोध कर रहे है। सरकार किसानों की सहायता के लिए वचनबद्ध है और संसाधनों की सीमा के भीतर उन्हें सभी प्रकार की सहायता दी जा रही है। जहां तक उर्वरक और खाद्यान्न पर सब्सिडी का सम्बन्ध है सरकार यह देखना चाहती है कि किसानों को सस्ते और उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध होनी चाहिए और यह भी देखना चाहती है कि गरीब लोगों को खाना प्राप्त हो। इसलिए सब्सिडी जारी रहेगी और इसे वापस लेने का कोई इरादा नहीं है।

जहां तक खरीद मूल्य का सम्बन्ध है इस वर्ष जब मजबूरी में कपास को बेचा गया तो भारतीय कपास निगम ने किसानों के पास पड़ी कपास को बड़े पैमाने पर खरीदने का प्रबन्ध किया। वह बड़े पैमाने पर उनकी सहायता के लिए आई। जहां तक मूल्यों की घोषणा का सम्बन्ध है निश्चितरूप से यह बेहतर होगा कि वसूली मूल्य जब इन्हें घोषित करने की आवश्यकता हो उससे पहले घोषित कर दिये जाने चाहिए। कल वित मंत्री जी ने उल्लेख किया था कि इस बारे में क्या किया जा रहा है ताकि किसानों को अपने उत्पाद के बेहतर दाम प्राप्त हो सकें। हम खाद्य तेलों आदि के आयात को युक्ति-संगत बना रहे हैं। कल वित्त मंत्री ने कुछ जानकारी दी थी और समस्या के कई पहलुओं पर प्रकाश डाला था। यह सभी बातें हमारे ध्यान में है। इसलिए मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं।

परन्तु अनुदानों की मांगों के बारे में, मैं कहना चाहूंगा कि मैंने फसल बीमा योजना के लिए 15 करोड़ रुपये मांगें है। कुछ सदस्यों ने कहा है कि 9 करोड़ रुपये काफी हैं। ऐसा नहीं है। फसल बीमा की व्यवस्था के लिए मैंने 15 करोड़ रुपये मांगे हैं सरकार के सामने जो कुल दावा आया था वह लगभग 120 करोड़ रुपये था। जांच करने पर 81 करोड़ रुपये बीमे के रूप में देना सही पाया गया। एक तिहाई भाग राज्य को देना होगा और केन्द्रीय सरकार द्वारा शेष का प्रबन्ध किया जा रहा है। इसलिए हम इसे दे रहे हैं। अतः कोई आलोचना नहीं हो सकती। हम इस वर्ष पूरे दावे को पूरा कर रहे हैं जिसे स्वीकार्य पाया गया है। परन्तु अनुभवी नेता श्री रंगा जी और अन्य सदस्यों ने एक मुद्दा उठाया है कि फसल बीमा योजना का विस्तार किया जाना चाहिए तथा गांव को इकाई माना माना जाना चाहिए। सरकार को पता है कि जो प्राथमिक ऋण सहकारी समितियों और कृषि समितियों से सम्बद्ध नहीं हैं, जो ऋण नहीं लेते हैं वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकतें। जैसा कि हम जानते हैं ऐसे मामले हैं। वह प्रत्येक चीज खेती में लगा देता है। यदि अकाल पड़ जाए या बाढ़ आदि आ जाए और यदि फसल का बीमा नहीं है तो वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और वह कंगाल बन जाता है। अतः इस पर अच्छी तरह से विचार किया गया है। परन्तु हमें किसी संस्था का पता लगाना होगा जो इन पहलुओं की ओर ध्यान दे सकें क्योंकि सदन इस बात से सहमत होगा की बीमा निगम के लिए प्रत्येक किसान के पास जाना सम्भव नहीं होगा। इसलिए इसका हल यह है हम सभी को गांवो में सहकारी समितियों के विस्तार के लिए सतत प्रयास करना चाहिए और जब तक हम यह नहीं कर पाते तब तक मैं नहीं समझता कि और कोई भी आसान तरीका होगा। हम सभी जानते हैं कि सहकारी समितियां कुछ राज्यो को छोड़कर समाप्त होती जा रही है। गांधी जी और प्रत्येक ने सहकारी समितियों तथा खादी ग्रामोद्योगों पर जोर दिया था। जब हम आधुनिकीकरण प्रौद्योगिकी और उद्योग के विकास आदि की बात करते हैं तथा जब सदन और सभी सदस्य कहते है कि देश गावों और कारीगरों तथा निर्धन लोगों से सम्बन्धित है और वास्तविक रूप से ऐसा है तब मैं चाहता हूं कि सहकारी समितियों का विस्तार किया जाना चाहिए और यदि इनका विस्तार किया जाता है तो मुझे विश्वास है कि हम किसानों और निर्धन लोगों के लिए बहुत सी लाभदायक योजनाएं शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस पहलू पर हमें बहुत प्रयास करना होगा।

मुझे खेद है कि किसी भी सदस्य ने विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांग का उल्लेख नहीं किया है। परन्तु हमने यह मांग रखी है और आप सराहना करेंगे कि हमारे देश ने विकासशील देशों, अफ्रीका के पिछड़े देशों, जो हमारे इर्द गिर्द हैं जैसे सोमलिया, सूडान, इथोपिया, तंजानिया और मोरिशस उन्हें

[श्री बी० के० गढ़वी]

गतिशील बनानेके प्रयास शुरू कर दिए हैं। भारत ने उन्हें संकट के समय खाद्यान्न की सप्लाई की है तथा इसलिए यह मांग आई है और यह विकासशील देशों को हमारा उपहार है तथा इसलिए मैं कुछ आंकड़े भी देना चाहता हूं। हमने सोमालिया को 10,000 टन गेहूं, सूडान को 22, 412 टन गेहूं, इथोपिया को 57,058 टन गेहूं, केन्या को 5000 टन गेहूं, तंजानिया को 5,472 टन गेहूं तथा मारीशस को 10,000 टन गेहूं का आटा और 2000 टन चने की दाल सप्लाई की। हमारे पास अतिरिक्त खाद्यान्न का भण्डार है। और भारत की समृद्धि का और देश भी लाभ उठा रहे हैं और यह उन लोगों की सहायता के लिए आया है जो विकासशील हैं तथा जो मुसीबत में हैं क्योंकि गत समय में हम भी अकाल से पीड़ित हुए हैं।

जहां तक रक्षा सम्बन्धी मांगों का सम्बन्ध है, मुझे खुशी है कि सदन ने इसे बिना किसी विवाद के स्वीकार कर लिया है और इससे पता चलता है कि हम अपनी रक्षा सेनाओं पर कितना ध्यान देते हैं। इन सभी अनुदानों की मांगों में से सम्भाव्यरूप से मेरी अनुदान की मांग केवल 663.89 करोड़ रुपये की है। क्योंकि समायोजन प्राप्ति और अन्य चीजें बकाया राशि के साथ मेल खाती है। इसमे से 400 करोड़ रुपये रक्षा के लिए है। और सुरक्षा की दृष्टि से सदन इसकी सराहना करेगा। हम हिंद महासागर में विदेशी युद्धपोत के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसे शांति क्षेत्र होना चाहिए। हम दियागो गर्मिया के बारे में चर्चा कर रहे हैं; हम उन अत्याधुनिक हथियारों की बात कर रहे हैं जो हमारे पड़ोसी देश को दिये जा रहे हैं और जो हमारे लिए भारी चिंता का विषय है। इसलिऐ रक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त धन दिया जाना चाहिए। हालांकि मुझे विश्वास है कि हम किसी के साथ युद्ध नहीं करना चाहते। लेकिन अन्य देशों की धमकियों से हम अपनी सुरक्षा अवश्य चाहते हैं।

जहां तक अन्य अनुदानों का सम्बन्ध है, मुख्यरूप से मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि यह बहुत छोटी राशि है जिसकी मैं आपसे मांग कर रहा हूं। जहां तक सरकारी उपक्रमों का सम्बन्ध है उनके कार्य निष्पादन के बारे में काफी कुछ कहा गया है। मैं नहीं कह सकता कि उनके कार्य निष्पादन से हम संतुष्ट हैं। नि:संदेह इसके कारण हैं। कुछ सरकारी उपक्रमों में ऐसे तत्व है जो कार्य निष्पादन के रास्ते में रुकावट डालते हैं क्योंकि हमने अपने श्रमिक के हितों की रक्षा के लिए कुछ इकाईयों को राष्ट्रीयकृत किया है। हम नहीं चाहते कि वे इकाईयों को बन्द कर दें। हम नहीं चाहते कि मजदूर और कर्मचारी बेरोजगार हो जाएं। हम उन्हें पुन: चालू करने की कोशिश कर रहे हैं।

सभा की जानकारी के लिए, मै बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि सरकारी उपक्रमों पर नजर नहीं रखी जा रही है। निश्चित रूप से यह किया गया है। वित्त विभाग तथा प्रधान मंत्री के सचिवालय सहित प्रत्येक विभाग उनके कार्यकरण पर पूरा ध्यान रखते हैं। समय-समय पर निर्देश और मार्गदर्शन जारी किये जाते हैं। प्रबंधकों के उत्तरदायी ठहराने की दिशा में भी समय-समय पर प्रयास किए जाते हैं। जैसा कि वित्त मंत्रीजी ने कल बताया था हमने उनको पहले से ही निर्देश दिए हैं कि प्रति इकाई उत्पादन लागत को कम किया जाना चाहिए और उपक्रम को लाभप्रद बनाया जाना चाहिए। फिर भी, मैं माननीय सदस्यों की चिन्ता को समझ सकता हूं क्योंकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में

44,000 करोड़ रुपए से अधिक पूंजी लगी हुई है और यह छोटी राशि नहीं है। इस समय लाभ बहुत कम मिलता है। परन्तु इसके भी कुछ बड़े कारण हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने किन्हीं विशेष सरकारी उपक्रमों के बारे में बात कही जैसाकि श्री पाणिग्रही ने भारतीय साइकिल निगम के बारे में कहा है। मैं समझता हूं कि भारतीय साइकिल निगम में समस्याएं हैं। इसमें आवश्यकता से अधिक कर्मचारी भी हैं परन्तु हम इसकी सहायता नहीं कर सकते हैं। साइकिल ट्रेड में मंदी आई है। यह भी एक कारण है।

मैं उनको आश्वासन देता हूं कि निश्चित रूप से इस पर जांच की जाएगी और यदि किसी चीज को करने की आवश्यकता हुई तो इसे किया जाएगा।

जहां तक कपड़ा उद्योग का सम्बन्ध है, इसमें भी माननीय सदस्य श्रमिकों के हितों की रक्षा के कारण प्रशंसा करेंगे क्योंकि हम श्रमिक और मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध हैं, उनमें से कई उद्योगों को राष्ट्रीयकृत किया गया था और यहां भी अनुदानों की मांगों तथा अन्य अदायगी में, मैंने स्वदेशी मिल के राष्ट्रीयकरण के लिए कहा है और स्पष्टरूप से वह किया जा रहा है क्योंकि हम उनको बन्द नहीं करना चाहते जिससे कि श्रमिक बेरोजगार हो जाए। तथापि, हम श्रमिकों को भी लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और श्रमिक संघ सहयोग दे रहे हैं। यदि वे सरकार के साथ युक्तिकीकरण आदि में सहयोग दें तो मैं समझता हूं कि योजना ठीक तरह से काम करेगी।

पटसन उद्योग के लिए आलोचना भी बैध है।

बाजार के बारे में भी कुछ कारण हैं। पटसन मिलों में पुरानी मशीनरी और कपास के मूल्य में सभी पहलू होते हैं हम सुधारात्मक उपाय करने की कोशिश कर रहे हैं।

आंध्र प्रदेश के कुछ सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया था कि उनके राज्य में अकाल और सूखा होने के बावजूद उतनी सहायता नहीं दी गई है जितनी की देनी चाहिए। मैं आपको केन्द्रीय दलों के मूल्यांकन तथा राज्य को दी गई हकदारी के बारे में बताना चाहता हूं और इस बारे में, मैं कुछ आंकड़े भी देना चाहता हूं। जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा, भारतीय बजट वास्तव में वर्षा की तरह जुआ है। 1906 में लार्ड कर्जन ने कहा था कि भारतीय कृषि जुआ है। हमारे जैसे देश में यह सही बात है जहां चिरस्थायी सिंचाई सुविधाएं अनिश्चित है तथा जहां हमें वर्षा पर निर्भर होना पड़ता है। 1985-8 में प्राकृतिक विपदाओं पर राहत के लिए हमारी सहायता सीमा 10_4.68 करोड़ रुपए थी। दुर्भाग्यवश इस वर्ष भी कई राज्यों में सूखा और अकाल पड़ा है तथा इसलिए 6-8-86 तक 447.72 करोड़ रुपए की सहायता की मंजूरी की गई थी जिसमें से 224.72 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता दी गई थी और कम राशि का केन्द्रीय हिस्सा 66.25 करोड़ रुपए था। अतः आप अच्छी तरह से इस बात की प्रशंसा कर सकते हैं कि जो राशि छठी योजना में 5 वर्ष के लिए रखी गई थी उसमें से लगभग आधी राशि न कि वर्ष में आधी, एक वर्ष में हमें खर्च करना पड़ता था। परन्तु फिर भी पेयजल तथा अन्य ऐसी योजनाओं के लिए हम सहायता दे रहे हैं। यह हमारे ध्यान में भी आया है कि कुछ राज्यों में उन्हें न्यूनतम आवश्यकताओं कार्यक्रम तथा अन्य चीजों के माध्यम से कुछ सहयोग देना होगा। वे लोग इतने

[श्री बी० के० गढ़वी]

उत्साहपूर्वक आगे नहीं आते हैं जितना कि उन्हें आना चाहिये और पेय जल आदि के लिए कुछ नियतन राशि दूसरी वस्तुओं के लिए भी नियत कर दी गई है। किन्तु हम इसकी संवीक्षा कर रहे हैं और योजना आयोग भी संवीक्षा कर रहा है तथा हम यह सुनिश्चित करने की चेष्टा कर रहे हैं कि परिव्यय में जिन परियोजनाओं और कार्यों के लिए जितनी राशि नियत की जाये, वह उन्हीं में व्यय की जाये।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : यह भी तय किया गया था कि जो स्टेट खर्च नहीं करना चाहती हैं, उनका पैसा दूसरी स्टेट्स को दे देंगे, जैसे राजस्थान खर्च करना चाहता है तो उसको दिया जाए।

श्री बी० के० गढवी : कर देंगे, पहले रिव्यू करेंगे तभी तो देंगे, अभी रिव्यू ही नहीं किया है तो कैसे कर सकते हैं।

[अनुवाद]

फसल बीमा के बारे में मेरे पास एक मुद्दा और है। यह भी मांग की गई है कि फसल बीमा फलों और बगीचों पर लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। वास्तव में, हम सेब के लिए एक अग्रगामी परियोजना बना रहे हैं और इसके बाद ही इसकी जांच की जायेगी।

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : आप मानक पैदावार को ही क्यों नहीं लेते ?

श्री बी० के० गढवी : हम मानक पैदावार, प्रति एकड़ पैदावार को ही लेते हैं।

श्री उत्तम राठौड़ : एक कृषक को 16 प्रतिशत ब्याज अदा करना पड़ता है। ब्याज अदा करने के बाद उस कृषक के पास बचता ही क्या है ?

श्री बी० के० गढवी : मैं इस बात को स्पष्ट कर रहा था कि एक कृषक को जो ऋण उपलब्ध है, उस ऋण की राशि यदि 1000 रुपये है; तो उसका 1500 रुपये का बीमा हो जायगा।

श्री उत्तम राठौड़ : ब्याज तथा अन्य वस्तुओं के बारे में क्या स्थिति है।

श्री बी० के० गढवी : किश्त बहुत ही मामूली है। गेहूं, धान और बाजरा के लिए केवल 2 प्रतिशत है तथा तिलहनों और दालों के लिए 1 प्रतिशत है। इसके अलावा छोटे और सीमांत किसानों के लिए किश्त में 50 प्रतिशत की राजसहायता मिलेगी।

श्री राज मंगल पांडे (देवरिया) : 2 प्रतिशत का मतलब है 30 रुपये।

श्री बी० के० गढवी : 30 रुपये पूरे सीजन के लिए।... (व्यवधान) अनेक व्यक्ति अदा कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि किसी ने भी अदा न किया हो... (व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री महोदय को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिये।

श्री बी० के० गढवी : जैसा कि मैं कह रहा था गेहूं, चावल और बाजरा के लिए किश्त की दर 2 प्रतिशत है और दालों तथा तिलहनों के लिए 1 प्रतिशत। इसके अतिरिक्त अब तक कुल मिलाकर 7641.51 लाख रुपये के दावों का भुगतान किया जा चुका है... (व्यवधान) यह केवल आरम्भिक स्थिति है।

तदन्तर विरोधी दल के कुछ सदस्यों ने सिक्कों और अन्य वस्तुओं की कमी के बारे में बताया था। यह बात सही है किन्तु अब हम नोएडा में एक नया टकसाल लगाने जा रहे हैं... (व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री महोदय को अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

श्री बी० के० गढवी : जहां तक मादक द्रव्यों का सम्बन्ध है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि श्री नामग्याल ने इसे स्वीकार तो किया। यह केवल आर्थिक अपराध ही नहीं है किन्तु यह मानवता तथा हमारी आने वाली पीढ़ियों और युवकों के प्रति भी एक अपराध है। उसके लिए हमने कुछ धन की मांग की है, जैसा कि आपने इस किताब में देखा है, और यह आवश्यक भी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत में मादक द्रवों के आने-जाने का धंधा बन्द हो जाये और हम अपनी युवा पीढ़ी को इस खतरे से बचाना चाहते हैं।

जहां तक इन्दिरा गांधी स्मारक न्यास का सम्बन्ध है, प्रो० रंगा ने पूछा है कि केवल एक-बार के अनुदान में ही 1,50,00,000 रुपये का अनुदान क्यों दिया गया है। मैं उन्हें सूचित करना चाहूंगा कि न्यास ने एक वर्ष एक व्यक्ति को, लगभग 15 लाख रुपये का पुरस्कार देने के लिए मांगा और यह पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो इसका अधिकारी होगा। इसलिए हम इतना रुपया दे रहे हैं जिससे कि न्यास रुचि आदि बनाये रखने के लिए यह पुरस्कार देना बरकरार रख सके। किन्तु मैं इस सभा को सूचित करना चाहूंगा कि यदि गतिविधियां बढ़ती हैं अथवा न्यास भविष्य में और कुछ मांगता है तो उसे अस्वीकार नहीं किया जाएगा।

जहां तक दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुदानों का सम्बन्ध है, ये अनुदान उन आवासीय समितियों द्वारा भूमि के अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में दिया जाता है; जो समिति दिल्ली विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत पंजीकृत है और ये अनुदान दिल्ली विकास प्राधिकरण के उन प्लेटों के लिए भी दिया जाता है जिनका सम्बन्ध अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए किये जाने वाले आरक्षण से होता है। इस प्रकार, आवासीय कठिनाई को कम करने के लिए, हम इस की मांग कर रहे हैं।

जहां तक नागरिक उड्डयन का सम्बन्ध है, हमने हैलीकाप्टर निगम के लिए 53.49 करोड़

[श्री बी० के० गढ़वी]

रुपये की मांग की है। आपको पता होगा कि दूरस्थ क्षेत्रों में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को किराये पर हैलीकाप्टर लेने पड़ते हैं। हमारी अपनी ही प्रणाली होनी चाहिए और हम उसी का विस्तार कर सकते हैं; जैसा कि श्री नामग्याल ने मांग की है। यह तो केवल शुरूआत है। किन्तु इसका विस्तार किया जा सकता है। इससे पूरे देश को लाभ हो सकता है, यहां तक कि उन दूरस्थ स्थानों में भी इसका लाभ उठाया जा सकता है, जहां परिवहन सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। और इसीलिए हम इसे कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य ने इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के कार्य निष्पादन की आलोचना की है। मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसी बात नहीं है। हमारे जितने भी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं; उनमें ये दो उपक्रम बहुत अच्छे चल रहे हैं और अच्छा लाभ कमा रहे हैं। आज की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा में, जिसका सामना एयर इंडिया को करना पड़ रहा है, एयर इंडिया बहुत अच्छा लाभ कमा रहा है और उसकी व्यवहार्यता बहुत ही अच्छी है। इंडियन एयर लाइन्स में उनकी सकल पूंजी का लाभ लगभग प्रतिशत और एयर इंडिया में लगभग 12 प्रतिशत है। इसलिए यह कहना कि ये दोनों निगम ढंग से नहीं चल रहे हैं, सही नहीं है।

मैंने लगभग सभी मुद्दे ले लिए हैं। उठाये गये व्यक्तिगत मुद्दों का भी मैं उत्तर दे सकता हूं किन्तु जैसा कि मैं आरम्भ में ही कह चुका हूं, कि हर मुद्दे पर ध्यान दिया जाएगा और उसका उत्तर सदस्यों को दिया जाएगा···

श्री डी० पी० जडेजा (जाम नगर) : गुजरात के पश्चिमी भाग में सूखे की स्थिति के बारे में उठाया गया मुद्दा रह गया है और पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान होना चाहिए।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय ने उसका उत्तर दे दिया है।

श्री बी० के० गढ़वी : हमने उसपर ध्यान दिया है। मैं सम्माननीय सभा को बता चुका हूं कि जहां तक सूखे का संबंध है, हमने छठी पंचवर्षीय योजना में कुल जितना धन व्यय हुआ था उसका 40 प्रतिशत धन हमें 1985-86 में व्यय करना पड़ा था। (व्यवधान)

मुझे विश्वास है कि सभा उन मांगों को पारित कर देगी, जो सभा के समक्ष रखे गये हैं।

सभापति महोदय : मैं अब 1986-87 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है :

> "कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें :—

मांग संख्या 2, 3, 19, 21, 22, 25, 29, 30, 33, 34, 36, 40, 42, 53, 61, 64, 80, 85, 86, 91, 93, 95 और 97।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक-सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1986-87 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत अनुपूरक अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
कृषि मन्त्रालय			
2.	कृषि	15,00,00,000	...
3.	मीन उद्योग	...	25,00,00,000
रक्षा मन्त्रालय			
19.	रक्षा सेवाएं-थल सेना	245,00,00,000	...
21.	रक्षा सेवाएं वायु सेना	100,00,000	...
22.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	55,00,00,000
गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग			
25.	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग	14,00,00,000	1,00,00,000
विदेश मंत्रालय			
29.	विदेश मंत्रालय	25,08,60,000	...

1	2	3	
वित्त मंत्रालय			
30.	वित्त मंत्रालय	11,22,36,000	...
33.	आयकर, सम्पदा शुल्क, धनकर और दान कर	...	30,00,000
34	स्टाम्प	...	4,50,00,000
36.	करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल	25,00,000	85,61,00,000
40	वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय	4,000	3 5,76,75,000
खाद्य और पूर्ति मंत्रालय			
42	खाद्य विभाग	...	2,000
गृह मंत्रालय			
53.	दिल्ली	...	80,00,00,000
मानव संसाधन विकास मंत्रालय			
61.	कला और संस्कृति	1,50,00,000	...
उद्योग मंत्रालय			
64.	उद्योग	70,00,00,000	...
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
80.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	76,50,000	...
इस्पात और खान मंत्रालय			
85.	खान विभाग	...	50,50,00,000

1	2		3
वस्त्रोद्योग मंत्रालय			
86.	वस्त्रोद्योग मंत्रालय	33,60,00,000,	24,32,00,000
परिवहन मंत्रालय (रेलवे को छोड़कर)			
91.	विमानन	...	53,49,00,000
शहरी विकास मंत्रालय			
93.	लोक निर्माण	...	1,47,89,000
95.	आवास और शहरी विभाग	...	2,21,80,000
जल संसाधन मंत्रालय			
97.	जल संसाधन मंत्रालय	10,00,000	

2.32 म० प०

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक*

[अनुवाद]

व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढवी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1986-87 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1986-87 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

*दिनांक 7-8-1986 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बी० के० गढवी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

महोदय, मैं प्रस्ताव** करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1986-87 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1986-87 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सभा अब विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री बी० के० गढवी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रो० रंगा बोलें।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित/प्रस्तुत।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : कल वित्त मंत्री यह बात स्पष्ट करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे कि अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना बहुत मुश्किल होता है और सरकार अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करना चाहती है। सरकारी कर्मचारी बढ़ती हुई मंहगाई और मुद्रास्फीति के संदर्भ में अधिक मंहगाई भत्ते की मांग करते हैं। हममें से कई संसद सदस्य विकास योजनाओं के लिए अधिक धनराशि मांगते हैं। ठीक है महोदय, हम अब वह प्रश्न उठाने नहीं जा रहे हैं, यद्यपि हम वित्त मंत्रालय से 5 प्रतिशत मितव्ययता प्राप्त करने की मांग करते थे। जैसाकि इस विधेयक से सम्बन्धित मंत्री पहले ही कह चुके हैं, कि यह कार्य यानि खर्च पर नियंत्रण करने का कार्य वित्त आयोग का नहीं अपितु वस्तुतः वित्त मंत्रालय का है। इसे हर मंत्रालय के खर्च पर नजर रखनी चाहिए। परन्तु जब कभी योजना आयोग को भी यह कार्य सौंपा गया तो वह भी इस मामले मे पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया। हाल ही में हमने अब योजना कार्यान्वियन मंत्रालय के नाम से एक नया मंत्रालय इस कार्य के लिए बनाया है यह ठीक ही किया गया है। तथा एक अनुभवी कैबिनेट मंत्री इसके कार्यभारी हैं। वह राज्यों से शुरू कर रहे हैं तथा राज्यों के सम्बन्ध में उन्होंने उन्हें अच्छे प्रमाण पत्र दिये हैं। मैं नहीं जानता कि उस समय उनका मनोभाव कैसा था। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप इस वक्त केवल कुछ स्पष्टीकरण की मांग कर सकते हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : महोदय, हमने नेक इरादों से 5 दिन के सप्ताह की नयी व्यवस्था लागू की है। हमें आश्वासन दिया गया था कि कार्य के कुल घंटे वही रहेंगे। सरकार के कार्य पर खराब असर नहीं पड़ेगा तथा सरकार की कार्य क्षमता में सुधार आता जायेगा। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर इस बारे में अब तक प्राप्त हुए अनुभव के आधार पर पुनर्विचार करे जो कि 5 दिन के सप्ताह की व्यवस्था से हुआ है। मैं जानता हूं कि कई अधिकारी स्वयं इस व्यवस्था से खुश नहीं है।

हमारे यहां यूरोपीय देशों की तरह उतनी पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है कि हमारे अधिकारी इन दो छुट्टियों का जो प्रत्येक सप्ताह मिलती हैं, पूरा उपयोग कर सकें।

दूसरे, लोग सारे भारत से दिल्ली आते हैं। उन्हें दिल्ली में अपने कार्य के लिए पूरे दो दिन रुकना पड़ता है। इससे किसे लाभ होता है? केवल होटल वालों को। सबसे पहले तो आम लोगों के लायक होटल नहीं हैं। पांच सितारा होटल हैं जो बहुत मंहगे हैं और फिर हमें मालूम है कि वे कैसी सेवाएं प्रदान करते हैं! विभिन्न पेयों का तथा अन्य चीजों का कैसा व्यापार करते हैं तथा अन्य नापसंद की वस्तुओं का उपभोग कराते है जिससे नुकसान होता है। लोग इससे पीड़ित हैं। यही कारण है कि एक राज्य ने जिसे इसका कुछ अनुभव हुआ है, पुनः 6 दिन का सप्ताह शुरू कर दिया है। मैं समझता हूं कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने बुद्धिमतता का कार्य किया है। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार भी इस पर पुनर्विचार करे। क्योंकि इस व्यवस्था की आलोचना की अनदेखी करना अच्छा नहीं है। हमें इसका अनुभव हो चुका है। हमें लोगों की आवश्यकताओं, उनके विचारों, उनकी कठिनाइयों, अनुभवों तथा इन अधिकारियों के अनुभव पर भी ध्यान देना चाहिए। शुक्रवार का आधा दिन शनिवार के बारे में सोचने में चला जाता है और सोमवार को दिमाग में पिछले दो दिनों की सुखद अनुभूति भरी रहती है। अतः सोमवार को आधे दिन तक कर्मचारी अधिक कार्यकुशलता से कार्य नहीं कर पाते हैं। इस

[प्रो० एन० जी० रंगा]

तरह हमें एक सप्ताह में कार्य करने के लिए कुल मिलाकर 4 दिन ही मिलते हैं। क्या ऐसा होते रहना ठीक है ? हमें इसकी जांच करनी चाहिए। यह ठीक है कि हमें प्रयोग जरूर करने चाहिएं। मैं चाहूंगा कि वे यह जांच करें कि क्या इस व्यवस्था से ठीक परिणाम मिल रहे हैं। क्या वे इससे संतुष्ट हैं, क्या जनता संतुष्ट है, अब तक उनके अधिकारियों के अनुभव के आधार पर क्या वे संतुष्ट हैं, और क्या यह पद्धति कुछ दिन और कायम रखी जाये ताकि वे इस व्यवस्था का कुछ और असर देख सकें। परन्तु इस व्यवस्था के परिणामों को भी तथा इस नये प्रयोग से उत्पन्न तकलीफ की भी जांच करने की आवश्यकता है।

श्री दिग्विजय सिंह (सुरेन्द्र नगर) : महोदय, मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा। यह व्यय विभाग से सीधे सम्बन्धित है। यह प्रश्न गत दो महीनों में उठा है। दो महीने हुए देश में सभी अनुसूचित बैंकों ने अपने सेवा प्रभारों की दर 6 पैसे से बढ़ाकर 20 पैसे कर दी है, यह साढ़े तीन गुना या लगभग चार गुना वृद्धि है। उन्होंने सभी अन्तर्देशीय मांग पत्रों एवं चेकों की निकासी के लिए सेवा प्रभारों को बढ़ाया है। इससे भारत के लोगों को चेक आदि की निकासी के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि देनी पड़ेगी। इससे देश में मुद्रास्फीति और बढ़ेगी। मैंने तीन प्रश्न भी पूछे हैं, परन्तु इसका कोई भी तर्कसंगत उत्तर नहीं दिया गया है कि यह क्यों किया गया और इन अनुसूचित बैंकों को अपने सेवा प्रभार को 6 पैसे से बढ़ाकर 20 पैसे करने की अनुमति क्यों दी गई। इस देश के व्यापारियों को उतना अधिक भुगतान करना पड़ेगा और स्वभाविक रूप से यह वृद्धि अन्ततः उपभोक्ताओं को वहन करनी पड़ेगी और यह 100 करोड़ रुपए की राशि लोगों को भरनी पड़ेगी।

मैंने नियम 184 के अन्तर्गत चर्चा की मांग की है परन्तु मैं जानता हूं यह नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : चेयरमैन साहब, एक सवाल तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने 400 करोड़ रुपया नेचुरल कैलेमिटीज के लिए रखा और उसमें से राजस्थान को 125 करोड़ देने की बात मानी, परन्तु दिया केवल 92 करोड़ रुपया, बकाया राशि भी आप राजस्थान को जल्दी से जल्दी देने की कृपा करें। इसके अलावा 5 लाख टन गेहूं देने की बात भी मानी थी, परन्तु वह भी अभी तक नहीं दिया। उसे भी आप जल्दी से जल्दी दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आगे चर्चा न करें।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर के लिए राज्य सरकार ने आपसे 32 करोड़ रुपये की मांग की है, वह पैसा भी जल्दी से जल्दी दीजिए। वहां लोग पानी के अभाव में प्यासे मर रहे हैं। राजस्थान का तमाम पैसा जल्दी से जल्दी दिलवायें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया कोई चर्चा न करें।

[हिन्दी]

श्री शांति धारीवाल (कोटा) : मजदूरों को 31 मार्च के बाद मजदूरी नहीं मिली है, इससे वहां भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई है और आप कहते हैं, नो नो···

श्री गिरधारी लाल व्यास : लोग वहां प्यासे मर रहे हैं, इसलिए आप राजस्थान का पैसा जल्दी से जल्दी दिलवाइये।

[अनुवाद]

श्री बी० के० गढ़वी : मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि अभी तक मजदूरी नहीं मिली है। यदि ऐसी बात है तो यह राज्य सरकार को बताना चाहिए न कि केन्द्र को।

[हिन्दी]

श्री शांति धारीवाल : यह कितनी बड़ी बात है, आप बताइये। यदि आपको और हमें एक महीने की तनख्वाह न मिले तो हमारी स्थिति कितनी खराब हो जाती है। आप स्वयं विचार कीजिए। वहां तो मजदूरों को काम करने के बावजूद, जनवरी के बाद अभी तक मजदूरी नहीं मिली है।

[अनुवाद]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : केन्द्र सरकार ने उतना पैसा नहीं दिया है जितना उन्हें राज्य सरकार को देना था।

श्री बी० के० गढ़वी : केन्द्र सरकार ने उन्हें उतना पैसा दे दिया है जितने पैसे के वे हकदार हैं।

[हिन्दी]

5 लाख टन तो आपके वेज एण्ड मीन्स को दे दिया गया है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : नहीं आपने जितना पैसा दिया है, अभी कुछ और बकाया रहता है। वह पैसा भी आप राजस्थान सरकार को दिलवाइये।

[अनुवाद]

श्री बी० के० गढ़वी : यह राज्य सरकार का कार्य है। केन्द्र सरकार को इसमें क्या करना है?

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : शायद आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं देखा है, मिनिमम वेज के सम्बन्ध में··· (व्यवधान)···125 करोड़ रुपया आपने देना माना है, लेकिन दिया सिर्फ 92 करोड़ ही है, बाकी पैसा जल्दी से जल्दी दिलवाइये। बिना दिए काम नहीं चलेगा।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। यह कार्यवाही में नहीं दिया जायेगा। हां, गढ़वी जी, आप बोलें।

श्री बी० के० गढ़वी : श्री दिग्विजय सिंह तथा व्यास ने भी कई सवाल उठाए हैं। तकनीकी दृष्टि से नियम 216 के अन्तर्गत मैं केवल उन शंकाओं का जवाब दे सकता हूं जो मांगों से उत्पन्न हो सकती है तथा जिनके बारे में मुझे सभा में आना है न कि किसी और को। अत: जहां तक आयोग पर बैंकों के सम्बन्ध में आरोप लगाने की बात है मैं नहीं समझता कि मैं उन्हें उत्तर दे सकता हूं। परन्तु मैं श्री दिग्विजय सिंह को आश्वासन देता हूं कि मैं स्थिति की जांच करके उन्हें इससे अवगत करूंगा।

जहां तक प्रो० रंगा की बात का सम्बन्ध है मैंने कहा है कि आर्थिक उपायों द्वारा खर्च कम करने की ओर हमारा पूरा ध्यान है तथा इसके लिए जो कोई भी कार्यवाही संभव है वह हम अवश्य करेंगे। जब तक हम खर्च को एक सीमा तक कम नहीं करते तब तक हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। सरकार का हमेशा यह प्रयास रहता है कि फिजूल खर्च न हो और मेरे अन्य मंत्रालयों के साथी जानते हैं कि इस सम्बन्ध में कितनी कोशिश की जा रही है। उन्होंने एक सुझाव यह दिया है कि हमें छुट्टियों के प्रश्न तथा 5 दिन के सप्ताह की प्रणाली पर नये सिरे से विचार करना चाहिए और सरकार इस पर विचार करेगी।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

2.47 म०प०

वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम कार्य सूची की मद संख्या 14 लेंगे।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक, पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये।"

महोदय, आपकी अनुमति से मैं वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 1986 पेश करते समय सदन के विचारार्थ कुछ शब्द कहना चाहूंगा। भारतीय वाणिज्यिक समुद्री बेड़े के सुरक्षित एवं भली प्रकार रखरखाव के लिए, भारतीय पोत परिवहन विधेयक में प्रस्ताव है ताकि देश के हितों की सर्वोत्तम रक्षा हो सके। समय-समय पर समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए और समुद्री संसाधनों के और वातावरण की सुरक्षा के लिए उपाय किए गए हैं। देश के व्यापार की सेवा के लिए भारतीय जहाज, संसार के सभी देशों के बहुत से विदेशी रास्तों पर जाते हैं। इसी प्रकार दूसरे देशों के जहाज हमारे देश के मुख्य बन्दरगाहों पर और बहुत से मध्यस्थ बन्दरगाहों पर आते हैं। सभी क्षेत्रों में जहाजों के सुरक्षित कार्य संचालन के लिए, मानव तत्व अर्थात वाणिज्यिक नौसेना के अधिकारियों व जहाज चालकों का अनुभव व दक्षता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। समुद्री खतरों का सामना जहाज निर्माण का स्तर सुधार कर और अधिकारियों सब दल की कार्यदक्षता को आधुनिक बनाकर किया जाना चाहिए। जहाजरानी एक इंजिनियरिंग विभागों के लिए दक्षता प्रमाण-पत्र रखना आवश्यक है ये प्रमाण-पत्र उन व्यक्तियों को दिए जाते हैं जिनके पास आवश्यक प्रशिक्षण सब कार्य क्षमता होती है और इसके बाद वाणिज्यिक पोत अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त किए गए अधिकारियों द्वारा परीक्षा ली जाती है।

समुद्री बेड़े की सुरक्षा एक अन्तर्राष्ट्रीय मसला है। दल की योग्यता एक दक्षता के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की आवश्यकता, वर्ष 1978 में हुए समुद्री यात्रियों की योग्यता और प्रमाण-पत्र पर हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कही गई थी और भारत के सक्रिय भाग के साथ समुद्री यात्रियों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाण-पत्र और देखभाल के स्तर की अन्तर्राष्ट्रीय परम्परा अपनाई गयी थी। परम्परा विभिन्न श्रेणी के जहाजों पर विभिन्न हैसियत से कार्यरत नाविकों और अफसरों के प्रशिक्षण, अनुभव एवं परीक्षा के लिए न्यूनतम अनिवार्य योग्यता निर्धारित करती है। एक जहाज में विशिष्ट संख्या में उचित स्तर के दक्ष । प्रमाण-पत्र वाले व्यक्ति आवश्यक है। यदि परम्परा के अनुसार जहाज में नाविक तैनात न हो तो इसे समुद्र के योग्य नहीं समझा जाता और परम्परा में भागीदार देशों के बन्दरगाहों से उसे जलयात्रा की अनुमति नहीं मिलती। हमारी सरकार ने 1978 की परम्परा का अनुसमर्थन किया है और यह 15 फरवरी 1985 से लागू हो गई है।

आजकल जहाज के अधिकारियों का प्रमाणीकरण वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम के भाग VI के अनुसार है। इस भाग के अन्तर्गत दिए गए दक्षता प्रमाण-पत्र आजकल के अन्तर्राष्ट्रीय परम्परा की अपेक्षा से मिलते हैं। भारतीय नौसेना के अधिकारियों के दक्षता प्रमाण पत्र से विभिन्नता के लिए एक प्रावधान है। सेवा का प्रमाण-पत्र देने का एकमात्र मानदण्ड भारतीय नौसेना के अधिकारी का पद है। वर्तमान समय में सेवा का प्रमाण-पत्र रखने वाले को, वाणिज्यिक नौसेना में दक्षता-प्रमाण पत्र रखने वाले के समान समझा जाता है। अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार विशिष्ट अनुभव और परीक्षा और नियत प्रशिक्षण के बिना प्रमाण-पत्र देने का यह प्रावधान अन्तर्राष्ट्रीय परम्परा के नियमों

[श्री राजेश पायलट]

के विरुद्ध है। सेवा के प्रमाण-पत्रों वाले व्यक्ति लगाए गए जहाज को तटवर्ती देशों द्वारा जोकि इस परम्परा के भागीदार हैं, स्वीकार नहीं किया जायेगा और इस प्रकार पाए गये जहाज को उनके बन्दरगाहों में बन्दी रखा जा सकता है।

2.52 म०प०

[श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए]

इसलिए वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम की धारा 80 के अन्तर्गत सेवा का प्रमाण-पत्र देने के प्रावधान को हटाना आवश्यक है। पोत परिवहन अधिनियम की धारा 80 को हटाने का प्रस्ताव रखते समय सरकार ने यह विचार किया है कि भारतीय नौसेना के अधिकारियों के लिए यह पहले ही सम्भव है कि यदि उनके पास उचित समुन्द्री अनुभव है तो वे दक्षता प्रमाण-पत्र के लिए परीक्षा में बैठ सकते हैं। यह भी निर्णय लिया गया है कि पहले से दिए गए सेवा के प्रमाण-पत्र अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त रहेंगे।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए।"

श्री गोपाल कृष्ण थोटा (काकीनाडा) : महोदय हम अपने देश में दो समस्याओं का सामना कर रहे हैं एक जनसंख्या की व दूसरी प्रदूषण की। यदि सरकार उनके विरुद्ध सख्त कदम उठाती है तो हम दोनों समस्याओं को कम कर सकते हैं। प्रारम्भ में हमें वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 80 के बारे में बातचीत करनी चाहिए। इसके अनुसार भारतीय नौ सेना कार्यकारी शाखा में लैफ्टीनैन्ट या सब-लैफ्टीनैन्ट विदेश जाने वाले जहाजों का स्वामी बनने का अधिकारी है। बिना किसी प्रमाण-पत्र के वे स्वचालित रूप से इसके अधिकारी बन जाते हैं। हमारे माननीय मन्त्री ने धारा 80 को हटाने का प्रस्ताव रखा है और वे चाहते हैं कि यदि योग्य नौसैनिक न हो तो अन्य व्यक्तियों को लाया जाए। इस प्रकार के प्रमाण-पत्र या सख्त प्रशिक्षण के अभाव के कारण पूरे दल के साथ पिछले वर्ष दो तटीय जहाज डूब गए।

आई०एम०सी०ओ० (अन्तर्सरकारी तटवर्ती परामर्श संगठन) में 106 देश सदस्य हैं इसका मुख्य उद्देश्य समुन्द्री जहाजों से प्रदूषण को रोकना है। ये जहाज समुद्र में तेल छोड़ते हैं। प्रदूषण के विरुद्ध सख्त कदम उठाने के लिए वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम जल्दी ही संशोधित होने को है। परन्तु पश्चिमी देशों ने समुन्द्री प्रदूषण रोकने के लिए पहले ही कदम उठा लिए हैं। समुन्द्री धन को यह एक गम्भीर खतरा है। समुन्द्री धन एक साधारण चीज नहीं है। यह बहुत सी विदेशी मुद्रा कमाता है।

इसलिए सरकार को समुन्द्र को प्रदूषण से बचाना नहीं भूलना चाहिए। हमें नौभार डालने के लिए हौज के निर्माण के प्रस्ताव पर भी विचार करना चाहिए। वरना सामान और तेल का ढेर लगा दिया जाता है और प्रदूषण की बहुत सम्भावना है।

समुन्द्र में जहाजों की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आई०एम०सी०ओ० ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन के निकट सहयोग से एक प्रस्ताव स्वीकार किया है। यह निर्णय लिया गया है कि समुन्द्री यात्रियों के प्रमाण-पत्र, प्रशिक्षण और देखभाल के स्तर को सुधारा जाए। कुछ मामलों में पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण की सम्भावना पर्याप्त नहीं होती। मैं समझता हूं कि केवल एक प्रशिक्षण जहाज मद्रास में है मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाया जाए। इसमें आपातकालीन किनारे पर आना, चिकित्सा सुविधाओं, बचाव कार्य के लिए जहाज की बिदाई से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल होना चाहिए। अधिक प्रशिक्षण जहाजों की भी आवश्यकता है।

यदि हम पोत परिवहन को उन्नत बनाते हैं तो हम रेलवे और सड़क यातायात पर भार कम कर सकते हैं। यहां मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि नौसंचालन के लिए कुल जलमार्ग की लम्बाई 14,500 कि०मी० है, जिसमें से 5209 किलोमीटर, बिना किसी निवेश के व्यापारिक जहाजों के लिए उपयुक्त है। फिर नौसंचालन के लिए आन्ध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी घाटी में पर्याप्त अवसर है। ककीन्डा बन्दरगाह एक प्राकृतिक बन्दरगाह है जिसको विकसित करने की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री से अर्ज करूंगा कि वे ककीन्डा बन्दरगाह के विकास के प्रश्न को बहुत गम्भीरता-पूर्वक ले। रेल, सड़क हवाई व जल यातायात प्रणाली में सामन्जस्य होना चाहिए।

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) : मैं वाणिज्यिक पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक 1980 के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं वर्तमान विधेयक का एक अत्यन्त सीमित क्षेत्र है। विधेयक जो इस सदन में लाया गया है वह केवल वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम की धारा 80 और तत्पश्चात मूल अधिनियम की धारा 87 (9) को हटाने के लिए है। ये संशोधन परिणाम-स्वरूप है। विधेयक का मूल लक्ष्य जहाज पर नाविकों को लगाने के लिए व्यक्तियों को प्रमाण-पत्र देने के सम्बन्ध में, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर परम्परा, जिसे हमारे देश द्वारा स्वीकृत किया गया है, बनाए रखने के लिए धारा 80 को हटाना है जैसा कि माननीय मंत्री ने पहले ही कहा है। वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम का मूल लक्ष्य पोत परिवहन, नाविकों, उनकी सेवा शर्तों को नियमित करना है और निर्माण कार्य से लेकर, यात्री सेवाओं, शर्तों और उनके कल्याण, देश में नाविकों के कल्याण और टन-भार के रख-रखाव को नियंत्रित करना है। वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम की ये आकांक्षाएं हैं जिनसे देश का पोत परिवहन नियमित किया जाता है।

वास्तव में मुझे यह देखकर निराशा हुई है कि अत्यन्त सीमित क्षेत्र वाला ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया गया है यद्यपि अन्य बहुत से खण्ड-धाराएं हैं जिनमें संशोधन की आवश्यकता है और अन्तर्राष्ट्रीय अखाड़े में पोत परिवहन की बदली हुई परिस्थितियों में सरकार द्वारा नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है क्योंकि हम सब जानते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अब पोत परिवहन प्रतिगमन स्थिति में हैं। और हम यह भी जानते हैं कि आजकल अधिकतर देश यात्री सेवाओं को छोड़ रहे हैं और वे केवल बड़े

[श्री मनोरंजन भक्त]

जहाज खरीदते हैं छोटे जहाजों नहीं। हमारे देश में केवल दो द्वीपसमूह, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप समूह ऐसे हैं जिनमें यात्री जहाजों को रखने की आवश्यकता है और इन क्षेत्रों में यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाएं और सुरक्षा, ऐसी पूर्णत: निराशाजनक स्थितियों में वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानदन्ड है।

जैसा कि आप जानते हैं कुछ दिन पहले चिदम्बरम नामक यात्री जहाज जो मद्रास से सिंगापुर जाता था, नष्ट हो गया था और कुछ यात्री भी मर गए थे। अब मैं समझता हूं कि सरकार ने उस जहाज को रद्द कर दिया है। जो भी हो यह उस सेवा पर नहीं चल रहा है। बहुत सी ऐसी धाराएं हैं जिनमें परिवर्तन व संशोधन की आवश्यकता है और सभी पहलुओं का अध्ययन किए बिना सरकार वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम की धारा 80 में संशोधन के अत्यन्त सीमित कार्य पर लगी हुई है।

3.00 म०प०

अब, मैं घरेलू व्यापार की स्थिति का उल्लेख करना चाहूंगा। व्यापार पोत अधिनियम में घरेलू व्यापार की परिभाषा दी गई है कि यह 3,000 टन से अधिक नहीं होनी चाहिए। श्रीलंका, मालदीव, मलेशिया, सिंगापुर और बर्मा घरेलू व्यापार के अन्तर्गत आते हैं। लेकिन पड़ोसी देश बंगलादेश इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। इसका परिणाम क्या होगा? विदेशी वाणिज्य पोत वहां जाते रहेंगे लेकिन इसे व्यापार पोत अधिनियम के अधीन नियमित किया जाना चाहिए। इसमें संशोधन किये जाने की आवश्यकता है।

अब, मैं एक और बात का उल्लेख करूंगा। व्यापार पोत अधिनियम के भाग 8 में यात्री पोतों के बारे में उल्लेख है कि यात्री पोतों का रखरखाव कैसे किया जाना चाहिए? और इनको कैसी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, आदि। मैं यहां बताना चाहूंगा कि एक विशेष यात्री कल्याण समिति हुआ करती थी जो जलपोतों के यात्रियों के हितों और सुविधाओं का ध्यान रखा करती थी। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस समिति के गठन के बाद तीन वर्षों में कितनी बैठकें हुई? क्या इस समिति ने कोई प्रतिवेदन पेश किया और मंत्रालय द्वारा इसे देखा गया और क्या कोई प्रस्ताव जलपोत यात्री समिति द्वारा पारित किया गया था और क्या मंत्रालय द्वारा कोई उपचारात्मक उपाय किये गये हैं। इन सब बातों का उत्तर दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : कुछ हुआ क्या?

श्री मनोरंजन भक्त : मिनिस्ट्री में ही रहता है। उधर ही प्रमोशन है। सब कुछ है जाने की जरूरत क्या है। काम करने की जरूरत क्या है? न करने से प्रमोशन मिलेगा। इसलिए देखने की एक ही तो यह चीज है।

[अनुवाद]

मेरे अपने स्थान पोर्टब्लेयर में भारतीय पोत निगम का कार्यालय है। मैं हमेशा यात्रियों को वहां वर्षा में इन्तजार करते देखता हूं। वहां बाहर खड़ा होने के लिए भी स्थान नहीं है और उन्हें अंदर बैठने की भी आशा नहीं है। यहां तक कि रात में 3 बजे लोग टिकट लेते हुए देखे जायेंगे। यह एक दयनीय स्थिति है। उनके बैठने का भी कोई प्रबन्ध नहीं है। भारतीय पोत निगम इन यात्रियों के हितों का ध्यान रखने में कोई रुचि नहीं लेता है। कई बार मैंने सरकार को लिखा है और मैंने इस विषय को उठाया है, लेकिन कोई रुचि नहीं लेता।

इसके बाद सर्वेक्षकों की भूमिका है। उन सर्वेक्षकों को जलपोतों और यात्रियों के हितों को देखना चाहिए लेकिन कुछ समय से मैंने देखा है कि वे कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। सर्वेक्षक यात्रियों के लिए केवल समस्याएं उत्पन्न करते हैं। यात्री कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि जहाज समय पर रवाना नहीं होते। हमारे द्वारा सरकार व मंत्री के ध्यान में लाने के बावजूद भी इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि यात्रियों के मामले में भेदभाव होता है।

[हिन्दी]

श्री नारायण चौबे : बहुत तकलीफ की बात है।

सभापति महोदय : आप सुनिये।

श्री मनोरंजन भक्त : चौबे जी आप जहाज में नहीं चढ़ता है, ट्रेन में चढ़ता है।

श्री नारायण चौबे : मैं सपोर्ट करता हूं।

श्री मनोरंजन भक्त : सुन ले, फिर तो सपोर्ट करना।

[अनुवाद]

महोदय, मुद्दा यह है कि यात्री जहाजों में दो प्रकार के नियम हैं। यहां भी अधिनियम में एक प्रकार का भेदभाव है। जो तीर्थ यात्री जहाजों से तीर्थ यात्रा पर जाते हैं उन पर कोई और नियम लागू होते हैं और उन साधारण यात्रियों पर, जो जलपोतों द्वारा यात्रा करते हैं। जिनके पास इसके अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है, अन्य प्रकार के नियम लागू होते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। कलकत्ता में, मार्क्सवादियों के या पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार के कारण हड़ताल या अन्य किन्हीं कारणों से जलयान रोक लिए जाते हैं। उन यात्रियों के पास, जो कलकत्ता, मद्रास वाईजाग या अन्य किसी स्थान पर रह जाते हैं खाने के लिए पैसा नहीं होता व रहने के लिए जगह नहीं होती है। इन यात्रियों को 10 से 15 दिनों तक कलकत्ता और मद्रास में रुकना पड़ता है क्योंकि जलयान जिस तारीख को रवाना

[श्री मनोरंजन भक्त]

होना चाहिए उस तारीख को रवाना नहीं होता और भारतीय नौवहन निगम और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय इन यात्रियों की देखरेख के सम्बन्ध में कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। अगर यह तीर्थयात्री जहाज है और जहाज नियत तारीख पर रवाना नहीं हो रहा है तब वे मुआवजे का भुगतान करते हैं। अन्य यात्रियों ने कौन-सा अपराध किया है जो उनकी देखरेख या उनको सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती हैं। मुझे खुशी है कि मेरे अच्छे मित्र श्री पायलट यहां हैं। एक पायलट को भी जहाज को जहाजधार पर ले जाना पड़ता है। मैं महसूस करता हूं कि वह कुछ करेंगे।

वाणिज्य पोत अधिनियम की धारा 264 में यह प्रावधान है कि यदि कोई यात्रा 48 घंटे तक होगी तो जहाज में चिकित्सा अधिकारी के पास दवाइयों का पूरा प्रबन्ध होना चाहिए। अंडमान और निकोबार में पोर्ट ब्लेयर से निकोबार तक 48 घंटे से अधिक समय लगता है किन्तु इस यात्रा में चिकित्सा अधिकारी कोई नहीं होता और न ही कोई दवाई होती है। इस यात्रा में इन सभी सुविधाओं की व्यवस्था की जाने की आवश्यकता है।

वर्तमान स्थिति के अनुसार उस क्षेत्र में यात्री कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और इन कठिनाइयों को किसी भी कीमत पर समाप्त किया जाना चाहिए और अधिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

जब मैं विधेयक का समर्थन करता हूं तो मैं मंत्री जी से अपील करता हूं कि वह यात्रियों के हितों को देखें और नाविकों को भी अधिक सुविधाएं प्रदान करें। मैं मंत्री महोदय से वाणिज्य नौवहन के बारे में एक व्यापक विधेयक को सदन में विचार करने के लिए लाने का अनुरोध भी करता हूं।

डा० बी० एस० कृष्ण अय्यर (दक्षिण बंगलौर) : मैं इस विधेयक का हृदय से स्वागत करता हूं। मै अपने देश में नौवहन उद्योग को सबसे महत्वपूर्ण उद्योग मानता हूं। यहां तक की रक्षा की दृष्टि से भी इसका दूसरा स्थान है क्योंकि हमारे पास बहुत विशाल तट रेखा है।

मंत्री जी एक महत्वपूर्ण खंड को लाए हैं जिसके अनुसार धारा 80 को हटाना है। हम समझते हैं कि यह बहुत आवश्यक है कि जलयान का संचालन सुरक्षापूर्ण हो और इसको सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। केवल कुशल अनुभवी और प्रशिक्षित व्यक्ति ही जलयानों का संचालन करें कोई व्यक्ति और नहीं। यह सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। व्यापार पोत अधिनियम में इसके लिए यह प्राव धानहै। लेकिन नौसेना के अधिकारियों को छूट है। नौसेना के अधिकारियों को प्रशिक्षण और परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। नौसेना में उन्हें श्रेणी के आधार पर प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। यह संशोधन इस धारा को समाप्त करता है। यह बहुत आवश्यक है क्योंकि अब हम अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के सदस्य हैं। हमने उसका समर्थन किया है और उन विनियमों से बंधे हैं।

अगर मैंने ठीक समझा है अगर हमारे अधिकारियों के पास व्यापारी जहाज अधिनियम के अधीन प्रमाणपत्र नहीं है तो वे अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के अधीन किसी भी देश के बन्दरगाह में जहाज

नहीं चला सकते। वर्तमान प्रावधानों के अनुसार अगर किसी नौसेना अधिकारी के पास अनुभव या क्षमता नहीं है तब भी उसे प्रमाणपत्र दिया जा सकता है लेकिन यह संशोधन इस पर प्रतिबन्ध लगाता है। अतः इस दृष्टि से मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

इस सम्बन्ध में मैं एक या दो सुझाव देना चाहूंगा। अंडमान और निकोबार के माननीय सदस्य ने अपने अनुभव से कहा है लेकिन मैं समुद्र से बहुत दूर हूं। मैं पुस्तकीय ज्ञान से ही बोलूंगा। पिछले सत्र में हमने दो लापता जहाजो पर चर्चा की थी किन्तु आज तक हम वे जहाज नहीं ढूंढ पाये हैं। वे जहाज कहां हैं और उन जहाजों में काम करने वाले 40 व्यक्तियों के बारे में भी कुछ पता नहीं है। आज तक सदन में यह सूचित नहीं किया गया है कि उनका क्या हुआ। यह क्यों और कैसे हुआ यह जानना बहुत जरूरी है। वे जहाज किन हालातों में और क्यों लापता हुए। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इन घटनाओं के विषय में कोई जांच की है और जहाजों के लापता होने के कारणों का पता लगाया है। मुझे बहुत विश्वस्त सूत्रों से और नौवहन उद्योग से सम्बन्धित लोगों से जानकारी मिली है कि उन जलयानों की वायरलेस' मशीनें काम नहीं कर रही हैं और इसके बावजूद भी अधिकारियों ने इसके लिए मंजूरी दे दी। ऐसा अधिकारियों की सांठ-गांठ के कारण हुआ है। इससे अधिकारियों के कठोर रवैये का पता चलता है। अतः केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि यह भी जरूरी है कि उन्हें लागू करने वाले अधिकारी ईमानदार हों। जब तक अधिकारी कानूनों को ठीक ढंग से लागू नहीं करेंगे तब तक जानमाल की रक्षा नहीं की जा सकेगी। अतः मुझे विश्वास है कि, युवा मंत्री, जो वायु व जल दोनों के पाइलट है इस बात पर ध्यान देगें। भारतीय नौवहन निगम के वे अधिकारी जो इन चीजों के प्रभारी है, इस पर ध्यान दें कि यह अधिनियम पूर्णतया लागू किया जाना चाहिए। मैं मंत्री जी से एक बात और जानना चाहूंगा कि हमारे देश में तटीय यातायात का प्रतिशत कितना है और हमारे देश में नौवहन के माध्यम से विदेशी व्यापार कितना है ? मैं समझता हूं कि हमारे देश में नौवहन द्वारा विदेशी व्यापार अन्य देशों की तुलना में बहुत कम होता है।

अन्त में मैं एक अन्य सुझाव भी देना चाहूंगा। जब मंत्री जी अन्तर्देशीय जल परिवहन अधिकरण विधेयक लाए थे, उस समय उन्होंने सदन को आश्वासन दिया था कि अन्तर्देशीय परिवहन को महत्व दिया जाएगा। कई सदस्यों ने इस विधेयक पर बोला था। उन्हें याद होगा कि हमने हवाई अथवा रेल परिवहन की अपेक्षा जल परिवहन को अधिक महत्व दिया, क्योंकि यह अधिक सस्ता होगा। हवाई परिवहन अथवा रेल परिवहन या सड़क परिवहन की अपेक्षा नौपरिवहन निश्चितरूप से सस्ता है तथा इसमें इतनी अधिक विदेशी मुद्रा की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अतः हमारी विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए भी यह आवश्यक है कि हमें अपने अन्तर्देशीय परिवहन का विकास करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदय जवाब देते समय हमें बतायेंगे कि इस सम्बन्ध मे उन्होंने क्या कार्यवाही की है।

अन्त में मैं नाविकों के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि हमारे देश में लगभग 10,000 नाविक हैं जो बेरोजगार हैं तथा जिन्होंने अपने नाम रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत करवा रखे हैं। सरकार को उनके कल्याण की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। मेरे विचार में पहले उनको तीन महीने का बेरोजगार भत्ता दिया जा रहा था परन्तु अब उसे भी बन्द कर दिया गया है। उनकी

[डा० वी० एस० कृष्ण अय्यर]

ओर ध्यान दिया जाना चाहिए तथा यह देखा जाना चाहिए कि उन्हें नौकरियां मिलें। मैं जानता हूं कि जहाजरानी उद्योग में मन्दी है परन्तु जब कभी आप चाहें, नाविकों को प्रशिक्षण नहीं दे सकते। अत: उन्हें रोजगार देने की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं तथा मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती प्रभावती गुप्त (मोतीहारी) : माननीय सभापति महोदय, परिवहन मन्त्री जी ने जो संशोधन पेश किया है, उसका मैं स्वागत करती हूं। बहुत छोटा सा संशोधन है, मूल एक्ट 1958 की धारा 80 को विलोपित किया गया है और 87, 87(ए) का संशोधन करने का प्रस्ताव है वह बिल्कुल ठीक है। आज जिस तरह से वाणिज्य पोत उद्योग संकट में है, उस पर भारी संकट गहराया हुआ है, इससे हल्के-फुल्के ढंग से काम नहीं चलेगा, इसको गम्भीरता से सरकार को लेना चाहिए। जिस तरह से प्राचीन काल में समुद्री व्यापार और वाणिज्य हमारा बहुत बढ़ा हुआ था, उसी तरह से उसको आज भी प्रोत्साहन देना चाहिए। इसके लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में जितनी राशि खर्च करनी चाहिए, उतना प्रावधान नहीं किया गया है, इस राशि को बढ़ाना चाहिए, तभी हमारा व्यापार बढ़ेगा। हमारे मर्चेंट शिपिंग का मुख्य पहला ध्येय वाणिज्य बढ़ाना और दूसरा ध्येय सेकंड लाइन आफ डिफेंस तैयार करना है, द्वितीय रक्षा पंक्ति तैयार करना, इसलिए मामूली ढंग से इसको ट्रीट नहीं करना चाहिए, इसके लिए जब भी आवश्यक समझें सोच-विचार करके एक विस्तृत, व्यापक विधेयक लाना चाहिए, यह ज्यादा अच्छा और हितकर होगा।

सभापति महोदय, मैं ऐसा महसूस करती हूं और आप भी महसूस करते होंगे कि मर्चेंट शिपिंग, वाणिज्य पोत जो है यह बहुत ही कांप्लीकेटेड और टेक्नीकल मैटर है और जिस तरह से अभी काम हो रहा है, वह पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। आपने कितना बेड़ा बढ़ाया, कितने जहाज आपके आधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस हैं, ये सब देखना होगा। यह अच्छी बात है कि आजादी के बाद इस ओर ज्यादा ध्यान दिया गया है और जहाजों की क्षमता बढ़ी है, लेकिन मैं इस बात को महसूस करती हूं कि इंटर वाटर ट्रांसपोर्ट और ओशन ट्रांसपोर्ट, इन सभी को लेकर एक समेकित विकास परियोजना लाएं, क्योंकि हमारे देश के अन्दर, करीब 15 हजार किलोमीटर जलमार्ग है और जिस तरह से रेल, वायु और रोड परिवहन के ऊपर काफी खर्च किया गया है, इसका विस्तार कर रहे हैं, उस तरह से इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया है, इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए और हमारे पायलट जी नौजवान मंत्री हैं, मुझे उम्मीद है कि वे इस ओर ध्यान देंगे।

सभापति महोदय, मैं एक-दो बातें कहना चाहूंगी। यह जरूरी था कि धारा 80 को विलोपित किया जाए, क्योंकि इंटरनेशनल मापदंड जो प्रशिक्षण का है, उसके साथ अगर हम नहीं रहेंगे तो हमारे जहाज दूसरे पोत पर उतर नहीं पाएंगे इसलिए प्रशिक्षण और दक्षता के संबंध में जो प्रमाणपत्र की बात है, इसको विलोपित किया है यह ठीक है और आपने अपने प्रारम्भिक भाषण में कहा है, 1978

में जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन हुआ था, उसमें जो भी मापदंड दक्षता के बारे में, प्रौद्योगिकी के बारे में तय हुए हैं, टेक्नीकल नोहाउ के बारे में जो निर्धारित किये गये हैं, उसको सरकार ने माना है, यह अच्छी बात है, इसको मानना चाहिए। मेरा एक ही सुझाव कि अभी तक शिपिंग इंडस्ट्री में जो लोग लगे हुए हैं, उनकी क्या हालत है। आज नाविक 7-8 महीने के लिए अपने घर-बार, परिवार को छोड़कर चले जाते हैं, अथाह समुद्र के बीच में, सजल गहराइयों के बीच में, अथाह सागर में बिना परिवार के जाते हैं, देश की सेवा करते हैं और आपके वाणिज्य को बढ़ा रहे हैं, विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं उनकी सेवा शर्तों में आप क्या सुधार कर रहे हैं। 10-20 साल पहले जो वेतनमान थे, वही आज भी चल रहे हैं। समुद्र में रहकर और घर से बाहर रहकर, सागर में रहकर जो लोग देश की सेवा करते हैं, उनकी सेवा शर्तों में आप सुधार न करें और जो यहां रहकर यूनियन बाजी करके आवाज बुलंद करें, उनके वेतनमानों में आप सुधार कर रहे हैं, क्या यह उचित है। जो लोग बाहर रहते हैं, उनको आप देखिए, आप उनके मां-बाप हैं। आज आप उनको सम्भालिए, उनके लिए कुछ करिए। आज कितने लोग शिपिंग ट्रांसपोर्ट को छोड़कर विदेशी कम्पनियों में चले जाते हैं और वहां पर उनको 20-25 हजार रुपये तनख्वाह मिलती है और आप उनको तीन हजार रुपये देते हैं। यहां पर तो आप 1-2 हजार चपरासियों तक को दे रहे हैं। उनकी सेवा शर्तों में आप सुधार करिए और फोर्थ पे कमीशन उनके ऊपर भी लागू करिए और जिस तरह से आइल एण्ड नेचुरल गैस कमीशन के कर्मचारियों की सेवा शर्तें हैं, उसी तरह की सेवा शर्तें इनकी बनाइए नहीं तो शिपिंग इंडस्ट्री आज चकनाचूर हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी, आप उसको बहुत नीचे ला रहे हैं।

दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं कि कितने आपके पास प्रशिक्षित कैडेटस हैं, 25 हजार लोग ट्रेनिंग करके बैठे हैं, 12 हजार को नौकरी में लिया गया है, 13 हजार क्या करेंगे। क्या आप उनको अनएंप्लायमेंट अलाउंस दे रहे हैं, तीन महीने देने से काम नहीं होगा, यह तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इसलिए आप इसको देखिए।

कलकत्ता के आफिस में नौ हजार सी-मैन रजिस्टर्ड हैं, लेकिन बारह सौ को ही काम दिया गया है और पौने आठ हजार के करीब बेकार बैठे हैं। उनके लिए आप क्या कर रहे हैं। जब तक उनको परमानेंट नौकरी नहीं मिलती तब तक उनको परमानेंट अलाउन्स दिया जाए। आठ-नौ महीने तक नाविक घर से बाहर चले जाते हैं इसलिए जैसा ओ० एन० जी० सी० में होता है उसी प्रकार उनकी सेवा शर्तों में भी सुधार कीजिए। उनको यहां रखिए और समुद्री व्यापारी बेड़ा बढ़ाइए, उसको आधुनिक बनाइए। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि प्राइवेट शिपिंग कम्पनियों का मरजर कीजिए। मर्चेंट शिपिंग, सैकण्ड लाइन आफ डिफेंस हैं। इसका बहुत बड़ा महत्व है इसलिए इसको आधुनिक हथियारों से लैस कीजिए। उनकी सुख-सुविधाओं का ध्यान रखिए। प्राइवेट शिपिंग कम्पनियों को खत्म कीजिए और शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया में मर्ज कीजिए। मुझे आशा है, मन्त्री जी इन सब बातों के बारे में विस्तार से विधेयक लाएंगे और देश हित तथा राष्ट्र हित में समुद्री व्यापार को बढ़ाने के लिए सैकण्ड लाइन आफ डिफेंस के लिए उचित कदम उठाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

डा० सुधीर राय (बर्दमान) : सभापति महोदय, यह विधेयक मौजूदा भारतीय व्यापार पोत अधिनियम तथा भारत द्वारा नवम्बर, 1984 में अनुसमर्थित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बीच असंगति दूर करने के लिए पेश किया गया है। इस प्रकार अवलोकन करने पर हमें इस विधेयक का विरोध करना होगा। परन्तु मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस विधेयक को पेश करने में दो वर्ष की देरी क्यों की गई है।

विधेयक का समर्थन करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि जबकि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने यह निर्धारित किया है कि भारत में नाविकों को निरन्तर रोजगार मिलना चाहिए, नाविकों को यहां केवल नैमित्तक रोजगार मिलता है। उन्हें 8 से 10 महीने तक रोजगार दिया जाता है परन्तु ज्यों ही वे बेरोजगार होते हैं उन्हें इसे 2 या 3 वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है तथा उनकी हालत बहुत दयनीय हो जाती है। इसलिए, मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इस मामले पर ध्यान दें, ताकि भारत के नाविकों को निरन्तर रोजगार मिल सके।

महोदय, नन्दा समिति ने यह सिफारिश की है कि भारतीय नाविकों के लिए एक बेकारी भत्ता होना चाहिए, परन्तु उन्हें यह नहीं मिल रहा है। इसके लिए नन्दा समिति ने सिफारिश की है कि भारत सरकार को लन्दन बैंक में पड़ी हुई भारी रकम निकाल लेनी चाहिए। यह कहा गया है कि लन्दन बैंक में 350 लाख पौंड हैं। यह राशि सेवारत भारतीय नाविकों को ब्रिटिश जहाजों द्वारा मजदूरी अन्तर के रूप में दी जाती थी। परन्तु अब भारत सरकार ने यह रुख अपनाया है कि ब्रिटिश नाविकों ने इस राशि को बैंक से निकलवाने पर आपत्ति प्रकट की है। परन्तु एशिया एवं अफ्रीका के अन्य देशों ने लन्दन बैंक से यह राशि पहले ही निकाल ली है। केवल यही नहीं, इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय ने पिछले बजट सत्र में जब उन्होंने कहा कि केवल 160 लाख पौंड ही लंदन बैंक में हैं, मुझे सही जवाब नहीं दिया। परन्तु अन्य दस्तावेजों से ज्ञात होता है कि 350 लाख पौंड बैंक के पास हैं। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय जवाब देने से पहले पूरी तरह से तैयारी करेंगे तथा नन्दा समिति द्वारा सिफारिश किये गये बेकारी भत्ते को लागू करने के लिए अपना पूरा प्रयत्न करेंगे। केवल यहीं नहीं। मैं यह भी कहूंगा कि नाविकों तथा सरकार के बीच यह समझौता हुआ था कि 70 प्रतिशत नाविकों की भर्ती बम्बई से की जायेगी जबकि 30 प्रतिशत नाविकों की भर्ती कलकत्ता से की जायेगी। परन्तु अब स्थिति क्या है ? परन्तु वास्तविकता यह है कि कलकत्ता से केवल 16 प्रतिशत नाविक भर्ती किये जा रहे हैं। सरकार का यह कहना है कि बम्बई के नाविक इस समझौते पर आपत्ति कर रहे हैं। समझौता तो समझौता ही है और सरकार को इसका पालन करना चाहिए। क्या वे यह महसूस नहीं करते कि यदि समझौते को लागू नहीं किया गया तो कलकत्ता के नाविक अपने हितों से वंचित रह जाएंगे ? वे वर्षों तक भूखों क्यों मरें।

महोदय, फिर मैं एम० वी० विश्वशोभा के बारे में प्रश्न उठाऊंगा जो पिछली मई में एम० वी० विश्वसिद्धि की तरह सोवियत संघ गया था। नाविकों को डर है कि कहीं उन पर रेडियो धर्मिता का प्रभाव न हो जाये। इसलिए, अतः वे इस आश्वासन का प्रमाण-पत्र चाहते हैं कि यदि भविष्य में वे

किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं, तो सरकार को उनका इलाज कराना चाहिए। मैंने पहले ही यह जानकारी हासिल कर ली है कि वे उन नाविकों को जो एम० वी० विश्वसिद्धि पर कार्यरत थे ऐसा आश्वासन दिया गया है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह ऐसा प्रमाण-पत्र एम० वी० विश्वशोभा के नाविकों को भी दें।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कई जहाज खंडित हो रहे हैं तथा जिसके परिणामस्वरूप नाविकों में व्यापक बेरोजगारी फैल रही है। नौवहन निगम को भारतीय व्यापारिक बेड़े की संख्या बढ़ाने के लिए आगे आना चाहिए। केवल इतना ही नहीं, जलपोतों की संख्या में कमी नहीं होने देनी चाहिए। इसलिए भारतीय नौवहन निगम को जलपोत मालिकों पर पुराने जहाजों के रद्द हो जाने पर नये जलपोत शुरू करने के लिए दबाव डालना चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भारत में नाविकों का बंधुआ मजदूरों की तरह काम करना पड़ता है। जब वे समुद्र में होते हैं तो उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। उनको घटिया खाना मिलता है तथा चिकित्सा का भी उपयुक्त प्रबन्ध नहीं है। उनके दुखों की उचित सुनवाई नहीं होती है। अतः मन्त्री महोदय को यह देखना चाहिए कि नाविकों के साथ जलपोत मालिकों द्वारा उचित बर्ताव किया जाये। मृतक नाविकों की विधवाओं को बुरी तरह परेशान किया जाता है। जब कभी एक नाविक जहाज पर काम करते समय मर जाता है, उसकी पत्नी, बेटे तथा बेटियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें मुआवजा तथा अन्य बकाया राशि समय पर नहीं दी जाती है तथा बहुत देर कर दी जाती है। यहां तक कि कलकत्ता में भी यह बताया गया है कि उन्हें वे आवेदन-पत्र नहीं दिये जाते, जिन पर उन्हें आवेदन करना होता है। भारत को एक समाजवादी राष्ट्र कहा जाता है। परन्तु क्या यह न्याय है? श्रमिकों के साथ सरकार तथा भारतीय नौवहन निगम द्वारा अनुचित व्यवहार किया जाता है। कुछ कम्पनियां हैं जो बाकीदार हैं, वे अपनी बकाया राशि समय पर नहीं चुकाते।

मैं खीदरपुर मैरीन हाउस गया था तथा मुझे बताया गया है कि रात नगर नौवहन कम्प. स्थायी रूप से बाकीदार है तथा यह अपनी धनराशि समय पर जमा नहीं कराती जिसके परिणामस्वरूप नाविकों को अपना बकाया पैसा नहीं मिलता है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह इस मामले पर ध्यान दें।

मैं मन्त्री महोदय से उचित उपाय करने के लिए भी निवेदन करता हूं, ताकि हल्दिया बन्दरगाह पर चल रही हड़ताल समाप्त हो जाये। नैमित्तिक श्रमिकों को बार-बार यह आश्वासन दिया गया था कि उन्हें विभाग में ले लिया जाएगा। यहां तक कि पश्चिम बंगाल के इस समय के कार्यकारी मुख्य मन्त्री श्री विनय चौधरी की उपस्थिति में 'कलकत्ता पत्तन-न्यास' के अध्यक्ष इस बात पर सहमत हो गए थे कि इन नैमित्तिक श्रमिकों को विभागीय तौर पर नौकरी में ले लिया जाएगा। यहां तक कि उच्चतम न्यायालय का भी एक निर्णय है कि यदि एक नैमित्तिक श्रमिक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में 6 महीने से अधिक काम करता है तो उसे अर्ध-नैमित्तिक श्रमिक माना जाना चाहिए। परन्तु ये श्रमिक 6 या 7 वर्ष से भी अधिक समय से कार्यरत हैं। केवल 87 श्रमिक हैं। परन्तु उन्हें विभागीय

[डा० सुधीर राय]

तौर पर सेवा में नहीं लिया गया है तथा परिणामस्वरूप हड़ताल की गई है। यह हल्दिया बन्दरगाह के सामान्य काम-काज को प्रभावित कर रही है तथा यहां तक कि तमिलनाडु में तापीय संयंत्र को भी हानि उठानी पड़ी है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह अपने प्रभाव का प्रयोग करें, ताकि यह हड़ताल समाप्त हो जाए।

इस संबंध में, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हल्दिया पत्तन के उपाध्यक्ष का पद आने वाले कई महीनों के लिए रिक्त है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : श्री राजहंस।

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : मैं इस विषय पर बोलना नहीं चाहता हूं।

सभापति महोदय : आपने अपना नाम क्यों दिया है ?

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अधिष्ठाता महोदय, असल में आज जहां हिमालय है वहां पहले समुद्र हुआ करता था और हमारे पूर्वज उसको देखा करते थे, इसीलिए मैं जानता हूं। परन्तु जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है, यह मात्र एक औपचारिकता का निर्वाह कर रहा है मगर इसके जरिए हमें इण्डियन मर्चेंट शिपिंग इण्डस्ट्री के विषय में विचार करने का मौका मिल रहा है। हमारा यह उद्यम बहुत पुराना है, कोई नया नहीं है। आजादी के बाद इसको टोन-अप करने की काफी कोशिश की गई मगर हम अपनी 6 हजार किलोमीटर में फैली कोस्टल लाइन के जरिये आन्तरिक व्यापार व बाहरी व्यापार, दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहे हैं। हकीकत यह है कि हमारी कोस्टल शिपिंग इण्डस्ट्री अपने आप में होपलेस तो है ही, उसको भी बर्दाश्त किया जा सकता है परन्तु इण्टर-नेशनल ट्रेड में जो हमारा शेयर होना चाहिए, जो हमारी भागीदारी होनी चाहिए, उसको निभा पाने में हम बिल्कुल असमर्थ सिद्ध हो रहे हैं। पिछले 7-8 सालों से हम 41 परसेंट पर ही अड़े हुए हैं। उसमें बेहतरी करने के लिए बहुत सी कोशिशें की गई, मगर कोई उल्लेखनीय सुधार अभी तक नहीं हो पाया है। हमें आशा है कि हमारे नौजवान मंत्री में काफी जोश है और वे इस स्थिति में सुधार लाने की तरफ समुचित ध्यान देंगे। क्योंकि फारेन ट्रेड से हमें काफी कुछ मिल सकता है और उसको बढ़ाये बिना काम चलने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे।

इस समय हमारे पास जितने शिप्स हैं, उनमें से अधिकांश ओवर-एज हो चुके हैं। उनकी टोन-अप कैपेसिटी भी बहुत कम है जबकि दुनिया के दूसरे देशों के शिप्स की टोन-अप कैपेसिटी हमसे बहुत

अधिक है। यदि हमारे शिप्स की कैपेसिटी 7 हजार या 10 हजार है तो दूसरे देशों के शिप्स की कैपेसिटी 0 या 25 हजार है। फिर हमारे पास कन्टेनर्स बहुत कम हैं। हमारा समुद्र तट उथला है और इन सब कारणों से हमारी ऑपरेटिव कोस्ट दुनियां के दूसरे देशों की तुलना में बहुत ज्यादा आती है और हम उनके साथ कम्पटीशन में ठहर नहीं पाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप कम से कम ऐसी व्यवस्था करें ताकि हमारे समुद्र का उथलापन दूर हो सके ताकि शिप्स हमारी कोस्टल लाइंस तक आ सकें। हमें उनकी टनेज कैपेसिटी बढ़ाने की दिशा में भी प्रयत्न करना चाहिए, कन्टेनर्स आदि के यूज पर भी जोर देना चाहिए और कोई न कोई ऐसी चेष्टा करनी चाहिए ताकि दूसरे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा में हम ठहर सकें और जो विदेशी मुद्रा हमारे हाथों से जा रही है, हम उसे रोक सकें।

दूसरे मैं सीमैन के विषय में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। नाविकों में हमारे यहां बहुत से व्यक्ति बेरोजगार हैं। उसका कारण यह है कि हमें जितनी मात्रा में नये शिप्स अपने बेड़े में जोड़ने चाहिए थे, उतने हम जोड़ नहीं पाये। यदि हम कुछ नए शिप्स को जोड़ते और उनकी वर्किंग कण्डीशन्स में सुधार करते तो बहुत से लोगों को रोजगार दिया जा सकता था। इस दिशा में भी आपको सार्थक प्रयत्न करने होंगे ताकि ऐसे लोगों को तो रोजगार मिल सकें जिन्होंने ट्रेनिंग ले ली है और जिन लोगों को आपने अपने यहां रजिस्टर्ड किया हुआ है। चाहे आप इनके लिए कल्याण कोष से कुछ एसी व्यवस्था करें अथवा कहीं दूसरे स्रोत से पैसा निकाल कर इनको नौकरी दिलवाने की दिशा में सार्थक कदम उठायें क्योंकि ये एक ही ट्रेड में स्पेशलाइज्ड हैं। यदि आप इन्हें वहीं नौकरी नहीं देंगे, तो इन्हे किसी दूसरी जगह काम नहीं मिल सकता है। इसलिए उनके जीविकोपार्जन के लिए आप कोई न कोइ व्यवस्था अवश्य करें। मैं समझता हूं कि आप इस दिशा में समुचित कार्यवाही करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

जल-भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : मैं उन सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने वास्तविक रूप से इस विषय में अधिक दिलचस्पी ली है। उनमें से कुछ सदस्य न केवल संशोधन लाए हैं, अपितु नौवहन विभाग के कार्य पर टिप्पणी भी है। उनमें से कुछ ने नौवहन उद्योग के विभिन्न पहलुओं के बारे में उल्लेख किया है तथा अपने विचार दिए हैं। मैं प्रत्येक विषय पर बताना चाहता हूं परन्तु मुझे कहते हुए खेद होता है कि उनमें से कुछ सदस्य बोले हैं तथा मन्त्री जी को वक्तव्य देने की तैयारी करते हुए देखने के बाद सदन को छोड़ गए।

एक सदस्य ने धारा 80 के बारे में उल्लेख किया है कि कुछ लेफ्टिनेन्टों और सब लेफ्टिनेन्टों को पहले प्रमाण पत्र दिये गए थे और इतने समय के बाद यह संशोधन क्यों लाया गया है। हमने हाल ही में इस परम्परा का समर्थन किया है। और इसके बाद हमने राज्य सभा में इस संशोधन को प्रस्तुत किया है तथा शीघ्र ही हम इसे लोक सभा में लाए हैं। उन्होंने प्रदूषण का उल्लेख किया है। विभाग सावधानी बरत रहा है और हमने बन्दरगाहों में आवश्यक निर्देश दिए हैं। सातवीं योजना में हमने विशेषरूप से आवंटन किया है ताकि बन्दरगाहों में प्रदूषण को कम किया जा सके।

इसी तरह जलयानों के बारे में, जब हम नए जहाज खरीदते हैं तो हम यह देखने का प्रयास

[श्री राजेश पायलट]

करते हैं कि इससे प्रदूषण न हो। पूरा विश्व प्रदूषण के बारे में अत्यधिक चिंतित है और सरकार इस पहलू पर बहुत अधिक ध्यान दे रही है।

उन्होंने नौवहन के लिए तटीय क्षेत्र में और विशेषरूप से गोदावरी तथा कृष्णा नदियों और काकीनाडा बन्दरगाह में कुछ गुंजाइश के बारे में उल्लेख किया है। माननीय सदस्य कल मुझे कार्यालय में मिले थे। मैंने उनको बताया है और मैंने उन्हें स्पष्ट किया है कि सरकार छोटे बन्दरगाहों की सहायता के लिए क्या प्रयास कर रही है जहां हम तटीय नौवहन के मामले में उन्हें कुछ सुविधाएं दे सकते है। सम्मानित सभा की सूचना के लिए मैं बताना चाहता हूं कि सातवीं योजना में गोदावरी और कृष्णा दोनों नदियों को राष्ट्रीय जल मार्ग के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा इस पर कार्यवाही चल रही है। हम भी उनकी भावनाओं की कदर करते हैं कि रेल और सड़क परिवहन की अपेक्षा जल परिवहन सस्ती पड़ती है तथा सरकार अन्तर्देशीय जल परिवहन का अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रयास कर रही है।

मेरे मित्र श्री मनोरंजन भक्त जो इस समय अब यहां नहीं है ने कई बातो का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया हैकि सुरक्षा तथा अन्य बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं माननीय सदस्य से केवल अनुरोध करता हूं। सुरक्षा एक तकनी की विषय है। हमारे पास योग्य लोग है जिन्हें इस कार्य पर लगाया जाता है तथा उनकी सिफारिशों पर कभी-कभी कुछ कारणों से जहाज में विलम्ब हो जाता है। वहां सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। उस समय प्रत्येक यात्री कहता है'सब ठीक है'। मुझे याद है कि एक दिन मैं दिल्ली से किसी जगह की उड़ान पर था। एक घोषणा की गई कि एक इंजन खराब है और यह काम नहीं कर रहा है। एक यात्री कह रहा था कि उसमें दो इंजन हैं। हम उड़ान भर सकते है केवल एक ही खराब हैं। उस तरह की भावना की आवश्यकता है। सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी जाती है। एक योग्य व्यक्ति को वह काम दिया जाता है तथा उसे वह स्थान देना चाहिए। यह इसका काम है कि सुरक्षा पर अत्यधिक ध्यान दिया जाए। कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। एक जहाज रवाना होने को तैयार है परन्तु सुरक्षा न होने के कारण उसे रोक दिया जाता है। महोदय, सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है।

एक बात और है। उन्होंने समुद्र नाविक की समिति के कार्य के बारे में उल्लेख किया है। मैं भी उनके साथ सहमत हूं कि यह समिति बहुत सक्रिय नहीं रही है। हमारा विभाग यह देखने के लिए अधिक प्रयास करेगा कि इस समिति की बैठकें अक्सर हों और उनके द्वारा लिए गए निर्णयों को तेजी से कार्यान्वित किया जाए। श्री भक्त ने पोर्ट ब्लेयर के यात्रियों के लिए सुविधाओं के बारे में भी उल्लेख किया है। मैं निश्चितरूप से इस प्रश्न पर विचार करूंगा और इस विषय पर माननीय सदस्य को जवाब दूंगा।

श्री कृष्ण अय्यर ने खोये हुए दो जहाजों के बारे में उल्लेख किया है। जिन परिस्थितियों में ये दो जहाज खोये हैं उससे वास्तव में सन्देह होता है तथा इसलिए एक न्यायिक जांच का आदेश दिया

गया था। यह भी सही है कि दोनों जहाजों के बारे में प्रमाण पत्र पूर्ण नहीं था। पहले यह व्यवस्था थी कि जहाज का मालिक सामान्यतः जहाजों की गतिविधि के बारे में जानता था। पांच महीने पहले हमने एक निर्णय लिया था और अब हमारे पास महानिदेशक, नौवहन में एक नियन्त्रण कक्ष है और विश्व में कहीं भी जहाजों की गतिविधि की सूचना शीघ्र ही डी०जी०, नौवहन को दी जाएगी। पहले यह प्रणाली नहीं थी। जैसे ही जहाज रवाना होता है हम तत्काल जहाज के मालिक को सूचना देते थे। डी०जी०, नौवहन को सूचना नहीं दी जाती थी। अतः हमने उन नियमों में संशोधन किए हैं। अब एक जहाज, चाहें यह निजी जहाज है या सरकारी परन्तु उसमें भारतीय झण्डा है तो यह कहीं भी हो, यह देखने की हमारी जिम्मेदारी है कि जहाज सुरक्षित रहें और सरकार को जहाज किस स्थान पर है इस बात का पता चले, ताकि इस प्रकार की स्थिति न आए जिस स्थिति में ये दोनों जहाज खोये थे। नित्य नानक के लापता होने की न्यायिक जांच की गई थी। उन्होंने अपनी सिफारिशें और निष्कर्ष सरकार को दिये है। हम इस पर विचार कर रहे हैं।

उन्होंने बताया है कि दोनों जहाजों के मामले में प्रमाण पत्र ठीक नहीं थे। मैं उनके साथ सहमत हूं। प्रमाण पत्रों में कुछ कमी थी। कुछ लोगों द्वारा कुछ गलती की गई थी और हमने उनके विरुद्ध कार्यवाही की है। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की है कि भविष्य में ऐसा न हो।

उन्होंने नौवहन उद्योग, तटीय यातायात और विदेश व्यापार के बारे में भी उल्लेख किया था। नौवहन उद्योग में मन्दी है। इसमें कोई सन्देह नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय मन्दी है। ऐसा नहीं है कि हमारा उद्योग खराब है। आपको स्पष्ट रूप से बताता हूं कि हमारा उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय नौवहन उद्योगों की अपेक्षा अधिक अच्छा काम कर रहा है। अमरीका और ब्रिटेन जैसे विकसित देश अपने नौवहन उद्योगों को लाखों डालर तक आर्थिक सहायता देते हैं जबकि हम अपनी मन्दी पर ही बने हुए हैं। कुछ निजी कम्पनियों ने चूक की है। हमने उनके विरुद्ध कार्यवाही की है। एक माननीय सदस्य ने रत्नाकर कम्पनी के बारे में जिक्र किया है। सरकार ने पहले से ही चूककर्ता के विरुद्ध कार्यवाही की है और कानूनी कार्रवाई चल रही है।

श्रीमती गुप्ता ने नाविकों के कल्याण के बारे में बात कही है। हम इस बारे में भी चिंतित हैं। मन्दी के कारण अवसर घट गए हैं। पहले हम लोगों को प्रशिक्षण देते थे और वे निजी क्षेत्र में जाते थे। अब निजी क्षेत्र ने उन्हें अचानक लेना बन्द कर दिया है, क्योंकि वहां भी मंदी है। हमारे पास प्रशिक्षित कैडेट हैं और वे लगभग $2\frac{1}{2}$ वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया है कि हमें उन्हें चरण वार नियुक्त करना चाहिए। यदि हम उन्हें छः महीने के लिए भी नियुक्त करते हैं, तो कम से कम वह छः महीनों तक इन्तजार कर सकते है तथा छः महीनों के बाद उन्हें अवसर मिल सकता है। हाल ही में हमने 32 अधिकारियों के लिए आदेश जारी किये हैं जिन्हें राजेन्द्र में प्रशिक्षित किया गया है और उन्हें एस०सी०आई० में रोजगार मिल रहा है। हम निजी कम्पनियों से कुछ प्रशिक्षित अधिकारियों और नाविकों को अतिशीघ्र खपाने के लिए अनुरोध भी कर रहे हैं, परन्तु दुर्भाग्यवश मन्दी के कारण आप उन पर दबाव नहीं डाल सकते। जब कोई पहले से ही हानि में होता है तो आप उन्हें नहीं कह सकते हैं, "आप 20 और व्यक्ति ले लें। हम अपने प्रयास कर रहे हैं। हम उनकी समस्या जानते हैं। सरकार इस बारे में समानरूप और गम्भीर रूप से चिंतित है।

[श्री राजेश पायलट]

उन्होंने दो जहाजों के कर्मीदल पर विकिरण के प्रभाव के बारे में बताया है। मुझे उस प्रश्न का उत्तर आज देना था। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता द्वारा दोनों जहाजों के कर्मीदल की चिकित्सा जांच की गई है। उन्हें ठीक पाया गया। हमने जहाज के कर्मीदल को आश्वासन दिया है कि यदि उन्हें विकिरण के कारण कभी कोई समस्या होती है तो एस० सी० आई० उसे देखेगा; यह एस० सी०आई० की जिम्मेदारी होगी कि किसी भी समय जब भी वे अपनी चिकित्सा श्रेणी में विकिरण द्वारा प्रभावित पाए जाते हैं...

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : क्या उन्हें प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं ?

श्री राजेश पायलट : डाक्टर ने कह दिया है कि कोई प्रभाव नहीं है ?

श्री बसुदेव आचार्य : डाक्टर को प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए।

श्री राजेश पायलट : डाक्टर उनको प्रमाण पत्र दे रहा है कि उन पर विकिरण का कोई प्रभाव नहीं है।

हरीश रावत जी ने व्यवस्था व्यापार के बारे में बताया है। यह सही है कि जब हमारे जहाज यहां से जाते हैं तो हम कम माल ले जाते हैं, कम विदेशी व्यापार होता हैं परन्तु जब हम अन्य देशों से आते हैं तो हमें अधिक विदेशी व्यापार प्राप्त होता है। इसलिए यह प्रस्ताव विचाराधीन है कि हम अपने नौवहन उद्योग को माल की सहायता दें ताकि हम इस मन्दी को बर्दाश्त कर सकें और इसलिए 40-40-20 पर विचार किया गया है जिसमें से 40 प्रतिशत माल भारतीय पोत कम्पनी को दिया जाता और 40 प्रतिशत किसी अन्य कम्पनी को दिया जाना चाहिए...

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं दो वर्षों से सुन रहा हूं कि ऐसा विधेयक लाया जाएगा जैसा कि अन्य देशों में एक कानून है कि कम से कम माल एक अमुक प्रतिशत तक इस देश के पोतों को ले जाना चाहिए...

श्री राजेश पायलट : इसे छः महीने होना चाहिए न कि दो वर्ष।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आप इस प्रकार के किसी कानून पर विचार कर रहे हैं ? आपके मंत्री बनने से पहले इस बारे में कहा गया था। आपके पूर्ववर्ती मंत्री ने मुझे यह बताया था...

श्री राजेश पायलट : मैंने इसे शुरू किया है विधान विधि मन्त्रालय में है और इसे संसद के समक्ष जल्दी लाने की सम्भावना है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : इसे अपने बाद के मंत्री पर मत छोड़िए। बस।

श्री राजेश पायलट : उन्होंने प्रशिक्षण के बारे में कहा है, कुछ सुझाव दिए हैं। हम उन सुझावों

पर विचार करेंगे।

मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस विषय में गहरी रुचि ली है और अपने मूल्य वान विचार व्यक्त किए हैं। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सदन इस विधेयक पर खंडवार विचार करेगा। प्रश्न यह है।

"कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक
में जोड़ दिए गए।

श्री राजेश पायलट : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.46 म० प०

खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक

[अनुवाद]

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

[श्री कृष्ण चन्द्र पन्त]

"कि खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए।"

लोहा, इस्पात, अल्यूमिनियम, उर्वरक, सीमेंट तथा रसायन आदि जैसे अनेक मूल उद्योगों के लिए खनिज महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री हैं। किसी देश का आर्थिक विकास काफी हद तक खनिज की उपलब्धता पर निर्भर करता है। ये सीमित हैं तथा पुन:प्राप्य नहीं है इसलिए इनका उपयोग अत्यन्त सावधानी से करना पड़ता है ताकि उनके प्रयोग से अधिकाधिक लाभ उठाया जा सके। भाग्यवश, हमारे देश में कोयला, लौह अयस्क, बाक्साइट मैंगनीज, चूना तथा डायमाइट जैसे महत्वपूर्ण खनिज के विस्तृत भण्डार हैं। तांबा, जिंक, सीसा, बेराइट्स आदि के हमारे पास भंडार हैं। योजनाओं के अनुसार होने वाले आर्थिक विकास के लिए इन खनिजों का तीव्र गति से उपयोग किया जाना होगा। किंतु साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि तीव्र विकास की इच्छा में हम वैज्ञानिक ढंग से खनन, संरक्षण और पर्यावरण तथा परिस्थिति विज्ञान को अनदेखा न करें।

खानों के विनियमन तथा खनिजों के विकास के लिए वैधानिक ढांचे का प्रावधान खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 में किया गया है। इस अधिनियम में वर्ष 1972 में अंतिम बार संशोधन किया गया था। तब से इस अधिनियम की अधिक जांच की गई है। गैर-वैज्ञानिक ढंग से खनन कार्य को रोकने के लिए तथा पर्यावरण के संरक्षण के लिए इसके उपबंधों की प्रभावकारिता का पता लगाया जा सका है। काफी लम्बे अर्से से इस अधिनियम के कुछ उपबन्धों को उदार बनाये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है ताकि पूर्वेक्षण लाइसेंस तथा खननलीज आदि सुगमता से मिल सके। विभिन्न मंचों जैसे खनिज परामर्शदात्री परिषद् से समय-समय पर इस अधिनियम में संशोधन करने के सुझाव प्राप्त किए गए हैं ताकि इसे देश बदलते हुए सामाजिक-आर्थिक परिवेश के अनुरूप बनाया जा सके। इस अधिनियम के कुछ उपबन्धों में संशोधन के लिए राज्य सरकारें भी सुझाव देती रही हैं प्रस्तावित संशोधन तैयार करते समय इन सभी सुझावों पर विचार किया गया है। राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है और उनके विचारों को उचित महत्व दिया गया है।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, खनन के कारण भूमि की सतह खराब होने, वनों की कटाई तथा कभी-कभी जल प्रदूषण जैसी समस्यायें उत्पन्न होती हैं। संशोधन विधेयक में पूर्वेक्षण तथा खनन कार्यों के कारण होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने अथवा रोकने और पर्यावरण संरक्षण के लिए उपबंध बनाये गए हैं। पूर्वेक्षण तथा खनन कार्यों में नष्ट हुई वनस्पति को पुन: उगाने के लिए प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होती है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता को देखते हुए अथवा अन्य कारणों से पूर्वेक्षण लाइसेंस अथवा खनन लीज को समय से पहले भी समाप्त किया जा सकता है।

यह देखा गया है कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं है कि पट्टेधारी खनन लीज प्राप्त होने के पश्चात् युक्तिसंगत समय में काम शुरू कर देगा। न ही इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र बनाया गया है कि इन्हें अनुचित रूप से लम्बे समय तक बीच में रोका नहीं

जायेगा। अधिकतर खनन लीज केवल खनिज वाली भूमि घेरने के उद्देश्य से ही ली जाती है और इस प्रकार बेकार रखी रहती है। वर्ष प्रति वर्ष ऐसी भूमि बढ़ रही है। इसलिए इस संशोधन विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि यदि लीज मिलने से 1 वर्ष की अवधि के भीतर काम नहीं शुरू किया जाता अथवा 1 वर्ष के लिए काम रोके रखा जाता है तो लीज समाप्त हो जाएगी। लीज समाप्त होने पर होने वाली कठिनाई को समाप्त करने के लिए एक उपबंध बनाया जा रहा है कि यदि लीज समाप्त होने से छः मास की अवधि के भीतर आवेदन किया जाये तो लीज पुनः मिल सकती है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत खनिज भंडार से संबंधित आवश्यक आंकड़े दिए बिना ही लीज प्राप्त करके आम तौर पर उचित योजना बनाए बिना ही खनन कार्य शुरू कर लिया जाता है।

इससे खनिज भंडार का अव्यवस्थित दोहन होता है और कभी-कभी तो संहारात्मक खनन तक होने लगता है। इस प्रवृति को रोकने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए यह सुझाव दिया गया है कि खनन पट्टा देने के लिए क्षेत्र पूर्वेक्षण तथा एक स्वीकृत खनन योजना प्रस्तुत करना आवश्यक पूर्वशर्तें होनी चाहिये।

किसी खान के लिए भावी लाइसेंस देने अथवा खान को पट्टे पर देने हेतु अनुमोदन प्रमाण पत्र लेने की पूर्व शर्त को जारी रखना अनावश्यक बाधा माना गया है। नियंत्रण एवं परिव्यय समिति ने भी इसी तरह की सिफारिश की थी। इसलिए इस पूर्व शर्त को हटा देने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार आयकर अदायगी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता को भी छोड़ देने का निर्णय लिया गया है। आयकर भुगतान प्रमाण-पत्र का उद्देश्य, आयकर भुगतान तथा कर भुगतान के बारे में एक शपथ पत्र प्रस्तुत कर देने से अच्छी तरह पूरा हो सकता है।

किसी भी एक राज्य में किसी एक खनिज के खनन हेतु एक या अधिक भावी लाइसेंस अथवा खनन पट्टे देने के लिए क्षेत्रों की अधिकतम ऊपरी सीमा 25 वर्ग किलो मीटर अथवा 10 किलोमीटर है। ये सीमायें बहुत अधिक हैं तथा एकाधिकारिता की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देती है। भावी लाइसेंस अथवा खनन पट्टे के अन्तर्गत एक व्यक्ति के क्षेत्र में कमी करने से नये उद्यमियों को उभरने में सहायता मिलेगी। इसलिए, यह सुझाव दिया गया है कि किसी एक राज्य में किसी एक खनिज का खनन पट्टा लेने के लिए 25 वर्ग किलोमीटर तथा 10 वर्ग किलोमीटर की अधिकतम सीमा जो अब तय की गई है वह अब पूरे देश में लागू होगी। ये सीमा चालू भावी लाईसेंसों अथवा खनन पट्टों पर लागू नहीं होगी। बहरहाल, खनिज विकास के हित में किसी व्यक्ति को एक या अधिक भावी लाइसेंस अथवा खनन पट्टे, जिनके अन्तर्गत कुल निर्धारित क्षेत्र से अधिक क्षेत्र आता है, प्रदान करने की शक्तियां केन्द्र सरकार के पास रहेंगी।

अधिनियम की प्रथम अनुसूची में 26 खनिजों की सूची है। इस अनुसूची में शामिल किसी खनिज के लिए भावी लाईसेंस अथवा खनन पट्टा केवल केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बाद ही दिया जायेगा। इस सूची का विस्तार किया जा रहा है ताकि कई अन्य खनिजों को शामिल किया जा सके जो राष्ट्रीय महत्व के हैं। उनकी आवश्यकता तापसह यन्त्र, रसायन बनाने में होती है अथवा इस्पात आदि बनाने में कच्चे माल के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है। ये खनिज हैं। बाक्साइट, बेरिट्स,

[श्री कृष्ण चन्द्र पन्त]

डोलोमाइट, क्यानाइट, मैंगनीज, सिलीमिनाइट इत्यादि। चूने के पत्थर को भी प्रथम अनुसूची में शामिल किया जा रहा है क्योंकि यह सीमेंट, रसायनों तथा इस्पात उद्योगों में काम आने वाला एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। फिर भी भवन निर्माण के लिए काम आने वाले चूने के लिए भट्टों में प्रयोग किए जाने वाले चूने के पत्थर को इस अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इससे बड़ी संख्या में इसे प्रयोग में लाने वालों को बेवजह कठिनाई होगी। हाल ही के वर्षों में एसबेस्टास के खनन में कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर देखने में आया है तथा इसलिए इस खनिज के खनन पर ध्यान रखना तथा इसके खनन के विस्तार को रोकना आवश्यक हो गया है। अतः इसे प्रथम अनुसूची में शामिल करने का विचार है।

वर्तमान में किसी भी खनिज पर चार वर्षों में एक बार से अधिक रायल्टी नहीं बढ़ायी जा सकती। कई राज्य सरकारों ने यह निवेदन किया है कि इसमें संशोधन का समय घटा दिया जाना चाहिए। अतः रायल्टी तथा अनिवार्य किराए के लिए इस अवधि को चार वर्ष से कम करके तीन वर्ष करने का विचार है।

कई राज्य सरकारों ने यह विचार व्यक्त किया है कि गैरकानूनी रूप से खनन के लिए जो दण्ड निर्धारित किया गया है वह बहुत कम है। उन्होंने सुझाव दिया है कि इस अपराध को संज्ञेय बना दिया जाये तथा दण्ड को और कड़ा बनाया जाना चाहिए। चूंकि अवैध खनन के मामले बढ़ते जा रहे हैं इसलिए यह सुझाव दिया गया है कि अवैध खनन के अपराध को संज्ञेय बनाया जाना चाहिए तथा अधिनियम की धारा 21 में उपयुक्त संशोधन करके दण्ड को कड़ा बनाया जाना चाहिए।

विधेयक में खनन पट्टे की अवधि में युक्तियुक्तकरण, किन्हीं भी खनिजों के सुरक्षित रखने के लिए एक क्षेत्र को आरक्षित करने, तथा भूमि अधिग्रहण के लिए भू-स्वामी को मुआवजा देने जैसे कुछ अन्य संशोधनों का भी प्रावधान है। ये संशोधितन विधेयक की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्यसभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

श्री ई० अय्यपू रेड्डी (कुरनूल) : सभापति महोदय, मुझे इस बात से बहुत निराशा हुई कि यह विधेयक एक व्यापक विधेयक नहीं है। कई महत्वपूर्ण विवादास्पद विषय हैं जो खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम के कार्यान्वयन में सरकार के ध्यान में आने चाहिये।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य महोदय कृपा करके अपनी बात कल कह सकते हैं।

———

3.58 म०प०

हंसालय बिल्डिंग बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली में 6-8-86 को हुए विस्फोट के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : महोदय, मैं सम्माननीय सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि 6-8-86 को बाराखम्बा रोड पर हंसालय भवन में सायं 8 07 बजे विस्फोट का धमाका सुनायी पड़ा। पुलिस कन्ट्रोल रूम का वाहन तथा कनाट प्लेस पुलिस स्टेशन के अधिकारी 2-3 मिनटों में घटनास्थल पर पहुंच गए। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 427 के साथ पठित विस्फोटक अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 621, तारीख 6-8-86 कनाट प्लेस पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है।

मौके की जांच करने पर यह पाया गया कि विस्फोट उस जीने के नीचे हुआ जो भूमि तल से प्रथम तल को जाता है। धमाका बहुत शक्तिशाली था और इस क्षेत्र के इर्द-गिर्द बहुत से खिड़की और दरवाजों के शीशे चटक गये। तहखाने की छत में जिस स्थान पर विस्फोटक यंत्र रखा गया था, एक छेद भी हो गया।

जीने की एक तरफ जहां पर धमाका हुआ, कुवैत एयरवेज और दूसरी तरफ सऊदी अरेबियन एयरवेज का कार्यालय है। प्रथम तल पर दोनों तरफ बैंक आफ अमेरिका है। न तो किसी व्यक्ति की जान गयी और न ही कोई घायल हुआ है।

विस्फोटक विशेषज्ञों तथा केन्द्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों को बुलाया गया और वे अपराह्न लगभग 9 बजे घटना स्थल पर पहुंच गये।

अब तक की गई प्रारम्भिक जांच से पता चलता है कि इस धमाके में अत्याधिक परिष्कृत उच्च शक्ति वाले कुछ विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया है। शरारती व्यक्ति (यों) का इरादा अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। मामले की जांच पड़ताल दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सौंप दी गयी है और वे केन्द्रीय सरकार की अन्य एजेंसियों से भी सहायता ले रहे हैं।

पुलिस आयुक्त सहित वरिष्ठ अधिकारी जो घटना होने के बाद कुछ मिनटों में ही घटना स्थल पर पहुंच गए थे, स्वयं इस मामले की जांच पड़ताल का पर्यवेक्षण कर रहे हैं।

———

3.59 म०प०

दक्षिण अफ्रीका में वर्तमान स्थिति के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा दक्षिण अफ्रीका में वर्तमान स्थिति पर विचार करती है।"

जैसा कि सभा को विदित है, दक्षिण अफ्रीका के प्रश्न पर राष्ट्र मण्डल के नासाऊ समझौते के अन्तर्गत राष्ट्रमण्डल देशों के अध्यक्षों की बैठक 3 से 5 अगस्त, 1986 को लन्दन में हुई थी। इस बैठक में विशिष्ट व्यक्तियों के दल की रिपोर्ट पर तथा रंगभेद को समाप्त करने के इसके आह्वान पर दक्षिण अफ्रीका द्वारा सुनवाई करने से मना करने पर उसके विरुद्ध राष्ट्रमण्डल द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों पर चर्चा की गई थी। अन्तिम विज्ञप्ति के अनुसार जो 'मालबॉरोह हाऊस विज्ञप्ति' के नाम से जानी जाती है, सात में से छः अध्यक्ष निम्नलिखित उपायों पर सहमत हो गये थे तथा बाकी बचे हुए राष्ट्र-मण्डल के देशों से और व्यापक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से उन्हें शीघ्र अपनाने तथा क्रियान्वित करने के लिए सिफारिश की थी :

(I) नासाऊ समझौते के अनुच्छेद 7 में दिये गये सभी उपाय अर्थात :

(i) दक्षिण अफ्रीका के साथ हवाई सम्पर्क पर प्रतिबन्ध;

4.00 म०प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

(ii) दक्षिण अफ्रीका में कमाये गये मुनाफे के पुनः निवेश तथा नये निवेशों पर प्रतिबन्ध;

(iii) कृषि उत्पादनों के आयात पर प्रतिबन्ध;

(iv) दक्षिण अफ्रीका के साथ दोहरे कर समझौते की समाप्ति;

(v) दक्षिण अफ्रीका के साथ व्यापार तथा वहां निवेश के लिए सम्पूर्ण सरकारी सहायता की समाप्ति;

(vi) दक्षिण अफ्रीका में समस्त सरकारी खरीद पर प्रतिबन्ध;

(vii) दक्षिण अफ्रीका बाहुल्य स्वामित्व वाली कम्पनियों के साथ सरकारी अनुबन्ध पर प्रतिबन्ध; तथा

(viii) दक्षिण अफ्रीका को पर्यटन विकास पर प्रतिबन्ध।

दूसरे, छः नेता उन्हीं देशों द्वारा नासाऊ में निर्णय लिये गये उपायों के अतिरिक्त निम्नलिखित अतिरिक्त उपायों पर सहमत हो गए थे इसका तात्पर्य यह है कि दक्षिण अफ्रीका की गम्भीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए वे दक्षिण अफ्रीका सरकार पर शान्तिपूर्ण ढंग से रंगभेद को समाप्त करने के लिए दबाव डालने के लिए अतिरिक्त उपायों पर सहमत हो गये। अतिरिक्त उपाय ये हैं: (i) दक्षिण अफ्रीका को दिए जाने वाले नये बैंक ऋणों, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र हो या गैर सरकारी क्षेत्र हो, पर प्रतिबन्ध;

(ii) दक्षिण अफ्रीका से यूरेनियम, कोयले, लोहे तथा इस्पात के आयात पर प्रतिबन्ध; तथा

(iii) अपने राष्ट्र के लोगों तथा अविकसित देशों के नागरिकों, जिनको हम वाणिज्य दूतावास सम्बन्धी सेवायें उपलब्ध कराते हैं, को छोड़कर दक्षिण अफ्रीका से सभी वाणिज्य दूतावास सम्बन्धी सुविधाएं हटाना।

जहां तक ब्रिटिश सरकार का सम्बन्ध है, वे छः देशों में हुए समझौते में शामिल नहीं हैं तथा उन्होंने यह घोषणा की है कि वे (i) दक्षिण अफ्रीका में नये निवेशों पर स्वैच्छिक प्रतिबन्ध लगायेंगे;

(ii) दक्षिण अफ्रीका को पर्यटन विकास पर स्वैच्छिक प्रतिबन्ध लगायेंगे; तथा (iii) दक्षिण से सोने के सिक्के लोहा इस्पात तथा कोयले के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा लिये किसी भी निर्णय को मानना तथा उसे लागू करना।

प्रतिबन्ध, आर्थिक उपाय, प्रस्ताव अपने आप में लक्ष्य नहीं हैं परन्तु लक्ष्य प्राप्ति के साधन हैं। उद्देश्य तो रंग भेद को समाप्त करना है।

सभापति महोदय, रंग-भेद कानूनों तथा नियमों की एक विस्तृत व्यवस्था है जो दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा कृतसंकल्प होकर यह सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है कि मुट्ठी भर श्वेत जाति के लोगों के पास सभी राजनैतिक तथा आर्थिक शक्तियां हैं जबकि अधिसंख्यक जनता, जो अन्य जातियों से सम्बन्धित हैं को पृथक कर दिया है तथा उन्हें घोर कष्टों में जीने के लिए मजबूर कर दिया है शिक्षा घरों, सफाई सम्बन्धी सुविधाओं से वंचित कर दिया है तथा अपना जीवन स्तर सुधारने की सभी वास्तविक सुविधाओं से वंचित कर दिया है। वहां की सरकार ही है जो यह सुनिश्चित करती है कि कौन कहां रहता है, कौन किस विद्यालय में पढ़ने जायेगा, कौन व्यक्ति किन सुविधाओं से लाभांवित होगा और इन सब बातों के लिए निर्धारण तत्व हमेशा एक ही है जातीय समूह जिससे वह व्यक्ति सम्बन्धित है। यह सामाजिक तथा राजनैतिक संरचना स्पष्टतया न्याय, समानता तथा मानव प्रतिष्ठा के सभी सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। जैसाकि "विशिष्ट व्यक्तियों के दल" ने अपनी रिपोर्ट में कहा है:

"सामाजिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में यह एक भयंकर अत्याचार है। यह अत्याचार केवल बल प्रयोग द्वारा ही शक्ति प्राप्त करता है और मानव के कष्ट और दुःख बढ़ जाते हैं जिससे

[श्री एडुआर्डो फैलीरो]

करोड़ों लोगों का जीवन भयप्रद बन जाता है।"

भारत रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष में आगे रहा है, तथा इस संघर्ष ने, महात्मा गांधी से जवाहर लाल नेहरू से श्रीमती इन्दिरा गांधी तक, भारतीय नेताओं के चिन्तन में मुख्य स्थान बना लिया है। जिस समय से भारत के लोगों ने अपने देश के भविष्य निर्माण की बागडोर अपने हाथों में सम्भाली उसी समय से सभी क्षेत्रों में दक्षिण अफ्रीका से हमारे सम्बन्ध टूटने शुरू हो गये। रंगभेद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तैयार करने के लिए हमारा अभियान, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में दक्षिण अफ्रीका में रंग-भेद के प्रश्न की 1946 में भारत द्वारा शुरूआत से आरम्भ हुआ। यह अभियान संयुक्त राष्ट्र संघ, गुटनिरपेक्ष आन्दोलन, राष्ट्रमण्डल तथा सभी उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर जारी रहा है। बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय मत के परिणामस्वरूप आज रंग-भेद व्यवस्था के समर्थक बहुत कम हैं। फिर भी कुछ यह बात स्वीकारते हुए कि रंगभेद अमान्य है, इस शासन-प्रणाली को चालू रखने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देते हैं। पिछले दो दशकों में राष्ट्रसंघ में रंगभेद को खत्म करने तथा दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने वाले आम सभा के प्रस्तावों का समर्थन करने वाली सरकारों की संख्या बहुत बढ़ गई है। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन पूरी तरह रंगभेद नीति के विरुद्ध है। विश्व भर में सभी महाद्वीपों के उदार लोगों और प्रबुद्ध सरकारों का समर्थन नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं तथा अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों के साथ है क्योंकि उन्होंने क्रांतिकारी, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रणाली को समाप्त करने के लिए न्यायपूर्ण और कड़ा संघर्ष किया।

राष्ट्रमण्डल को दक्षिण अफ्रीका की समस्या से चिन्ता बढ़ती जा रही है। राष्ट्रमण्डल के ऐसे सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है जो उस देश में परिवर्तन का समर्थन करते हैं। रंगभेद नीति को समाप्त करने, उस देश के राजनीतिक बन्दियों को मुक्त करने, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस तथा ऐसे अन्य राजनीतिक संगठनों पर से प्रतिबंध हटाने का नासा का 1985 का निर्णय राष्ट्रीय मंडल की प्रमुख चिंता रही है। इस प्रकार नासा समझौते ने रंगभेद नीति के विरुद्ध आन्दोलन में इस प्रकार बहुत प्रगति हुई कि यदि संभव हो राष्ट्रमंडल समझौते और शान्तिपूर्वक और जबरदस्ती से इस प्रणाली को समाप्त करने के लिए वचनबद्ध थे। इसी परिप्रेक्ष्य में हम नसाऊ समझौता देखते हैं।

जैसे नसाऊ समझौते में कल्पना की गई, विख्यात व्यक्तियों के दल (एमिनेंट पर्सन्ज ग्रुप) का गठन किया गया और एक विख्यात भारतीय, सरदार स्वर्ण सिंह इस दल के एक सदस्य थे। दल ने उस कार्य को पूरा करने के लिए काम किया, जो उसे सौंपा गया था अर्थात् दक्षिण अफ्रीका में बात-चीत को बढ़ावा देना था। दल ने जो यह दस्तावेज निकाला है बोथा सरकार की निरर्थक कट्टरता की अत्यन्त भर्त्सना के अतिरिक्त रंगभेद नीति की प्रणाली का निर्पेक्ष अध्ययन है।

जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, नसाऊ समझौते में कुछ ऐसे उपाय भी थे जिनका राष्ट्र-मण्डल के सदस्यों द्वारा शीघ्र पालन किया जाना है, और बोथा सरकार को छः महीने की अनुमति दे दी जिसके दौरान यह विख्यात व्यक्तियों के दल के सहयोग से बात-चीत और उदार बनाने की क्रिया

आरम्भ की जाए जिससे रंगभेद नीति को मिटाने की आशा की जा सकती है। समझौते में और भी उपायों की व्यवस्था की गई थी—जो पैरा 7 और 8 में है --जो यदि दक्षिण अफ्रीका बातचीत के संबंध में कोई ठोस प्रगति करने में असफल हो तो राष्ट्रमण्डल इसे अपनाएगा। विख्यात व्यक्तियों के दल ने यह सूचना दे दी कि वह इस प्रकार की चर्चा आरंभ करने में असमर्थ रहे।

राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षों की समीक्षा बैठक में जो लन्दन में पिछले 3-5 अगस्त तक हुई, सात नेताओं में से छ: आगे की जाने वाली कार्यवाही के बारे में एकमत हुए। ब्रिटिश सरकार ने आरंभ से ही प्रतिबंध लगाने के सिद्धांत का विरोध किया। किंतु अन्त में कुछ प्रतिबंध स्वीकार किए जो मेरे विचार में, तथा सभी सरकारों के विचार में, अपने आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव से लगभग महत्व-हीन ही हैं।

लन्दन में सर्वसम्मत समझौता न होने के संबंध में हम खेद प्रकट करते हैं पर हमें विश्वास है कि रंगभेद नीति के विरुद्ध संघर्ष और सुदृढ़ हुआ है क्योंकि भाग लेने वाले छ: सदस्यों ने दक्षिण अफ्रीका के साथ सन्देहास्पद समझौता करने के स्थान पर उसके विरुद्ध संदेहपूर्ण प्रभावशाली उपाय अपनाने को ही प्राथमिकता दे दी।

प्रधान मंत्री राजीव गांधी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही क्योंकि उसी कारण ऐसी कठिन बात-चीत में छ: राष्ट्रों ने एक मत से संकल्प पारित किया कि प्रतिबन्ध लगाये जायें। यहां तक कि नासाऊ में स्वीकृत समझौतों के अतिरिक्त भी प्रतिबन्ध लगाये जायें। जैसा प्रधान मंत्री ने कहा कि राष्ट्रमंडल पहला अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है जिसने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध विशेष आर्थिक उपाय लागू किए। हमें पूरा विश्वास है कि राष्ट्रमण्डल के अन्य देश लन्दन में लिए गए निर्णयों का समर्थन करेंगे और लागू करेंगे, और विश्व समुदाय को अब अनुमतियों पर समझौतों के विशाल क्षेत्रों के संबध में काम करना चाहिए, ताकि रंगभेद नीति प्रभावशाली ढंग से और शीघ्र समाप्त हो जाए।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा दक्षिण अफ्रीका में वर्तमान स्थिति पर विचार करती है।"

श्री बी० बी० रमैया (ऐलूरू) : महोदय, यह एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसकी ओर पूरे विश्व का ध्यान लगा हुआ है। वास्तव में पिछले कुछ महीनों में हम निरन्तर इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं; और जैसा कि हमारे माननीय मंत्री ने बहामास में कहा कि जैसे तैसे हमारे प्रधान मंत्री विख्यात व्यक्ति दल (एमीनेंट पर्सन्स ग्रुप) के नाम से आठ सदस्यों की समिति नियुक्त कर सके और राष्ट्र-मण्डल के देशों मे सर्वसम्मति ला सके। उन्होंने कुछ कार्य किया है; और हमारे मंत्री कहते हैं कि वह दक्षिण अफ्रीका गए और उन्होंने अपनी ओर से पूरा समर्थन देने का प्रयास किया। दुर्भाग्य से हाल ही की लघु राष्ट्रमण्डल शिखर वार्ता से मालूम हुआ है कि इससे कोई विशेष परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।

उन्होंने नेल्सन मंडेला, जो एक अत्यन्त विवेकी व्यक्ति हैं, के साथ भी चर्चा की गई जिसके साथ दक्षिण अफ्रीकी सरकार को देश के अन्दर सामान्य स्थिति लाने के लिए अक्सर मिलकर चलना चाहिए

[श्री बी० बी० रमैया]

गा यद्यपि वह 20 वर्ष के लिए कारावास में हैं; फिर भी उन्होंने पूर्वधारणा से काम नहीं लिया; उन्हें अभी भी विश्वास है कि अल्पसंख्यक श्वेत भी इकट्ठे रह सकते हैं और समान अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। हम यह भी देखते हैं कि कीनिया में पिछले 25 वर्ष से अल्पसंख्यक श्वेत उचित और कुशल जीवन बिता रहे हैं। संभवतः हाल ही में रोडेशिया में ऐसी ही स्थिति थी; उनके अधिकांश लोग कृषि में लगे हुए हैं और श्वेतों के बराबर अधिकार हैं और उन्होंने किसी प्रकार की समस्या के बिना लोकतंत्र बनाए रखा है। यह कुछ विभिन्न बातें हैं जिनके अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका सरकार अभी भी सोचती है कि वह इन काले लोगों के प्रति बहुत ही अनुचित और अशिष्ट व्यवहार कर सकती है। जैसा मैंने अभी स्पष्ट किया था जिस प्रकार काले लोगों की जीविका इतनी विभेदात्मक बन गई थी, जिन स्कूलों में उन्हें जाना है, और ऐसे स्थान जहां वह रह सकते हैं, प्रत्येक चीज को इस प्रकार सीमित कर दिया गया है कि वैकल्पिक उपायों के अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं है; और उनके लिए आपात-स्थिति लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है; और वह विभिन्न संगठनों की वर्तमान प्रणाली, बुद्धिमता और मित्रतापूर्ण समझ सकते हैं और वह लोकतंत्र का समर्थन करना चाहते हैं। केवल एक बात है कि अन्य राष्ट्रों की भांति जहां लोकतंत्र है—प्रत्येक व्यक्ति को एक मत प्राप्त है—वे स्वयं अपने लोगों को चुनते हैं जो देश को चलाते हैं।

उन राष्ट्रों को भी जैसे अमेरिका और ब्रिटेन जो मानव अधिकारों के सम्बन्ध में बात करते हैं, मैं नहीं जानता कि इन देशों को क्या हो गया है हालांकि समस्त विश्व द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। अमेरिका में बहुत बार यह मुद्दा सामने आया है जैसे हमारे माननीय मंत्री ने कहा है; दक्षिण अफ्रीका में व्याप्त प्रणाली के प्रति जो दृष्टिकोण हमने अपनाया है उसको अधिक गतिशील होने की आशा है और उसे अधिक समर्थन मिल रहा है अमेरिका में भी बहुत से काले रंग के लोग हैं। आप शिकागों में ऐसे बहुत से लोगों को देखेंगे। उदाहरणतः शिकागों के निगम का मेयर एक काला व्यक्ति है। किन्तु उनके लिए इकट्ठे रहने में कोई कठिनाई नहीं है। वह भी वैसे ही मनुष्य हैं; उनमें कोई अन्तर नहीं है; और इसके होते हुए, वह इन चीजों के संबंध में बात करते हैं कि विश्व भर में ऐसे लोग हैं जो दक्षिण अफ्रीका सरकार का समर्थन करना चाहते हैं। यद्यपि श्रीमती मारग्रेट थेचर और श्री रीगन दक्षिण अफ्रीका का समर्थन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इन देशों के लोग इससे सहमत नहीं हैं। हाल ही में सिनेट द्वारा एक समिति नियुक्त की गई जिसने उस बात का विरोध किया जिसका प्रचार रीगन कर रहे थे। वह उन प्रतिबंधों का समर्थन करना चाहते हैं जो इस समय की प्रणाली पर लागू किए गए; और यह प्रतिबंध, जैसे उन्होंने कहा है, बैंकिंग प्रणाली के सम्बन्ध में नहीं है अपितु व्यापार तथा अन्य विभिन्न पद्धतियों के लिए भी जिनसे हम दक्षिण अफ्रीका को मुक्त कर सकते हैं और उन्हें एक ऐसे स्तर पर ला सकते हैं जहां वह शेष विश्व के साथ समझौता कर सकेंगे। ऐसा करने के लिए एकमात्र रास्ता यह है कि हम अपने स्वतंत्र क्षेत्र के देशों को भी मजबूत करें और उन चीजों पर प्रतिबन्ध लगाया जाए जो दक्षिण अफ्रीका को भेजी जा रही हों संभवतः इससे भी कुछ प्रभाव पड़ सकता है। किन्तु मैं नहीं जानता कि अन्य देश कैसे ऐसा कर सकते हैं और उस स्तर तक पहुंच पायेंगे और दक्षिण अफ्रीका जाने वाले जहाजों की गति सीमित करेंगे। किन्तु यह केवल एक बात है जिसके सम्बन्ध में हम विचार

कर सकते हैं। जैसे हमारे मंत्री कहते हैं, बहुत से राष्ट्रमण्डल राष्ट्रों ने, जिनमें हमारे प्रधान मन्त्री ने महत्वपूर्ण कार्य किया, इन छः राष्ट्रों ने ब्रिटेन के बिना स्वेच्छा से हमारे दृष्टिकोण का समर्थन किया, जैसा उन्होंने कहा, जिससे थोड़ी सी छूट मिल जाएगी जो किसी भी प्रकार से लाभदायक नहीं है। यहां तक कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो कुछ किया जा रहा है महारानी एलिजाबेथ भी उससे सहमत नहीं हैं। श्रीमती मारग्रेट थेचर बिल्कुल अलग ढंग से सोचती हैं।

यदि आप इस स्तर पर कोई भी बहुसंख्यक मतदान लेंगे, तो ब्रिटेन की जनता का भी अलग ही व्यवहार होगा। किन्तु यदि दक्षिण अफ्रीकी प्रणाली को चलने दिया गया तो यह एक भयानक स्थिति होगी। आप देखेंगे कि हाल ही में पड़ोसी देशो पर आक्रमण हुए जो बहुत हानिकारक हैं और यह आक्रमण है, हमे इस सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार करना था, फिर भी हम यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या हम समझौता कर सकते हैं और इसे ऐसे उपयुक्त स्तर पर ला सकते हैं ताकि हम इसे चर्चा के लिए और समझने के लिए सभा पटल पर रख सकते हैं। और अभी तक इन प्रयासों से हमें कुछ भी लाभ नहीं हुआ है। मेरे विचार में सोने के मूल्य को नियंत्रित करके और भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती। यदि बड़े देश सहयोग देंगे तो सोने के मूल्य को बहुत घटाया जा सकता है, किन्तु मैं नहीं जानता कि दक्षिण अफ्रीका की स्थिति का क्या होगा। यही मुख्य मद है जो दक्षिण अफ्रीका के नियंत्रण में है और उनकी स्थिति शक्तिशाली है। यदि सोने का मूल्य कम हो रहा है, तो क्या हो सकता है ? तेल के मूल्यों का क्या हुआ ? तेल के मूल्य कम हो गए; तेल और कोयले के मूल्य कम हो गए। यदि आप तेल के मूल्यों के बारे में ऐसा कर सकते हैं तो सोने के बारे में क्यों नहीं ? यदि आप स्थिति को मजबूत बनाएंगे, अथवा यदि हम प्रतिबंध लागू करेंगे, तो स्थिति बदल सकती है। फिर भी व्यापार के अन्य माध्यम मौजूद हैं।

एक और विचारधारा है। ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो यह सोचते हैं कि अगर ब्रिटेन सहमत हो जाता है और प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है तो उनका व्यापार कोरिया, जापान तथा कुछ अन्य एशियाई देशों की तरफ मुड़ जायेगा। मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा। क्योंकि विश्व में परिवर्तन हो रहा है। हालांकि ऐसे दूसरे लोग भी हैं जो यह सोचते हैं कि यह नहीं होगा। इसके बारे में वे जो भी सोचें, अगर आप सोचते हैं कि यह व्यापार किसी और की तरफ मुड़ जायेगा तो इस उद्देश्य के लिए यह सही दृष्टिकोण नहीं होगा। लेकिन जबकि हमारे पास अन्य बहुत से तरीके हैं, जो भी संभव है हम बहुत ही उचित तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं, और हम बहुत ही नियंत्रित व्यवस्था को अपना रहे हैं और हम किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि यह ओ० ए० यू० संगठन अथवा 'नाम' संगठन भी कुछ कर सकेंगे जबकि गुट-निरपेक्ष राष्ट्र एक साथ मिलकर हमारे दृष्टिकोण का समर्थन कर रहे है; और महात्मा गांधी वह व्यक्ति थे जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका की दशा के बारे में संघर्ष शुरू किया था और पचास वर्षों से अधिक समय बाद भी हम किसी भी सफल नतीजे पर नहीं पहुंच पाये हैं।

अन्य विकल्प क्या हैं ? आप इनके बारे में विचार करें। अगर राष्ट्र प्रतिबंधों को लागू नहीं करते हैं, कुछ लोग समझते हैं चाहे प्रतिबंध लगा दिये जायें हो सकता है कि उन्हें ठीक प्रकार से लागू नहीं किया जाये। लेकिन कुछ अन्य राष्ट्रों में क्या हुआ ? लीबिया, पोलैंड और अन्य राष्ट्रों में क्या

[श्री बी० बी० रमैया]

हुआ ? अगर यह स्थिति उन राष्ट्रों में ठीक प्रकार से चल सकती है तो दक्षिण अफ्रीका में यह संभव क्यों नहीं है ? यह बात है जहां पर प्रतिबंधों का प्रश्न उठता है। कुछ कह रहे हैं कि इन प्रतिबंधों को लगाना कठिन है और सैद्धांतिक रूप से ये सफल न लगते हों, लेकिन जब वे अन्य कुछ जगहों पर सफल रहे थे तो ये इस खास मामले में भी सफल क्यों नहीं हो सकते ? ये विभिन्न पहलू हैं जिन पर हमें प्रभावशाली ढंग से कुछ करना होगा। अगर इन प्रतिबंधों को, जो मुख्य बात है, गंभीरता से लागू किया जाये तो हम उन्हें झुका सकेंगे और उन्हें अन्य राष्ट्रों की शर्तों के साथ सहमत होना पड़ेगा, और उन्हें मानना पड़ेगा। और मुझे आशा है हमारे अच्छे समर्थन तथा शुरू से हमारी अच्छी मंशाओं और अन्य और इस क्षेत्र में हमारे द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की वजह से हम एक न एक दिन सफल होंगे और वह दिन ज्यादा दूर नहीं है —हम नहीं जानते कि इसमें कितना समय लगेगा। लेकिन हम एक बार फिर इस स्थिति के लिए जिम्मेदार राष्ट्रों की तरफ देख रहे हैं, ये राष्ट्र कौन से हैं ? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका, और कुछ हद तक जर्मनी भी हो सकता हैं, ये मुख्य राष्ट्र हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। इनमें से कुछ राष्ट्र स्पष्ट रूप से दक्षिण अफ्रीका का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों के पीछे बहुत ही थोड़े लोग हैं और वे अभी भी दक्षिण अफ्रीका को अपना समर्थन देना जारी रखे हुए हैं। अधिक से अधिक लोग इस बात से सहमत होते जा रहे हैं कि प्रतिबंधों को सफलतापूर्वक लागू किया जायेगा और स्थिति दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध हो जाएगी। जो लोग मानव अधिकारों की बात करते हैं उन्हें महसूस करना चाहिए तथा गंभीरता से देखना चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं। वे सैद्धांतिक रूप से इसकी बात कर रहे हैं।

मुझे आशा है कि हम कुछ कर सकेंगे और हमारा देश हमारे लक्ष्य के अनुरूप परिणाम प्राप्त कर पायेगा।

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : अपने लम्बे इतिहास में विश्व ने बहुत प्रकार के शासन तथा बहुत प्रकार के अत्याचारों को देखा है लेकिन कोई भी इतना घृणित नहीं था जितना जातीय भेदभाव है। अपने जीवन काल में हमने दो देशों में चल रहे जातीय भेद-भाव को देखा है—एक था जर्मनी के एडोल्फ हिटलर का और दूसरा है दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपति बोथा का। जर्मनी के जातीय भेदभाव से छुटकारा पाने के लिए विश्व को दूसरे विश्व युद्ध से गुजरना पड़ा था। लाखों लोगों को अपने जीवन की कुर्बानी देनी पड़ी थी और संपत्ति की जो हानि हुई थी उसका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता। हमारे सामने दूसरा प्रश्न यह है कि दूसरे जातीय भेदभाव को, जो हमारे सामने है उसे समाप्त करने के लिए क्या मूल्य चुकाना पड़ेगा।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से शुरू करके, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष शुरू किया था, आने वाली सरकारों तथा श्री राजीव गांधी की वर्तमान सरकार तक, जो दक्षिण अफ्रीका के बाहर से संघर्ष को जारी रखे हुए हैं भारत ने दक्षिण अफ्रीका के जातीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। जातीय भेदभाव का जवाब केवल एक है, इसको समाप्त करना। इस पर कोई सौदा नहीं किया जा सकता। कोई समंजन नहीं किया जा सकता। जातीय भेदभाव को

समाप्त करने के लिए प्रश्न यह है कि क्या विश्व कोई शान्तिपूर्ण तरीका निकाल सकेगा अथवा मानवता के खिलाफ हो रहे इस अत्याचार से छुटकारा पाने के लिए और अधिक हिंसापूर्ण तरीकों को अपनाना पड़ेगा। भारत व अन्य देशों की कोशिश यह जानने की रही है कि दक्षिणी अफ्रीका में जाति-भेद वाली अल्पसंख्यक सरकार को एक शांतिपूर्ण तरीके द्वारा बहुसंख्यक प्रजातन्त्रीय सरकार में बदला जाए क्योंकि केवल इसी तरीके से हम रंग-भेद को खत्म कर सकते हैं।

मुझे खुशी है कि दुनिया के लोग इस प्रकार के जातीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सक्रिय भूमिका निभाई है और इस समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रयत्न किया है। सम्पूर्ण गुट-निरपेक्ष आन्दोलन व दुनिया के बहुत से अन्य देश इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। किस तरीके से हम शान्तिपूर्ण समाधान निकाल सकते हैं? श्रीमती थैचर ने कहा है कि शान्तिपूर्ण समाधान वार्तालाप होना चाहिए। हम भी बातचीत का समर्थन करते हैं। हम यह स्वीकार करते हैं कि शांतिपूर्ण समाधान के लिए वार्तालाप आवश्यक है। इसी उद्देश्य के लिए राष्ट्रमंडल देशों की सभा ने नसाऊ में, दक्षिणी अफ्रीका की सरकार के साथ वार्तालाप की कोशिश करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों का एक दल बनाया था। उनकी सिफारिशें राष्ट्र मण्डल दल की घोषणा में निहित हैं जिसकी बैठक हाल ही में लंदन में हुई थी। और इसमें कहा गया है कि :

"वर्तमान समय में रंगभेद नीति को समाप्त करने की दक्षिणी अफ्रीकी सरकार की कोई वास्तविक इच्छा नहीं है और गैर-रंगभेदीय प्रतिनिधि सरकार की स्थापना के लिए बातचीत की प्रक्रिया की कोई सम्भावना नहीं है। इस वार्तालाप की श्रीमती थैचर सिफारिश करती हैं, जिसकी प्रगति की सम्भावना की हम जांच-पड़ताल कर रहे हैं जिसमें प्रमुख व्यक्तियों के दल का परिश्रम भी शामिल है। परन्तु दक्षिणी अफ्रीका के वार्तालाप में एक बार फिर गतिरोध उत्पन्न हो गया है। वे कहते हैं कि दक्षिणी अफ्रीका की वार्तालाप में रुचि नहीं है, इसकी वर्तमान रंग-भेद प्रणाली को बदलने की कोई इच्छा नहीं है। अब इस प्रमुख व्यक्तियों के दल की सिफारिशें क्या हैं? प्रमुख व्यक्तियों के दल का निर्णय यह है कि "दक्षिणी अफ्रीका में कारगर आर्थिक दबाव की कमी व दक्षिणी अफ्रीका के अधिकारियों का यह विश्वास कि उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है वास्तव में परिवर्तन में बाधा डाल रही हैं।" हमें जो कुछ पता चला है वह यह है कि जब तक दक्षिणी अफ्रीका पर आर्थिक दबाव न डाला जाए, दक्षिणी अफ्रीकी सरकार इस प्रणाली को बन्द नहीं करेगी और दक्षिणी अफ्रीका में विश्वास है कि इस आर्थिक दबाव को पूर्णतः लागू किया जायेगा। और इस स्तर हम इसी बात के लिए कह रहे हैं। हम जानते हैं कि यह एक अन्त नहीं है परन्तु यह एक आवश्यक शुरुआत है। इस बातचीत को जारी रखने के लिए, इस बातचीत के पीछे शक्ति लगाने के लिए हम आर्थिक प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं।

मुझे बहुत खुशी है कि लंदन में राष्ट्रमंडल दल की बैठक में श्रीमती थैचर के प्रतिनिधित्व में ब्रिटिश सरकार की असहमति को छोड़कर, सर्वसम्मत विज्ञप्ति पर सहमति पहुंचने में सफलता मिली है। श्रीमती थैचर आर्थिक दंड को अनैतिक कहती है। अगले दिन समाचार-पत्र पढ़ते हुए मुझे सम्पादक को लिखा गया एक पत्र मिला जिसे मैं इस भव्य सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। मैं इसका केवल छोटा-

[श्री दिनेश सिंह]

सा भाग पढ़ूंगा। इसमें लिखा है और मैं उद्धृत करता हूं :

"पोल क्रूगर ने एक बार कहा था कि जिसे भविष्य का निर्माण करना है उसे अतीत को नहीं भूलना चाहिए, दक्षिणी अफ्रीका में मानवता के विरुद्ध हुए अपराधों के अतीत को हम आसानी से भूल चुके हैं। बोअर लोगों का काले लोगों के प्रति जो रवैया और नीतियां थीं उनसे समझौता संधि-पत्रों व संविधानों में सम्मिलित किया गया। इससे हमारे खनिज व कृषि धन का शोषण आसान हो गया और कुचलने वाली शक्ति द्वारा नियन्त्रित सस्ता मजदूर उपलब्ध होता रहा। इससे निर्दयतापूर्ण तरीके से सभी जातियों रंगभेद की कुप्रथा में विभाजन हो गया जिससे श्वेतों की अपने आपको उच्च समझने की प्रवृत्ति और सर्वाधिकारी राज्य को लाभ पहुंचा है और इसका जो परियोजन, यदि पूरे संसार की नहीं तो कम से कम पूरे दक्षिणी अफ्रीका की शांति व सम्पन्नता का उसे अब खतरा उत्पन्न हो गया है।

आज रंगभेद द्वारा 250 लाख काले लोगों को गुलाम बनाया गया है जैसे 300 साल से भी अधिक पहले 1652 में आने वाले पहले बोअरों द्वारा उनके पूर्वजों को गुलाम बनाया गया था। इसका प्रत्यक्ष कारण ब्रिटिश सरकार की विरासत द्वारा अकुशल और आपत्तिजनक हस्तक्षेप ही इसका सीधा कारण था यह पत्र सूरे के श्री पी०सी० एडवर्डस द्वारा 13 जुलाई, 1986 के साप्ताहिक "गारजियन" के लिए लिखा गया था।

यदि श्रीमती थैचर यह अनुभव करती हैं कि रंगभेद के समर्थन में ब्रिटिश सरकार की पहले की कार्यवाही नैतिक थी तो निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन अनैतिक होगा। परन्तु मैं समझता हूं कि उस समय की अपेक्षा आज के हालात बहुत बदल चुके हैं। बहुत सारे ब्रिटिश लोग जिनमें उनके नेता भी शामिल हैं, उदाहरणतया श्री हीथ भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्री लीन ब्रिटेन भूतपूर्व उद्योग और व्यापार मंत्री, बहुत सारे संसद सदस्य और ब्रिटेन में लोगों के संगठनों के बहुत से लोग रंगभेद के विरुद्ध हैं। वे रंगभेद को अनैतिक अनुभव करते हैं, न कि रंगभेद के विरुद्ध दंड को। इसलिए हम एक ऐसी स्थिति अनुभव करते हैं जिसमें श्रीमती थैचर के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार न केवल विश्व मत व राष्ट्र मंडल मत के विरुद्ध है अपितु उनके अपने देश में भी एक बड़े भाग के मत के विरुद्ध है। महोदय, कुछ संतोष की बात यह है कि बाकी राष्ट्रमंडल एकमत है। इस दुःखद समय में जबकि ब्रिटेन जोकि राष्ट्रमंडल का नेता था, पथ भ्रष्ट हो गया है, अपने लोगों को नेतृत्व प्रदान करने के लिए व संसार को यह दिखाने के लिए कि राष्ट्रमंडल का एक उद्देश्य है राष्ट्रमंडल एक जुट हैं। इस दिशा में मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि यह राष्ट्रमंडल में परिवर्तन को भी प्रदर्शित करता है। राष्ट्रमंडल और आगे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल नहीं है। 49 सदस्यों के राष्ट्रमंडल के रूप में यह स्थापित है और यदि ब्रिटेन अलग मत अपनाता भी है तो भी राष्ट्रमंडल अपना उद्देश्य प्राप्त करने में पूर्णतः सक्षम है। इसने यह भी प्रमाणित किया है कि यह एक जातीय राष्ट्रमंडल नहीं है और इसकी सदस्यता गैर-जातीय है, इसका उद्देश्य गैर-जातीय है और यह एक समान जातीय समाज के आधार पर कार्य कर रहा है। इसलिए मैं लंदन में हुई राष्ट्रमंडल दल की बैठक के परिणामों का बहुत स्वागत करता हूं यह समझते हुए कि यह खेदजनक बात है कि ब्रिटिश सरकार दूसरी ओर रही। मैं इस अवसर पर हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी को ब्रिटेन से अलग राष्ट्रमंडल का एक उद्देश्य स्थापित करने में सृजनात्मक भूमिका निभाने के लिए,

बधाई देना चाहूंगा जिसमें राष्ट्रमंडल की इच्छाएं निहित हैं। यदि दक्षिणी अफ्रीका पर पूर्ण-प्रतिबंध लगा दिया जाए तो राष्ट्रमंडल के कुछ सदस्यों को विशिष्ट समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि बाकी राष्ट्रमंडल और सम्भवत: सारी दुनिया के लोगों को एक जुट होकर सहायता के लिए व यह आश्वासन देने के लिए आना चाहिए कि अनावश्यक कठिनाई से बचा जा सके।

इस सम्बन्ध में एक बात बार-बार ब्रिटिश सरकार द्वारा और राष्ट्रपति रीगन व उनके कुछ समर्थकों द्वारा भी कही गई है। वह यह है कि प्रतिबन्ध लगाने से दक्षिणी अफ्रीका की अश्वेत आबादी को हानि होगी। हमने पहले भी ऐसे मनोभाव स्वतंत्रता के लिए हमारे संघर्ष के दौरान सुने हैं कि भारतीय अपने ऊपर शासन करने योग्य नहीं होंगे और स्वतन्त्रता से उन्हें केवल हानि होगी। श्री चर्चिल ने हाऊस आफ कामन के अपने अप्रसिद्ध भाषण में ऐसा कहा है और मुझे विश्वास है कि श्री इंद्रजीत गुप्त इसे स्मरण करेंगे। सम्भवत: वे उस समय वहां थे। परन्तु उन्हें इस प्रकार से पूर्ण व्यापार प्रतिषेध के अन्तर्गत जिन समस्याओं का सामना करना है या रंगभेद की घृणित प्रणाली के अन्तर्गत रहना है, इन दो रास्तों में से चुनाव करना दक्षिणी अफ्रीका के लोगों का काम है। उन्होंने इस कठिनाई को सहन करने और स्वतन्त्रता व समानता में रहने का चुनाव कर लिया है। यह कहना हमारा काम नहीं है कि वे इस कठिनाई को सहन नहीं कर पायेंगे। निश्चित रूप से वे इसको सहन करेंगे उन्हें आजादी से रहने के इस अवसर से वंचित करने वाले हम कौन होते हैं? एक और बात जो समय-समय पर कही गई है वह यह है कि दक्षिणी अफ्रीका पर किसी भी प्रकार का पूर्ण प्रतिबन्ध उन्हें बाकी दुनिया से अलग-थलग कर देगा और बातचीत को अधिक कठिन बना देगा। मैं इस प्रकार के वक्तव्य पर हैरान हूं। ब्रिटिश सरकार को यह अनुभव करना चाहिए कि दूसरे कन्जर्वेटिव प्रधान मंत्री श्री हैरोल्ड मैकमिलन राष्ट्रमंडल से दक्षिणी अफ्रीका के निष्कासन के लिए एक कट्टर अनुयायी थे।

दक्षिणी अफ्रीका को अलग-अलग करने के सिद्धान्त को मान लिया गया था, दक्षिणी अफ्रीका को राष्ट्रमंडल से बाहर कर दिया गया था, इसे संयुक्त राष्ट्र संघ से भी बाहर कर दिया गया था। यह दक्षिणी अफ्रीका को अलग करने की बात नहीं है। प्रश्न दक्षिणी अफ्रीका में अल्पसंख्यक जातिवादी शासन को यह बताने का है कि उनकी नीतियों का संसार में स्वागत नहीं होता और यदि यह अपनी नीतियों को जारी रखती है तो वे अलग-थलग पड़ जायेंगे और अश्वेत लोगों से अधिक श्वेत लोगों को हानि होगी क्योंकि अश्वेत लोगों के पास आज क्या है? दक्षिणी अफ्रीका में 15 प्रतिशत श्वेत लोगों के पास देश की सर्वोत्तम भूमि का 80 प्रतिशत है और दक्षिणी अफ्रीका की आय व धन का 70 प्रतिशत है और अन्य 85% लोगों के पास जिनमें बहुसंख्यक अश्वेत हैं सबसे खराब भूमि का केवल 13 प्रतिशत हैं और उनके पास समृद्धि का बहुत कम भाग है। इस प्रकार उनके पास उस धन के अतिरिक्त जिससे वे पहले ही वंचित हो चुके हैं, खोने के लिए अधिक कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि आज हमारे पास जो एकमात्र उत्तर है वह यह है कि दक्षिणी अफ्रीका के उपयोगी बातचीत करने के लिए और इसे रंगभेद की अपनी नीति बदलने के लिए मजबूर करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका पर पूर्ण आर्थिक प्रतिबन्ध लगा दिया जाए। केवल तभी वह यह समझना आरम्भ करेंगे कि विश्व समुदाय का एक विचार है और वह उसे लागू करना चाहता है। महोदय इस सम्बन्ध में मैं भारत सरकार की कार्यवाही का पूर्ण समर्थन करता हूं।

श्रीमती शीला कौल (लखनऊ) : सभापति महोदय दक्षिणी अफ्रीका में भारत की रुचि बहुत पुरानी है। दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध गांधी जी ने अपना आन्दोलन चलाया था। हम जानते हैं कि दलितों के लिए और रंगभेद व जातीय भेदभाव के विरुद्ध कैसे उन्होने आन्दोलन को संगठित किया था।

दक्षिणी अफ्रीका में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला प्रतिनिधि मंडल बहुत पहले सन 1925 में श्रीमती सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में गया था। तभी से दक्षिणी अफ्रीका के लोगों के भविष्य के बारे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी रुचि जारी रखी और इस बारे में देश के अन्य भागों के साथ-साथ विरोधी पक्ष ने भी गहन रुचि ली। दक्षिणी अफ्रीका में 80 प्रतिशत विदेशी निवेश इटली, ब्रिटेन, फ्रांस पश्चिमी जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया है जिससे उन्हें 20 प्रतिशत लाभ होता है। इस कार्य के लिए सस्ते अश्वेत श्रम का उपयोग किया जाता है और यदि ये देश अपना पूंजी निवेश वापस ले लेते हैं तो रंगभेद नीति खत्म हो जाएगी। इन शक्तिशाली राष्ट्रों को मानव जाति की समानता की बात को समझना चाहिए और अपने लाभ के लिए अन्य मानव हितोंका हनन नहीं करना चाहिए।

राष्ट्रमंडल के देश ब्रिटेन को भी इस बात पर राजी करने के लिए अक्तूबर, 1985 में नसाऊ में मिले थे कि दक्षिणी अफ्रीका को अपने लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करने पर पुन:विचार करने के लिए प्रेरित किया जाए। दक्षिणी अफ्रीका कितने समय तक विश्व-मत की अवज्ञा करता रहेगा ? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने दक्षिणी-अफ्रीका सरकार से रंगभेद की नीति को छोड़ने व वहां के नेताओं से बातचीत करने की अपील की थी। अन्तर्राष्ट्रीय विचारों से राष्ट्रपति बोथा को सहमत कराने के लिए बहुत प्रयत्न किए जा रहे हैं। उन्होंने कार्यवाही का एक आम कार्यक्रम भी अपनाया है जिसे प्रिटोरिया के प्राधिकारियों तक पहुंचा दिया गया था। यह आशा की गई थी कि सम्भवत: बातचीत आरम्भ होगी और हिंसा स्थगित हो जायेगी परन्तु इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई। जैसा कि उन्होंने सुझाव दिया था कि नेल्सन मंडेला व अन्य राजनैतिक नेताओं को छोड़ दिया जाए, इसकी बजाय प्रिटो-रिया शासन द्वारा अधिक दमनकारी उपाय किए गए हैं।

पिछले सप्ताह हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी स्थिति पर विचार करने के लिए 7 देशों के राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। ब्रिटिश प्रधान मन्त्री ने अवश्य ही विलग महसूस किया होगा जबकि छः अन्य सदस्य दक्षिणी अफ्रीका के विरुद्ध उठाये जाने वाले उपायों पर सहमत हो गए जिनका अभी-अभी उल्लेख किया गया था। उनमें से मुख्य कदम ये हैं कि :

(क) नए बैंक ऋणों पर प्रतिबन्ध

(ख) दक्षिणी अफ्रीका से यूरेनियम, लोहा और इस्पात के आयात पर प्रतिबन्ध

(ग) दक्षिणी अफ्रीका में हमारे अपने देशवासियों को छोड़कर कान्सुल सम्बन्धी सुविधाओं को वापस ले लिया जाए। पहले से ही अपनाए गए 8 प्रतिबन्धों के अतिरिक्त इन सभी प्रतिबन्धों का

समावेश कर लिया गया था। दक्षिणी अफ्रीका सरकार का वहां के मूल निवासियों पर रंगभेद की नीति को जारी रखने पर दृढ़ रहना और लघु राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में ब्रिटेन की स्थिति हमारे लिए ये सब घृणित बातें हैं।

श्रीमती थैचर को यह अनुभव करना चाहिए कि इस प्रकार की जोरदार चर्चा से इसे और अधिक बल मिलेगा उन्हें दक्षिणी अफ्रीका में जुल्म के लिए राष्ट्रपति बोथा के साथ भागीदार नहीं बनना चाहिये। विश्व समुदाय को एक जुट होकर दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद समाप्त करने के लिए प्रिटोरिया शासन पर दबाव डालते हुए कारगर कदम उठाने चाहिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : सभापति महोदय, आज की चर्चा दक्षिण अफ्रीका की स्थिति के बारे में है। हम आज दक्षिण अफ्रीका में देख रहे हैं कि वहां रंगभेद के विरुद्ध मोर्चा अब स्वाधीनता के काफी निकट पहुंच चुका है तथा इसमें वहां रह रहे काले लोगों के अलावा गोरे लोगों का एक वर्ग भी भाग ले रहा है। दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि वहां राष्ट्रमंडल सहित अनेक देशों ने अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रिटोरिया शासन से बातचीत करने के प्रयास किये हैं ताकि वे रंगभेद की नीति को छोड़ दें तथा दक्षिण अफ्रीका में बहुसंख्यक लोगों के शासन की नीति को सुनिश्चित करें। लेकिन असफलता ही हाथ लगी है। अब, सात देशों की लंदन घोषणा में जो कहा गया है वह इस तरह है। इससे हमें स्थिति की स्पष्ट तस्वीर मिलती है। इसमें कहा गया है : —

"अब हमें यह स्पष्ट हो गया है कि हमारी नसाऊ बैठक से कोई भी ऐसी पर्याप्त ठोस प्रगति नहीं हुई है जैसी हम चाहते थे। बावजूद इसके स्थिति और बिगड़ गई है।"

इसमें आगे कहा गया है :—

"हम बहुत अधिक हताश हो गये थे कि प्रिटोरिया शासन ने पांच उपायों में से किसी को भी नहीं माना है।"

नेलसन मण्डेला अभी भी जेल में हैं। एक और नई तथा अधिक दमनकारी आपात स्थिति वहां लागू कर दी गई है। राजनीतिक स्वतंत्रता पर भी अंकुश है। अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस तथा अन्य दलों पर अभी तक प्रतिबन्ध लगा हुआ है। इस सभी की पृष्ठभूमि प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समूह की रिपोर्ट थी तथा उनकी जिम्मेदारी दक्षिण अफ्रीका में चल रही स्थिति का पुनरावलोकन करना तथा स्थिति का जायजा लेना थी और यह भी देखना था कि कैसे ये प्रस्तावित प्रतिबन्ध लागू किए जाएं। जो कुछ उन्होंने कहा है श्री दिनेश सिंह पहले ही उसका जिक्र कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका अपनी रंगभेद की नीति को बदलने के पक्ष में नहीं है तथा बातचीत का कोई लाभ नहीं है। इसलिए, हम लंदन की लघु शिखर वार्ता से क्या प्राप्त कर सकते हैं? इसके लिए न केवल रंगभेद शासन के प्रति अपितु ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भी जो कि उस देश में रंगभेद को प्रोत्साहन दे रही है, कड़ा रुख अख्तियार करना होगा। ऐसे कुछ और देश भी हैं। संयुक्त राष्ट्र अमरीका भी इसके लिए जिम्मेदार है। मुझे खुशी है कि 7 में से 6 देश एकमत हैं। यह एक अच्छा लक्षण है। परन्तु हमने उस समय वहां

[श्री सैफुद्दीन चौधरी]

क्या किया जब श्रीमती मारग्रेट थैचर ने सीधे ही नासाऊ समझौते को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया ?

एक माननीय सदस्य : आप उनके बाल नहीं नोच सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : यदि आप मारग्रेट अल्वा को वहां भेजें तो वह यह कर सकती हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यहां तक कि प्रधान मंत्री ने लंदन जाने से पहिले एक साक्षात्कार में कहा था, "कि हम यह नहीं कह सकते कि ब्रिटेन को नहीं निकाला जा सकता है।" हमें इससे उत्साह मिला था कि यदि श्रीमती मारग्रेट थैचर ने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाने से इन्कार किया तो जरूर कुछ होगा। ब्रिटेन दक्षिण अफ्रीका में सबसे अधिक पूंजी लगाने वाला देश है। ब्रिटेन का दक्षिण अफ्रीका के साथ 165 अरब डालर का व्यापार है तथा यह वहां के व्यापार में तीसरा सबसे बड़ा भागीदार है। हमें रंगभेद शासन के विरुद्ध लगाये गये प्रतिबन्धों का इतिहास मालूम है। जो हमने 1946 में किया वह संयुक्त राष्ट्र महासभा में 1962 में किया गया और जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रंगभेद शासन के विरुद्ध एक संकल्प पारित किया तो लंदन के गार्डियन ने लिखा :—

"यदि अकेले ब्रिटेन ही इन प्रतिबन्धों को लागू करे तो दक्षिण अफ्रीका लड़खड़ा जायेगा। स्पष्टतया संयुक्त राष्ट्र संघ आशा करता है कि इसमें ब्रिटेन नेतृत्व प्रदान करे।"

यह आज का मसला नहीं है, नहीं यह लंदन की सभा की ही बात है परन्तु ब्रिटेन का दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद शासन को सहायता करने का रवैया बहुत पहले से रहा है। हम इसे जानते हैं और जब लंदन में सभा हो रही थी तो सभा में भाग लेने वाले इन लोगों से यह आशा थी कि वे ब्रिटेन को सही रास्ते पर लाएंगे। खैर, उन्होंने ठीक ही किया है तथा ब्रिटेन अलग-थलग पड़ गया है। हम सब यह जानते हैं कि यह केवल रंगभेद शासन को अलग करने का सवाल नहीं है वे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग-थलग पड़ गए हैं परन्तु जो उन्हें गुप्त रूप से सहायता दे रहे हैं, उन्हें अब समय की आवश्यकतानुसार अलग कर देना चाहिए। हम इस महिला को कैसे इन सब बातों से अलग रखेंगे जो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रही है जहां लोकतांत्रिक परम्परा है परन्तु जो सारे विश्व की विचारधारा को इतनी घमंडता से चुनौती दे रही है।

ब्रिटेन को क्या कहना है ? उन्हें कुछ प्रतिबन्ध अपना लेना चाहिए और वह भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रतिबन्ध न हों। श्रीमती थैचर ने कहा है कि कोयला, इस्पात, लोहा तथा सोने के सिक्कों पर प्रतिबन्ध लगाने का फैसला यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के साथ मिलकर किया जायेगा। यदि वे इस सम्बन्ध में निर्णय लेते हैं तो हम भी फैसला करेंगे। क्या यह राष्ट्रमण्डल के मुंह पर एक तमाचा नहीं है ? फिर राष्ट्रमण्डल की क्या इज्जत बची रह जाती है जब वह कुछ और करती हैं और कहती हैं कि मैं आपकी परवाह नहीं करती हूं चाहे ये राष्ट्रमण्डल के 7 देश हों या 8 देश हों या 49 देश हों।

"हमारे सभी निर्णय तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थितियों पर निर्भर करते हैं।"

इसलिए हमें इसके बारे में सोचना है। वे कितनी अभद्रता से विश्व जनमत की अवज्ञा कर रहे हैं। आज की चर्चा के लिए पृष्ठभूमि निसंदेह लघु राष्ट्रमण्डल शिखर सम्मेलन है। आपने अफसोस जाहिर किया है। लघु शिखर वार्ता में ब्रिटेन की भूमिका की सभी देशों ने निंदा की है। मैं समझता हूं कि कनाडा वहां उपस्थित था, आस्ट्रेलिया वहां था। परन्तु यहां भी सरकारी दल के सदस्य इसकी निंदा करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। इसकी निंदा की जानी चाहिए। ब्रिटेन के रवैये की भी निंदा की जानी चाहिए। (व्यवधान) आपने इसकी निंदा की है? बहुत अच्छी बात है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं।

एक तरफ हम ब्रिटेन की भूमिका को देखते हैं और दूसरी तरफ हम संयुक्त राज्य अमरीका की भूमिका भी देखते हैं और यह भी देखते हैं कि वे किस प्रकार रंगभेद को बढ़ावा दे रहे हैं। रंगभेद के बारे में मोजाम्बीक के समीरा माइकेल ने गुटनिरपेक्ष देशों के दिल्ली सम्मेलन में कहा है कि यह हमारे समय का फासिस्टवाद है। किस प्रकार की स्थिति है? 1983 में दक्षिण अफ्रीका में अमरीका का निवेश 1,50,000 लाख डालर तक पहुंच गया। वहां 400 अमरीकी कम्पनियां हैं जिनमें से 60 बड़ी हैं। वे दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों का शोषण कर रहे हैं। अमरीकी आंकड़ों के अनुसार 1970-80 के काल में विश्व के मुख्य बैंकों ने दक्षिण अफ्रीका को 70,000 लाख डालर मूल्य के 200 ऋण दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र के 1977 के 418 संकल्प के बावजूद ऐसे ठोस प्रमाण मिले हैं कि अमरीका दूसरे देशों के नाम पर दक्षिण अफ्रीका को शस्त्र दे रहा है। दक्षिण अफ्रीका को अमरीका उच्च स्तरीय परमाणु प्रौद्योगिकी दे रहा है और इस प्रकार वह न केवल रंगभेद की नीति को सुदृढ़ बना रहा है बल्कि दक्षिण अफ्रीका के हाल में स्वाधीन हुए अन्य अफ्रीकी देशों की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है तथा दक्षिण अफ्रीका को साम्राज्यवाद का अड्डा बनाकर इस नये स्वाधीन, अग्रिम पंक्ति के देशों पर हमले करने में भी सहायक बन रहा है। 1981 में दक्षिण अफ्रीका द्वारा अंगोला पर एक दिन में औसतन पांच हमले किये गये थे और उसका 50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अब भी उसके कब्जे में है।

अब हमें अपने देश में क्या करना चाहिए? हमारी दूसरी ही पृष्ठभूमि है। हमें इससे नुकसान हुआ है और हमने राष्ट्रमण्डलीय खेलों के बहिष्कार की मांग की है। क्या यह हमारे देश के अनुरूप है कि जब श्रीमती थैचर प्रतिबन्धों को मानने से इन्कार करती हैं तथा जब हम अपने खिलाड़ियों को यह बता चुके हैं कि हम कतिपय सिद्धान्तों के प्रति समर्पित हैं और फिर शिखर वार्ता के बाद यह भी घोषित करते हैं कि राष्ट्रमण्डल मिलकर रहेगा तथा हमें ब्रिटेन की रानी के इस संस्था का औपचारिक अध्यक्ष बने रहने पर कोई आपत्ति नहीं है? क्यों?... (व्यवधान) ब्रिटेन को राष्ट्रमण्डल से अलग करें (व्यवधान) इसमें संदेह नहीं है कि भारत, कनाडा और आस्ट्रेलिया एक नये नेतृत्व के रूप में उभरे हैं। उनका यह कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमरीका को इससे अलग-थलग कर दिया जाए। वे तीसरी दुनिया के देशों पर कितने निर्भर हैं, हमें देखना है। हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र अमरीका में सत्तहर के आस-पास 5 में से 4 नौकरियां सीधे विदेशी व्यापार से जुड़ी थीं। 10 में से एक उत्पादन से सम्बन्धित अमरीकी मजदूर आज निर्यात के व्यवसाय में लगा

[श्री सैफुद्दीन चौधरी]

है। और हाल के वर्षों में अमरीकी निर्यात की कुल वृद्धि का 40 प्रतिशत भाग दक्षिण के कम विकसित देशों के व्यापार से जुड़ा है। यह मैं अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 9-4-1985 बिजनेस स्टेन्डर्ड में प्रकाशित आंकड़ो से उद्धृत कर रहा हूं। यह बात नहीं है कि वे शक्तिशाली हैं। यह तो वे तथाकथित निर्धन देश हैं जो शक्तिशाली हैं। यही देश हमारा शोषण करते हैं। उनका जीवित रहना हमारे ऊपर निर्भर है।

अब, हम ये कदम कैसे उठा सकते हैं ?, लघु राष्ट्रमंण्डलीय शिखर सम्मेलन में या कहीं और। घोषणा पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रमण्डल के अन्दर हम कुछ अधिक नहीं कर सकते हैं परन्तु हमें इससे अधिक करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को साथ लेना होगा। हम वह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं ? आज हमने देखा कि 6 देशों ने प्रतिबन्ध की घोषणा की है और उन्होंने राष्ट्रमण्डल के अन्य सदस्य देशों को भी ऐसा करने के लिए कहा है। परन्तु दक्षिण अफ्रीकी सरकार क्या कर रही है ? वह अग्रिम पंक्ति के अफ्रीकी राज्यों के विरुद्ध अपनी ओर से जवाबी प्रतिबन्ध लगाने की कार्यवाही कर रही है। वह अपनी अर्थव्यवस्था को उलट देना चाहते हैं। अतः अब हमारा कर्तव्य है कि हम इस संकट की घड़ी में उन अफ्रीकी देशों का साथ दें और दक्षिण अफ्रीका की चालों को विफल कर दें।

दूसरी बात यह है कि हमारे साथ शक्ति है। हम रंगभेदी दक्षिणी अफ्रीकी शासन द्वारा अपनाई गई अमानवीय नीति को नहीं सह सकते हैं। हम कभी-कभी यह सोचकर लाचार हो जाते हैं कि इतने अधिक देश इसके विरुद्ध हैं, संयुक्त राष्ट्र सहित अलग-अलग अन्तर्राष्ट्रीय मंचों द्वारा इतने अधिक प्रतिबन्ध लगाये गये है और फिर भी कुछ नहीं होता है। हम वास्तव में लाचार हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तथा रंगभेद को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अब हमें गम्भीरतापूर्वक यह सोचना है कि हम न केवल दक्षिण अफ्रीका पर अपितु अमरीका और ब्रिटेन पर कैसे दबाव डाल सकते हैं तथा क्या किया जा सकता है। लैटिन अमरीकी देशों में एक आवाज उठाई जा रही है :

"अमरीका, ब्रिटेन तथा अन्य अमीर देशों का उधार न चुकाएं।"

श्री फीडल कास्त्रो ने यह नारा दिया है :

"अगले दस वर्षों में एक लाख करोड़ डालर की अदायगी न करें।"

हमें यह सोचना है कि हम कैसे उन पर दबाव डाल सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के प्रति भी यही रवैया अपना सकते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महारानी को राष्ट्रमण्डल की अध्यक्ष स्वीकार करने से समस्या हल नहीं होगी। ब्रिटेन की भूमिका न केवल दक्षिण अफ्रीका अपितु हमारे अपने देश के संदर्भ में भी हमें स्पष्ट हो गई है। हमें इसमें अगुवाई करनी चाहिए। सवाल यह है कि हम नेतृत्व कैसे कर सकते हैं। हमें दूसरे देशों को जागृत करना है जैसा कि हमने 1946 में किया था और उसके बाद भी हमने एक भूमिका अदा की तथा टोरी सरकार के शासन के दौरान दक्षिण अफ्रीका को राष्ट्रमण्डल से निकाल

दिया गया था। अब, दूसरी टोरी सरकार ने क्या किया है ? खैर, हमें सोचना है कि उन पर दबाव कैसे डाला जाए।

हम ब्रिटेन से शस्त्र खरीद रहे हैं। वे शस्त्र बेचने की बहुत अधिक कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा, उन्हें बहुत सी चीजें बेचनी हैं। वहां वेस्टमोरलैंड हेलीकाप्टर जैसी विभिन्न कम्पनियां हैं। आप उनसे क्यों लेते हैं ? आप कह सकते हैं, "यदि आप प्रतिबन्ध नहीं लगाते हैं तो हम तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की खरीद को रद्द कर देंगे, हम 'सीहैरियर' एवं 'सीइगल' के बारे में हुए सौदे को रद्द कर देंगे।' हम उनके साथ नाता क्यों रखें ? मैं यह मांग नहीं कर रहा हूं कि हम उनके साथ राजनयिक या किसी अन्य इसी प्रकार के सम्बन्ध विच्छेद कर लें। परन्तु हम निश्चय ही अन्य देशों की तरह सोच सकते हैं ··

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : प्रत्येक व्यक्ति ने कहा है कि आर्थिक प्रतिबन्ध अपने आप में लक्ष्य नहीं है बल्कि एक विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है। वहां लोग संघर्ष कर रहे हैं और अपना खून बहा रहे हैं। मंडेला जेल में हैं; और अन्य बहुत से लोग भी जेलों में बन्द हैं; और उन्होंने अपनी जवानी का एक बड़ा हिस्सा वहां बिताया है ··

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : एक और बात। मैंने देखा है कि प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि उन लोगों को सैनिक सहायता नहीं दिये जाने की सम्भावना है। क्यों ? हम अहिंसक हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है ··

एक माननीय सदस्य : किसने कहा है ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह समाचार पत्रों में आया है। हमने देखा है कि मुगाबे ने बार-बार दोहराया है कि हमें एशियाई अफ्रीकी रक्षा व्यवस्था को स्थापित करना चाहिए। हम अहिंसक हैं ···

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं आपको अवश्य बताऊंगा कि वे इसका किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं ··

5.00 म० प०

(व्यवधान)

सभापति महोदय : समय की कुछ सीमा है। हमें इसे आज समाप्त करना होगा और विपक्ष से बोलने वाले नेता बहुत अधिक हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : बोथा सरकार इस विशेष मनोभाव, अहिंसक की इस विशेष भावना से किस प्रकार अनुचित लाभ उठाने की कोशिश कर रही है ? हमारा देश महात्मा गांधी का देश है जिसने अहिंसा का उपदेश दिया तथा हमने "गांधी" फिल्म बनाने में सहायता दी। बोथा ने इसे लोगों को दिखाने की कोशिश की तथा उन्हें अहिंसक बनने को कहा। वहां से विरोध है ··

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कार्य वृत्तांत में और अधिक नहीं जाएगा और अधिक कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। मैंने आपको पर्याप्त समय दिया है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : वह अब अपना भाषण समाप्त कर रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : दक्षिण अफ्रीका को दबाने के बजाय आप सदस्य पर दबाव डाल रहे हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं कहना चाहता हूं कि हमें किसी सम्भावना से इन्कार नहीं करना चाहिए। हमें अन्य देशों को प्रेरणा देने के लिए नेतृत्व करना चाहिए और रंगभेद को समाप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

5.03 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री विपिन पाल दास (तेजपुर) : मैं यह समझने में असफल हूं कि चौधरी जी के भाषण का क्या उद्देश्य था। क्या वह रंगभेद और दक्षिण अफ्रीका की निन्दा करना चाहते थे या वह किसी अन्य चीज को बीच में लाना चाहते थे। उन्होंने राष्ट्रमण्डल की निन्दा की। मैं समझता हूं कि मेरी राय में लघु राष्ट्रमण्डल का हाल का निर्णय आगे बढ़ने के लिए एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा है कि मारग्रेट थैचर या ब्रिटेन द्वारा राष्ट्रमण्डल के नेतृत्व की बात कही। उन्हें उचित रूप से देखना चाहिए कि लघु राष्ट्रमण्डल में श्रीमती मारग्रेट थैचर और यू० के० पूरी तरह से अलग किए गए हैं। आप उन्हें बाहर निकालना चाहते हैं। (व्यवधान)

बैरिस्टर साहब, आप व्यवधान डाल रहे हैं। परन्तु मैं किसी की बात में व्यवधान नहीं डालता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिए आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें आपकी बात पर कोई व्यवधान नहीं डालेगा।

श्री विपिन पाल दास : दक्षिण अफ्रीका में साम्राज्यवाद ही अन्तिम अड्डा है। वहां पर अल्पसंख्यकों का बहु-संख्यकों पर शासन बना हुआ है। यह तानाशाही के अलावा और कुछ नहीं है। वे वहां पर अत्याचार कर रहे हैं, लोगों को अन्धाधुन्ध मार रहे हैं और नेलसन मंडेला जैसे नेताओं सहित अनेक व्यक्तियों को जेल में भेज रहे हैं।

यहां तक कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ और समूचे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की बात को ठुकरा दिया है। परन्तु एक के बाद एक, कदम के बाद कदम अफ्रीका में श्वेत शासन समाप्ति पर आ गया

है। रोडेशिया में श्वेत शासन की जिम्बावे, अंगोला या मोजाम्बिक के रूप में जाना जाता है वे एक-एक करके समाप्त हो गए हैं। इस बात को उन लोगों को नोट करनी चाहिए जो अप्रत्यक्ष तरीके से श्री बोथा का समर्थन करना चाहते हैं।

वे निरन्तर गैर-कानूनी कार्य कर रहे हैं। श्वेत अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। दक्षिण अफीका को नामीबिया पर शासन करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। उनका आदेशात्मक प्राधिकार बहुत पहले समाप्त हो गया है। उन्होंने इस बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ की बात नहीं मानी। दक्षिण अफीका आणविक शक्ति बनने का प्रयास कर रहा है। सिर्फ भगवान ही जानता है कि क्या वे पहले से ही आणविक शक्ति नहीं बन गए हैं।

वे पूरे विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय शांति को भंग करने का साधन बन गए हैं। उन्होंने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध भी आक्रामक रुख अपनाया है। दक्षिण अफीका और रंगभेद आज भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कैंसर से भी अधिक बहुत ही खतरनाक रोग बन गए हैं।

. महात्मा गांधी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दक्षिण अफीका की भूमि पर, रंगभेद की भूमि पर ही रंगभेद के विरुद्ध आवाज उठाई थी। उसे याद किया जाना चाहिए। यह लेनिन या स्टालिन नहीं था। (व्यवधान)

महात्मा गांधी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आपके सचेत होने से बहुत पहले रंगभेद का विरोध किया था। भारत पहला देश था जिसने स्वतंत्रता से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर यह मामला उठाया था। यदि मैं गलत हूं तो कृपया ठीक कर दें। आजादी से पहले भी भारत पहला देश था जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ में यह मामला उठाया था। हम इस पर पूरी तरह से वचनबद्ध हैं। हम इस रंगभेद प्रणाली को समाप्त करना चाहते हैं।

हमने अफ्रीकी स्वतंत्रता सैनानियों को समर्थन दिया है। हमने उनको न केवल नैतिक समर्थन दिया अपितु उनको सामान देकर भी सहायता की है। कृपया इसे ध्यान में रखा जाए। (व्यवधान)

महोदय, एक प्रश्न उठाया गया था कि हम अहिंसा के प्रति वचनबद्ध हैं। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और स्वापो हिंसा संघर्ष में लगे हुए हैं। हम इसका किस प्रकार से समर्थन कर सकते हैं ? मैं श्री चौधरी को बता दूं (व्यवधान) कृपया मुझे सुनिए। गांधी जी ने क्या कहा है ? गांधी जी ने कहा था कि बिल्ली के खिलाफ चूहे को हिंसा करने का पूरा-पूरा अधिकार है। उन्होंने बिल्ली के विरुद्ध चूहे की हिंसा का समर्थन किया। जब एक महिला पूछती है कि यदि मुझसे एक गुण्डा छेड़खानी करता है तो मैं अपनी इज्जत को अहिंसा के ढंग से किस प्रकार से बचा सकती हूं ? गांधी जी ने कहा था कि अपने दांतों और नाखूनों का उपयोग करें। वह अहिंसा है। अतः इसकी गलत व्याख्या न करें।

इसलिए दक्षिणी अफीका और नामीबिया में चल रही स्थिति के अनुसार वहां के लोगों द्वारा सशस्त्र संघर्ष करने के अलावा और कोई चारा नहीं है और इसके लिए हमें उनका समर्थन करना चाहिए।

[श्री बिपिनपाल दास]

हाल के लघु राष्ट्रमण्डल के निर्णयों के बारे में श्री फैलीरो द्वारा दिए गए वक्तव्य का मैं स्वागत करता हूं। इस बैठक में यू०के० पूरी तरह से अलग था। प्रधान मन्त्री जी ने कहा था कि ब्रिटेन राष्ट्रमण्डल का नेता नहीं रहा है। अधिक तथ्य आ रहे हैं और आएंगे। कृपया धैर्य रखिए। हम पहले लोग थे जिन्होंने प्रतिबन्ध किया है। एक ऐसा समय था जब भारत ने प्रतिबन्ध किया परन्तु चीन के दक्षिण अफ्रीका के साथ व्यापारिक सम्बन्ध थे।

यह खेदजनक और निन्दनीय बात है कि ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश दक्षिण अफ्रीका में इस जाति भेद वाले शासन के पूरी तरह से समर्थक हैं। हम उन देशों को बधाई देते हैं जिन्होंने राष्ट्रमंडल में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाने में हमारा साथ दिया।

अमेरिका और यू०के० तथा श्री बोथा को यह बात जान लेनी चाहिए कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के दिन समाप्त हो गए हैं और वे वहां अधिक दिनों तक टिक नहीं सकेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि दक्षिण अफ्रीका में षड्यंत्रों और साम्राज्यवादी इरादों को अश्वेत बहुमत का स्वतंत्रता संघर्ष कुचल कर रख देगा। इसे दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में सफलता अवश्य मिलनी चाहिए। यह रुक नहीं सकता। श्री बोथा और उनके समर्थकों को यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए और तदनुसार वे अपने व्यवहार को बदल लें उन्हें या तो स्वैच्छिक रूप से आत्मसमर्पण करना चाहिए या स्वतंत्रता सैनानी की ये मजबूत ताकतें और पूरा विश्व उन्हें दक्षिण अफ्रीका से बाहर जाने के लिए दबाव डालेगा। इतिहास को कोई नहीं रोक सकता। इतिहास अपना मार्ग आप बनाता है और यह अपने पाठ्यक्रम का अनुकरण करेगा। इन सभी वर्षों में इसने इसका पालन किया है। पिछले 40 या 50 वर्षों में विशेषरूप से भारत की आजादी होने के बाद एक-एक करके कई देश स्वतन्त्र हुए हैं। विश्व में इसका अपना प्रभाव था। वह इतिहास का चलन है जिसे रोका नहीं जा सकता। इन्डोनेशिया में इसे रोका नहीं जा सका। अंगोला में इसे रोका नहीं जा सकता और मोजाम्बिक में इसे रोका नहीं जा सकता तथा दक्षिण अफ्रीका में इसे रोका नहीं जा सकता। उन्हें सफलता मिलनी है तथा हमें नैतिक और सामान का समर्थन उन्हें देना होगा तथा जैसा कि मेरे दोस्त श्री दिनेश सिंह ने कहा कि जहां तक सम्भव हो इस समस्या को बातचीत के द्वारा सुलझाया जाए। हमें सभी हथियारों का उपयोग करना होगा।

मैं एक पहलू पर जोर देना चाहता हूं। बाहरी दबाव की बजाय अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका के लोगों द्वारा भीतर से ही यह दबाव डाला जाना चाहिए और इसके लिए हमें नैतिक रूप से तथा साज-सामान के साथ उनके संघर्ष में उन्हें अपना समर्थन देना होगा।

5.12 म०प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : अध्यक्ष महोदय, शायद आणविक हथियारों के बाद

रंगभेद सबसे बड़ा नैतिक विषय है जिसका सामना आज मानव को करना पड़ रहा है। मैं मानसिक जड़ता में नहीं पड़ना चाहता हूं बल्कि अत्यधिक दुःखद तथा विडंबनात्मक स्थिति यह है कि न केवल यह व्यवस्था अमानुषिक है परन्तु विचित्र है तथा इसको रोकने में मानवता की असहायता अस्पष्ट है। स्थिति को सुधारने के लि‍ए हम किस प्रकार कार्य करते हैं ? मैं समझता हूं कि यह प्रश्न है जिसे हम सबको अपने आपको सम्बोधित करना चाहिए। पश्चिम के दो बड़े मित्र देशों अर्थात अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन मिलीभगत के कारण यह असहायता पैदा हो रही है।

जैसा कि पहले बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1962 में एक संकल्प पारित किया था जिसके अन्तर्गत सर्वव्यापी अनिवार्य आर्थिक प्रतिबन्ध की मांग की गई। इस बात को 25 वर्ष बीत चुके हैं। स्थिति और अधिक भयंकर बन गई है और असहायता भी बढ़ती हुई दिखाई देती है। राष्ट्रपति रीगन द्वारा आर्थिक प्रतिबन्ध के विरुद्ध दिए गए विचार कुछ हद तक विचित्र हैं। रीगन यह विचार करते हैं कि उनके विचार से ये प्रतिबन्ध लीबिया, निकारागुआ और वियतनाम के विरुद्ध प्रभावी होंगे।

वह यह समझता है कि दक्षिण अफ्रीका में प्रतिबन्ध केवल अलाभकारी हो सकेंगे। महोदय, हाल ही में रीगन द्वारा दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस को जिसे दक्षिण अफ्रीका में गैर-कानूनी माना जाता है, साम्यवादी और आतंकवादी कहने पर मुझे बहुत दुःख हुआ था। मुझे रीगन और उनके जैसे दोस्तों की इस प्रकार की प्रवृत्ति पर आश्चर्य होता है जो प्रत्येक चीज के पीछे साम्यवादी लोगों को देखते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : साम्यवादियों में क्या बुराई है ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं साम्यवादियों में कोई दोष नहीं निकाल रहा हूं। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि वे सभी – जो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं आवश्यक रूप से साम्यवादी नहीं हैं।

आज, मारग्रेट थैचर न केवल राष्ट्रमण्डल में अलग-थलग पड़ गई है बल्कि वह अपने ही देश में अलग-थलग पड़ गई है। परन्तु निःसंदेह वह पश्चाताप नहीं कर रही है। उनका तर्क यह है कि प्रतिबंध अश्वेत लोगों के लिए हानिकर होंगे। यह बहुत विचित्र तर्क है विशेषरूप से तब जबकि काले लोग स्वयं हानि उठाने के लिए तैयार हैं जो प्रतिबन्ध लागू होने से उनको हो सकती है। ब्रिटिश सरकार जार्जहोव मिशन पर बहुत आशाएं लगाई हुई थीं जो शुरू से ही असफल लग रहा था। सभी अफ्रीकी नेताओं ने यहां तक कि बिशप डेसमन्ड टूटू जैसे उदारवादी नेता द्वारा भी इसका बहिष्कार किया गया।

भारत ने राष्ट्रकुल खेलों का बहिष्कार करके अच्छा ही किया लेकिन मैं विदेश मंत्री जी को एक बात हमें बताने के लिए कहूंगा कि ऐसा करने में भारत पहला राष्ट्र क्यों नहीं था, वह 24वां राष्ट्र क्यों हुआ।

महोदय, यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत लोगों ने स्वयं ही अपना

[श्री एस० जयपाल रेड्डी]

संघर्ष तेज कर दिया है और उनके इस संघर्ष का प्रभाव श्वेतों द्वारा महसूस किया जाने लगा है। इसलिए आप पहली बार यह देखते हैं कि श्वेतों में से कुछ लोगों ने उदार दृष्टिकोण अपनाया है।

जैसा कि हम सब जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका द्वारा मोर्चाबन्द देशों पर बार बार हमले किये जाते हैं, उन्हें सबसे अधिक सहायता की आवश्यकता है। क्या हम मोर्चाबद्ध राज्यों को सब प्रकार की सहायता देने के लिए तैयार हैं ? मैं सरकार से जानना चाहता हूं वे कितनी सहायता दे सके हैं और आने वाले महीनों और वर्षों में हमारा कितनी सहायता देने का विचार है।

महोदय, लंदन में जिन सात देशों का हाल में सम्मेलन हुआ है उनमें से छः देशों द्वारा स्वीकृत अनिवार्य आर्थिक सहायता का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन वे अच्छे हैं जहां तक वे सहायता देते हैं या पर्याप्त सहायता नहीं देते। मैं नहीं कह रहा हूं कि ब्रिटेन को राष्ट्रकुल देशों से निकाल देना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमें ब्रिटेन या अमरीका के साथ सम्बन्ध-विच्छेद कर लेने चाहिएं। विश्व में कोई भी देश किसी एक मामले को लेकर सम्बन्ध विच्छेद नहीं कर सकता। लेकिन महोदय मेरा एक सुझाव है कि यह ब्रिटेन की सरकार या अमरीका की सरकार नहीं है जो बोथा शासन के साथ व्यापार कर रही है।

ब्रिटेन और अमरीका में स्थापित बहुराष्ट्रीय कम्पनियां दक्षिण अफ्रीका के साथ व्यापार चला रही है आज प्रश्न यह है कि क्या अन्य राष्ट्रकुल देशों के साथ भारत भी दक्षिण अफ्रीका में व्यापार कर रही ऐसी सभी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ अपने सम्बन्ध-विच्छेद करने को तैयार है। मेरे विचार में ऐसा करना बहुत कारगर कदम है मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस हथियार का प्रयोग करने के लिए तैयार है।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री स्वैल पांच मिनट। इसे 6 बजे तक समाप्त करना है।

श्री जी० जी० स्वैल (शिलांग) : महोदय, मुझे कुछ समय और दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : जो उन्होंने कहा है आप उसका केवल सारांश दीजिए और उसे सुसम्बद्ध रूप में रखिए।

श्री जी० जी० स्वैल : कृपया पुनर्विचार कीजिए मैंने बहुत सी बातें कहनी हैं।

सबसे पहले मैं अपने मित्र विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री श्री एडुआर्डो की प्रशंसा करता हूं कि वे बिना समय नष्ट किये इस प्रस्ताव को सदन के समक्ष लाये। वह कल ही लंदन से वापस आये हैं और आज प्रस्ताव हमारे समक्ष है।

इस वाद-विवाद की प्रासंगिकता यह है :—लंदन में सम्पन्न लघु राष्ट्रकुल शिखर सम्मेलन में हमारे प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में हमारे दल ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। हम अपने घोषित

दृष्टिकोण से पीछे नहीं हटे। हम अपनी बात पर दृढ़ रहे और गोरे लोगों के दो देशों को प्रत्येक बात में अपने साथ लेने में कामयाब रहे। न केवल सरकार और प्रधान मन्त्री ही बल्कि उस सदन के माध्यम से पूरा देश इस दृढ़ता और समर्थन को प्रकट करता है। यह संदेश सारे विश्व में जानना बहुत आवश्यक है और यही हम आज करने जा रहे हैं।

मुझे विश्वास है कि इस वाद-विवाद के अन्त तक आप हमारी भावनाओं के और सदन की बुद्धिमता के प्रतिनिधि होने के कारण आगे आयेंगे और वाद-विवाद को संक्षिप्त करेंगे और शब्दों को प्रस्ताव या संकल्प या किसी भी रूप में रखकर यहां से विश्व को संदेश भेजेंगे।

लन्दन लघु शिखर सम्मेलन के परिणामों से कुछ-कुछ निराशात्मक होना इस अभिप्राय से आसान है कि इसमें सर्वसम्मति नहीं थी क्योंकि श्रीमती थैचर ने शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले अधिकतर देशों के निर्णय से अपने को अलग कर लिया था। वह एक कदम और बढ़ गई और वह छः राष्ट्रों के निर्णय की ओर तिरस्कारपूर्ण और उपेक्षापूर्ण रही यह इस बात से स्पष्ट हो जाता है जब उसने कहा कि ब्रिटेन दक्षिण अफ्रीका में परिवर्तन लाने के लिए बहुत ही सीमित निर्णयों के साथ जो कर सकता है वह छः राष्ट्रों के मिलकर लिये गये निर्णयों से अधिक प्रभावी होगा। लघु शिखर के निर्णय से दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति बिल्कुल संतुष्ट था। उसने सोचा कि उन पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वास्तव में वह अधिक युद्धप्रिय हो गया है और लंदन में लिये गये निर्णय के तुरन्त बाद उसने मोर्चाबन्दी राज्यों जिम्बाबे के विरुद्ध, जाम्बिया के विरुद्ध बदले की भावना से कार्यवाही शुरू कर दी। अब यह स्थिति है अब यह स्पष्ट रूप से मालूम है कि वह क्या रहे हैं। स्पष्ट रूप से जानना अच्छी बात है। यह महसूस करना अच्छी बात है कि हम इस समस्या के विरुद्ध हैं और इसके विरुद्ध कार्य करना है। यह कार्यवाही उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी बन्दरगाहों से जाम्बिया और जिम्बाबे को जो माल जाता है उस पर किसी प्रकार का कर लगाकर की। मैं अपनी ओर से कहता हूं कि लन्दन में लघु शिखर का परिणाम एक सफलता है, अगर आप घोषणापत्र को देखें तो पता चलेगा कि नसाऊ में जो निर्णय लिया गया और लन्दन में लघु शिखर सम्मेलन में जो निर्णय लिया गया उसमें आगे प्रगति हुई है। नसाऊ में, दक्षिण अफ्रीका को ऋण देने, करूजेन्डास के खरीदने, ट्रेड मिशन और सरकारी निधि पर प्रतिबन्ध लगाने और दक्षिण अफ्रीका को कम्प्यूटर उपकरणों की बिक्री और निर्यात जिसका सुरक्षा बलों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है पर प्रतिबन्ध शस्त्र सामग्री के विक्रय और उस सम्बन्धी अनुबंधों पर प्रतिबन्ध लगाने तथा तेल के विक्रय पर प्रतिबन्ध हथियारों के निर्यात आदि पर प्रतिबन्ध लगाये थे। यह नसाऊ द्वारा निर्णय लिया गया था, लेकिन लन्दन में ये इससे भी अधिक बढ़ गये हैं, दक्षिण अफ्रीका के साथ वायु सेवा पर प्रतिबन्ध, वहां निवेश और पुर्ननिवेश करने, कृषि उत्पादों की सप्लाई करने, दोहरी कर की समाप्ति करने, वहां व्यापार में सरकारी निवेश की समाप्ति, सरकारी खरीद, दक्षिण अफ्रीका की मुख्य कम्पनियों के साथ ठेकों के लेन-देन, पर्यटन संवर्धन, दक्षिण अफ्रीका के सभी बैंक ऋणों के लेन-देन पर प्रतिबन्ध लगाने और दक्षिण अफ्रीका से इस्पात, लोहा, कोयला और यूरेनियम का आयात करने के बारे में सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर प्रतिबन्ध लगाने की बात कही गई। अब यह एक विशेष उन्नति हुई है जो इन देशों ने स्वीकार कर ली है। श्रीमती थैचर को भी अपनी जिद के बावजूद दक्षिणी अफ्रीका के विरुद्ध स्वैच्छा से कुछ प्रतिबन्ध लगाने के लिए के लिए राजी होना पड़ा। ये स्वैच्छिक प्रतिबन्ध दक्षिण अफ्रीका में निवेश, पर्यटन के संवर्धन, पर

[श्री जी० जी० स्वैल]

प्रतिबन्ध लगाने और इसके अतिरिक्त कोयला, लोहा और इस्पात तथा यूरेनियम के आयात के मामले में ई०ई०सी० की नीति पर चलने की बात तय हुई।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : स्वैच्छिक प्रतिबन्ध को हम नहीं समझ पाये हैं।

श्री जी० जी० स्वैल : परिणाम ऐसे दुर्घटनापूर्ण नहीं हैं जिद के बावजूद तर्कों के समक्ष उन्हें शर्मिन्दा होना पड़ा। अब मैं कहूंगा कि यह दुर्घटनापूर्ण नहीं रहा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आप संतुष्ट हैं?

श्री जी० जी० स्वैल : मैं संतुष्ट नहीं हूं इस सबके परिणामस्वरूप श्रीमती थैचर के नेतृत्व में ब्रिटेन की नैतिक और राजनीतिक साख गिरी। अगर आप सोचें तो यह एक अलगाव है। इस प्रश्न के सम्बन्ध में और उसने राष्ट्रकुल की अध्यक्षता ही नहीं खो दी है बल्कि वह ई०ई०सी० और अमरीका के हाथ की कठपुतली बन गई है। आज अमेरिका में श्री रेगन पर भी दबाव डाला जा रहा है क्योंकि संयुक्त राज्य दो तिहाई मत से एक संकल्प पारित करके दक्षिण अफ्रीका पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए रीगन को मजबूर करने का विचार कर रहा है। इन सब कार्यों में भारत नेतृत्व करता रहा है हमारे प्रधान मन्त्री नेतृत्व करते रहे हैं। जल्दी ही अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस बात को मान जायेगा और अगर वह इस बात को मान जाता है तो दक्षिण अफ्रीकी सरकार का पतन हो जायेगा।

श्री ए० सी० षण्मुखम (वेल्लोर) : अध्यक्ष महोदय, अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक की ओर से मैं विदेश मंत्रालय में माननीय राज्य मन्त्री श्री एडुआर्डो फैलीरो द्वारा लाये गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। श्री राजीव गांधी, हमारे माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित रंगभेद नीति की निन्दा करने की कार्यवाही की प्रशंसा करता हूं जहां कभी विश्व के किसी हिस्से में भी रंगभेद की नीति प्रचलित है हमारे प्रधान मंत्री उसकी निंदा करते हैं और प्रभावित लोगों की सहायता करते हैं। हाल ही में लंदन में हुए सात राष्ट्रों के राष्ट्रकुल शिखर सम्मेलन में हमारे प्रधान मन्त्री ब्रिटेन तथा उसकी प्रधान मंत्री श्रीमती थैचर को अलग-थलग करने हेतु उन देशों का समर्थन प्राप्त करने में सफल रहे। इस शिखर सम्मेलन में छः राष्ट्रों ने प्रिटोरिया शासन के खिलाफ आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने की सिफारिश की। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसको नामंजूर कर दिया। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या ब्रिटेन का राष्ट्रकुल के सदस्य के रूप में बना रहना जरूरी है।

महोदय, हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी, विश्व में प्रचार करते रहे हैं कि भारत दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति के हमेशा खिलाफ रहा है। हमारे प्रधान मंत्री विश्व के एक बड़े नेता हैं। असभ्य नीतियों के विरुद्ध किसी राष्ट्र की निन्दा करना एक नेता के लिए आसान नहीं है। इस संबंध में, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ब्रिटिश ने भारत पर 200 वर्ष राज्य किया और उस समय हमारे साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था। अब प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी द्वारा की गई कार्यवाही के कारण ब्रिटेन अकेला पड़ता जा रहा है और वे अब विश्व की नजरों में दास की तरह दिखाई देता है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में बहुत समय पहले स्वतन्त्रता

आन्दोलन शुरू किया था और उन्होंने बहुत सी कठिनाइयां और अकथित दु:ख सहे। हम हैरान हैं कि श्रीमती थैचर इतिहास कैसे भूल गई विशेष रूप से बहुत समय दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध हमारे राष्ट्र-पिता ने स्वतन्त्रता आन्दोलन शुरू किया था।

एक अन्य मुद्दा मैं इस पूज्यनीय सदन के सामने यह रखना चाहूंगा कि ब्रिटेन तथा अमरीका द्वारा मित्र देशों को शस्त्रास्त्र भेजे जाने की आड़ में प्रीटोरिया शासन को लुकछिप कर हथियार भेजे जा रहे हैं। ये हथियार उन देशों के खिलाफ भेजे जाते हैं, जो दक्षिण अफ्रीका में चल रही रंगभेद नीति का विरोध करते हैं। हमें इसे रोकने के लिए सभी संभव उपाय करने चाहिए।

महोदय, हाल ही में लन्दन में हुई कान्फ्रेन्स में हमारे प्रधान मन्त्री ने अपनी नीति स्पष्ट की है। संवाददाता सम्मेलन में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर से विश्वनीतियों में उनकी दूरदर्शिता तथा परिपक्वता का पता चलता है उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर वे दक्षिण अफ्रीका मे प्रिटोरिया शासन की रंगभेद नीति की भर्त्सना करने में हमारा साथ नहीं देते तो युनाइटिड किंगडम की सरकार और श्रीमती थैचर को बहुत हानि होगी।

महोदय, हमारे युवा तथा गतिशील प्रधान मंत्री तथा भारत सरकार द्वारा दक्षिण अफ्रीका के विषय में की गई कार्यवाही की प्रशंसा करने के साथ-साथ यदि श्रीलंका के साथ भी ऐसी ही कार्यवाही की जाए तो हम उसकी भी प्रशंसा करेंगे। इसलिए मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों विशेषकर सभी दलों के नेताओं से यह अनुरोध करता हूं कि वे सर्वसम्मति से तमिलों के नरसंहार की श्रीलंका की नीति की आलोचना करने वाला ऐसा ही संकल्प लायें। श्रीलंका में जयवर्धने की सरकार का पर्दाफाश किया जाना चाहिए। हम सभी को इजराइल, पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देशों की खुले रूप में आलोचना करनी चाहिए जोकि श्रीलंका सरकार का पक्ष ले रहे हैं और वहां पर तमिलों तथा असैनिकों के कत्लेआम के लिए उन्हें हथियार भी दे रहे हैं। मुझे ऐसी आशा और विश्वास है कि भारत सरकार श्रीलंका में तमिलों को बचाने के लिये प्रयत्न करेगी। अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर बोलने का समय देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री राज मंगल पांडे (देवरिया) : यह कितना दुखद है कि एक ऐसा देश आलोचना का भागी बन रहा है जिसका इतिहास बहुत शानदार है। विश्व समुदाय द्वारा न केवल दक्षिण अफ्रीका अपितु ब्रिटेन की भी आलोचना की जा रही है। आज जबकि पूरे विश्व में तानाशाही साम्राज्यवाद तथा सभी प्रकार के जातीय भेद-भाव समाप्त हो रहे हैं केवल दक्षिण अफ्रीका ही रंगभेद की नीति अपनाए हुए है। पूरी स्थिति की मीमांसा करने में हमारे प्रधान मंत्री ने बड़ी शानदार भूमिका निभाई है। केवल उनके माध्यम से ब्रिटेन को हटाये जाने से रोका गया अथवा राष्ट्रमण्डल की लघु कान्फ्रेंस में ब्रिटेन की सदस्यता समाप्त कर दी जाती। इससे उनकी प्रतिष्ठा को बहुत धक्का पहुंचता। राष्ट्रमंडलीय देशों द्वारा दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाये जाने से एक प्रश्न उत्पन्न होता है। यदि वे सफल नहीं होते को राष्ट्रमण्डलीय देशों का दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध क्या करने का विचार है क्योंकि वे इतने दुराग्रही हैं कि पिछले 50 वर्षों से हम देख रहे हैं कि उनकी रंगभेद की नीति में कोई अन्तर नहीं आया है। क्या आप ऐसा नहीं महसूस करते कि महात्मा गांधी, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका से अपना आंदोलन

[श्री राज मंगल पांडे]

शुरू किया, उन्हें अन्त में स्वतन्त्रता किंतु दक्षिण अफ्रीका अभी भी रंगभेद का शिकार है? यदि ये प्रयास असफल रहता है तो विश्व समुदाय को कोई व्यवहार्य विकल्प ढूंढना होगा। यदि ये प्रतिबन्ध प्रभावकारी नहीं रहते तो रंगभेद के विरुद्ध लड़ रहे लोगों को नैतिक बल प्रदान करने के लिए कुछ करना होगा ताकि वे निराश न हों और रंगभेद के खिलाफ लड़ते रहें। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसकी क्षमता तथा संसाधन बहुत विपुल हैं और आने वाले कई वर्षों तक वह स्वयं ही अपना अस्तित्व बनाये रख सकता है और सीमावर्ती देशों को इसमें हानि उठानी पड़ सकती है। अब हमने देखा है कि दक्षिण अफ्रीका से सीमावर्ती देशों के विरुद्ध कई प्रतिबन्ध लगा दिए हैं। यदि ऐसी स्थिति है तो स्वभाविक है कि विश्व समुदाय को सोचना होगा अब आगे क्या किया जाना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो इन वर्षों में इस नीति को समाप्त कराने के लिए किए गये सभी प्रयास विफल हो जाने का पूरा खतरा है। मेरी विश्व समुदाय से यह अपील है कि हमें कोई ऐसा रास्ता खोजना चाहिए जिससे हम न केवल दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को समाप्त करने में सफल हों बल्कि रंगभेदी नीति अपनाने में जो उनके सहयोगी हैं, उनके विरुद्ध भी संघर्ष कर सकें। यदि हम उन देशों को ये वित्तीय तथा नैतिक सहायता नहीं देते तो आने वाली पीढ़ी रंगभेद के विरुद्ध हमारे संघर्ष को नहीं सराहेगी।

मैं शेष मित्रों द्वारा दिए गए भाषण की सराहना करता हूं।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : महोदय, मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं कि दक्षिण अफ्रीका में न केवल मूल अधिकारों का हनन किया जा रहा है बल्कि उस देश के शांतिप्रिय लोगों में भय की लहर दौड़ रही है। यह हमारे लिए निराशा और गुस्से की बात है कि कुछ पश्चिमी देश जो एक ओर स्वयं को विश्व में लोकतंत्र के चैम्पियन बताते हैं और सभ्यता पर अपने एकाधिकार का दावा करते हैं वे दक्षिण अफ्रीका की सरकार के इस अमानवीय कृत्य का समर्थन कर रहे हैं।

जब हम दबाव के विरुद्ध संघर्ष करते हैं तो हम इतिहास के वीरों के साथ चल रहे होते हैं। प्रधान मंत्री हम लोगों के पूरे समर्थन के कारण ही दक्षिण अफ्रीका के इरादों को नाकामयाब करने तथा उन पर दबाव डालने में सफल हुए। अतः मैं भारत के महान लोगों तथा माननीय प्रधान मंत्री को ब्रिटेन को अलग करने के लिए बधाई देता हूं जो कि दक्षिण अफ्रीका की रंगभेदी नीति को पूर्ण समर्थन दे रहे थे।

मेरे विचार में दक्षिण अफ्रीका में तानाशाही फास्जिम तथा दबाव की ताकतें अपनी अन्तिम लड़ाई लड़ रही हैं। अश्वेत अधिक अधिकारों के लिए नहीं अपितु समान अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और उस देश में लोकतंत्र लाने के लिए संघर्षरत हैं। दक्षिण अफ्रीका फास्जिम का प्रतीक और स्वतंत्रता सेनानियों के हत्यारे के रूप में कुख्यात है। दक्षिण अफ्रीका सभ्य समाज के लिए एक गम्भीर चुनौती है। हमें न केवल दक्षिण अफ्रीका अपितु उनके परामर्शदाता अमेरिका तथा ब्रिटेन को भी अलग-थलग कर देना चाहिए।

एक बार फिर हम दक्षिण अफ्रीका के संघर्षरत व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं और महोदय, मैं आपके माध्यम से, दक्षिण अफ्रीका के संघर्षरत लोगों की प्रशंसा करने के लिए संकल्प प्रस्तुत करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन बातें ही कहना चाहूंगा, क्योंकि समय कम है। एमीनेंट परसंस ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट के अन्दर अन्तिम पैराग्राफ में कहा था कि यदि समय पर एपरथीड समाप्त नहीं हो जाता तो दुनिया में इतना खून बहेगा जितना दूसरे विश्वयुद्ध के समय भी नहीं बहा। अगर एपरथीड समाप्त नहीं हो जाता अफ्रीका में तो इतना खून बहेगा जितना दूसरे विश्वयुद्ध के बाद नहीं बहा यह बहुत मार्के की बात कही। ई०पी०जी० ने और इसी बात को राजीव जी ने कई बार दोहराया। उन्होंने कहा कि आज वक्त आ गया है कि दुनिया के लोग यह सोचें, दुनिया के विवेकशील लोग सोचें कि अगर एपरथीड, रंगभेद की नीति शांति से समाप्त होगी या खून-खराबे से समाप्त होगी। एपरथीड को तो जाना ही है, सवाल यह है कि वह कब जाएगा और कैसे जाएगा।

एक बात जो गौर करने की है वह मैं कहना चाहता हूं कि एपरथीड कोई आज या कल की समस्या नहीं है, यह तो एक सौ साल पुरानी समस्या है। 1886 में जोहांसबर्ग में जब सोना पाया गया तो मुट्ठीभर अंग्रेजों ने वहां के ब्लैक्स को जानवरों का जीवन बिताने पर बाध्य किया और उनको बुरी तरह एक्सप्लाइट किया। 1910 में जब अंग्रेज वहां से जाने लगे तो उन्होंने वहां का राजपाट वहां के मेजारिटी ब्लैक्स को नहीं दिया, बल्कि मुट्ठीभर गोरी नस्ल के लोगों को दिया और 1948 में जब नेशनल पार्टी पावर में आई तो उसने तो हद ही कर दी, एपरथीड इतनी बुरी तरह से वहां पर लागू किया कि सारे संसार का विवेक हिल गया। श्रीमन् मेरे कहने का अर्थ यह है कि एपरथीड कोई एक दिन की समस्या नहीं है। पिछले दो वर्षों में प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने जितनी लीडरशिप की है, जितना जोर देकर कहा है कि हम इस समस्या को मिटाकर रहेंगे, इतना विश्व के किसी दूसरे नेता ने नहीं कहा। इसलिए मैं अपने विपक्ष के दोस्तों से कहूंगा कि वे थोड़ा सा धीरज रखें, उन्होंने मिनी सम्मिट में ब्रिटेन को आइसोलेट कर दिया यह छोटी सी बात नहीं है। पहले कभी कोई ऐसी बात की कल्पना नहीं कर सकता था। सबसे बड़ी बात इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस दिन एमीनेंट परसन ग्रुप की रिपोर्ट आई, उसी दिन साउथ अफ्रीका में एमरजेंसी लागू कर दी गई। बोथा सरकार ने एमरजेंसी लागू कर दी। ऐसी एमरजेंसी साउथ अफ्रीका में है जैसी एमरजेंसी दुनिया के किसी देश में नहीं थी। वहां की कोई खबर दुनियां को नहीं मिल रही है। वहां के अखबार अपने एडीटोरियल का कालम खाली छोड़ रहे हैं। वहां दूसरे देशों के पत्रकारों के साथ अमानवीय बर्ताव किया जाता है और धक्का भी दिया जाता है। ब्लैक्स कितने मरे हैं, इस बारे में रियुमर है। कोई कहता है दो हजार मरे हैं और कोई कहता है, चार हजार मरे हैं। इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अपारथीड के साथ-साथ बारह जून को जो वहां एमरजेंसी लागू की गई है, उसको भी आप पूरी तरह कंडेम करें।

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

मैं देहातों में बहुत घूमता हूं। अपने ही देश के देहातों में लोग अपारथीड को, फ्रन्ट लाइन कंट्रीज को या नामीबीया को नहीं समझते हैं। होना तो यह चाहिए था कि इस देश का बच्चा-बच्चा दक्षिण अफ्रीका की आजादी के लिए आगे आता और आवाज बुलन्द करता। हरेक पार्टी के लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप लोगों को बताइए कि दक्षिण अफ्रीका, नामीबीया और फ्रन्ट लाइन कंट्रीज की समस्या क्या है। दक्षिण अफ्रीका के लोग फ्रन्ट लाईन देशों को पीट देते हैं और हम चुपचाप बैठे रहते हैं। यह ठीक है कि सरकार आवाज उठाती है, लेकिन दूसरे लोग आवाज नहीं उठाते हैं। मैं चाहता हूं कि ब्लाक लैवल से, गांव-गांव से सरकार के हाथ मजबूत करने के लिए रेजोल्यूशन आए कि हम दक्षिण अफ्रीका की पीड़ित जनता के साथ हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अपने देश में इस समस्या के बारे में लोगों को अच्छी तरह से ज्ञान ही नहीं है। वे यह नहीं समझते कि यह रंगभेद की नीति क्या है। मैं यह कहूंगा कि इस बारे में स्ट्रांग पब्लिक ओपीनियन बनायी जानी चाहिए। वैस्ट जर्मनी और इजरायल के वहां वैस्टेड इंटरेस्ट हैं। दक्षिण अफ्रीका से यूरेनियम. इजरायल जा रहा है, वहां न्यूक्लियर बम बन रहे हैं। समस्या उतनी आसान नहीं है, बहुत उलझी हुई है।

अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि हम पूरे सदन से एकमत होकर ऐसा प्रस्ताव पारित करें कि प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी के हाथ मजबूत हों और इस दिशा में जो वह कार्यवाही कर रहे हैं, उसका समर्थन करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी (गोहाटी) : अध्यक्ष महोदय, आज पूरा सदन दक्षिण अफ्रीका की अमानवीय रंगभेदी नीति की आलोचना करने में एकमत है और दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम दो कारणों से दक्षिण अफ्रीका के मसले में भावनात्मक रुचि रखते हैं। इस बात के अतिरिक्त कि वहां अश्वेतों के साथ अन्याय किया जा रहा है। यह बात भी है कि हम अपनी आजादी की लड़ाई के दौरान भी यह महसूस करते रहे हैं कि यह लड़ाई केवल हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए नहीं है अपितु पूरे विश्व में साम्राज्यवाद तथा तानाशाही समाप्त करने के लिए है।

महोदय, गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका से ही शुरू किया। हम एक भारतीय होने के नाते यह किस प्रकार महसूस कर सकते हैं कि यह प्रयोग सफल रहा जब तक दक्षिण अफ्रीका के लोगों को मुक्त न कराया जाये? महोदय, यह विचार-विमर्श का मौका नहीं है—समय इसकी अनुमति नहीं देता दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। महोदय, मुझे विश्वास है कि वे दिन दूर नहीं जब दक्षिण अफ्रीका स्वतंत्र हो जाएगा और उसके बाद आने वाली हमारी पहली पीढ़ी को इस बात पर विश्वास नहीं होगा कि एक ऐसे समय में जब मानव अंतरिक्ष में पहुंच गया है, विभिन्न विज्ञानों की जानकारी रखता है। एक ऐसा भी राज्य था जो ऐसे अपराध केवल इसलिए कर सकता था क्योंकि लोगों की त्वचा का रंग अलग है। मुझे इस बात को स्वीकार करने में

भी कठिनाई हो रही है कि अमेरिका जैसा देश जिसने 100 वर्ष पूर्व दासता समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी थी और यह गृहयुद्ध तक किया था और अपना एक प्रतिभाशाली राष्ट्रपति खोया था, आज सबसे निकृष्ट किस्म की दासता का समर्थन कर रहा है। रंगभेद सबसे घटिया किस्म की दासता है क्योंकि यह इस अवधारणा पर आधारित है कि एक श्वेत व्यक्ति को एक अश्वेत व्यक्ति पर शासन करने का अधिकार है। मुझे इस बात पर भी विश्वास नहीं होता कि ब्रिटेन जैसा एक देश जिसने विश्व को एक व्यक्ति एक वोट की अवधारणा दी यही अधिकार दक्षिण अफ्रीका के लोगों को न दिए जाने का समर्थन कर रहा है और लघु कांफ्रेंस में ब्रिटेन ने क्या किया है यह पूरे विश्व को मालूम है।

महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि लंदन में नसाऊ जैसा प्रयोग नहीं किया गया क्योंकि वहां एकमत बनाने के लिए कुछ प्रयास किया गया था। आज ब्रिटेन अकेला पड़ गया है और शेष छह देशों ने अपने विचार स्पष्टतः व्यक्त किए हैं। यह ऐसा अवसर नहीं है कि हम इस पर चर्चा करें कि ब्रिटेन को राष्ट्रमंडल से अलग किया जाये अथवा नहीं किंतु मेरा विचार है कि यदि ऐसी कोई मांग हो और वास्तव में मेरे एक मित्र ने ऐसी मांग की है, तो उस पर विचार किया जाना चाहिए। वास्तव में मैं आपको बता सकता हूं—(महोदय, नियमानुसार मुझे राष्ट्रपति का नाम लेने की अनुमति नहीं है) किंतु मेरा विचार है कि मैं किसी चर्चा में अध्यक्ष का नाम ले सकता हूं। महोदय, आपने रंगभेद पर सांसदों की बैठक की अध्यक्षता करते समय स्पष्टतः कहा था कि यदि ब्रिटेन ऐसा कोई कदम उठाता है तो विश्वमत के विपरीत है तो हम उसे यदि आवश्यक हो तो, राष्ट्रमंडल से निकालने पर विचार करेंगे। महोदय, मैं केवल इतना ही कहूंगा कि मुझे मालूम नहीं कि आज कामनवेल्थ में कितनी वेल्थ है, परन्तु ऐसा लगता है उसमें कुछ कामन नहीं है। हम ऐसे क्लब के सदस्य नहीं बन सकते हैं यदि वह क्लब अमानुषिक तथा पुरातनी नीतियों का समर्थन करता रहेगा···

अध्यक्ष महोदय : क्लब समर्थन नहीं कर रहा है···

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, इसीलिए मैं कह रहा हूं। या तो उस सदस्य को क्लब में से बाहर निकलना चाहिए, अथवा हमें उस क्लब के साथ अपनी स्थिति की पुनरीक्षा करनी चाहिए। वास्तव में यही बात स्वापो के नेता से पूछी गई थी जब वह यहां आए थे और उन्होंने कहा, भारत राष्ट्रमंडल को छोड़ने का विचार क्यों करे? यदि किसी को राष्ट्रमंडल त्यागना है तो वह है ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन दोषी है।

महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मेरा विश्वास है कि प्रस्ताव पारित करने के अतिरिक्त—संयुक्त राष्ट्र संघ में असंख्य प्रस्ताव पारित किए गये हैं और बिना हानि उठाए दक्षिण अफ्रीका द्वारा उनकी अवहेलना की गई है—मेरा विचार है कि कुछ सुनिश्चित उपायों के सम्बन्ध में सुनिश्चित विचार होने चाहिएं।

मैं अपने कुछ सुझाव देकर अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं। निस्संदेह, अंतर्राष्ट्रीय मत का निर्माण किया जाना चाहिए। मेरा विचार है कि विश्व के सांसदों के बीच अधिक संपर्क हो। महोदय, मैं समझता हूं कि ब्रिटेन और अमेरिका दोनों के सिनेटरों तथा सांसदों की अधिक संख्या इस

[श्री दिनेश गोस्वामी]

विषय पर अपनी सरकार से सहमत नहीं है, रीगन हो या थेचर। हमें उनके साथ अधिक संपर्क करना चाहिए जिससे सांसदों का एकमत प्राप्त हो। हमें संघर्ष करते हुए दक्षिण अफ्रीकी जनता की सेना तथा सामान से सहायता करनी चाहिए, और हमें प्रथम पंक्ति के राष्ट्रों के साथ अधिक आर्थिक संबंध बढ़ाने चाहिए, और, महोदय, नैल्सन मंडेला को छोड़ने के लिए दबाव जारी रखना चाहिए।

मैं नेल्सन मंडेला के उनके अपने भाषण से उद्धरण देकर अपनी बात समाप्त करता हूं जिसमें उन्होंने पंडित जी के लखनऊ से ट्रिपोली तक शीर्षक लेख से शब्द लिए हैं। नेल्सन मंडेला कहते हैं :

> "आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी स्वतन्त्रता सहज ही नहीं प्राप्त होती है और हम में से बहुत लोगों को अपनी इच्छाओं के शिखर पर पहुंचने से पूर्व बार-बार मृत्यु की छाया की घाटी से गुजरना होगा।"

वास्तव में, यह वाक्य 'स्वतन्त्रता सहज ही प्राप्त नहीं होती···' पंडित जी ने प्रयोग किया था। और नेल्सन मंडेला की ध्वनि गरजती है—

> "खतरे और कठिनाइयों के विगत समय में हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सके हैं; और अब हम उनसे भयभीत नहीं हो सकते हैं।"

और मुझे विश्वास है कि नेल्सन मंडेला जो 25 वर्ष से कारागृह में बन्दी हैं, और दक्षिण अफ्रीका के सहस्त्रों संघर्षरत लोगों की वीरता की भावना एक दिन दक्षिण अफ्रीकी लोगों को उस गुलामी से मुक्त करा लेगी जिसे उन्होंने इतने भयंकर रूप में झेला है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, विश्व की जनता को एक अन्तर्राष्ट्रीय गैरकानूनी व्यक्ति का सामना करना पड़ रहा है, और ऐसा सोचना निस्संदेह व्यर्थ होगा कि वह सहज ही अपनी नीति अथवा अपना रवैया बदल देगा। महोदय, थोड़ी देर के लिए हम यह अनुमान न लगाएं कि इन प्रतिबन्धों का क्या प्रभाव होगा। उन छः राष्ट्र मंडल राष्ट्रों पर क्या जिन्होंने हाल ही में मार्लबोरो हाउस में निर्णय लिया। मेरे विचार में आज 12 बजे के रेडियो समाचार में यह बात प्रसारित हुई कि लंदन से वापस जाते हुए कनाडा के प्रधान मंत्री ने कहा है कि यदि आवश्यक हो तो वह दक्षिण अफ्रीका के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़ देंगे और अपने राजदूत को वापस बुलाएंगे। अभी भी उनका राजदूत वहां है। किंतु फिर भी, मुद्दा यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय गैरकानूनी व्यक्ति, जिसके साथ हम लड़ रहे हैं अथवा लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अत्यन्त शक्तिशाली है। हम सभी यह जानते हैं। और इस शक्ति का स्रोत वह आर्थिक समर्थन है जो उन्हें विदेश के उनके मित्रों से मिलता है। 1068 ऐसी कंपनियां हैं जो अन्य राष्ट्रों में भी हैं और जो दक्षिण अफ्रीका से भी सम्बद्ध हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़े हैं। इन में से 406 कम्पनियां अमेरिका में हैं; 364 ब्रिटेन में; और 142 जर्मन संघीय गणराज्य में स्थित हैं। दक्षिण अफ्रीका में 1983 में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 155 और 170 करोड़ डालर था, जो मुख्यत: खनन पेट्रोलियम, आटोमोबाइल उद्योग, रसायन, इलेक्ट्रोनिकी बैंकिंग और वित्तीय

सेवाओं में लगा था। फोर्ड, जनरल मोटर्स, डेमलर बेन्ज प्रमुख आटोमोबाइल उद्योग हैं। जिनके संयंत्र दक्षिण अफ्रीका में हैं। तेल में दक्षिण अफ्रीका में मोबाइल, कालटेक्स, ब्रिटिश पेट्रोलियम, रॉयल डच शेल, फ्रांसीसी कंपनी "टोटल" तेल की खुदरा बिक्री के 80% और तीन प्रमुख तेल शोधक कारखानों को नियंत्रित किया है। अतः वे सभी अपने पश्चिमी समर्थकों के साथ उनकी पूरी अर्थव्यवस्था से संबद्ध हैं।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रतिबन्ध और घाटबंदी के बावजूद शस्त्रों का उत्पादन और आयात हो रहा है। अतः मैं सदन को केवल याद दिलाना चाहूंगा कि हमें इस संघर्ष में प्रमुख राष्ट्र के रूप में अत्यन्त सतर्क रहना चाहिए। आपको याद होगा कुछ वर्ष पूर्व हमने अपने कुछ पुराने सेन्टूरियन टैंक बेचे थे। किनको बेचे थे, मुझे नहीं मालूम --शायद किसी निजी पार्टी को उन में से कुछ निजी शस्त्र व्यापारी थे। किंतु उन पुराने सेन्टूरियन टैंकों में से कुछ दक्षिण अफ्रीका में देखे गए। अतः हमें इस मामले के संबंध में कुछ करते हुए बहुत ही सावधान रहना है क्योंकि इन चीजों के अन्तिम उपयोग पर सदा निगरानी रखी जानी चाहिए।

इसी प्रकार मैं मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि रंगभेद के प्रति हमारा पूरा विरोध किसी भी कारण से कम नहीं होना चाहिए, चाहे वह दक्षिण अफ्रीका के साथ हमारा हीरे का व्यापार ही क्यों न हो। हमें बिना किसी शर्त के और व्यापक रूप से हर प्रकार के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध तोड़ देने चाहिएं। बम्बई की हिन्दुस्तान डाइमंड कम्पनी को लें जिसमें आपकी सरकार के 50% शेयर हैं, और बाकी 50% डी० बीयर्स कम्पनी के नामांकित व्यक्तियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में नियन्त्रित हैं, जो दक्षिण अफ्रीका में हीरे की सबसे बड़ी खनन कम्पनी है और काले कर्मकारों को नियुक्त करती है और उनके साथ गुलामों का सा बर्ताव करती है। वह यहां अपने दो मनोनीतों द्वारा काम करते हैं। एक तो बैंक ऑफ बरमूडा जो डी० बेयर्स का सहायक है और दूसरी ब्रिटेन की डाइमंड ट्रेडिंग कम्पनी है जिसका नियन्त्रण डी० बेयर्स करते हैं। ऐसा कोई कारण समझ में नहीं आता है कि दक्षिण अफ्रीका को हमारे देश में अपने नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा हीरों का व्यापार क्यों करने दिया जाए। यह स्थिति ठीक नहीं है और मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यह सारा कुछ पूरी तरह समाप्त करने के लिए उपाय करें।

गत वर्ष मैंने इस सभा में भारत में इस कम्पनी के ऐसे कुछ निदेशकों के फोटो दिखाये थे जो हीरे के व्यापार में दक्षिण अफ्रीका में अपने सहयोगियों से मिलने गए थे और किस प्रकार वहां उनका उत्सवपूर्ण स्वागत किया गया। यह स्थिति ठीक नहीं है और इसे पूरी तरह समाप्त किया जाना चाहिए।

उनका एक परमाणु कार्यक्रम भी है। जैसा कि आप जानते हैं, उनके पास वैलिंडाबा में यूरेनियम परिष्करण संयंत्र है जहां प्लूटोनियम का इतना उत्पाद होता है जो प्रति वर्ष दो या तीन बम बनाने के लिए काफी है। कुछ लोगों ने कहा है कि उनके पास पहले से 25 से तीस परमाणु बमों का भंडार है, हमें नहीं मालूम है। उनके पास विश्व के सबसे बड़े स्वर्ण भण्डार हैं।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

6.00 म०प०

यह उनकी शक्ति का एक और स्रोत है। विश्व के स्वर्ण उत्पादन का 51% दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त होता है, और आप विश्व में सोने के मूल्य को जानते हैं।

इन कारणों से यह एक लम्बा और कठिन संघर्ष बनने वाला है, और राष्ट्रमण्डल में हम लंदन में कहां तक आगे बढ़ने में सफल हुए हैं। निस्संदेह हमें प्रसन्नता है, और हम सरकार को वहां किए जाने वाले काम के लिए बधाई देते हैं।

किन्तु मैं कहूंगा कि निस्संदेह शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में है। किन्तु क्या इसका अर्थ यह है कि हम गैर-परमाणु समाधान के विरुद्ध हैं? इसका यह अर्थ नहीं है। और न ही हो सकता है। और मैं कहता हूं कि मैं विस्तारपूर्वक नहीं कहना चाहता हूं, किन्तु कुछ वर्ष पूर्व, जब मोजमबीक के विजेता नेता, श्री समोरा माचेल यहां हमारे माननीय अतिथि के रूप में आए थे, तो यहां राष्ट्रपति भवन में बोलते हुए, जहां मैं भी उपस्थित था, उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि जब वह मोजमबीक में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो उस समय इस संगठन का नाम फ्रेलिमो, उन्होंने इस बात को नोट किया कि फ्रेलिमो फाइटर, फ्रेलिमो के गुरेला फाइटरों के हाथों में कुछ ऐसे हथियार थे जो भारत से भी आए थे। मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहना चाहता हूं किन्तु हमारा भी एक कर्तव्य है। हमारी एक जिम्मेवारी है। हमें इन बातों के लिए गला फाड़-फाड़कर चिल्लाना नहीं है। हम शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। किन्तु जब अन्त में दक्षिण अफ्रीका की जनता को अपने स्वतंत्रता संग्राम के लिए हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया जाए तो हम अशांतिपूर्ण समाधान का वि ोध नहीं कर सकते हैं। हमें स्मरण रखना चाहिए कि श्री नेल्सन मंडेला जैसा कि समाचार पत्रों में समाचार आया है, को किस प्रकार सी०आई०ए० द्वारा धोखा दिया गया। उसे सी० आई०ए० द्वारा, दक्षिण अफ्रीका सरकार को दी गई सूचना के आधार पर हिरासत में लिया गया, और सी०आई०ए० और दक्षिण अफ्रीकी गुप्त पुलिस के बीच में परस्पर सम्बन्ध था। अमरीकी लोग दक्षिण अफ्रीकी लोगों को इन अफ्रीकी नेताओं के विषय में सूचना देते रहते थे जिनको उनके देश से बाहर निकालने के लिए विवश किया गया, और दक्षिण अफ्रीकी गुप्त पुलिस अमरीका को अंगोला तथा अन्य प्रथम पंक्ति के देशों में रूसी और क्यूबा की देशों में सेना की उपस्थिति तथा गतिविधियों के सम्बन्ध में सूचना दे रहे थे। अतः वह साझेदारी से काम कर रहे थे। इसी से दक्षिण अफ्रीकी सरकार को वह सूचना मिली जिससे श्री नेल्सन मण्डेला का पता चल गया और उसको गिरफ्तार किया गया, जिसके परिणामस्वरूप दक्षिण अफ्रीकी संघर्ष का सबसे बड़ा नेता कैद में दुर्बल हो रहा है, वह अभी कितने वर्ष अपने और साथियों के साथ वहां पड़ा रहेगा, हमें कुछ नहीं मालूम।

अतः मुझे केवल यह कहना है मंत्री जी अब हमें सब स्थानों के सम्बन्ध में बता देंगे क्योंकि वह अब हरारे में गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में जा रहे हैं। यह अच्छी बात है। गुट-निरपेक्ष सम्मेलन जिम्बाब्वे में हो रहा है और इस मामले को वहां इस प्रकार उठाया जाएगा कि इसकी ओर उचित ध्यान दिया

जाए। हमें केवल इतना करना चाहिए कि आगे बढ़ें और कुछ अधिक उपाय करें।

बेचारे सैफुद्दीन चौधरी संकट में पड़े हैं क्योंकि उन्होंने उसी चीज की मांग की जिसका आपने कल सुझाव दिया था। आप अच्छी संगति में थे। स्वापो के नेता श्री सैम नजूमा ने भी यही बात कही है कि भारत ने कोई अपराध नहीं किया है, अतः हम राष्ट्रमण्डल को क्यों छोड़ दें? केवल ब्रिटेन को उससे बाहर निकाल दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : समय बदल रहा हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा विचार है कि अभी तक भारत की भूमिका प्रशंसनीय रही है किन्तु हम और प्रयत्न करें और देख लें कि कौन से प्रभावशाली कदम उठाए जा सकते हैं। अभी तक आस्ट्रेलिया और कनाडा को अपने साथ लेना ठीक है, और मैं आशा करता हूं कि हम इन्हें अपने साथ रख सकते हैं। ऐसे देश भी हैं जहां अब बहुजातीय तथा विश्व के विभिन्न देशों से आए लोगों की आबादी है। श्वेत आस्ट्रेलिया का युग अब समाप्त हो गया। हम उन्हें अपने साथ रखने और आगे ले जाने योग्य होने चाहिए ताकि ब्रिटेन के अलग-थलग हो जाने का काम पूरा हो जाए और दक्षिण अफ्रीकी संघर्ष की सहायता के लिए अधिक सुनिश्चित उपाय किये जाएं।

परिवहन मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : कल स्वप्रेरणा से दिए गए वक्तव्य में सदन को इस दुर्घटना के सम्बन्ध में जानकारी दी गई।

एक माननीय सदस्य : यह क्या है? यह प्रतिदिन दुर्घटना पर वक्तव्य देती हैं?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें दूसरे सदन में जाना है। हम वक्तव्य के पश्चात् चर्चा जारी रखेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ये कल के लिए कह रहे हैं।

---

6 07 म० प०

गढ़वा रोड के समीप 162 डाउन रेलगाड़ी की टक्कर के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

परिवहन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : कल 6-8-1986 को दिए गए स्वप्रेरित बयान

[श्रीमती मोहसिना किदवई]

में पूर्व रेलवे के गढ़वा रोड, बरकाकाना खंड पर गढ़वा रोड और तोलरा स्टेशनों के बीच एक माल गाड़ी से अलग हुए हिस्से और 162 डाउन अमृतसर-टाटानगर एक्सप्रेस के बीच हुई दुर्भाग्यपूर्ण टक्कर के बारे में सदन को सूचना दी गई थी। मैंने दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया है और मैं अस्पतालों में घायलों से भी मिली हूं। मैं भरे दिल से इस दुर्घटना के बारे में सदन के सम्मुख और अधिक तथ्य प्रस्तुत करने के लिए खड़ी हुई हूं। सर्वप्रथम, मैं इस दुर्घटना के लिए तथा इसमें मृत और घायल हुए निर्दोष यात्रियों के प्रति गहरा दुख और संवेदना व्यक्त करती हूं।

एक खाली माल गाड़ी जिसमें 43 बाक्स माल डिब्बे थे, गढ़वा रोड से प्रातः 2.06 बजे चली थी और 2.38 बजे अगले स्टेशन तोलरा से गुजरी थी। यह गाड़ी कोयले के लदान के लिए पतरातू जा रही थी। 162 डाउन अमृतसर-टाटानगर एक्सप्रेस प्रातः 2.55 बजे उसी दिशा में गढ़वा रोड से चली थी। गढ़वा रोड-तोलरा खंड पर माल गाड़ी का कुछ हिस्सा अलग हो गया था और 5 खाली बाक्स माल डिब्बे और ब्रेकयान खंड में ही रह गये थे। तोलरा का स्विचमैन, यह देखने में विफल रहा था कि पूरी गाड़ी स्टेशन मे नहीं गुजरी है और उसने अगली गाड़ी अमृतसर-टाटानगर एक्सप्रेस को लाइन क्लीयर दे दिया। अगले स्टेशन राजहरा के रेल कर्मचारी अधिक सतर्क थे और उन्होंने कन्ट्रोल को यह सूचना दी कि उनके स्टेशन पर पूरी माल गाड़ी नहीं पहुंची है। राजहरा के कर्मचारियों द्वारा कन्ट्रोल को यह सूचना प्रातः 3.04 बजे दी गई थी। सभी गाड़ियों को तत्काल रोक देने का आदेश दे दिया गया था। लेकिन, दुर्भाग्यवश अमृतसर-टाटानगर एक्सप्रेस गढ़वा रोड से पहले ही छूट चुकी थी और वह लगभग 3.10 बजे माल गाड़ी से अलग हुए हिस्से से टकरा गई थी।

टक्कर के बारे में सूचना मिलते ही चिकित्सा सेवाएं जुटाने के लिए तत्काल कार्रवाई की गई। गढ़वा रोड से रेलवे डाक्टर पैदल ही प्रातः 4.30 बजे दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए थे और यात्रियों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की। एक चिकित्सा यान डाक्टरों को लेकर बरवाडीह से आया था और सुबह पांच बजे दुर्घटना स्थल पर पहुंच गया था। डाल्टनगंज से भी डाक्टर और डिप्टी कमिश्नर तथा पुलिस अधीक्षक तत्काल सड़क मार्ग से दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गए थे। सभी घायलों को रेलगाड़ी द्वारा गढ़वा टाउन/डाल्टनगंज के सिविल अस्पतालों में भेज दिया गया था। स्थानीय निवासियों ने भी राहत कार्य में काफी मदद दी। इस बीच गोमो और चोपन से भी चिकित्सा यान रवाना कर दिये गये थे।

टक्कर के परिणामस्वरूप माल गाड़ी का ब्रेकयान, दो खाली बाक्स माल डिब्बे, अमृतसर-टाटानगर एक्सप्रेस का इंजन और उसके बाद वाला पहला सवारी डिब्बा, जो सामान यान एवं दूसरे दर्जे का सवारी डिब्बा था, एक नाले में गिर गए। दूसरा सवारी डिब्बा, जो शयन यान था, दूसरी लाइन के पुल के पाये पर जाकर रुक गया था, और उस डिब्बे के यात्रियों को केवल मामूली चोटें आई।

माल गाड़ी का हिस्सा अलग हो जाने और उसके परिणामस्वरूप हुई टक्कर के कारणों की विस्तार से जांच पूर्वी क्षेत्र के रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा अपनी सांविधिक जांच के दौरान की जाएगी जिसके आदेश दे दिये गये हैं। बहरहाल, सरसरी तौर पर देखने पर यह प्रतीत होता है कि यह दुर्घटना पीछे

आने वाली गाड़ी को लाइन क्लीयर देने से पहले पहली पूर्ण गाड़ी पहुंचने की जांच कर लेने से संबंधित नियमों का पालन करने में रेल कर्मचारियों की विफलता के कारण हुई है। इस मामले में प्रथमदृष्टया लापरवाह पाये गये कर्मचारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की गई है।

दुर्घटना स्थल को जाने से पहले मैंने 32 व्यक्तियों की मृत्यु होने और 36 व्यक्ति घायल होने की सूचना दी थी। मुझे खेद है कि अभी तक 44 शव निकाले जा चुके हैं। गाड़ी का इंजन अभी नाले से बाहर निकाला जाना है। मृतकों की सही संख्या इंजन निकाले जाने के बाद ही मालूम होगी। घायल व्यक्तियों की संख्या 37 है। सम्बद्ध परिवारों को सूचना देने के लिए आदेश दे दिये गये हैं। राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा शवों की पहचान की जा रही है।

तत्काल राहत के रूप में मैंने प्रत्येक मृतक के निकट संबंधी को पांच हजार रुपये, गम्भीर रूप से घायल व्यक्ति को एक हजार रुपये और साधारण रूप से घायल व्यक्ति को 250 रुपये अनुग्रह राशि का भुगतान करने का आदेश दे दिया है। चूंकि गढ़वा रोड और डाल्टनगंज के अस्पतालों में पर्याप्त साज-सामान उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैंने आदेश दिया है कि एक चल एक्स-रे संयंत्र कलकत्ता स्थित पूर्व रेलवे के अस्पताल से भेजा जाये ताकि यात्रियों का एक्स-रे किया जा सके। मैंने डाल्टनगंज के डिप्टी कमिश्नर को खर्च के लिए 50,000 रुपये दिए हैं। हमने इन दोनों स्थानों पर दो रेलवे डाक्टर और कल्याण कर्मचारी भी रख छोड़े हैं ताकि वे घायलों की मदद के लिए जरूरी किसी भी सहायता के लिए सिविल डाक्टरों से सम्पर्क स्थापित कर सकें।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान् देव···

प्रो० मधु दंडवते : इस पर वाद-विवाद होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हां, कल होगा।

प्रो० मधु दंडवते : 193 के अधीन।

अध्यक्ष महोदय : हां।

श्री जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : रेलवे राज्य मंत्री का क्या हुआ? वह इस समय यहां नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : उन्हें प्रभारी समझा जाता है।

अध्यक्ष महोदय : वह प्रभारी हैं। उनके बारे में आपको क्या पूछना है? श्रीमन् देव।

6.11 म०प०

दक्षिण अफ्रीका में वर्तमान स्थिति के बारे में प्रस्ताव (–जारी)

[अनुवाद]

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के सभी सदस्यों का दक्षिण अफ्रीका के लोगों के जातिवाद के विरुद्ध साहसिक संघर्ष को समर्थन देने के लिए समर्थन करता हूं। दक्षिण अफ्रीका के लोगों को रंगभेद की नीति अपनाने वाले शासन के जिस दमन का शिकार होना पड़ रहा है शायद वह आज के समय में मानवता के विरुद्ध सबसे बुरा अपराध है। मुझे खुशी है कि आस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे कुछ देश रंगभेद के विरुद्ध चलाये जा रहे आन्दोलन का समर्थन कर रहे हैं। आर्थिक प्रतिबन्धों के मामलों को लेकर राष्ट्रमंडल देशों के लघु शिखर सम्मेलन में छः देशों ने ब्रिटेन को अलग कर दिया है। यह बहुत ही प्रशंसनीय बात है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि श्रीमती थैचर द्वारा आर्थिक प्रतिबन्ध न लगाने का जो तर्क दिया जाता रहा है, वह एक ऐसा तर्क है जो दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों को हमेशा श्वेत लोगों के अधीन रखेगा। ब्रिटेन की प्रधान मंत्री ने कहा है कि काले लोगों को कष्ट उठाना है। यह बात सच हो सकती है। उन्हें थोड़े समय के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है लेकिन इसको दीर्घकालिक दृष्टि से देखना होगा। मुझे हैरानी है कि श्रीमती थैचर वास्तव में दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों के कष्टों के बारे में चिन्तित हैं अथवा वह वास्तव में स्वयं ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के बारे में चिन्तित हैं। दुर्भाग्यवश ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीमती थैचर वही स्वार्थी नीतियां और प्रवृत्तियां अपनाना चाहती हैं जिनका ब्रिटेन ने उस समय अनुसरण किया था जब उसके बड़े-बड़े उपनिवेश थे। मेरे विचार से आर्थिक प्रतिबन्धों से इन्कार करना उनके अपने देश की अर्थव्यवस्था के हित में नहीं है। जबकि इस विषय में हमें और आगे कार्यवाही करनी है, मैं अन्य सदस्यों की भांति यह कहना चाहता हूं कि हमें दक्षिण अफ्रीका की किसी कम्पनी को अलग-थलग करने की कोशिश की जाए या दक्षिण अफ्रीका के साथ किसी तरह का व्यापार सम्बन्ध नहीं रखना चाहिए। मेरे विचार में हमारे देश को ऐसी किसी कम्पनी चाहे वह दक्षिण अफ्रीका की या बाहर की हो, के साथ सम्बन्ध नहीं रखना चाहिए।

मैं हैरान हो रहा था कि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने के अलावा नेताओं ने कोई और भी बात सोची है। यह मैं आज के समाचारपत्रों में छपी खबर के संदर्भ में कह रहा हूं जिसमें यह उल्लेख है कि श्री बोथा ने एक लड़ाकू विमान का शुभारम्भ किया। यह एक मिराज विमान जैसा है जिनका इजराइल में प्रयोग किया जा रहा है। अतः वह भी स्वयं को शस्त्रों से सुसज्जित कर रहा है। उनके अमरीकी तथा सी० आई० ए० से संबंध हैं और गुप्त गतिविधियों के लिए प्राप्त हुई सहायता का भी हमें पता है। हम यह नहीं कह सकते कि वहां जो हो रहा है उसकी ओर ध्यान दिये बिना हम अहिंसा की नीति को अपनाते रहेंगे। एक बार स्थिति अगर बदलती है तो मैं मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या हम भी अपना दृष्टिकोण बदलेंगे और उस समय एक भिन्न दृष्टिकोण अपनाएंगे।

महोदय, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी सरकार क्या कर रही है वह दक्षिण अफ्रीका तक ही सीमित नहीं है। प्रथम महायुद्ध के बाद नामीबिया दक्षिण अफ्रीका के अधीन हुआ। जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना तो नामीबिया को संयुक्त राष्ट्र संघ की ट्रस्टीशिप काउन्सिल के अधीन होना था। यह दक्षिण अफ्रीका का नहीं है। लेकिन वह नामीबिया के लिए दावा ही नहीं कर रहा है या इसे रख ही नहीं रहा है अपितु नामीबिया जातिवाद और रंगभेद की नीति अपना रहा है जो कि उसका देश नहीं है। मेरे विचार से हमें इस पहलू को बहुत गम्भीरता से लेना चाहिए और गुटनिरपेक्ष देशों की बैठक और अन्य कई बैठकों में इस विषय को लिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत सी बातें कही गई हैं। इसे समाप्त करने से पहले मैं घाना में रह रहे एक व्यक्ति जिसे जेम्स आग्रे कहते हैं की याद दिलाना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि पियानों बजाते समय जब आप कीबोर्ड पर केवल सफेद नोट का प्रयोग करते हैं। तो आपको एक समस्वर आवाज सुनाई देती है जब आप केवल काला नोट बजाते हैं तो तब भी आपको समस्वर आवाज सुनाई देती है परन्तु जब दोनों का सम्मिश्रण होता है तो यह अधिक सुन्दर होती है। मैं आशा करता हूं कि दक्षिण अफ्रीका के रंगभेदी शासक यह महसूस करेंगे और स्थिति खराब होने हिंसात्मक कार्यवाही होने और हथियारों का प्रयोग करने से पहले हम एक दिन देखेंगे कि रंगभेद की कोई बात ही नहीं होगी। धन्यवाद।

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : कई सदस्यों ने मुझे बताया है कि लंदन में लघु शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय पर आज जब चर्चा होने जा रही है तो वहां हुए निर्णय की कोई प्रामाणिक प्रति नहीं है। समाचारपत्रों में इसे अंशतः दिया गया है परन्तु समाचारपत्रों में इन समाचारों की प्रामाणिकता नहीं है। इसलिए मैं सभा पटल पर मार्लबोरो सदन की विज्ञप्ति, जिसकी प्रतियां पहले ही उस सचिवालय में भेज दी गई हैं, को सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—2888/86]

प्रो० मधु दंडवते : आपने इसे केवल अपनी मेज पर रखा है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैंने पहले ही काफी प्रतियां दे दी हैं। जो उन्हें पढ़ना चाहते हैं उन्हें पढ़ सकते हैं।

मैं सभा के सभी वर्गों के उन सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है क्योंकि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की समस्या पर सरकार की नीतियों का जोर-दार समर्थन किया है। अगर मैं कहूं तो यह सदन की और इस देश के लोगों की सबसे अच्छी परम्परा है।

महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गये थे तो वह एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने जातिवाद भेदभाव का सामना किया तो उन्होंने पीड़ितों की ओर से लाठी उठाई और भारत लौट आये। उन्होंने दुनिया के सबसे शक्तिशाली राज्य को गिरा कर छिन्न-भिन्न कर दिया।

[श्री एडुआर्डो फलीरो]

महात्मा गांधी द्वारा आरम्भ की गई परम्परा पंडित नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के साथ आगे बढ़ी है। इस प्रथा के सबसे बड़े प्रतिपादक हैं। मैं केवल इस देश के प्रधान मंत्रियों और नेताओं का ही उल्लेख नहीं करता हूं। भारत और दक्षिण अफ्रीका में भारत मूल के बहुत से लोगों ने कष्ट उठाया है और रंगभेद की नीति के विरोध और संघर्ष में प्राणोत्सर्ग कर दिया है। वास्तव में रंगभेद की नीति का विरोध करने में हम किसी से पीछे नहीं हैं।

1946 में यहां तक कि अन्तरिम सरकार के समय भी पूरी स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले हमने दक्षिण अफ्रीका के साथ वाणिज्य व्यापार सम्बन्धी राजनयिक, वाणिज्य दूत संबंधी सम्बन्ध तोड़ लिए थे। मेरे पास एक दस्तावेज है जिसका ऐतिहासिक महत्व है और वह भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना है। यह बुधवार 17 जुलाई, 1946 को प्रकाशित भारत का असाधारण राजपत्र है। इस राजपत्र के प्रकाशन के हाल ही में 40 वर्ष पूर्ण हैं। यह पहला दस्तावेज था जो किसी भी सरकार द्वारा जातीय शासन के साथ सभी व्यापारिक, राजनयिक और वाणिज्यिक संबंधों पर रोक लगाते हुए जारी किया गया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने दक्षिण अफ्रीका के साथ व्यापार पर रोक लगाने का प्रश्न उठाया था। इस बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं है। मैं इस मामले की जांच तुरन्त आरम्भ करूंगा और मैं माननीय सदस्य का वास्तव में आभारी हूंगा, यदि वह इस मामले में तथ्यों और आंकड़ों के साथ मेरी सहायता करें।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैंने माननीय अध्यक्ष के माध्यम से पहले ही प्रस्तुत कर दिये हैं।

श्री एडुआर्डो फलीरो : हम निश्चित रूप से इसकी जांच करेंगे। हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट है। हम दक्षिण अफ्रीका के साथ किसी व्यापार की अनुमति नहीं देंगे चाहे सीधे दो या अन्य किसी भ्रामक तरीके से। मैंने भ्रामक मामलों का उल्लेख इस तथ्य के संदर्भ में किया है कि कभी-कभी हमने कुछ कम्पनियों को तीसरी पार्टी के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका के साथ संबंध बनाते देखा है। यह प्रायः नहीं होता है, यह बहुत कम होता है। मैं यहां बताना चाहता हूं कि जब कभी हमें तथ्य मालूम होते हैं तथा इन लोगों को पकड़ते हैं तब हम उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं।

मैं अभी एक मामले का उल्लेख करूंगा जो फिलहाल न्याय-निर्णय अधीन है जिसके बारे में कानून द्वारा जो कार्यवाही की जानी थी वह हमने पहले ही 1985 के मध्य में, कर ली है। इन वस्तुओं में मशीनरी, ऐसे बर्तन जिस पर इनैमल किया गया हो। ताले, अगरबत्तियां, साइकिल के पुर्जे, हवा भरने वाले स्टोव और उसके पुर्जे। ऐसे बर्तन जिन पर ब्रुश से कलाकारी की गई हो, लकड़ी तराशना, संगमरमर की मूर्तियां आदि, आदि सामान सम्मिलित हैं। उनका निर्यात किया जा रहा था और वास्तव में दक्षिण अफ्रीका भेजी जा रही थीं···परन्तु दस्तावेज में लिखा था कि यह सामान मोजाम्बिक में मापूतो जा रहा था। नौवहन कागजातों में यह दिखाया गया था माल मोजाम्बिक में मापूतो जाएगा।

वह अन्यत्र भेज देते हैं और हमारे लिए यह पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अन्ततः ये चीजें कहां उतारी जाएंगी परन्तु जब हमें इसका पता चल जाता तब हम कड़ी कार्रवाई करते हैं। इस मामले में 19 डिब्बे में रखा यह सामान जब्त कर लिया गया था और निर्यात करने वाली कम्पनी तथा जहाज के मालिक और उनके बम्बई तथा कोचीन के एजेंटों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। मैं यहां बताना चाहता हूं कि निर्यातक कम्पनी थी अकाई इम्पेक्स (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई जिस कम्पनी के पोत पर माल ले जाया जा रहा था वह थी हांगकांग में पंजीकृत गोल्ड स्टार लाइन। उसके एम० वी० 'अटेयर' नामक पोत पर माल ले जाया जा रहा था। बम्बई के अरेबी शिपिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड भारतीय एजेंट थे। अतः हम इस प्रकार के माल ले जाने की किसी भी तरह अनुमति नहीं देंगे। जैसे ही हमें सूचना मिलेगी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और इस तरह की गतिविधियों को हम सख्ती से खतम कर देंगे।

महोदय जैसा कि मैंने कहा है कि इस संघर्ष में हमने जो मुख्य भूमिका निभाई है उस पर हमें गर्व है। संयुक्त राष्ट्र महा सभा में आर्थिक प्रतिबंधों के लिए जब संकल्प प्रस्तावित किया गया था उससे 15 वर्ष पहले 1947 में विश्व में हमारा ही देश था जिसने संयुक्त राष्ट्र की कार्य-सूची में रंगभेद के प्रश्न को शामिल करने का प्रस्ताव रखा था। हमने 1947 में आजादी प्राप्त की और प्रारम्भिक तथा बाद के प्रयासों के परिणामस्वरूप सभी महा सभा सत्रों की कार्य सूची में यह विषय बराबर बना रहा।

सरकार की इन नीतियों में हमें उन संसद सदस्यों का हमेशा समर्थन मिला जो इस देश के लोगों के विधि सम्मत प्रतिनिधि हैं। मैंने इस तथ्य को ध्यान में रखकर इसका उल्लेख किया है कि हमने अमरीका और ब्रिटिश प्रशासन की निन्दा सुनी है। मुझे कहना चाहिए कि यह निन्दा पूरी तरह से उचित है। अमरीकी प्रशासन और वर्तमान प्रशासन की तथा ब्रिटेन सरकार की जो निन्दा की गई है वह पूरी तरह से उचित है परन्तु अन्य देशों की तरह जहां सरकारें रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष का समर्थन नहीं करती, इन दोनों देशों में भी लोगों का एक विशाल वर्ग है जो मानव अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन करता है, जो मानव के सम्मान का समर्थन करते हैं जो दक्षिण अफ्रीका का, जो संयुक्त और बहु-जातीय है, समर्थन करते हैं वे सभी के लिए वे चाहे काले हों, गोरे हों समता और न्याय चाहते हैं। अतः इन लोगों का समर्थन किया जाना चाहिए तथा इन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

इसलिए यहां पेश किया गया यह विचार बहुत अच्छा है कि भारत के संसद सदस्यों को विश्व के समान विचार वाले संसद सदस्यों का साथ देना चाहिए ताकि वे सरकारें सच्चाई देख सकें। इस बात से आशा बंधती है कि ब्रिटेन में संसद सदस्यों का एक बड़ा वर्ग, जिसमें विरोधी पक्ष के सदस्य हैं और सत्ता दल के सदस्य सम्मिलित हैं, वर्तमान ब्रिटिश सरकार की रंगभेद समर्थक नीतियों के विरुद्ध है। यह संतोषजनक बात है कि विदेश सम्बन्ध समिति ने 13:2 का मतदान करते हुए सरकार को दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है। इन ताकतों को संसद सदस्यों के बीच इस प्रकार के लोगों को मजबूत बनाया जाना चाहिए क्योंकि इसमें संदेह नहीं है कि लोगों के वैध प्रतिनिधि जैसे कि हम हैं जनमत बना सकते हैं और सरकार को विवेक का रास्ता दिखा सकते हैं।

महोदय, लघु शिखर सम्मेलन एक उपलब्धि है। सदन को याद होगा कि नसाऊ समझौते का

[श्री एडुआर्डो फलीरो]

पैरा 7 अधिक ठोस नहीं था। यह बहुत नरम और सावधानीपूर्ण था। पैरा 7 में लिखा है :

> "यदि बोथा शासन द्वारा इस बढ़ती हुई रंगभेद की नीति के सम्बन्ध में कोई कारंवाई नहीं की जाती तो हम में से कुछ निम्नलिखित उपायों को लागू करेंगे।"

केवल यही बात नहीं है कि पैरा 7 को मालंबो हाउस विज्ञप्ति में शामिल गया है : ऐसी बात भी नहीं है कि इन छः देशों ने पैरा 7 के प्रत्येक उपाय पर अमल करने का फैसला किया है : बल्कि छः देशों ने पैरा 7 से आगे जो उन्होंने नसाऊ में निर्णय किया था उससे भी आगे जाने का फैसला एक साथ किया है। वे और आगे आये हैं क्योंकि प्रिटोरिया सरकार ने अपना दृष्टिकोण नहीं बदला है, बल्कि इसने रंग-भेदी व्यवस्था के प्रति अपना समर्थन और भी मजबूत कर दिया है। वहां आपातकाल लागू कर दिया गया था तथा अन्य उपाय किये गये थे। इसलिए महत्वपूर्ण सफलता इस बात में निहित है इस बारे में पहली बात तो यह है कि सभी 6 देश जो अलग-अलग महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, विभिन्न जनसंख्या समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एकमत हैं तथा दूसरे अपने आपको अनुच्छेद 7 तक ही सीमित न रख कर, जो इतना हानिकर न होता, परन्तु अनुच्छेद 7 के परे जाकर दक्षिण अफ्रीकी शासन के विरुद्ध अतिरिक्त उपाय किये हैं।

जैसाकि यहां उल्लेख किया गया है, इतिहास का प्रवाह उल्टा नहीं किया जा सकता। इतिहास का प्रवाह यह संकेत देता है कि रंगभेद की यह घृणित व्यवस्था एक बुरी चीज है जो इतिहास में कभी नहीं देखी गई; ऐसा अमानवीय व्यवहार इतिहास में पूरे विश्व में कहीं भी कभी भी नहीं देखा गया।

यहां दासता का जिक्र किया गया है और यह बहुत प्रासंगिक है। जैसाकि दासता की स्थिति को सुधारा नहीं जा सका, इसी प्रकार रंग-भेद की स्थिति को सुधारा नहीं जा सकता। यह अपने आप में एक बुराई है तथा इसका एकमात्र समाधान रंगभेद को समाप्त करना है जैसाकि दासता को खत्म करके किया गया था।

मैं सभा को विश्वास दिला सकता हूं कि दक्षिण अफ्रीका के बहादुर लोगों का समर्थन करने के अपने ऐतिहासिक वायदे पर सरकार अडिग रहेगी।

एक प्रश्न पूछा गया है : यह बहुत अच्छी बात है कि आप ये सब बातें कह रहे हैं, परन्तु ठोस कार्य क्या किया जा रहा है। आप प्रत्यक्ष रूप से अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस तथा 'स्वापो' (एस० डब्ल्यू० ए० पी० ओ०) दोनों को समर्थन दे रहे हैं। सभा यह जानती है कि विश्व में स्वापो का पहला दूतावास दिल्ली में, भारत में खोला गया है। यह विश्व के लोगों के लिए इस उदाहरण का अनुसरण करने के लिए यह आह्वान किया गया है। हाल ही में प्रधान मन्त्री जी ने मोर्चाबन्द चार देशों का दौरा किया है। पहली बार भारत के प्रधान मन्त्री ने लगातार चार अफ्रीकी देशों का दौरा किया है। और फिर जैसाकि प्रधान मन्त्री के दौरे की परम्परा रही है, यह केवल एक यात्रा ही नहीं थी, और जैसाकि प्रधान मन्त्री के काम करने का ढंग है, यह एक परिणाममूलक तथा व्यावहारिक यात्रा थी तथा

उनकी यात्रा के शीघ्र बाद हलचल शुरू हो गई।

मैं यह कह सकता हूं कि जहां तक जाम्बिया का सम्बन्ध है, हमें आशा है कि वहां के प्रधान मंत्री शायद सितम्बर के उत्तरार्द्ध में भारत की यात्रा करेंगे। इस बीच, उनकी यात्रा के लिए दस्तावेज पर हमने मन्त्री स्तर पर मन्त्रणा शुरू कर दी है।

जहां तक अंगोला तथा ऐसे अन्य देशों का जिनकी प्रधान मन्त्री जी ने यात्रा की है, सम्बन्ध है, एक भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने, जिसमें वाणिज्य मन्त्रालय, एम० एम० टी० सी० आदि के प्रतिनिधि शामिल हैं हाल ही में उनके सामान की खरीददारी के लिए विचार-विमर्श करने के लिए लोआण्डा की यात्रा की है। फिर अंगोला में नवम्बर में लोआण्डा में व्यापार मेले में भाग लेने के लिए व्यापार मेला प्राधिकरण ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके अतिरिक्त, उसी देश में लोआण्डा में रेजीडेन्ट मिशन स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है तथा हमें आशा है कि अंगोला में अपना मिशन अगले वर्ष के शुरू होने से पहले अथवा अगले वर्ष के शुरू में ही निश्चित रूप से शुरू हो जायेगा।

जहां तक जिम्बाब्वे का सम्बन्ध है, कुछ वस्तुओं की खरीद के लिए विभिन्न मन्त्रालयों से एक प्रतिनिधि मण्डल उस देश की यात्रा पर गया था तथा हाल ही में हरारे में था। तंजानिया में भी उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमने कई प्रस्ताव किये हैं, ताकि वे आत्मनिर्भर हो सकें और उस आक्रमण का सामना कर सकें जो एक लम्बे समय से होता आ रहा है। दक्षिण अफ्रीका का आक्रमण केवल राजनैतिक ही नहीं रहा है, केवल सैनिक आक्रमण ही नहीं रहा है अथवा आर्थिक ही नहीं रहा है परन्तु इन देशों की दक्षिण अफ्रीका पर निर्भरता का लाभ उठा रहे हैं, ये आत्मनिर्भरता उपनिवेषिक काल से शुरू की गई थी, उस क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका इस स्थिति का जायज और नाजायज फायदा उठा रहा है। इसलिए हमने इन देशों को आत्मनिर्भरता के मामले में, रंग-भेदी शासन के आक्रमण का सामना करने के लिए, मजबूत बनाने का निश्चय किया है। निःसन्देह हम अपना भरसक प्रयत्न करेंगे परन्तु यह आवश्यक है कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय भी हमारे साथ कन्धे से कन्धा मिला कर चले तथा हमें आशा है कि वे ऐसा करेंगे।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ सम्बन्धों का क्या होगा ?

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या मैं यह सुझाव दे सकता हूं कि आप राष्ट्रमण्डल संसदीय सम्मेलन के अध्यक्ष होने के नाते तथा हमारे अध्यक्ष होने के नाते भी इस आन्दोलन के प्रति हमारा सर्वसम्मत समर्थन दीजिये तथा हमारी ओर से बोलिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके सपनों को साकार करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : आपका सपना लिखित रूप में तैयार है।

अध्यक्ष महोदय : हां मेरा भी यही तात्पर्य है। कहने तथा करने में कोई अन्तर नहीं है। मैंने यह भेद मिटा दिया है।

6.30 म० प०

दक्षिण अफ्रीका के बारे में संकल्प

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सभासदो, दक्षिण अफ्रीका में अल्पमत श्वेत सरकार की रंग-भेदी नीतियों का विरोध करने में इस सभा ने हमेशा असाधारण एकता का प्रदर्शन किया है। इस विषय पर आज की चर्चा हमारे स्पष्ट तथा अडिग रवैये की पुनरावृति है। सदस्यों की इच्छाओं के अनुरूप मैं सभा के समक्ष निम्नलिखित संकल्प रखता हूं। मुझे आशा है कि यह सभा इसे सर्वसम्मति से पारित करेगी।

"कि यह सभा सर्वसम्मति से --

(1) दक्षिण अफ्रीका के जातिवादी शासन की रंगभेद की अमानवीय नीति की निन्दा करने का,

(2) दक्षिण अफ्रीका के वीर स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति भारतीय जनता की सहानुभूति अभिव्यक्त करने और उनके मानवीय अधिकारों के लिये न्यायसंगत संघर्ष में उनके साथ देने का,

(3) रंगभेद को समाप्त करने के लिए अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य राजनीतिक संगठनों के साथ उद्देश्यपूर्ण विचार-विमर्श करने के लिए दुराग्रहपूर्ण इनकार किये जाने के कृत्य की भर्त्सना करने का,

(4) दक्षिण अफ्रीका की जातिवादी सरकार को नैतिक प्रोत्साहन और सामग्री की सहायता देने वाली सरकारों के कृत्य की निन्दा करने का,

(5) स्वतंत्रता प्राप्ति और मानवीय गरिमा के लिए दक्षिण अफ्रीकी लोगों के वीरतापूर्ण संघर्ष के समर्थन में विश्व जनमत तैयार करने में प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी द्वारा

किये गये प्रयासों और दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध अनिवार्य आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए राष्ट्रमंडल के सात राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन में भारत तथा पांच अन्य देशों द्वारा साहसपूर्ण रवैया अपनाये जाने पर उनकी प्रशंसा करने का,

(6) नसाऊ में स्वीकृत उपायों को ब्रिटेन द्वारा पूर्णरूपेण न अपनाये जाने पर खेद व्यक्त करने का,

(7) विश्व की स्वतन्त्रता प्रेमी सभी शक्तियों को रंगभेद के विरुद्ध साहसपूर्वक आन्दोलन में एक-जुट होकर काम करने की अपील करने का,

(8) दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध व्यापक, प्रभावी और अनिवार्य प्रतिबन्ध लगाने के लिए सभी सरकारों का आह्वान करने का,

(9) नेल्सन मंडेला और अन्य स्वतन्त्रता सेनानियों की बिना शर्त रिहाई और अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस तथा अन्य राजनीतिक संगठनों के क्रियाकलापों पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने के लिए आग्रह करने का,

(10) दक्षिण अफ्रीका प्राधिकारियों के विरुद्ध प्रभावपूर्ण कार्यवाही करने के लिए सम्पूर्ण विश्व की सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों को सहमत कराने हेतु विश्व के सांसदों से अपने सभी नैतिक एवं संवैधानिक साधनों का उपयोग करने की अपील करने का, और

(11) जातिवादी प्रिटोरिया शासन के अप्रशमित अपराधों और तानाशाही से दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की जनता को मुक्ति दिलाने के लिए पुन: जोरदार प्रयास करने हेतु गुटनिरपेक्ष आन्दोलन वाले देशों और उनकी सरकारों के शासनाध्यक्षों की तुरन्त बैठक बुलाने के लिए आह्वान करने का,

संकल्प करती है।"

संकल्प स्वीकृत हुआ।

6.33 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

26वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 26वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब स्थगित होती है।

————

6.34 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 8 अगस्त, 1986/17 श्रावण, 1908 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

————

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग सीलमपुर दिल्ली-53

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 7 अगस्त, 1986/16 श्रावण, 1908 (शक)
का

शुद्धि - पत्र

विषय सूची, पृष्ठ(i), पंक्ति 12, 'वक्तव्य' के स्थान पर 'विवरण' पढ़िये।

पृष्ठ 42, पंक्ति 17, अ0प्र0संख्या '299' के स्थान पर '2993' पढ़िये।

पृष्ठ 146, पंक्ति 15, अ0प्र0संख्या '3120' के स्थान पर '3121' पढ़िये।

पृष्ठ 238, पंक्ति 11, 'संबंधी समिति' के स्थान पर 'सम्बन्धी संयुक्त समिति' पढ़िये।

पृष्ठ 241, पंक्ति 13, 'नागरिकों को' के स्थान पर 'नागरिकों में' पढ़िये।

पृष्ठ 242, पंक्ति 16, 'श्री सी0 जंगा रेड्डी' के पश्चात '(हनमकोंडा)' अन्त:स्थापित करिये।

पृष्ठ 244, पंक्ति 10, 'प्रावधान किया गया है' के पश्चात 'इस्पात का कुल उत्पादन वर्ष 1975-76 में 62.10 लाख टन था तथा वर्ष 1985-86 में 100.7 लाख टन हुआ।' अन्त:स्थापित करिये।

पृष्ठ 280, पंक्ति 15, 'कम नहीं करते' के पश्चात '(मैं यह नहीं कहता कि हमें सभी गतिविधियां बन्द कर देनी चाहियें)' अन्त:स्थापित करिये।

पृष्ठ 280, पंक्ति 18, 'तथा 5 दिन के सप्ताह की प्रणाली' का लोप करिये।

पृष्ठ 294, पंक्ति 14-15, 'केवल अनुरोध करता हूं। सुरक्षा' के स्थान पर 'केवल यह अनुरोध करता हूं कि सुरक्षा' पढ़िये।

पृष्ठ 309, पंक्ति 18, 'इस वार्तालाप' से नया पैराग्राफ पढ़िये।

पृष्ठ 310, पंक्ति 12-13, 'इसका प्रत्यक्ष कारण' के स्थान पर '1806 से ही' पढ़िये तथा 'द्वारा' के स्थान पर 'में मिला' पढ़िये।